(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 7 वां दिवस [संख्या 5

वृहस्पतिवार, दिनांक 26 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि कल जो प्रश्न संख्या 59 स्थगित हुआ था वह आज लिया जायेगा प्रश्न सं. 71 के साथ क्योंकि उनका जवाब एक ही है, हैडिंग अलग अलग जरूर है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

डीजल के अभाव में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

68. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विभिन्न उपयोग हेतु कुल कितने डीजल की आवश्यकता है ? कुल आवश्यकता में से कितनी मात्रा कृषि हेतु चाहिये ?

(2) राज्य सरकार ने 1 अप्रेल, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक भारत सरकार से डीजल की कितनी मात्रा की मांग की और कितनी मात्रा प्राप्त हुई ?

(3) डीजल के अभाव में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में कितनी गिरावट आई ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री चन्दनमल बेद) : (1) राज्य को विभिन्न उपयोगों हेतु 75,000 किलो लीटर डीजल की आवश्यकता है। उक्त आवश्यकता में से 65 से 70% डीजल की कृषि क्षेत्र हेतु आवश्यकता है।

(2) राज्य ने एक अप्रेल, 1980 से फरवरी, 1981 तक 8,25,000 किलो लीटर डीजल की मांग की। उक्त अवधि में 5,51,734 किलो लीटर डीजल प्राप्त हुआ।

(3) डीजल के अभाव में कृषि उत्पादन व औद्योगिक क्षेत्र में कोई गिरावट नहीं आई है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं जानना चाहूंगी कि क्या हमें जो डीजल और केरोसिन मिलता है वह पापूलेशन के आधार पर मिलता है या कंजम्प्शन के आधार पर मिलता है ?

यह भी जानना चाहूंगी कि हमारे पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, गुजरात को हमारे कम्पेरीजन में क्या हमसे अधिक मिलता है ?

श्री चन्दनमल बेद : हमारे जो विभिन्न उद्योग हैं उन उद्योगों के आधार पर जो मांग बनती है वह 75 हजार किलो लीटर डीजल

(श्री चन्दनमल बैद)

की बनती है। यह डीजल उद्योगों की मांग के आधार पर, पंपिंग सेट के अनुसार, दूसरे वाहनों के आधार पर मिलता है, पापूलेशन का कोई आधार नहीं हो सकता है। हमें हर साल हर महीने में 45 से 50 हजार किलो लीटर डीजल मिलता है और उससे करीब करीब हमारा काम चल रहा है। जब हमें अधिक आवश्यकता होती है तो हम एक्स्ट्रा मांग करते हैं और भारत सरकार हमें एक्स्ट्रा मांग के अनुसार डीजल दे देती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : इस तरह के आधार से हमारे पड़ौसी राज्यों को डीजल मिलता है उनके मुकाबले हमें कम क्यों मिलता है ? यह बताने की मेहरबानी करें।

श्री चन्दनमल बैद : पड़ौसी राज्यों को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या स्थिति है क्या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हमारी मांग 75 हजार किलो लीटर है उसके मुकाबले हमें 45 से 50 हजार किलो लीटर हर महीने मिलता है। मेरा ऐसा अन्दाज है कि अभी हमारा काम आम तौर से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं यह जानना चाहूंगी कि जब हम केन्द्र से मांग करते हैं तो हमें यह जानकारी करना जरूरी है कि दूसरे राज्यों को कितना मिलता है, हम पीछे क्यों रहते हैं ? इसके बारे में सरकार को जानकारी क्यों नहीं है ?

दूसरा मैं यह पूछना चाहूंगी कि उदयपुर जिले में साबरमती की ओर से डीजल आता है और बहुत कम मिलता है। कारण क्या है कि इतना पास होने पर भी ट्रेन से जस्टिफाइड तरीके से भेज सकते हैं वहां टैंकरों से भेजा जाता है ? टैंकरों की कमी है। सरकार टैंकरों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? या ट्रेन से जस्टिफाइड तरीके से भेजने का क्या प्रयास है ?

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। ऐसे तो प्रश्नों के उत्तर रह जायेंगे।

जहां तक दूसरे प्रदेशों की मांग और उपलब्धि का सवाल है, हमने इस बात की जरूरत नहीं समझी। आप कहें तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मांग आम तौर पर जो है उसके अनुसार डीजल आता रहा है। दूसरी बात सारे प्रदेश में डीजल की कमी महसूस नहीं हो रही है। फिर भी कहीं सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण कमी महसूस हुई हो तो आप मुझे बतायें, उस जगह मैं सप्लाई पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आपने स्वयं ने बताया कि 45 से 50 हजार किलो लीटर डीजल मिल जाता है। यह कहना कि हमारे पास कमी नहीं है क्या यह सत्य है ? मेरे क्षेत्र में हमारे राजस्थान के वाजिब कोटे से कम मिल रहा है। क्या सरकार इस कोटे

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

को बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न करना चाहती है ?

क्या सरकार को पता है कि डीजल के जो दुकानदार हैं, या पैट्रोल पम्प हैं, राजस्थान में कई ऐसी तहसीलें हैं जिनके अन्दर एक भी पैट्रोल पम्प नहीं है ? खेती करने वाले लोगों को 15–15 लीटर डीजल मिलता है। वह पीपे, अपने बरतन लेकर बीसों मील दूर से लाते हैं। क्या सरकार ने ऐसे इलाकों में डीजल के केन्द्र खोलने के लिये विचार किया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : सारे प्रश्न रह जायेंगे, उत्तर नहीं आ पायेगा इस तरह तो।

मैंने कहा कि राज्य के विभिन्न उद्योगों की मांग के आधार पर, चाहे वह उद्योग हों या कृषि हो उनकी जो मांग है, उसके आधार पर हमारी मांग जो है वह 75 हजार किलो लीटर की है। जैसा मैंने कहा आम तौर पर हमें इस समय जो डीजल मिल रहा है उससे मांग पूरी हो रही है। जहां तक प्रश्न उठता है कि तहसील हैड क्वार्टर या पंचायत हैड क्वार्टर पर डीजल के पम्प नहीं हैं उससे किसानों को परेशानी होती है। उसके लिये हम सोच रहे हैं कि ज्यादा पम्प डीजल के दें जिससे यह परेशानी दूर हो।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि उत्पादन में गिरावट नहीं आई··· -

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री महाराम चौधरी : इसका आपके पास क्या माप-तौल था ? डीजल नहीं मिलने के कारण काश्तकार खेती से महरूम रहे। कुओं पर डीजल नहीं मिलने से बहुत ही कुए बन्द रह गये जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। आपने कैसे कहा कि गिरावट नहीं आई ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा, आम तौर पर कमी नहीं है। फिर भी परेशानी कहीं बतायेंगे तो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखें। श्री रामकिशोर मीणा।

काश्तकारों को विद्युत् का प्रदाय

69. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विद्युत् मण्डल काश्तकारों को फ्लेट रेट पर व मीटर के यूनिट के आधार पर न्यूनतम कितनी विद्युत् दैनिक तौर पर देने को बाध्य है ? क्या इस वर्ष इसका पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या दी गई विद्युत् के अनुपात में काश्तकारों से भुगतान लिया जायेगा ?

Page No 4

(५)

(श्री राम किशोर मीणा)

(2) क्या मुख्य मंत्री की यह घोषणा सही है कि सीमान्त व लघु कृषकों से न्यूनतम चार्जेज नहीं लिये जायेंगे? यदि हां, तो फ्लेट रेट वाले सीमान्त कृषकों के बारे में सरकार की क्या नीति है?

राज्य मंत्री, विद्युत् (श्री प्रद्युम्न सिंह): (1) फ्लेट रेट अथवा मीटर सप्लाई के अन्तर्गत काश्तकारों को प्रतिदिन विद्युत् उपलब्ध कराने की कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं है। परन्तु फ्लेट रेट के उपभोक्ताओं को प्रति माह 135 घंटे विद्युत् उपलब्ध कराने हेतु मण्डल बाध्य है।

जी हां, उपरोक्त आवश्यकता की पालना इस वर्ष भी की गई है।

(2) जी हां। फ्लेट रेट वाले सीमान्त एवं लघु कृषकों को इस रियायत का लाभ नहीं दिया जाता है।

श्री राम किशोर मीणा: अध्यक्ष महोदय, क्या इस साल 135 घंटे प्रति माह बिजली उपलब्ध कराई गई है?

श्री प्रद्युम्नसिंह: जी हां।

श्री रामकिशोर मीणा: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सिर्फ 2-2 घंटे बिजली कई बार नहीं आई है। बार-बार शिकायतें की हैं और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब 135 घंटे के हिसाब से बिजली उपलब्ध नहीं हुई है तो क्या मिनिमम चार्जेज कम करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह: मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं आंकड़े बता सकता हूं...

श्री अध्यक्ष: इससे कोई समस्या का हल नहीं होगा। यह तो इन्डिविजुअल केस को इनको देखना पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह: इन्हें कोई समस्या है तो वह मुझे बता दें, मैं पता करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता! आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राम किशोर मीणा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि यदि कोई इस तरह की शिकायत हो तो बता दें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो 135 घंटे प्रति माह बिजली देने को कहा है उसके हिसाब से कम करने का सरकार इरादा रखती है या फ्लेट रेट को कम करने की कोई मंशा है?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सीमान्त कृषकों को बिजली दी जा रही है क्या वह सामान्य रूप से दी जा रही है और 6 घंटे दी जा रही है? यदि राजस्थान में हमारे भीलवाड़ा जिले में 6 घंटे दी जा रही है और अजमेर और विजयनगर के किसानों को 16 घन्टे बिजली दी जा रही है तो यह सौतेला व्यवहार क्यों? मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज! श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जैसा अपने उत्तर में कहा, 135 घन्टे प्रति माह। इसका मतलब साढ़े चार घन्टे प्रति

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दिन। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था 6 घन्टे प्रति दिन बिजली देने का। तो क्या आप कम से कम 180 घण्टे फ्लेट रेट के हिसाब से देने की व्यवस्था करेंगे या माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण को झुठलायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : और जो 6 घण्टे बिजली देने का आदेश दिया है उसमें पूरा वोल्टेज न देने के कारण मोटरें जल रही हैं और 6 घण्टे की बजाय 3 घंटे ही पूरी बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अलग अलग प्रश्न किये। हम फ्लेट रेट वाले कंज्यूमर्स के लिए 135 घंटे बिजली देने को पाबन्द हैं, वह हम दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बाधा उपस्थित न करें। स्थान ग्रहण कीजिये। उत्तर देने दें। आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आंकड़ों से क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाधा उपस्थित न करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि फ्लेट रेट के मुताबिक 135 घण्टे प्रति माह बिजली किसानों के लिए देने के लिए राजस्थान विद्युत मंडल बाध्य है, वह हम दे रहे हैं। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं···

(व्यवधान)

आप सुनिये। आप कृपया शांतिपूर्वक सुनिये मेरी बात···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अब अगला प्रश्न पुकारता हूं। ये उत्तर दे रहे हैं फिर भी आप सुन नहीं रहे हैं।

आर्डर प्लाज। श्री समर्थलाल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : 135 घंटे नहीं दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि 135 घंटे प्रति माह बिजली देने को बाध्य हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो उनका जो मुहायदा है, कांट्रैक्ट है उसका ब्रीच होता है उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार है···

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : 135 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है। फ्लेट रेट के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : जितनी देने की घोषणा की है उसके बीच में बिजली चली जाती है उसकी क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । दूसरा प्रश्न पुकार लिया गया है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, सन्तोषजनक उत्तर मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को सूचित किया था, एक प्रश्न पर पांच से सात मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए । मुख्य अधिकार प्रश्नकर्ता का है कि वही अधिकतर प्रश्न पूछे । यदि उचित हो तो एक–दो अन्य माननीय सदस्य को पूछने की इजाजत दे सकता हूं । लेकिन जो प्रश्न सदन के सामने आया है, कुछ माननीय सदस्य हरएक प्रश्न पर पूरक प्रश्न करने को तैयार रहते हैं । यह मेरा नम्र निवेदन है, जहां तक हो प्रश्न का उत्तर आना चाहिए । प्रश्नकर्ता को यदि कोई पाइन्ट नहीं मालूम हो और किन्हीं एक दो माननीय सदस्यों को विशेष जानकारी हो, तो जैसे ही मैं समझता हूं उनको विशेष जानकारी है तो उनको मैं अवसर देता हूं । परन्तु काफी माननीय सदस्य पूरक प्रश्न करते हैं जिससे एक ही प्रश्न में ज्यादा समय लग जाता है और दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं । इसलिए यह संभव नहीं है कि हर एक को अवसर दिया जाए । कितनी चर्चा हो इसका मैं स्वयं ध्यान रखता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : छोटा सा जवाब दिला दीजिए ।

राज्यपाल महोदय ने छः घंटे बिजली देने की घोषणा की है जब कि साढ़े चार घंटे ही बिजली दी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : इससे अधिक सूचना मंत्री महोदय के पास नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ।

(व्यवधान)

कृपया सहयोग दें । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य· ·

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य । नियमों का ध्यान रखें ।

श्री समर्थलाल !

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : राज्यपाल महोदय की घोषणा सर्वोपरि है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा प्रश्न साफ है । किसानों को महीने में 135 घंटे बिजली देने की घोषणा की गई परन्तु उनको 135 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है और उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं । इसलिए इसका जवाब दिलाएं कि 135 घंटे बिजली दे दी गई है या नहीं ?

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो फ्लेट रेट पर बिजली

Page No 7

(7)

(श्री सुखलाल सैणचा)
दी गई है यह अधिकतर जनता पार्टी वालों को दी गई है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया गया है····

(व्यवधान)

श्री लच्छूराम : मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट नहीं होता है कि बिजली बराबर किसानों को दी जा रही है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न में ही इतना समय लग जाएगा तो दूसरे प्रश्नों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न में दस मिनट से अधिक समय हो गया है, माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री समर्थलाल !

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाएं। दुबारा शुरुआत न हो इस प्रश्न की।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। नियमों का ख्याल करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री समर्थलाल !

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। यह किसानों से सम्बन्धित प्रश्न है। यह घोषणा की जानी चाहिए, यह हमारा नम्र निवेदन है।

श्री लच्छूराम : यह नीति का प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।

श्री लच्छूराम : यह जो प्रश्न है यह केवल राजस्थान के किसानों का ही नहीं है। किसान का खेत हरा होगा तो बनिये की दुकान भी हरी होगी। यह मानवीय प्रश्न ही नहीं आर्थिक प्रश्न भी है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भालू खां (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। बैठ जाइये···

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सीधा-सा सवाल है। बोर्ड किसानों को 135 घंटे बिजली देने को बाध्य है। यदि बोर्ड इसकी अनुपालना नहीं करता है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये मुझे बाध्य नहीं करें, माननीय सदस्य ! आप सदन की कार्यवाही में बाधा, व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया है अब अगला प्रश्न लेने दें।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल।

(व्यवधान)

मुझे मजबूर होकर कुछ माननीय सदस्यों को बाहर जाने को कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 135 घण्टे बिजली फ्लेट रेट से देने का वायदा किया था और बिजली बोर्ड ने भी यही बात कही थी पर 125 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, ये फ्लेट रेट पर 135 घण्टे से कम बिजली दे रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके इस रवैये के कारण हम वाक आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आपको भी जाना है तो चले जायें।

(भाकपा, लोक दल व भाकमा के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर्त्ता ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आ गये हैं।

स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत महाविद्यालय

70. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1968 से 1980 तक राजस्थान में कितने महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री समर्थ लाल)

(2) उक्त महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के क्या आधार हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सन् 1968 से 1980 तक राजस्थान में 30 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, था, जिनमें से 21 राजकीय महाविद्यालय एवं 9 अराजकीय महाविद्यालय है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यदि छात्र संख्या पर्याप्त हो तथा उपयुक्त भवन हो तो प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय होना चाहिए। इसी आधार पर महाविद्यालय क्रमोन्नत किये गये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आपने जो सूची दी इसमें सीकर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर के महाविद्यालय क्रमोन्नत किये गये वे सन् 67 के बाद किये गये ?

श्री चंदन मल बैद : आपने 1968 से 1980 तक का ही मांगा है। वही जवाब दिया है।

श्री समर्थलाल : क्या यह सही है कि राजगढ़ महाविद्यालय में 25 लाख का हाल है और 400 छात्र हैं ? आपने जो सूची दी है इस सूची के आधार पर जहां बी.ए. की कक्षाएं थीं वहां पर एम. ए. की कक्षाएं खोली गई हैं। उनके मुकाबले राजगढ़ में महाविद्यालय बहुत पहले खुल जाना चाहिये था।

श्री चंदनमल बैद : मैंने अर्ज किया, हमारा माप दण्ड यह है हर जिले में एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए। इसमें उपयुक्तता की शर्तें हैं। जैसे कि छात्र संख्या उपयुक्त हो, वह 400 हो और उपयुक्त भवन हो तो कम कर देंगे। अगर कहीं 2–3 छात्र ही हों और कहें कि कॉलेज होना चाहिए तो यह तो नहीं हो सकता है।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ में महाविद्यालय के लिए उपयुक्त भवन बना हुआ है और वहां पर पर्याप्त छात्र संख्या भी है। वह एस. सी. और एस. टी. का एरिया है। वहां पर इन जातियों के करीब 70 प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस भवन में जब कि बी. ए. तक का कॉलेज है तो जब स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनायेंगे तो इसका भी ध्यान दिया जायेगा।

श्री चंदनमल बैद : ध्यान तो रखा ही जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि छात्र संख्या कितनी होनी चाहिये ?

श्री चंदनमल बैद : वह तो बता दिया, 400 होनी चाहिए।

Page No 10

(10)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या व नाम बोल दें ।।

नवीन डिस्पेंसरीज

71. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष के बजट में कुछ नई डिस्पेन्सरीज खोलने बाबत सरकार ने घोषणा की थी तथा उक्त मद में कुछ बजट का प्रावधान भी किया था ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितनी डिस्पेन्सरीज खोली जा चुकी हैं ? शेष कब तक खोल दी जायेंगी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) वर्ष 1980-81 में 100 चिकित्सालय खोलने का प्रावधान था उनमें से 97 चिकित्सालय खोले जा चुके हैं।

(2) खोले गये चिकित्सालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय इजाजत दें तो मैं कल वाले प्रश्न संख्या 59 का भी उत्तर दे दूं ।

श्री अध्यक्ष : इजाजत है ।

वर्ष 1980-81 में नये चिकित्सालय एवं औषधालयों हेतु बजट प्रावधान

59. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

राज्य में कितने चिकित्सालय व औषधालय खोलने का बजट प्रावधान था व कितने-कितने चिकित्सालय व औषधालय वर्ष 1980-81 में खोले गए ? कृपया जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री हीरालाल देवपुरा : वर्ष 1980-81 में 100 चिकित्सालय एवं 130 औषधालय खोलने का प्रावधान है। इनमें से 97 चिकित्सालय एवं 86 औषधालय खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

खोले गये चिकित्सालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सूची स्पष्ट नहीं है। इसलिये पढ़कर सुनायी जाये।

श्री अध्यक्ष : साफ सूची दे दी जाये ।

Page No 11

11

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, सारा सदन अवगत हो जायेगा। पढ़ कर सुना दी जाये।

श्री हीरालाल देवपुरा : चारों माननीय सदस्य पास में बैठे हैं आपस में पढ़ सकते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : पढ़ कर ही सुना दें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : भूतपूर्व मंत्री महोदय ही सुना दें तो ठीक है। सारे के सारे अलवर और भरतपुर में खोली गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : पढ़ दीजिये। लेकिन सदन की यह परम्परा नहीं है। सूची लम्बी होती है उसे पढ़ने से सदन का समय नष्ट होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 97 ही हैं सुना देने दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन···

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : पाइन्ट आफ आर्डर सर···

अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री देवेन्द्र सिंह : जब सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है तो उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सूची सदन के पटल पर रखी जाये लेकिन ऐसी रखी जाये जो कि पढ़ने में तो आये।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : सदस्य सब जानते हैं कि इन्होंने सब छबड़ा में खोली थीं···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ये मंत्री की हैसियत से जवाब दे रहे हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

इस प्रश्न के चार माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता हैं, चारों के पास ऐसी सूची है क्या ?

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो दी है वह भी स्पष्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे दीजिये आपकी सूची।

श्री रामसिंह विश्नोई : इतने में तो ये पढ़ देते। + + +

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने यह स्पष्ट कहा है कि सूची स्पष्ट नहीं है। मैं देख लूंगा। मुझे

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 12

(12)

(श्री अध्यक्ष)

अधिकार है, सूची स्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट देने के लिए कह सकता हूं। मैंने मंत्रीजी को कहा है लेकिन मैं देख तो लूं कि सूची अस्पष्ट है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज! आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह सूची पढ़ क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : यह मंत्रीजी की सुविधा पर निर्भर है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सूची स्टेन्सिल कटी हुई है इसलिए अस्पष्ट होने का सवाल ही नहीं है। जो सूची सदन की मेज पर रख दी जाती है उसको कभी पढ़ा नहीं गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असुविधाजनक नहीं हो, लम्बी नहीं हो तो यह उनकी सुविधा के ऊपर है। माननीय सदस्यों ने सूची चाही वह सूची दे दी गई। उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य का कहना है कि सूची स्पष्ट नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया भाषा का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, नियमों के अनुसार

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं सूची देख सकता हूं, अगर गलत सूची दी है तो

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! जिम्मेदारी से काम लें, माननीय सदस्य। आप सूची उपलब्ध करा दीजिये अन्यथा मैं यह मानूंगा कि जो सूची दी है वह स्पष्ट है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको हमारी बात का विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास करना चाहिए। आपके लिए सूची स्पष्ट हो सकती है, हमारे लिए अस्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि कृपया सूची मुझे दे दीजिये। इस सूची को आप देख लेने दें, इसमें गैर वाजिब क्या है ? चारों माननीय सदस्यों को सूची दी है।

श्री माधवसिंह दीवान : एक को ही दी है।

श्री अध्यक्ष : वही दे दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : मेरा एक पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत देता हूं, पूरक प्रश्न करने की।

श्री रामनारायण डूडी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जिलेवार कितनी डिस्पेन्सरीज खोली गईं यह

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 13

(13)

(श्री रामनारायण डूंडी)
बता दीजिये ? साथ ही भरतपुर में कितनी खोली गईं, यह बताने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जिलेवार सूची दी है, इसलिए उसमें कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सूची सदन की मेज पर रखने के बाद सदन की प्रोपर्टी है। सभी माननीय सदस्य उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट सूची भिजवा देता हूं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या यह सही है कि बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 24 डिस्पेन्सरीज खोली गईं, वैर निर्वाचन क्षेत्र में 10 डिस्पेन्सरीज खोली गईं? क्या यह सही है कि तत्कालीन चिकित्सा मंत्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने एक लिस्ट बनाई थी जिसे मुख्य मन्त्रीजी ने उनको सबमिट करने के लिए कहा था क्या उसमें रद्दोबदल कर के-

श्री अध्यक्ष : ज्यादा लम्बा हो जायगा। छोटे-छोटे प्रश्न करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरीज खोलने का निर्णय बयाना के होने वाले पार्लियामेन्ट्री चुनाव को ध्यान में रख कर किया गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि से कोई औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई और न इस समय मैं इस स्थिति में हूं कि बयाना कान्स्टीट्यूएन्सी को पृथक् करके बता सकूं। मैंने डिस्ट्रिक्टवाइज सूची उपलब्ध करा दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :- आप बैठ जायं, उसके बाद में दूसरा सवाल पूछ लीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य ने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछा है। मैंने निवेदन किया कि बयाना या भरतपुर में कितनी हैं, वह इस सूची में है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। किसी जिले में दस हैं तो दस, पांच हैं तो पांच और बीस हैं तो बीस। यह सब सूची में दे दिया है, देख लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : ऐसा कौनसा जिला है जिसमें एक भी अस्पताल नहीं खोला गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी दृष्टि में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां एक भी अस्पताल नहीं खोला गया।

श्री हरिदेव जोशी : किस-किस जिले में एक है, किसमें दो हैं, किसमें तीन, यह बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले जो पूरक प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आने दीजिये कृपया।

श्री माधवसिंह दीवान : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं,

श्री अध्यक्ष : पहले सरकार का उत्तर आने दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : यदि जिलेवार गिनती चाहते हैं तो मुझे गिनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : एक जिले में एक ही अस्पताल खोला गया हो, ऐसे कौन से जिले हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर यह शिकायत हो माननीय सदस्य की कि अमुक जिले में नहीं खोला।...

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : इनके पास यह रिकार्ड है। सूची नहीं है तो इनको मालूम कैसे होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री माधवसिंह दीवान : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें धौलपुर जिला लिखा गया है। क्या सरकार ने धौलपुर को जिला घोषित कर दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेडिकल दृष्टि से धौलपुर जिला अलग है। भरतपुर का सी.एम.एच.ओ. अलग है और धौलपुर का सी. एम. एच. ओ. अलग है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : जिलेवार पढ़कर बता दें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा कि उनको जोड़ लगाना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिलेवार जोड़ लगाकर बता दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता पूछ लें, उसके बाद।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं जिलेवार बताता हूं।

अजमेर जिला 4, अलवर जिला 4। तसल्ली से सुनिए।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं डिस्पेन्सरीज पढ़ रहा हूं, औषधालय अलग हैं।

अजमेर	4
अलवर	4
बाड़मेर	2
बांसवाड़ा	2
भरतपुर	15
भीलवाड़ा	3
बीकानेर	2
बूंदी	2
कोटा	1
चित्तौड़गढ़	1
चूरू	3

(श्री हीरालाल देवपुरा)

डूंगरपुर	2
धौलपुर	6

भरतपुर और धौलपुर मेडिकल की दृष्टि से अलग-अलग जिले हैं।

कई माननीय सदस्य : टोटल 21।

श्री हीरालाल देवपुरा :

जैसलमेर	2
जालौर	3
झालावाड़	1
जोधपुर	3
नागौर	4
पाली	3
सवाई माधोपुर	7
सीकर	2
टोंक	2
उदयपुर	5
सिरोही	1

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर जिले ने क्या किया ? सब जगह खोली गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिलेवार डिस्पेन्सरीज हमने बता दीं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : 90 जो मैंने बताई हैं वे रूरल डिस्पेन्सरीज हैं। इनके अतिरिक्त 7 शहरी डिस्पेन्सरीज खोली गई हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर जिले का नाम भूल गए ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपक शायद ध्यान नहीं···

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर जिले की 17 लाख आबादी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : बीकानेर में एक भी डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया आप बतायें, क्या यह सही है कि पिछले बजट सत्र में जब आपने होस्पिटल्स व डिस्पेन्सरीज खोलने का तय किया उसके पीछे पार्टी और गवर्नमेंट की मन्शा यह थी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक डिस्पेन्सरी या औषधालय आप देंगे ? क्या आपने उसकी पालना की है ? अगर नहीं की है तो कितने विधान सभा क्षेत्र इस तरह के छोड़ दिए हैं जहां औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं खोलीं ?

अनेक माननीय सदस्य : Very good.

श्री हीरालाल देवपुरा : डिस्पेन्सरीज की सूची आपके समक्ष निवेदन की। इसके साथ औषधालयों की सूची भी दी है। 86 औषधालय हैं। मैं मानता हूं, औषधालय और डिस्पेन्सरीज एक जगह नहीं, अलग-अलग खोले गए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और कई जगह बिल्कुल नहीं खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को अवसर दें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मंत्री महोदय को, जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने नया विभाग लिया है। आपने भरतपुर व धौलपुर को मिलाकर 24 डिस्पेन्सरीज खोलीं। अगर औषधालय नहीं खोलते तो हम समझते कि कमी रह गई लेकिन औषधालय खोलने में कोई कमी नहीं रखी, आपने 10 औषधालय खोले हैं। राजस्थान की जनता के प्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर नहीं कर रहे हैं। आपने पार्टी में क्या वायदे किए हैं ? विधायकगण अपने क्षेत्रों में जनता के साथ वायदे करके आए हैं। जो मांग है उसके अनुसार आपने उनकी मांग को पूरा करने के लिए कोशिश की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रयत्न तो यही किया है। एक साथ सब में सफलता नहीं मिल सकती, आगे कई मौके हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं मंत्री महोदय, जो आज राज्य सरकार में हैं, से जानना चाहता हूं कि बांसवाड़ा क्षेत्र में एक भी अस्पताल नहीं खोलने और दूसरे क्षेत्रों में 10-10 खोलने का क्या तात्पर्य है, क्या क्राइटेरिया है ?

एक माननीय सदस्य : क्योंकि भवन उपलब्ध थे।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो खोले गए हैं, मैंने जिलेवार निवेदन किया। और साथ-साथ 7 डिस्पेन्सरीज···

श्री हरिदेव जोशी : आप गैर वाजिब हैं क्या ? Please.

श्री हीरालाल देवपुरा : 7 डिस्पेन्सरीज शहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं। माननीय सदस्य ने बांसवाड़ा के लिए और दूसरे क्षेत्रों के लिए बात की। मैं इस समय यही निवेदन करता हूं कि जो क्षेत्र रह गए हैं, भविष्य में डिस्पेन्सरीज व औषधालय खोलते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, उन क्षेत्रों में पहले खोले जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी बचे हुए स्थान, जिनको बिल्कुल नहीं मिला है, को कम्पेनसेट करने की कोशिश करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा प्रयत्न यही रहेगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि एक जिले में 21 डिस्पेंसरीज और दूसरे में एक खोलने का क्या क्राइटेरिया है ? इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूंगा कि जो डिस्पेन्सरीज या औषधालय खोले गये हैं, सरकार ने क्या क्राइटेरिया निश्चित किया है ?

श्री दूलाराम (वन मंत्री) : छबड़ा वाला क्राइटेरिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : विरोधी पक्ष के नेता राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे हैं, वे स्वयं जानते हैं कि जब इस प्रकार की डिस्पेन्सरीज और स्कूल खोले जाते हैं तो कुछ क्राइटेरिया, आधार होते हैं, कुछ राज्य सरकार का डिस्क्रिशन होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्राइटेरिया से खोले या डिस्क्रिशन से खोले गये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्राइटेरिया भी है, डिस्क्रिशन भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : जब विपक्ष पक्ष के नेता छबड़ा का चुनाव लड़ रहे थे उन दिनों में सड़क, बिजली के खम्भे लगाने का कौनसा क्राइटेरिया था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरीज व औषधालय खोलते हैं उसमें सरकार की मंशा रहती है कि जहां पर भवन उपलब्ध हो, उसके बाद दूसरी कोई चिकित्सा सुविधा न हो, वहां खोलते हैं ? क्या जहां पर खोले हैं वहां पर भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं हैं तो राज्य सरकार बनाएगी या या जनता ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि कहां-कहां भवन उपलब्ध हैं ?

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : जयपुर जिले में कितनी डिस्पेन्सरीज खोलीं और दूदू में खोली या नहीं ? जनता से ढाई लाख रुपये डोनेशन लेकर दिये हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : जयपुर जिले में रूरल एरिया में डिस्पेन्सरीज खोली गई हैं, मैंने चार का जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त जयपुर नगरीय क्षेत्र में डिस्पेन्सरीज खोली गई हैं : एक बरकत नगर, जयपुर, एक विधायक नगर, ज्योति नगर, जयपुर...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, आर्डर। आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में एक भी औषधालय नहीं खोला गया। जैसलमेर में एक भी डिस्पेन्सरी नहीं खोलकर जैसलमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। नियमों का ख्याल करें।

श्री चन्द्रवीरसिंह : जैसलमेर के साथ सौतेला व्यवहार होने के विरोध में मैं सदन से वाक आउट करता हूं। I will walk out.

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में विशेष तौर से बयाना सब-डिविजन में इतनी डिस्पेन्सरीज खोलने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप नियमों का तो खयाल रखें। आसन पैरों पर है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

Page No 18

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सूचना केन्द्रों पर गजट की प्रतियां समय पर उपलब्ध कराना

61. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में सरकार द्वारा चलाये जा रहे सूचना केन्द्रों पर सरकारी गजट उपलब्ध कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विभिन्न सूचना केन्द्रों से समय-समय पर गजट उपलब्ध कराये जाने की मांग जन-सम्पर्क विभाग द्वारा की जाती रही है उसके बावजूद भी विभाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ?

उत्तर

(1) कुछ सूचना केन्द्रों में सरकारी गजट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। शेष में अब मंगवाने के आदेश दे दिये गये है।

(2) सभी सूचना केन्द्रों में राजस्थान राज-पत्र (गजट) मंगवाये जाने हेतु विभागीय आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

करोली क्षेत्र में खनन कार्य

62. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि करौली में खनन कार्य से काफी आय होती है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी राशि की ?

(2) करौली क्षेत्र में खनिज विभाग की तरफ से कितना रुपया पिछले तीन सालों में व्यय हुआ है ? कृपया वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करोली क्षेत्र में खनिजों से वर्षवार आय निम्न प्रकार हुई है :–

वर्ष	आय
1978–79	40,24,164/–
1979–80	36,60,821/–

(2) करोली क्षेत्र में खनिज विभाग की ओर से निम्न प्रकार व्यय हुआ :–

(1) वर्ष	कार्यालय व्यय
1977–78	+ –
1978–79	2,67,611.00
1979–80	3,77,700.00

(2) वर्ष	सड़क निमार्ण व्यय
1977–78	3, 43 , 173.00
1978–79	7, 36 , 701.00
1979–80	6, 97 , 354.00

+ सहायक अभियन्ता, खनिज का कार्यालय स्थापित नहीं हुआ था।

अजमेर जिले में विभिन्न अपराध

63. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 1 फरवरी, 1981 तक कितनी चोरियां, लूटमार व डकैतियों की घटनायें हुई ? कृपया पृथक् पृथक् आंकड़े दें।

(2) कितने मामलों में पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ा गया तथा कितने अभियुक्त अभी तक पकड़ में नहीं आये हैं ?

Page No 19

(19)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) कितने मामलों में अनुसंधान पूरा होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और कितने किस कारण से अभी तक अनुसंधानाधीन हैं ?

(4) कितने मामलों में न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट (नेगेटिव) दी गयी है और इसका क्या कारण (अदम सबूत अथवा अदम बकुवा) रहा है ?

(5) कितने मामलों में न्यायालय में अनवीक्षा पूरी होकर अंतिम निर्णय सुना दिया गया है ? तदनुसार कितनों को सजा हुई और कितने बरी हुए तथा बरी होने वालों में से कितने मामलों में न्यायालय द्वारा अनुसंधान की कमियां एवं गफलत मानी गयी ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है।

(2) सूचना संलग्न है।

(3) सूचना संलग्न है।

(4) सूचना संलग्न है।

(5) सूचना संलग्न है। न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में अनुसंधान की कमी अथवा गफलत नहीं मानी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)।

राज्य विद्युत मण्डल, नगर खण्ड, उदयपुर में स्टाफ

64. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उदयपुर नगर खण्ड राज्य विद्युत मण्डल में ओ. एण्ड एम. स्टॉफ पेटर्न के अनुसार कामगर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक दिये जाने का विचार है ?

(2) क्या कार्यरत कामगरों को अतिरिक्त कार्यभार करने के कारण कोई अतिरिक्त रुपया दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मण्डल के आदेशों के अनुसार नई भर्ती पर रोक लगा दी गई है जिससे खाली पद फिलहाल नहीं भरे जा रहे हैं।

(2) कार्यरत कामगरों को अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया गया है अतः कोई अतिरिक्त रुपया नहीं दिया जा रहा है। परन्तु जब किसी दिन विशेष परिस्थितियों में कामगरों से निर्धारित कार्यावधि के अतिरिक्त समय में कार्य करवाया जाता है तो नियमानुसार उसके लिये ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है।

राज्य विद्युत मण्डल द्वारा खरीदे गये ट्रान्सफार्मर्स

65. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक कितने ट्रान्सफार्मर्स खरीदे ? कृपया क्रय तिथि व मूल्य अंकित करते हुए सूची सदन के पटल पर रखें।

Page No 20

(२०)

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

(2) इन ट्रान्सफार्मर्स में से कितने कार्य स्थल पर लगा दिये, कितने अब तक नहीं लगाये गये ? उनकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

(3) जो ट्रांसफार्मर्स लगा दिये गये उनमें से कितने खराब पड़े हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(4) विद्युत् मण्डल द्वारा ट्रांसफार्मर्स रिपेयरिंग की व्यवस्था कहां कहां पर है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 विभिन्न रेटिंग्स के कुल 21 ट्रांसफार्मर्स खरीदने के आदेश जारी किये । इन ट्रांसफार्मर्स की क्रय-तिथि व मूल्य का विवरण निम्न प्रकार है:–

	क्रय आदेश का दिनांक	ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग	संख्या	कुल रकम (लाखों में)
1.	23–6–80	100 एम वी ए, 220/132 के. वी.	5	220.00
2.	23–6–80	50 एम वी ए, 220/132 के. वी.	4	132.40
3.	29–2–80	35 एम वी ए, 220/132 के. वी.	1	028.07
4.	4–1–80	10/12.5 एम वी ए, 132/33 के. वी.	1	011.83
5.	28–3–80	,, ,,	5	045.45
6.	12–8–80	100 के. वी., 33/0.4 के. वी.	5	000.95
		योग	21	338.70

(2) उपरोक्त क्रय आदेशों के अन्तर्गत कोई ट्रांसफार्मर्स अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः उनको कार्य स्थल पर लगाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(3) चूंकि ट्रांसफार्मर्स कार्य स्थल पर लगाये नहीं गये हैं, अतः उनके खराब होने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(4) सामान्यतया ट्रांसफार्मर्स में छोटी-मोटी खराबियां तो उपखण्ड/खण्ड/वृत्त स्तर पर ही ठीक कर ली जाती हैं । इसके अलावा जयपुर व बीकानेर में ट्रांसफार्मर्स रिपेयरिंग की व्यवस्थित कार्यशालायें हैं ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा बीकानेर औद्योगिक इकाइयों को प्रदत्त ऋण

66. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बीकानेर जिले में किन-किन औद्योगिक इकाइयों को राजस्थान वित्त निगम से कितना कितना ऋण दिया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन इकाइयों में से किन-किन इकाइयों ने कितना-कितना ऋण काम में लिया है तथा कितना ऋण अभी इन इकाइयों द्वारा उठाना बाकी है ? कृपया विवरण मय सूची के सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में निगम की स्थापना (1955) से अब तक 151 औद्योगिक इकाइयों को रु. 2.96 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन 151 इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया है, उनमें से 31-1-81 तक 113 औद्योगिक इकाइयों को 1.56 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। इकाईवार स्वीकृत व वितरित ऋण का विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची व विवरण पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

नये खोले गये विभिन्न श्रेणियों के विद्यालय

68. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 अप्रल, 1980 से अब तक राज्य में कुल कितने विभिन्न श्रेणियों के विद्यालय खोले गये ?

(2) प्रत्येक जिले में विभिन्न श्रेणियों के कितने कितने विद्यालय खोले गये ?

(3) सीकर जिले में इनकी संख्या क्या है तथा सीकर विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार के कितने विद्यालय खोले गये ?

उत्तर

(1) इस सत्र में राज्य में 2 उच्च माध्यमिक, 252 माध्यमिक विद्यालय, 250 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 800 प्राथमिक विद्यालय खोले गए।

(2) जिलेवार संख्या संलग्न है।

(3) सीकर जिले में 40 प्राथमिक, 11 उच्च प्राथमिक तथा 9 माध्यमिक विद्यालय खोले गए। उपलब्ध सूचनानुसार सीकर विधान सभा क्षेत्र में 3 प्राथमिक तथा 1 उच्च विद्यालय खोले गये।

(जिलेवार संख्या के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सैकण्ड्री स्कूल, गोनेर (जयपुर) में वाणिज्य अध्यापक के पद की पूर्ति

69. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के ग्राम गोनेर के सैकण्ड्री स्कूल में अगस्त, 1980 से जनवरी, 1981 तक वाणिज्य अध्यापक कार्यरत नहीं रहा ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) क्या अब वहां अध्यापक लगा दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त रिक्त पद को दिसम्बर, 80 को भरा जा चुका है।

(2) जी हां।

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति

70. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक आदेश द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को सत्र 1978-79 से शिक्षण शुल्क की मुक्ति दी गयी ? क्या उसका सभी सम्बन्धित कार्यालयों में प्रसारण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

उक्त राज्यादेश सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों में प्रसारित किया गया।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर में लोकसभा चुनाव के दिन साक्षात्कार

71. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 6 जनवरी, 1980 को लोकसभा के चुनावों की वजह से सार्वजनिक अवकाश था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी दिन जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर में लिपिक पद हेतु साक्षात्कार आयोजित किये गये ? इसका क्या औचित्य है एवं ऐसा क्यों किया गया ? कृपया साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित प्रत्याशियों की सूची, उपस्थित हुये प्रत्याशियों की सूची एवं चयनित प्रत्याशियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कार्यालय में क. लि. का पद रिक्त था जिसकी पूर्ति की जानी थी। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित प्रत्याशियों, उपस्थित हुए प्रत्याशियों की एवं चयनित प्रत्याशियों की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर द्वारा बेची गई रद्दी

72. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर के कार्यालय से 26 बोरे रद्दी श्री सत्यनारायण बंसल, वरिष्ठ लिपिक, गुजराती स्कूल, अजमेर को बेची गई ? क्या यह राशि वसूल हो चुकी है ?

(2) क्या 5 अगस्त, 1980 को भी रद्दी बेची गई थी ? रद्दी कुल वजन में कितनी थी और कितनी रकम में बेची गई ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) पुराना रेकार्ड इस वर्ष कब कब किस की स्वीकृति से एवं सहमति से किसकी उपस्थिति में कितने वजन का जलाया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अतः राशि वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) दिनांक 6-8-80 को रद्दी बेची गई जिसका वजन 2 क्विंटल 50 किलो था जिसकी राशि 101.25 पैसे प्राप्त हुई।

(3) जो खराब रेकार्ड था और जिसमें दीमक लग चुकी थी वह जिला-शिक्षा अधिकारी (छात्रा) की स्वीकृति से माह जून 1980 में, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), कार्यालय सहायक तथा लेखाकार की मोजूदगी में जलाया गया। जलाते समय वजन नहीं तोला गया।

टोंक स्थित निगम के स्टेण्ड पर समुचित सुविधायें

73. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टोंक शहर में पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड पर यात्रियों के लिये पीने के पानी, बैठने के लिये स्थान और शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के संदर्भ में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टोंक शहर में वर्तमान बस स्टैण्ड नगरपालिका टोंक का है। पथ परिवहन निगम के स्वयं के बस स्टैण्ड के बनाने की योजना निगम के विचाराधीन है।

(2) बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि का कब्जा मिलने पर निगम द्वारा आगामी कार्यवाही की जायेगी।

उदयपुर शहर की बाहरी बस्तियों में बिजली-पानी की व्यवस्था

75. श्री भैरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के बाहर की बस्तियों में पानी व विद्युत् की समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(2) इस समस्या के हल हेतु सरकार का इस वर्ष क्या विचार है ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर के बाहर नगर विकास न्यास द्वारा जो कोलोनी बनाई गई हैं; उनमें पानी व विद्युत् की व्यवस्था कर दी गई है। नगर विकास न्यास की योजनाओं में यह समस्या हल होने के करीब है। कच्ची बस्तियों में पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही जारी है।

(2) सरकार द्वारा पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत नगर विकास न्यास को

(नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री) बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये दी जाती रही हैं और इस वर्ष भी 22.78 लाख रुपया भी इस योजना के अधीन दिया गया है।

कचरा बस्ती मुक्ति मार्ग, जयपुर का विकास

76. श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कचरा कच्ची बस्ती, मुक्ति मार्ग, जयपुर का पूर्ण रूप से विकास हो गया है? यदि हां, तो कृपया प्लाट नं., नाम, पिता का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अब भी कुछ परिवार हैं जिनको भूमि आवंटित नहीं की गई? यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं? कृपया सूची मय नाम, पिता का नाम सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाकी बचे हुए परिवारों में से बहुत सों से नगर विकास न्यास, जयपुर ने भूमि आवंटन हेतु धनराशि जमा करा ली है? यदि हां, तो कब? कृपया सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त में से कुछ की धनराशि जमा नहीं की है? यदि हां, तो अब उनके पैसे जमा करके कब तक भू-खण्ड आवंटित कर दिये जावेंगे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आवंटियों की सूची 1 संलग्न है।

(2) ऐसे 23 परिवार हैं। सूची 2 संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जिन भू-खण्डों के आवंटन नहीं किये गये हैं उनकी राशि जमा नहीं कराई गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अजमेर सहकारी संस्थान 'अपना बाजार' द्वारा स्टील के बर्तनों की खरीद

78. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि 'अपना बाजार' अजमेर (सहकारी संस्थान) द्वारा गत दीवाली के त्योहार से स्टील के बर्तनों का विक्रय किया जा रहा है? दिनांक 6-6-80 के बाद कुल कितने बर्तन कहां से क्रय किये गये?

(2) क्या यह सही है कि एक बार इन स्टील के बर्तनों की बिल्टी बम्बई से 'अपना बाजार' अजमेर के नाम से आई थी और बर्तनों का बिल जुनेजा फर्नीचर हाउस स्टेशन रोड, अजमेर के यहां से आया था?

(3) क्या यह सही है कि जुनेजा फर्नीचर हाउस, स्टेशन रोड, अजमेर मूलतः फर्नीचर के व्यापारी हैं जिन्हें उक्त स्टील के बर्तन खरीदने में खर्चा तथा मुनाफा दो प्रतिशत 'अपना बाजार' अजमेर की ओर से दिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 6-6-80 से दिनांक 20-2-81 तक कुल रुपये 9711.64

(सहकारिता मंत्री)
के स्टील के बर्तन ओवरसीज ट्रेडिंग एजेंसी केसरगंज, अजमेर से क्रय किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) "अपना बाजार" अजमेर ने जुनेजा फर्नीचर हाउस, स्टेशन रोड, अजमेर को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया।

निदेशक आयुर्वेद का पद

80. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर के निदेशक का पद गत 30 जून, 1977 से ही खाली है और वहां काम चलाऊ व्यवस्था चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के कारण निदेशक के चयन हेतु डी. पी. सी. की बैठक बुलाने में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है ताकि इस पद हेतु कुछ योग्य व्यक्ति सेवा निवृत्त हो जायें ?

(3) राज्य सरकार कब तक इस पद को भर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) इस पद को भरने की कार्यवाही हो रही है व यह शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

नय आयुर्वेद औषधालय

81. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ?

(2) प्रत्येक जिले में कितने कितने औषधालय खोले गये ?

(3) सीकर जिले में कुल कितने खोले गये एवं विधान सभा क्षेत्र सीकर में कुल कितने ?

उत्तर

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक 86 औषधालय खोलने की शासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) वर्ष 1980-81 में अब तक स्वीकृत औषधालयों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) सीकर जिले में वर्ष 1980-81 में एक औषधालय ग्राम मीना की नांगल तहसील नीम का थाना में खोला गया है। विधान सभा क्षेत्र सीकर में चालु वित्तीय वर्ष में कोई औषधालय नहीं खोला गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स, अलवर को विषैली गैस से फसलों को क्षति

82. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या

(श्री जीतमल जैन)

उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980 में भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स, अलवर स्थित फैक्ट्री से निकली विषैली गैस से फैक्ट्री के आस पास स्थित गांवों की फसल को कितना नुकसान हुआ? कृपया ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किसानों को अपनी फसल के नुकसान के रूप में फैक्ट्री मालिक से कितनी रकम सरकार ने दिलवाई है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) भविष्य में किसानों की फसल को विषैली गैस से नुकसान न हो, इसकी सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

(1) विशेष गिरदावरी में निम्नांकित गांवों की वर्णित भूमि क्षतिग्रस्त पाई गई :–

1. गूंदपुर	493 बीघा	09 बिस्वा
2. झारोड़ा	119 बीघा	14 बिस्वा
3. मजीट	489 बीघा	00 बिस्वा

(2) किसानों की फसल के नुकसान के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। इस प्रश्न का कि नुकसान की जिम्मेदारी कानूनन फैक्ट्री मालिक की आती है अभी विनिश्चय हो रहा है। समाधान के बाद ही मुआवजा की रकम दिलाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम संसद के विचाराधीन है। फिर भी राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री के प्रबन्धक को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रदूषण को रोकने के लिये समुचित तकनीकी कदम उठावें। साथ ही इस समस्या के स्थाई हल हेतु राज्य सरकार इस प्लान्ट से निकलने वाली गैस से प्रभावशील क्षेत्र की भूमि अवाप्त करके रसायन मुक्त उद्योगों को आवंटित करने की कार्यवाही की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। इस कार्यवाही से प्रभावशील क्षेत्र से पृथक् कृषि भूमि को नुकसान नहीं होगा।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर निर्णय

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक विशेषाधिकार का प्रश्न मुख्य मंत्रीजी और संसदीय विभाग के मंत्री जी के बारे में आपको दिया है वह लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले आपके विशेषाधिकार प्रस्ताव को देखूंगा। वह आज ही मुझे 11 बजकर 5 मिनट पर प्राप्त हुआ।

प्रश्न संख्या 72 की सूची

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज मेरा प्रश्न था 72 नम्बर का उसके उत्तर में 'सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, लिखा है' वह सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

Page No 27

(27)

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे बाद में मिल लें।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

आर्डर आर्डर।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

आपस में बातें नहीं करें।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री राव कमलेन्द्रसिंह, देवीसिंह भाटी, गोपाल पचेरलाल व वीरेन्द्र प्रतापसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 22 फरवरी को राजस्थान नहर, बुर्जी 931 पर आन्दोलन करते हुए किसानों पर लाठी चार्ज में 16 किसानों के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के विषय में,

(2) सर्वश्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 4 फरवरी को झालावाड़ पुलिस लाइन के इन्चार्ज आफिसर द्वारा शराब पीकर जीप द्वारा दो व्यक्तियों को घायल कर देने तथा दो व्यक्तियों को मार देने की घटना के विषय में,

(3) सर्वश्री नाथूसिंह, दाऊदयाल जोशी, भंवरलाल शर्मा व सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान होम्योपैथिक कालेज में गत 10 दिनों से छात्रों द्वारा आन्दोलन व भूख हड़ताल के विषय में,

(4) श्री राम कंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से फागी तहसील के काश्तकारों को छापरवाड़ा बान्ध कालख का पानी नहीं दिये जाने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं, इस विषय में,

(5) सर्वश्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत मण्डल द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय नियुक्त 200 अप्रेन्टिस क्लर्क को कार्यमुक्त किया जा रहा है, इस विषय में,

(6) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के मेजा फीडर सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मेगजीन में षड़यन्त्र पूर्वक आग लगाये जाने की घटना के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(7) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवम्बर 1980 में ब्यावर निवासी श्री रामनारायण बन्सल की विवाहित लड़की को दहेज के अभाव में हरिद्वार ले जाकर गायब कर देने की घटना के विषय में।

यह घटना प्रदेश के बाहर की है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

(8) सर्वश्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर व मान टाउन क्षेत्र सवाई माधोपुर में पीने के पानी के संकट के विषय में,

(9) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में पेयजल के संकट के विषय में,

(10) सर्वश्री गुलाबचन्द कटारिया व नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में तहसीलदार द्वारा एक स्थान पर अवैध रूप से 98 कट्टे सीमेन्ट रखे जाने के विषय में।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही बहस तथा अन्य अवसर पर बहस कर सकते हैं।

(11) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति इटावा के प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों की कमी के विषय में।

यह प्रश्न स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और अन्य माध्यम से उठाया जा सकता है।

(12) डॉ. उजला अरोड़ा, सदस्या विधान सभा की ओर से जयपुर में सफाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई होने के विषय में।

पिछले दिनों सफाई मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी वह समाप्त हो चुकी है। यह एक साधारण नागरिक प्रशासन का विषय है।

(13) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में गत दो माह में राशन की चीनी का वितरण नहीं होने के विषय में।

यह भी प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है फिर भी इसे सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(14) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 28 जनवरी को श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री हाकमसिंह निवासी बुढ्ढसिंह वाला तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर व उसके एक मित्र की हत्या के विषय में।

यद्यपि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है फिर भी कानून एवं व्यवस्था की सामान्य स्थिति से सम्बन्ध रखती है।

इन कारणों में से उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्या, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सांगानेर पंचायत समिति के गांव चतरपुरा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने की घटना के विषय में,

(2) डॉक्टर उजला अरोड़ा, सदस्या, विधान सभा की ओर से जयपुर में मिर्जा इस्माइल रोड पर एक शो रूम से एक लाख तीस हजार की चोरी।

इन वारदातों में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है अतः मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से सिकराय क्षेत्र में अध्यापकों की कमी के विषय में।

इसका सम्बन्ध शिक्षा विभाग की सामान्य प्रक्रिया से है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स में कुछ दिनों से चल रही हड़ताल के विषय में।

यह एक प्राइवेट फैक्ट्री मालूम पड़ती है फिर भी इसमें श्रम विभाग द्वारा समझौते की बातें की जा रही हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास तथ्यों की जानकारी हेतु भेजा गया है उनके अलावा अन्य माननीय सदस्य जैसे सदैव एक-एक दो-दो मिनट उस विषय पर बोलते हैं बोल सकते हैं। उनके नाम मैं क्रम से पुकारूंगा। माननीय सदस्य थोड़ा समय का ध्यान रखें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) केबिनेट के वरिष्ठ सदस्य भी जा रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया नियमों का पालन करें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी !

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कौन सा ?

श्री देवीसिंह भाटी : 16 किसानों के ऊपर लाठी प्रहार किया...

श्री अध्यक्ष : मैंने इस पर व्यवस्था दी है। आपको सुननी चाहिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्री देवीसिंह भाटी : 21 तारीख को यह घटना हुई उसके उपरान्त भी अभी तक सूचना नहीं आई है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिर मेरी बात का कब तक जवाब दिया जायेगा ? यह कोई तरीका है ? यह कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार के थोड़े से XXX माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है।

श्री देवीसिंह भाटी : 6-6 महीने तक सदन की बैठक नहीं बुलाई जाती है...

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसको मैंने राज्य सरकार के पास भेजा है।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार से कोई जवाब ही नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? यह आप कैसे मानकर चलते हैं कि समय पर सूचना नहीं आयेगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज ! कृपया अच्छी भाषा का प्रयोग करें...

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने किसी को गाली नहीं निकाली है।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गये।

(30)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! केवल बोलने से ही नहीं, जो हाव भाव आप प्रकट करें, व्यवहार करें वह भी एक स्तर का होना चाहिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतन लाल ताम्बी !

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो घटना से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह घटना मेरे क्षेत्र में रजिस्टर हुई। वह गम्भीर मसला है। उस घटना से ब्यावर, नसीराबाद और केकड़ी के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है और जुलूस, हड़ताल और आंदोलन तक हुए हैं। 24 नवम्बर, 1980 को नसीराबाद थाने में ब्यावर निवासी श्री रामनारायण ने अपनी लड़की विमला के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उससे पहले भी समय-समय उसने रिपोर्ट दी थी कि दहेज के मामले को लेकर उसकी ससुराल के लोग बराबर उसको तंग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वह बड़ी दुःखद घटना है। ब्यावर, केकड़ी और नसीराबाद में उस घटना को लेकर बड़े-बड़े आन्दोलन हुए। योजना मंत्री भारत सरकार श्री एन. डी. तिवाड़ी जब आये तो हजारों युवकों ने उनका घेराव किया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले की सी. बी. आई. से जांच कराई जायेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना के तथ्य सामने आये हैं उनसे यह घटना साधारण नहीं लगती। देश के सबसे बड़े साप्ताहिक पत्र ब्लिट्ज में 24 जनवरी को यह घटना प्रकाशित हुई। उसके बाद अग्रवाल समाज ने सारी घटना के बारे में विवरण राजस्थान और भारत सरकार के सब मंत्रियों को भेजा है। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि 24 नवम्बर, 80 को नसीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसके बाद लगातार इस मामले को रफा दफा करने का प्रयत्न किया जा रहा है···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें विमला के पति सुरेश कुमार और उसकी माता प्रेम देवी की मिलीजुली साजिश है। मामला बहुत स्पष्ट है। विमला डूबी या डुबोई गई या गायब की गयी, इसकी आज पूरे राजस्थान प्रदेश में चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि समय कम होने वाली बात है अन्यथा सारे तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। यह मामला काफी गम्भीर है। उसकी हत्या की गयी है अथवा उसको गायब किया गया है इस मामले की जांच के लिए राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि सही ढंग से होगी। अब तक सारे ब्यावर के लोग सारी राजनैतिक पार्टी और सारे रिश्तेदार प्रयत्न कर चुके हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से जितने तथ्य उसके पति ने बताये···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य। समय हो रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : 2 मिनट में।

यह बहुत गम्भीर मामला है। दहेज के मामले को लेकर नौजवान युवती की हत्या

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कर दी गयी या गायब कर दी गयी या बेच दी गयी-इसकी सारे राजस्थान में बहुत भारी चर्चा है। तनावपूर्ण वातावरण ब्यावर में मौजूद है। यह मामला बहुत गम्भीर है। राजस्थान की पुलिस उन अपराधियों से मिली हुई है, वह कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। यह गम्भीर मामला है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को सी. बी. आई. को जांच के लिए सौंपा जाये। हम बहुत ही समाज सुधार और दहेज प्रथा की बातें करते हैं। वह युवती गायब हुई है या मार दी गयी है यह पता नहीं चल पा रहा है इसलिए इस मामले को सी. बी. आई. को सुपुर्द करके इसकी जांच कराई जाये। इसमें कई रहस्योद्घाटन होने वाले हैं···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : रेलवे के फ्री पास लड़के के पिता ने यूज किये हैं और टिकट बता कर हरिद्वार गया बताया जाता है। पता नहीं लग रहा कि कहां गयी, कैसे गयी। अलग-अलग बयानों से सारी स्थिति साफ नहीं हो पाती है इसलिए पुनः मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि सदन के सारे सदस्यों में और जनता में इस घटना को लेकर चर्चा है, मैं चाहूंगा कि इस मामले को सी. बी. आई. को सौंपा जाये और अविलम्ब सारे घटना के तथ्य सदन के समक्ष और जनता के समक्ष लाये जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सवाल मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है मुझे दो मिनट का समय दिया जाये···

श्री अध्यक्ष : अन्य तरीके से उठायें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : दो मिनट में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस तरह चर्चा लम्बी हो जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि यह अपराध राजस्थान से बाहर हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता से कि यह अपराध नसीराबाद से प्रारम्भ हुआ है, वहां एफ. आई. आर. दर्ज हुई है और राजस्थान पुलिस तफतीश कर रही है। मुझे बहुत दुःख है कहते हुए कि जो स्थानीय पुलिस है, जो डी. एस. पी. और पुलिस के थानेदार हैं उनके द्वारा पूरी तफतीश में बहुत ही षड़यंत्र किया गया है। वह लड़की हो सकता है जीवित हो और किन्हीं लोगों के चंगुल में हो। व्यभिचार और दहेज के लिए उसकी हत्या की गयी है या और कुछ किया गया है, इसका पता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो व्यवस्था है वह जो तथ्य आये हैं उनके विपरीत है। इसलिए इसके ऊपर पुनर्विचार कर विचार करने के लिए सदन को अवश्य अवसर दें।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा !

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है, दो मिनट का समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपके क्षेत्र का होता तो आप स्वयं ही उठा लेते। आर्डर प्लीज ! इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री हंसराज शर्मा

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सवाई माधोपुर में पीने के पानी का संकट आ रहा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। गत कई वर्षों से सवाई माधोपुर में राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के द्वारा पानी के लिए जो नल लगाये गये हैं वह सन् 1960 में लगाये गये थे। सन् 60 में जब लोगों को पानी देने की व्यवस्था की गई उस समय वहां की सीमेंट फैक्ट्री से कान्ट्रेक्ट हुआ। उस समय सवाई माधोपुर की आबादी करीब 40 हजार थी और 40 हजार की आबादी को 10 लाख गैलन पानी देने की व्यवस्था थी लेकिन, श्रीमान्, दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जिसके माध्यम से कान्ट्रेक्ट किया था वह अपना पर्याप्त पानी लेती रही। शेष पानी जो है वह सवाई माधोपुर की दोनों नगरपालिकाओं को देती रही। इस प्रकार वहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल सका। सन् 60 के बाद में ज्यों ज्यों वहां की आबादी बढ़ती गई, पानी की परेशानी होती गई। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कई दफा निवेदन किया गया क्योंकि वहां की आबादी बढ़ चुकी है, पाइप लाइन बढ़ाई जाये और वहा पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाये। इस संदर्भ में गत वर्ष भी मैंने आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तो मुझे यह बताया गया था कि मौजूदा हालत में सवाई माधोपुर नगरपालिका की 25 हजार की आबादी है और नगरपालिका मान टाउन की 24 हजार की आबादी है...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : इस प्रकार मौजूदा हालत में 17 लाख गैलन पानी पर डे मिलना चाहिए लेकिन उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर में 2 लाख 25 हजार गैलन और नगरपालिका मानटाउन में 3 लाख 75 हजार गैलन पानी दिया जा रहा है। इस प्रकार 17 लाख गैलन पानी के अगेंस्ट में गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा उन दोनों नगरपालिकाओं को केवल 6 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है जो अपर्याप्त मात्रा में है। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि हमारे यहां पेय जल की कमी को देखते हुए योजना को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव विचारार्थ है उस पर अविलम्ब विचार किया जायेगा और पीने के पानी की जो अव्यवस्था है उसको मिटाया जायेगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसका उल्टा हुआ ? जहां दूसरी ओर राज्य सरकार पहाड़िया सरकार पाइप लगा रही है ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : गत वर्ष से मांग कर रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा हालत में सवाई माधोपुर और मान टाउन नगरपालिकाओं को, सवाई माधोपुर नगरपालिका को केवल 2 लाख 22 हजार गैलन पानी पर डे मिल रहा है और वहां पानी की इतनी भयंकर समस्या हो रही है कि...

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : इसलिए मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी की समस्या है उसके समाधान के लिए जो प्रावधान है, जो योजना है उसे कार्यान्वित किया जाये ग्रौर वहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाये। इसी ग्राशा के साथ पुनः मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि जो पहाड़िया सरकार पाइप लाइन लगा रही है। ढोंगबाजी है। इसलिए ग्रापके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दिया जाये तो वहां की जनता ग्रापके प्रति ग्राभार प्रदर्शित करेगी वहां के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : ग्रध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर ग्रौर बजरिया में पानी समस्या के संबंध में सदन के समक्ष जो नवीन प्रस्ताव ग्राया है उसके संदर्भ में मेन बात तो यह है कि 17 लाख गैलन पानी के लिए सीमेन्ट फैक्ट्री से एग्रीमेंट हो गया था किन्तु सवाई माधोपुर की बढ़ती हुई ग्राबादी को देखते हुए पानी बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है। हमने जलदाय विभाग के ग्रधिकारियों को मौके पर जाकर वहां की स्थिति से ग्रवगत कराया। सवाई माधोपुर की शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स या मोहमडन पापूलेशन है उसको जलदाय विभाग द्वारा पानी से वंचित रखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सवाई माधोपुर में कुग्रों की कोई कमी नहीं है। कई जगह ऐसे कुए हैं जहां पम्प लगाने की ग्रावश्यकता है। उससे सप्लाई मिल सकती है लेकिन जो बनास नदी के पानी का एग्रीमेंट है वह सीमेंट फैक्ट्री ग्रपने काम में ले रही है। जो गंदा नाला सवाई माधोपुर से ग्राता है उस गंदे नाले के पानी को फिल्टर करके सवाई माधोपुर बजरिया को दिया जाता है। तो, श्रीमान् जी, ग्रापसे यही निवेदन है कि यह जो पानी के संबंध में व्यवस्था है, पानी तो हर एक ग्रादमी की ग्रावश्यकता है। पानी सुचारु रूप से नहीं दिया जाये इससे ज्यादा शर्मनाक बात ग्रौर क्या हो सकती है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के सम्बन्ध में व्यवस्था को तत्काल सुचारु रूप से चलाने की कृपा करें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री भगवान दास शास्त्री।

श्री भगवान दास शास्त्री (ग्रजमेर पश्चिम) : सम्माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, 1952 से लेकर ग्राज तक ग्रजमेर नगर पानी की समस्या को लेकर परेशानी का ग्रनुभव कर रहा है। जहां तक पेयजल की व्यवस्था है, 1951, 1952 के ग्रासपास बिल्कुल हाउस टैक्स ही नहीं था। ऐसी घोषणा की गई थी सरकार द्वारा कि हाउस टैक्स हम इसलिए लगा रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था करेंगे। जल की व्यवस्था का तो उन्होंने बहाना किया। ठीक है, यह टैक्स लेना नगरपालिका या नगर परिषद् का कर्तव्य है किन्तु पेयजल की व्यवस्था तो करनी चाहिए। पुराने ग्रजमेर की 50 ग्रौर 60 हजार की ग्राबादी थी इस समय ग्राबादी करीब 4 लाख के ग्रासपास पहुंच गई है ग्रौर ग्राने वाले दो वर्षों में चाहे पांच वर्षों में यह ग्रजमेर नगर 10 लाख की पापूलेशन तक पहुंच

(श्री भगवानदास शास्त्री)

जायेगा क्योंकि बहुत से हाउसिंग बोर्ड के मकान, यू.आई.टी. के मकान बना कर शहर को काफी लम्बा चौड़ा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल और उसके साथ ही पेयजल, ठीक है ब्यावर की सीमेंट फैक्ट्री को 5 लाख गैलन पानी की सुविधा देने का जिलाधीश महोदय ने 'माना था। पेयजल की व्यवस्था तक सरकार नहीं करे, बड़े दुःख की बात है। ऐसे नगर में जो राजधानी के पास दूसरे नम्बर पर हो, एजूकेशन का क्षेत्र है, वहां विदेशी छात्र और छात्रायें विद्या अध्ययन करने के लिए आती हैं ऐसे ऐतिहासिक नगर में पेयजल की व्यवस्था न हो। विगत समय में जनवरी के अन्तिम सप्ताह में मैं यह देखता रहा कि 60 घंटे तक नलों में पानी नहीं आया। बार बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना करने पर भी जल की कमी रही। पानी नहीं है। पहले बनास योजना के बारे में यहां इस सदन में 67 से लेकर 2 करोड़ 90 लाख को राशि बार बार बता दी। अजमेर नगर के पेयजल के लिए राशि देते हैं किन्तु राजमहल योजना को खटाई में माना जा रहा है। राजमहल योजना और आपकी बनास नदी योजना है। 40 कुए से अब 50 कुए हो गये हैं। कुओं से इतने बड़े नगर, जो 10 लाख तक पहुँचने वाला है, की पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सकती है? असम्भव है। आपके जो बड़े बड़े नगर हैं। जैसे अजमेर है। जयपुर में तो आपके कई साधन हैं किन्तु जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि जो बड़े बड़े नगर हैं जो बड़े नगरों में माने जाते हैं। अजमेर में 60 घन्टे तक पानी नहीं आया मध्य क्षेत्र में घणी आबादी में···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 60 घन्टे कम होते हैं, 60 घन्टे पानी न दें तो हाहाकार मच जाये। यह तो ठीक है जनता ने व्यक्तिगत तौर से लोकप्रियता के नाते मुझे कुछ नहीं कहा···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री : मैंने अधिकारियों के साथ अधीक्षक पुलिस विभाग को भी फोन पर कहा, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। जनता उत्तेजित है, 1967 के बाद 69 और 70 में आन्दोलन हुए पानी के अभाव में···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री भगवान दास शास्त्री : पोलिटिकल पार्टी का नहीं था, पांच दिन तक बंद रहा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, परेशान होकर 3 बजे से लेकर···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री भगवान दास शास्त्री : एक मिनट। रात को दस बजे माननीय मुख्य मंत्री जी से ट्रंक काल पर वार्ता हुई और वार्ता में मुख्य मंत्री को कहा कि इतने बड़े नगर में 60 घन्टे तक पानी नहीं आया। आधा घन्टे में पानी नलों में आया। शायद वायरलैस किया। तत्काल हमको थोडा आराम मिल गया था किन्तु मुख्य मंत्री जी ने हंसी में कहा पानी पास है। किसी के पास है नहीं। मैंने कहा पानी बहुत है···

(श्री भगवानदास शास्त्री)
मैं निन्दा करता हूं एक उच्च अधिकारी के कहने के बाद माननीय मंत्री महोदय ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं

श्री अध्यक्ष : डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में तहसीलदार द्वारा एक स्थान पर अवैध रूप से 98 कट्टे सीमेन्ट रखे जाने के विषय में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे भी राजस्थान सीमेन्ट के कारण अपने विकास में पिछड़ रहा है। साधारण व्यक्ति को एक एक कट्टे के लिये चार चार बार तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से पंचायत समितियों से एक कट्टा मिलता है। दूसरी और बड़े बड़े लोग सीमेन्ट को हड़प जाते हैं और सीमेन्ट की कालाबाजारी करते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि चोर लोग पकड़े नहीं जाते हैं। हजारों में से जब एक आध पकड़ में आता है वह भी भगवान की असीम कृपा से तो उसको भी बचाने के प्रयत्न किये जाते हैं–इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश का।

श्रीमान्, सागवाड़ा पंचायत समिति में एक कुम्हार के यहां 30 जनवरी के दिन उसके टूटे झोंपड़े में 98 बोरी सीमेन्ट पकड़ी गई। जब नाथू कुम्हार को पूछा गया कि ये बोरियां कैसे आई तो, श्रीमान, उसमें से कुछ और बात निकल गई। धनराज लुहाड़िया, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और अध्यक्ष हैं, ने 98 बोरी उस गरीब के घर पर रख दीं। श्रीमान्, जो उनके मकान का कन्स्ट्रक्शन हो रहा है उसका यदि पूरा हिसाब लगाया जाय तो लगभग एक हजार बोरी सीमेन्ट लगा रहे हैं। 98 बोरी की जानकारी मिलने पर तहसीलदार ने पर्चा मौके पर बनाया, वहां उपस्थित लोगों के सामने पर्चा बनाकर डी.एस.ओ. को दिया लेकिन दुर्भाग्य है वह डी.एस.ओ. दबा कर बैठ गया, क्योंकि राजनैतिक दबाव था कि इस केस में किसी प्रकार की कार्यवाही न हो। श्रीमंन्, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे चाहे मेरी पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हों...

श्री अध्यक्ष : हमारे लिये तो यही कोशिश है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोशिश तो हवा में उड़ रही है। जब हम इस बात को देखते हैं तो, श्रीमान्, हमको बहुत पीड़ा होती है। बड़ी मुश्किल से जब चोर कहीं हाथ लगता है वह भी गुंडा चोर कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष होने के नाते वह संरक्षण प्राप्त कर जाय और निकल जाय तो मैं चाहूंगा यदि यह सरकार वास्तव में ईमानदार है और बेईमान को सजा देना चाहती है तो उसका पुलिस में चालान करे ताकि बेईमान व्यक्ति को सजा मिल सके। नहीं तो मैं ऐसा मानूंगा इस राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सच को साबित करने को तैयार नहीं है कोई इस प्रकार की अनियमितता को समाप्त करने की किसी के मन की तैयारी नहीं है। समाप्त न करने का मानस सरकार ने बना लिया है, अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों से यह सिद्ध होता है। अगर यह नहीं होता है तो सरकार नाम की चिड़िया इस हिन्दुस्तान और राजस्थान में कहीं नहीं है। मेरा निवेदन है दोषी के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
खिलाफ निश्चित रूप से चालान करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य :

पंचायत समिति इटावा के प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों की कमी के विषय में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, इटावा में गरीब लोग व अनुसूचित जाति व जन जाति के किसान व मजदूर लोग रहते हैं। वहां पर कुल 88 स्कूल हैं उनमें कुल छात्र संख्या 6523 के करीब है। उनमें अभी काम कर रहे अध्यापकों की संख्या है वह है 157। सरकार का क्राइटेरिया है कि प्रथम 49 छात्रों पर एक अध्यापक लगाया जाता है, तथा उसके आगे 40 छात्रों पर एक अध्यापक लगाया जाता है। इस प्रकार 161 अध्यापक चाहिये, लेकिन हमारी पंचायत समिति क्योंकि पिछड़ी हुई पंचायत समिति है इसलिए छात्र अधिक हैं अध्यापक कम हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या अधिक व अध्यापक कम होने की वजह से स्कूल अधिक चाहिये उनमें पर्याप्त अध्यापक नहीं हैं। इस कमी को दूर करने के लिए कुल हमें जो अध्यापकों की आवश्यकता है वह 173 अध्यापक चाहिये, अभी केवल 157 अध्यापक हैं····

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टरों की कुर्सियां सब खाली पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने सबको अभी पहिचाना नहीं है।

श्री हीरा लाल आर्य : इसलिये अब 16 अध्यापक के पद और चाहिये। अध्यापकों की कमी से मेरे यहां के 9 स्कूल बन्द पड़े हैं। जो 9 स्कूल बन्द पड़े हैं वे इस प्रकार हैं–नया गांव, गोठड़ा खुर्द, रामपुरिया, सोभागपुरा, उदयपुरा फरेरा, भवानीपुरा, टीकरदा, गडावद ये सब बन्द पड़े हैं। यहां इन छात्रों का भविष्य अन्धकार में है। शिक्षा सत्र समाप्त हो रहा है और स्कूलों में अभी तक अध्यापक नहीं है। इसके अतिरिक्त कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या अधिक है तथा अध्यापक कम हैं। कई प्राइमरी स्कूल पांचवीं कक्षा तक चलते हैं लेकिन अध्यापक एक है तो उनकी कैसे पढ़ाई हो। अध्यापक उनमें एक ही है। अब छात्रों की पढ़ाई हो तो कैसे हो। जिनमें कमी है केवल 16 स्कूल हैं–इस तरह डूंगरली में 80 छात्र हैं, दो अध्यापक होने चाहिये लेकिन एक ही है। पीपल्दा खुर्द में 95 छात्र हैं और दो अध्यापकों की आवश्यकता है, केवल एक काम कर रहा है। नीमसरा में 141 छात्र हैं केवल 3 अध्यापक काम कर रहे हैं। जलोदा खातियान में 65 छात्र हैं, दो अध्यापक चाहिये लेकिन केवल एक है। दुर्जनपुरा में 119 छात्र हैं, तीन अध्यापक चाहिये लेकिन केवल दो लगा रखे हैं—एक की कमी है। विजयपुरा में 63 छात्र है और दो अध्यापकों की आवश्यकता है लेकिन एक लगाया हुआ है एक की कमी है। मुंगेला में 61 छात्र संख्या है।

श्री अध्यक्ष : सूची काफी लम्बी प्रतीत होती है, माननीय सदस्य।

श्री हीरा लाल आर्य : दो अध्यापक की आवश्यकता है लेकिन एक लगाया हुआ है अध्यक्ष महोदय, इस तरह 19 स्कूल ऐसे हैं

(श्री हीरालाल आर्य)

जिनमें अध्यापकों की कमी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रान्त में पिछड़ापन है, अशिक्षा और अज्ञानता है इसको दूर करने के लिये शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है किन्तु प्रसार न होकर स्कूल बन्द कर रखे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूल बन्द पड़े हैं वहां छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए तुरन्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाय और जिन स्कूलों में पांचवी तक स्कूल चलता है वहां अध्यापकों की कमी को दूर करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार शिक्षा की कमी को दूर करने की कोशिश करें। यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। जयपुर में बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था होने के विषय में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जयपुर शहर में सफाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई है...

(12.40)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

आपने उत्तर में यह कहा कि हड़ताल टूट चुकी है इसलिये मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। स्थगन प्रस्ताव उस रूप में नहीं लिया, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हड़ताल टूट जरूर गई है लेकिन शहर की सफाई बिलकुल भी नहीं हो रही है। शहर के अन्दर की सारी चौकड़िया कूड़े के ढेरों से भरी हुई हैं। छोटी-छोटी गलियां कूड़े के ढेर से भरी हुई हैं। सभापति महोदय, जो डेली कूड़ा डाला जाता है वह नहीं है बल्कि पुराना पड़ा हुआ कूड़ा है जो सड़न से भरा हुआ है जिसे उठाया नहीं जा रहा है। लोगों का उस सड़क से निकलना और चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो गन्दी गलियां हैं वे भी पिछले 6 महीने से साफ नहीं की गई हैं उनका पानी और जो गटर ओवर-फ्लो है उनका सारा पानी मिलकर बह रहा है। वहां तो वास्तव में नारकीय दृश्य उपस्थित हो रहा है। नारकीय भी कहना कम रह गया। अखबारों में यह सूचना भी लिखी गई है कि जयपुर को नरक कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज यह भी कहा जा रहा है कि नरक में जगह नहीं है तो उसे जयपुर में भेज दिया जाय। इस प्रकार की हालत आज जयपुर शहर की बना दी गई है। मैं खुद नगरपालिका के कार्यालय में गई हूँ और जो जानकारी प्राप्त की है वह यह है, वहां के कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास गटर को खोलने के लिये डण्डे नहीं हैं। उनके पास कूडा उठाने की टोकरियां नहीं हैं, उनके पास झाड़ू लगाने के लिए झाडुएं नहीं हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि हड़ताल टूट गयी है तो जो हरिजन कर्मचारी सफाई करना चाहते हैं, उनको सब सामान उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, एक छोटा सा नमूना आपको बताना चाहूंगी, भिण्डों के रास्ते में गटर लाइन का पानी पाइप लाइन में मिल गया है, इसकी जांच करायी जा सकती है। यह 8 दिन से गंदा पानी आ रहा है, मैं इसको सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगी, इसकी जाँच करा ली जाय। यह छोटी लाल रूपराम भिण्डों के रास्ते

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

का रहने वाला है, यह तीसरा चौराहा है, राजाराम की धर्मशाला के पास है, इस धर्मशाला के पास एक साँप का सा निशान बना हुआ है, चौराहे पर। उसको इसी नाम से पुकारा जाता है। यह जाँच करा ली जाय कि पूरे उस हल्के के आदमियों को यह गटर का पानी पिलाने की व्यवस्था की जा रही है। मेरे क्षेत्र बाँदरी के नासिक में 8 मकानों पर गन्दा पानी गटर की लाइन का मिला हुआ आ रहा है। यह सारी अव्यवस्था नगरपालिका की है। लोकलसैल्फ गवर्नमेन्ट का पता नहीं, कहाँ सो गई है, जो तीन दिन में हड़ताल टूटने वाली थी, वह 32 दिन तक चली है। एक साल में दो बार हड़ताल हुई है, युद्ध स्तर पर जयपुर की सफाई की जानी चाहिए थी। गटर के मेन होल खुले पड़े हैं, कई बच्चे उनमें गिर गये हैं। मेरे क्षेत्र में, मैं नहीं कह सकती कि इसी से संक्रामक बीमारी के कारण दो मौतें हुई हैं। अचरोल ठाकुर के रास्ते में एक वृद्धा महिला थी, उसे बुखार आया और उसका देहान्त हो गया। उसके बाद कल रात सूचना मिली कि राजाराम की माता जी, वे भी फूटे खुर्रे में रहती थीं, की इसी तरह से मृत्यु हुई। मेरे खुद के परिवार में 5 व्यक्ति बुखार से ग्रसित हैं। जयपुर में वक्त और दूसरी बीमारियाँ जो मक्खी से, मच्छर से उड़कर पैदा होती हैं, बुखार और अतिसार इतनी फैली हुई हैं जिसकी सीमा नहीं। अस्पतालों में रजिस्टर देखे जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि किस कारण से मलेरिया विभाग ने कोई इसमें गतिविधि नहीं दिखायी। न किसी तरह शहर में दवाई छिड़की गयी जिससे मक्खियों, मच्छरों के प्रकोप से यहाँ की जनता को बचाया जा सके। सारा वातावरण दूषित है, हवा में गन्दगी है, तरह-तरह की बीमारियाँ फैल रही है, सरकार सो रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगी, ये मेरे पास इतने पत्र आये हैं, गन्दगी को हटवाने के लिए, यदि आप कहें तो मैं आपकी मेज पर प्रस्तुत कर दूं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कारण है इस जयपुर को सड़ाने का? इसमें क्या मन्तव्य है? क्या यह मन्तव्य किसी दूसरे प्रदेश से गाइड हो रहा है? श्रीमान, हमारे पुराने, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर मुख्य मंत्री बनने का कभी स्वप्न देखते थे, अपने पी. ए. को यहां पर प्रशासक के रूप में बैठा गये। वे क्या यह नहीं चाहते कि जयपुर में कोई पहाड़िया जी को अच्छा मान लें? दो बार हड़ताल कराना, जयपुर को नर्क की तरह सड़ाना, उस व्यक्ति को यहां जमाये रहना। सुबह से शाम तक लोग आते हैं मेरे पड़ौस में। वर्तमान कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष हैं, जो प्रशासक महोदय हैं, जो उनके आयुक्त महोदय हैं, जो उनके सफाई के अधिकारी हैं, डॉक्टर साहब, सब, श्रीमानजी, आप देख सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, देख सकते हैं, मेरे मकान के बराबर में उनका बंगला है, वहां सुबह से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, काम के लिए फुरसत कहां मिले, XXX करने से फुरसत मिले तो वे जयपुर की सफाई में ध्यान दें। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि जयपुर के लोगों को मारने से बचाने के लिए इस विभाग को

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
सरकार से आग्रह किया जाय कि यह विभाग कुछ सक्रिय हो और कुछ सक्रियता से कार्य करे। सफाई कर्मचारी के हाथ में जब तक एक झाडू नहीं होगी, सफाई कर्मचारियों को यदि आदेश ऐसे नहीं होंगे, वह कैसे सफाई करेगा। ट्रक जाने के लिए नहीं हैं। अगर कुछ सड़कों से कूड़ा उठाया जा रहा है तो केवल उन सड़कों से, जिनसे माननीय सदस्य यहां, विधानसभा तक पहुंचते हैं। इससे क्या? अगर आप यहां से उठते वक्त देखना चाहें तो आज, माननीय सभापति महोदय, रामगंज के बाजार में से निकलना, छोटी चौपड़ से बायें हाथ को मुड़ना। मैं कहना चाहूंगी कि उस बाजार में जगह-जगह सड़क पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, गटर लाइन ओवरफ्लो है, नालियां बह रही हैं। सिंधी कैम्प के बस स्टेण्ड के सामने आप देखेंगे कि बिल्कुल नर्क बह रहा है, टट्टियां सड़क पर बह रही हैं। यह कहां का तरीका है कि इस तरह से जयपुर को सड़ाया जाय? प्रशासन सो रहा है या क्या कारण रहा है? इसको किस तरह से जगाया जाय, मुझे बताया जाय। यहां विधान सभा की कार्यवाही रोककर यदि इस पर चर्चा करने के लिए आग्रह किया तो और माननीय सदस्य भी ये कह सकते हैं कि हम जयपुर के रहने वाले नहीं हैं लेकिन आज लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी 200 जो जनप्रतिनिधि राजस्थान के हैं, उन पर है। अगर यह बीमारियां बढ़ीं तो कल मेरे भाई बीमार होंगे। ये सब माननीय सदस्य, ये जनता के प्रतिनिधियों इन सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस सरकार को किसी तरह से भी ढोल पीटकर या किसी तरह कान खींच कर जिस तरह से भी चाहें, जयपुर की सफाई के लिए आगाह किया जाय। मैं यह बात कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि इन्होंने कलेक्शन डिपो जो बना रखे हैं, बिल्कुल बस्ती के बीचों-बीच बना रखे हैं और उड़ कर मक्खी मच्छर उन पर जाते हैं खाने पर भिनभिनाते हैं। जयपुर में 99 पर्सेन्ट लोगों, आधा पर्सेन्ट छोड़ देती हूं, 99.5 पर्सेन्ट लोगों के पेटों में कीड़े हैं। जितनी कीड़ों को मारने की दवा जयपुर में बिकती है, वह सारे हिन्दुस्तान से अधिक राजस्थान में और जयपुर में बेची जा रही है। इस तरह से लोगों को मारने का ठेका क्या लोकलसैल्फ गवर्नमेन्ट को दे दिया गया है, क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार को दे दिया गया है? मैं पूछना चाहूंगी कि गलता जो तीर्थ है, उसके पीछे कूड़े को डालने का डिपो किस प्रकार बनाया है? नेशनल हाइवे जो गलता से आगरा रोड से तलाई में मुड़ता है, मेरे क्षेत्र में जगह-जगह पर कूड़े के ढेर लगाये हुए हैं। इसी ओर जब जमवा रामगढ रोड पर जाने के लिए हम मुड़ते हैं तो वहां पर कलेक्शन डिपो बनाया गया है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यहां पर एक कुष्ठ केन्द्र है, आपको यह जानकारी है कि कुष्ठ रोगियों के रोग किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से संक्रामक होते हैं, मक्खियों के कारण इन्होंने बिल्कुल कुष्ठ केन्द्र के पीछे कूड़े का डिपो बनाया हुआ है। सारी वहां से मक्खियां मच्छर रोग लेकर बढ रहे हैं, जयपुर में कोढ़ का प्रतिशत बढ़ रहा है, मैं जानना चाहूंगी कि इस बारे से सरकार को आप किस तरह से आग्रह करेंगे। मैं तो पहले ही राजस्थान सरकार को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अपना दु:ख ही नहीं बल्कि जयपुर की जनता का दु:ख और राजस्थान की जनता का दु:ख निवेदन करती रही हूं। मैं चाहूंगी कि जो नर्क का पानी, जो टंकी को पानी दिया जा रहा है जयपुर की जनता को इससे बचाने के लिए काम करें। जो इस तरह के पत्र मेरे पास आते हैं उनके कुछ नमूने मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूं। जिस जगह का यह पानी है उस जगह के लोगों के पत्र हैं, जिनमें लिखा गया है कि सड़क पर जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, सड़क टूट रही है; गंदा पानी भरा रहता है, मच्छर आजादी से घूम रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, नगरपरिषद् के हाजरीगाह पर डी.डी.टी. पाउडर नहीं है, कूड़ा उठाने के लिए ट्रक व ट्रैक्टर नहीं है। यहां जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनसे काम सम्भलने में आता नहीं है। कोई हाजरीगाह पर हाजिर मिलता नहीं है। जब अधिकारी ही नेतागिरी करने निकल जाते हैं तो कर्मचारियों को भी नेतागिरी करने का अवसर मिल जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं और अधिक न कहते हुए सारे जयपुर को आपकी मर्जी पर छोड़ती हूं, सब को मरवा दो या बचा लो। ये सारी बात कहते हुए मैं मेरी ये दोनों चीजें आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखती हूं और आपसे आग्रह करती हूं कि जयपुर की सफाई के लिए अविलम्ब कदम उठवाये जायें। यह सरकार तो गहरी नींद में सो रही है। इसको यह मालूम नहीं कि इससे भी कोई दुर्घटना हो सकती है। बाल-बच्चे इनके भी हैं; पत्नी इनकी भी है, परिवार रिश्तेदार जयपुर में रहने वाले इनके भी हैं, ये सुख भी हैं तो ये सब को बचाने के लिए प्रयत्न करे। इसी के साथ मैं ये सदन की मेज पर प्रस्तुत करती हूं? आपकी अनुमति है? जांच करा लेंगे। मैं रख दूं? मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं नियम 279 के अन्तर्गत विश्लेषण करने के लिए सम्बन्धित मन्त्री जी के पास भेजने के लिए निवेदन करती हूं।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : ये जो पानी लायी हैं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह सील लगा हुआ नहीं है। सील होती तो कोई बात होती। अकेली लायी हैं, ये सदस्या लायी हैं :—

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको बांट दूं, इसमें से आधा आपको दे दूं। यह गंगा-जल 200 को बांट दूं। आप बात क्या कर रहे हैं। हर बात को मजाक में उड़ाने की नीयत है आपकी।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : किस विषय में ?

श्री सभापति : राज्य में गत दो माह से राशन की चीनी का वितरण न होने के विषय में। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है फिर भी इसे सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदया, पिछले तीन दिन से जो प्रश्न आ रहे हैं और उन प्रश्नों का जो जवाब सुन रहे हैं उनसे यह बात साफ नजर आ रही है कि हमारी सरकार, जो राजस्थान सरकार है; आवश्यक वस्तुओं की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सप्लाई कराने में पूर्ण रूप से विफल रही है। राज्य सरकार भारत सरकार से 75 हजार लीटर डीजल की मांग करती है और उसको पचास हजार लीटर मिलता है। जितनी चीनी मांगते हैं उससे आधी मिलती है। जितना गेहूं मांगते हैं उसका चौथाई मिलता है। आज हालत यह हो रही है कि एक तरफ अकाल की विभीषिका है, कई जगहों पर लोग भूखों मर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में पूर्णतया विफल रही है।

सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया कि पूर्ण राशनिंग नहीं है। पूर्ण राशनिंग के अभाव में सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार इन सब वस्तुओं की सप्लाई कर सके। लेकिन मेरा निवेदन करना है कि केन्द्रीय सरकार के सामने यह राज्य सरकार इतनी कमजोर है कि केन्द्र के अन्दर राजस्थान की कोई वोइस नहीं है, राजस्थान की कोई आवाज नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री को वहां कोई सुनता नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपनी गद्दी को बचाने के लिये राजस्थान के हितों को श्रीमती इन्दिरा गांधी के आगे गिरवी रख दिया है। किसानों को डीजल नहीं मिलता है। किसान डीजल के लिए त्राहि त्राहि कर रहा है। आज उनको बिजली नहीं मिलती, गेहूं नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलती है। दुर्भाग्य से पिछली बार जब बिजली का संकट आया था तो मध्य प्रदेश से बिजली ली गई थी, गुजरात से बिजली ली गई थी। आज मद्रास में बिजली का संकट है तो केरल से 28 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली ले रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार इतनी कमजोर है, इतनी गई बीती है कि इसको कोई भी प्रदेश आज बिजली देने को तैयार नहीं है। इसका साथ देने को तैयार नहीं है। आज जैसा हमारे मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि चार चार घण्टे बिजली दी गई, मैं कहता हूं कि दो घण्टे भी बिजली नहीं दी गई। अकाल से पीड़ित किसान, अकाल से पीड़ित जनता के लिए नहीं काम खोल सके, उनको काम नहीं दे सके, उनको आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नहीं कर सकते। आज चीनी की हालत यह हो गई है कि तीन तीन चार चार महीनों से गांवों में चीनी का वितरण नहीं किया गया है। सरकार को पिछले महीने के कोटे की चीनी नहीं मिली है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चार महीनों से सीकर जिले के गांवों में चीनी का वितरण नहीं हुआ है। पिछले चार महीनों से चीनी के दर्शन नहीं हुए हैं। चीनी गायब हो गई बाजार में। खुले बाजार में चीनी आठ आठ और दस दस रुपये किलो मिल रही है। मेरा आप से यह भी कहना है कि जितना गेहूं राजस्थान को प्राप्त हो रहा है यदि प्रति व्यक्ति बांटा जावे तो सौ ग्राम भी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आप गेहूं नहीं ला सकते, आप चीनी नहीं ला सकते, आप डीजल नहीं ला सकते, आप बिजली नहीं ला सकते तो फिर आप क्या करने के लिए यहां बैठे हैं। ये मिट्टी के माधो बन कर बैठे हैं। क्या इनकी आरती उतारें, क्या इनका संगीत सुना करें, अगरबत्ती जलाएं। इसलिए आखिर क्या करें इस सरकार का? सरकार करना क्या चाहती है? माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खाद्य मंत्रीजी ने कल कहा कि हमने सरकार को पत्र लिख दिया है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम सरकार पर बराबर दबाव डाल रहे हैं। आप किस बात का दबाव डाल रहे हो? किसी प्रकार का दबाव डालना आपको आता ही नहीं है। आप तो लाइन में खड़े हो जाते हो। हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब दिल्ली जाते हैं तो जिस प्रकार से हजारों आदमी प्रधान मन्त्री के सामने खड़े हो जाते हैं उसी तरह से हमारे मुख्य मन्त्रीजी लाइन में खड़े हो जाते हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन राजस्थान की जनता के हितों की बलि देने, राजस्थान की जनता को भूखों मारने की बात सहन नहीं हो सकती। यह सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में पूर्ण तौर पर विफल हो चुकी है। यह सरकार अन्न का दाना नहीं दे सकती, चीनी के दर्शन नहीं करा सकती, डीजल की बूंद नहीं दे सकती, तो यह क्या कर सकती है। यह भाषण दे सकती है। और तो और यह सरकार इन बातों से बचने के लिए विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित करके भागना चाहती है। यह आवाज गांवों की आवाज है।

सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है कि जब हमने स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह दिया तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव का विषय क्या हो सकता है? लोगों को गेहूं नहीं मिलता है, लोगों को चीनी नहीं मिलती है-अगर यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है तो फिर स्थगन प्रस्ताव का विषय कौन सा होगा? कौन सा प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का होगा? मैं कहूंगा, सभापति महोदय, इससे बड़ा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न दूसरा और कोई नहीं हो सकता। यह सरकार लोगों को चीजें मुहैय्या नहीं करा सकती। अकाल में लोगों को काम देने की बात तो छोड़ो, अकाल में काम करने के लिए किसान बिजली चाहते हैं, डीजल चाहते हैं उनको आप बिजली नहीं दे सकते, उनको डीजल नहीं दे सकते। फिर उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं तो किस प्रकार से उत्पादन बढ़ेगा? न बिजली दे रहे हैं, न डीजल दे रहे है फिर उत्पादन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? किस प्रकार से उत्पादन बढ़ा रहे हो? यह एकदम झूंठ है, जवाब थोथा है। सभापति महोदया, इनके जवाब से स्पष्ट होता है कि सरकार कोई भी चीज प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है, सप्लाई करने में यह सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है। मेरा कहना है अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कि जो सरकार अपने लोगों को, अपने नागरिकों को खाने की चीजें मुहय्या नहीं करा सकती वह सरकार निकम्मी है। सभापति महोदया, मेरा यह भी कहना है कि अगर कम्पलसरी राशनिंग नहीं था, लोगों को चीनी नहीं देनी थी तो यह दोहरी मूल्य नीति क्यों लागू की? अगर दोहरी मूल्य नीति लागू की है तो उसकी मार्फत तो 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत चीनी ही खुले बाजार में बिकती है, बाकी चीनी कहां जाती है? वह चीनी जाती है, सभापति महोदय, जिन मुख्य मन्त्रियों में दम होता है, जिन मुख्य मन्त्रियों की आवाज में दम होता है, जिन मुख्य मन्त्रियों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
के पीछे विधायकों की ताकत होती है, जो अपने बलबूते पर मुख्य मन्त्री बने बैठे हैं वे चीनी ले जाते हैं।''....

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : 137 की ताकत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह ताकत तो दिख रही है। जब तक आप मन्त्री नहीं थे तब तक तो आप इधर की बोलते थे और अब मन्त्री बन गये तो आपको ताकत दिखाई देने लगी है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : यह गलत बात है। मैं सदैव हरिजनों के साथ रहा हूं। आपने सदैव काट की है। राजस्थान के हरिजनों की काट की है। यह तो हमेशा की भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, छुआछूत बढ़ाना, भेदभाव बढ़ाना। यही काम आप करते हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, सवाल छुआछूत का नहीं है। छुआछूत तो माननीय पहाड़ियाजी बढ़ा रहे हैं इनको तो उप मन्त्री बनाया है, मांगीलाल जी को उप मन्त्री बनाया है और प्रद्युम्नसिंह जी को राज्य मन्त्री बनाया है। छुआछूत का नमूना तो यह है। हम तो यह चाहते हैं कि हरिजन मुख्य मन्त्री बने, वह काम करे लेकिन काम नहीं कर सके तो हरिजन क्या करें। आज हरिजनों को तो चीनी चाहिए, गेहूं, चीनी और चावल कन्ट्रोल की दुकानों से चाहिए। जो पैसे वाले हैं वे व्यक्ति तो ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हैं लेकिन इन हरिजनों को ये चीजें सप्लाई नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि हरिजन मुख्य मंत्री है। हरिजन मुख्य मंत्री लोगों को मारने के लिए नहीं हैं, हरिजनों को दबाने के लिए नहीं हैं, उनको जिन्दा रखने के लिए हैं। अगर लोगों को जिन्दा नहीं रख सकते तो यह मुख्य मंत्री किसी काम के नहीं हैं।

सभापति महोदया, एफ. सी. आई. के गोदामों में तीन सालों से अनाज भरा पड़ा है, राजस्थान के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन सवाल यह है कि वह गेहूं केन्द्रीय सरकार में रिलीज करा सकें। उस गेहूं को रिलीज कराने की ताकत इनमें नहीं है। सभापति महोदया, आज आपके प्रश्न के जवाब में ही इन्होंने बताया था कि डीजल नहीं है। जितना मांग रहे हैं उतना डीजल सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब आप मांग करते क्या हो ? केन्द्रीय सरकार के पास अपना पक्ष नहीं रख सकते। आखिर सरकार बनी किस के लिए है। हम तो आपके माध्यम से सरकार को कह सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार का कर्तव्य है कि केन्द्रीय सरकार से मांगे। लेकिन, सभापति महोदया, राजस्थान के हर क्षेत्र में राजस्थान के हितों की उपेक्षा की गई है। आप छोड़िये इंटर स्टेट मैटर्स को, छोड़िये बिजली को, कहां से थर्मल पावर लायेंगे, कहां से नेफ्था लावेंगे। यह मेरा प्रश्न नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि जिन्दा रहने के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए आटा चाहिए, चीनी चाहिए, डीजल चाहिए, केरोसिन चाहिए। आप केरोसीन नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते लेकिन केरोसिन भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं दे सकते। यह सरकार सम्पूर्ण क्षेत्रों में विफल रही है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय से आप निवेदन करें कि वे इस पर दुबारा विचार करें कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन की कार्यवाही को रोक दिया जावे और इस पर विचार किया जावे। यह सरकार जुर्म के कठघरे में खड़ी होने वाली है। जो सरकार गरीबों को दाने दाने के लिए तरसा दे, जो सरकार गरीबों को चीनी का दाना नहीं दे सके, जो सरकार केरोसिन और डीजल की एक-एक बूंद नहीं दे सके वह सरकार किस काम की है। न लीपने की न पोतने की। यह देखने की है और वह भी मुख्य मंत्रीजी दिखाई नहीं दे रहे हैं...

श्री सभापति : ज़रा संक्षेप में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संक्षेप में लेने की कृपा करें, महोदया। यह इतना गंभीर विषय है कि संक्षेप में कहा नहीं जा सकता।

श्री सभापति : कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, जब हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो राशन की दुकानों पर लोग कहते हैं कि गेहूं नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, केरोसिन नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलता। जो कपड़ा कण्ट्रोल का आप प्राप्त करते हैं वह कहां जाता है? इसका मूल कारण यह है, सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री बनने के बाद माननीय पहाड़िया जी ने पहला काम किया कि उपभोक्ता संघ की अध्यक्ष अपनी पत्नी को बनाया, माननीय शांतिजी पहाड़िया को बनाया जिनको न कभी व्यापार का अनुभव था न कभी बिजनेस का अनुभव था। इनके अध्यक्ष बनने के बाद में पांच करोड़ का घाटा हुआ है उपभोक्ता भण्डार को। इसिलिये आज वह चीनी नहीं उठा सकता। इसी कारण से चीनी नहीं मिल रही है दो महीने से। इसकी जांच कराई जाय कि यह उपभोक्ता संघ दो माह से राजस्थान की चीनी क्यों नहीं उठा रहा है? यह पांच करोड़ का घाटा कैसे लगा? क्या यह चीनी बैर के चुनाव में, लोक सभा के चुनाव में बांट दी गई। जिस प्रकार से डिस्पेन्सरी खोली गई हैं क्या चीनी भी वहां बांट दी गई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री) : चीनी की बात कर रहे हैं या अस्पताल की?

एक माननीय सदस्य : इनकी आदत है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदय ने अस्पतालों के बारे में डिस्कशन हुआ है, उसको मान लिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अपने आप ही मनवाने का इनफरेंस निकाल लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, मेरा निवेदन करना यह था कि उपभोक्ता संघ राजस्थान का बना है उसमें इस तरह का व्यक्ति लगाया होता जिसको व्यापार का अनुभव होता तो केन्द्र सरकार से कोटा मिलता...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत लम्बा हो गया है संक्षेप में कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आखिरी बात निवेदन कर रहा हूं । राजस्थान उपभोक्ता संघ की अध्यक्ष श्रीमती शांति पहाड़िया को बनाया गया है; उनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। उनको इतना अनुभव जरूर है...

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : श्रीमती शांति पहाड़िया अध्यक्ष नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष जी, मैं संशोधन कर लेता हूं । उनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। उनके अध्यक्ष बनने के बाद अफसर काम नहीं कर रहे हैं । उपभोक्ता संघ राजस्थान के लिए चीनी नहीं उठा सकता है। पहली बात तो दिला ही नहीं सकता है बहुत कम दिलाता है। उसको भी उठा नहीं सकता है। उठा लिया तो बांटने की व्यवस्था नहीं कर सकता हैं । कर क्या सकता है, समझ में नहीं आता। सभापति महोदया, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि श्रीमती शांति पहाड़िया को तुरन्त हटाया जाय और किसी योग्य व्यक्ति को लगाया जाये जो राजस्थान की चीनी उठा सके और बांट सके । अन्धा बांटे रेवड़ी, फिर फिर अपने को ही दे। चीनी बांटे या रेवड़ी अपने लोगों को बांटते रहो। भरतपुर और अलवर के दो मंत्री बना दिए। दो मंत्री धौलपुर सबडिवीजन के बना दिए। अलवर के तीन। तीनों बना दिए।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : आप हमारी पार्टी में आ जाओ। आपके नाम पर भी विचार किया जायेगा। सब आ सकते हो, स्वागत है।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : बहुत बड़े बड़ेXX करने वाले हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, पहले जो बैठे हैं उनकी ही दुर्गति हो रही है, मैं तो आकर क्या करूंगा । आप ही इधर आ जाओ ।

राजस्थान राज्य को चीनी, डीजल, केरोसिन, कपड़ा, और गेहूं जो केन्द्र सरकार से मिलता है वह कोटा कम है । राजस्थान सरकार अधिक कोटा प्राप्त करने में असफल हो गई है। जो मिल रहा है उसको उठाने में असफल है। जितना मिल गया उसको बांटने में असफल हो रही है। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में राज्य सरकार विफल हो चुकी है। जन असंतोष का वातावरण बना हुआ है। आज नहीं तो कल स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर विचार करें ताकि विपक्ष बता सके कि आपने गलती क्यों की ? इतना घाटा क्यों लगा, सामान क्यों नहीं उठा सके। उपाध्यक्ष क्यों बनाया, उनको किस प्रकार का अनुभव था ? क्रय-विक्रय का कौन सा व्यापार किया था ? 5करोड़ का घाटा क्यों लग गया, इसकी जांच होनी चाहिये । उपाध्यक्ष बनने के बाद 5 करोड़ का घाटा क्यों हो गया ? कौन यह पैसा खा गया। जो घाटा हुआ है, उसकी जांच कराई जाय। जो चीनी उठाई नहीं गई है उसको उठाने की व्यवस्था करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह अहम प्रश्न राजस्थान के जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की

XX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
जनता भूखी मर रही है। अकाल की विभीषिका में जो केन्द्र से अलाट कोटा है उसको नहीं उठा कर घोर पाप किया है। यह पहाड़िया सरकार है जिसने पाप किया गरीबों को भूखा मारने का। ऐसी पापी सरकार जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नहीं कर सकती है इसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो सरकार लोगों को रोटी, कपड़ा और राशन दुकानों पर वितरण नहीं कर सकती, उस सरकार को राज चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देनी चाहिए जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर सके और राजस्थान की जनता को, आम उपभोक्ता को आवश्यक चीजें उपलब्ध करा सके।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 28 जनवरी को श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। आप चाहें तो जो विषय इन्होंने लिया····

श्री सभापति : आप अभी उस पर बोलना चाहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो विषय अभी घनश्याम तिवाड़ी ने दिया था।

श्री सभापति : इस पर तो बहुत बोला जा चुका है। अब दूसरा लेने दीजिये। अगर आप इतना समय नहीं लेते तो आप भी बोल जाते। क्षमा करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो बात कहना चाहता हूं। दो मिनट दे दें।

श्री सभापति : मुश्किल यही है कि दो मिनट दो घंटे हो जाते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, चीनी पिछले दो महीने से जनवरी और फरवरी से राजस्थान प्रदेश में बिल्कुल मुहैय्या नहीं हो रही है। राशन की चीनी के द्वारा गरीब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसकी पूर्ति करायी जाय। चीनी अविलम्ब दिलायी जाय। इस प्रकार की व्यवस्था करना सरकार के लिये अत्यन्त आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से माननीय रसद मंत्री महोदय नहीं हैं, वरना बताता उनको, उस दिन अपने जवाब में कहा था सचमुच गेहूं ऐसा विषय नहीं है जिसको हम पूरा का पूरा उपलब्ध करा दें, किन्तु चीनी ऐसी वस्तु है जिसको सरकार पूरे तौर से लोगों को मुहैय्या कराने की गारन्टी दिलाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार को केन्द्र से कोटा दिया गया था। दो कारण हैं, जिन दो कारणों से राजस्थान की गैर जिम्मेदाराना सरकार उस कोटे की चीनी लाकर राजस्थान के लोगों को मुहैय्या नहीं करा रही है। केन्द्र ने तो सावधानी रखकर अपना कोटा अलाट कर दिया। दो कारण बताये जा रहे हैं। एक पैसे की तंगी, एक परिवहन की अव्यवस्था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा केन्द्र सरकार ने यह कहा कि ट्रकों से मत ले जाओ, रेल के माध्यम से ले जाओ। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चल रहा है। चीनी पड़ी है। राजस्थान को अलाट हो गयी है। वैगन मिलते नहीं हैं, वैगन के लिए कहा तो केन्द्र सरकार कहती है पूरी ट्रेन ले जा सकते हो तो ट्रेन ले जाओ, अलग से वैगन नहीं दे सकते हैं। सरकार ने कहा राज्य सरकार, ट्रक से ले जाना चाहती है, केन्द्र सरकार कहती है कि ट्रक से नहीं ले जा सकते। यह कारण है, जब कि कोटा अलाट हो चुका है। वह चीनी उस स्थान से उठकर राजस्थान के शहरों और गांवों में नहीं आ रही है। यह कारण है।

दूसरा कारण है पैसे की तंगी। जैसा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि भंडार दिवालिया हो गया। 5 करोड़ का घाटा है, वह लाने की स्थिति में नहीं हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर भंडार लाने की स्थिति में नहीं हैं, इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार के हालात हैं तो उसमें तो कई डायरेक्टर्स हैं, श्रीमती शांति पहाड़िया जिस स्थान पर बैठी हैं वन आफ दी डायरेक्टर्स हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं हालत यह हो गई है, क्या राज्य सरकार, दूसरी एजेन्सी से चीनी का कोटा जो, अलाट हो गया उसको लाकर राजस्थान के शहरों और गांवों में नहीं पहुंचा सकती है? शहरों में दो महीने से चीनी नहीं मिली है, पिछले 6 महीनों से गांवों में चीनी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह कौनसी वितरण व्यवस्था है? यह कोटा उठाने की कौन सी व्यवस्था है? यह क्या हो रहा है? यह सरकार का प्रशासन क्या है? यह प्रशासन के चलाने की क्या गति है? कोटा अलाट हो जाय लेकिन उसको लाकर वितरण नहीं करा सको, राजस्थान का गरीब व्यक्ति भूखा मरता है। लोग चीनी के लिए तड़फते रहें, गेहूं नहीं मिले, मिट्टी का तेल नहीं मिले। मैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं कहूंगा। बड़े बड़े उद्योगों के लिए जो चीजें आवश्यक हैं। कितने ही, जो कि आज गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके लिए गेहूं, चीनी, कैरोसिन आयल आदि इस प्रकार की सामान्य जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं जिनके लिए सरकार की गारन्टी है, मैं मांग करना चाहता हूं कि जो कोटा अलॉट हुआ है उसको ठीक रूप से लाया जाय और जल्दी लाया जाय। ऐसा न हो कि जनवरी फरवरी के बाद मार्च के महीने में वही की वही स्थिति उत्पन्न हो जाय। सरकार जल्दी लाकर उसका वितरण करे। दूसरी बात, उपभोक्ता वस्तुओं पर सब्सिडी देकर गरीब व्यक्तियों को, जो महंगाई की मार से परेशान हैं, जीवनोपयोगी चीजों की बढ़ती हुई कीमतों के मारे परेशान हैं उनके लिये इस तरह की जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं लाकर ठीक तरह से वितरण करवाया जाय, यही मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल गत 28 जनवरी को श्री रघुवीर सिंह...

एक माननीय सदस्य : वह हैं नहीं, सभापति महोदय।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मैं एक विषय पर सिर्फ एक मिनट लेना चाहती हूं आपकी विशेष अनुमति से...

श्री सभापति : विशेष अनुमति मैं नहीं दे सकता, अध्यक्ष महोदय दे सकते हैं। श्रीमती विद्या पाठक। श्रीमती उजला अरोड़ा जयपुर में मिर्जा इस्माइल रोड पर एक शो रूम में 1.30 लाख की चोरी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, चार दिन पहले की घटना है एम. आई. रोड, पर जी. पी. ओ. के सामने आर्ट एम्पोरियम स्थित है यह जो जी. पी. ओ. है उसके ऊपर लिखा हुआ है अहर्निश सेवामहे, दिन रात सेवा करने वाला यह विभाग है, दिन रात आदमी निकलते रहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दिन रात लोग आते जाते हैं और उसके बिलकुल बगल में ही एक डाक तार विभाग है जो दिन रात काम करता रहता है उसके सामने बत्तियों का प्रकाश भी खूब अच्छा रहता है। हमारे एम. एल. ए. क्वार्टर के बराबर में ही मेरा मकान है उसके बराबर में ही पुलिस चौकी है, पीछे थाना है। मैं पूछना चाहती हूं रात में गश्ती के सिपाही क्या कर रहे थे ? इस तरह की डकैतियां होना, सरे आम रोड पर होना, इसी रोड पर पहले एक हैण्डलूम एम्पोरियम, यू. पी. हैण्डलूम के नाम से जयन्ती मार्केट की पहली दुकान है उस पर बहुत बड़ी डकैती हो चुकी है और उस जगह भी यह इस प्रकार की चोरी की घटना हुई है। रात को जो बाहर की तरफ दुकान के ऊपर हवा निकालने वाला पंखा रहता है उसको हटा कर एक आदमी अन्दर घुसा और करीब 340 लोकेट्स, अंगूठियां, ब्रेसलेट्स गायब किये। पुलिस को, चार दिन हो गये, अभी तक कोई चोर पकड़ में नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं जिनके ऊपर सुरक्षा का भार है वे क्या करते रहते हैं ? उस समय गश्ती सिपाही सड़क पर थे तो उनकी साजिश से यह काम हुआ ? अगर नहीं थे, तो क्यों नहीं थे ? इस प्रकार की घटना यहां घटी। इसी प्रकार दिन दहाड़े बैंक में डकैती हुई है और बैंक में जो कैशियर रुपया लेकर आया था वह एक गार्ड जो उसके साथ था, की जिम्मेदारी पर छोड़ कर, कि मैं चाय पी आऊं क्योंकि मैनेजर साहब ने कह दिया था कि आप इनको गिन लीजिये, हम थोड़ी देर बाद गिन लेंगे इतने में लंच हो गया यह कर चला गया कि मैं अभी आता हूं तुम जरा इसको संभालो। अगर रक्षक ही भक्षक हो जाय, जब वह लौट कर आया, उसने देखा, गिने तो उसमें से एक लाख रुपये कम थे। मैं पूछना चाहूंगी, सरकारी तंत्र में, इस प्रशासन में रक्षकों को रक्षक होना कब बताया जायगा, कब सिखाया जायगा ? उनके वेतन की गारण्टी के लिये हमने मांग की है, उनके महंगाई भत्ते की हम मांग करते हैं उनकी जितनी भी क्षतिपूर्ति है उसके लिये हम जिम्मेदार हैं काम करने के लिये लेकिन सरे आम लूटने का भी अधिकार उनको दे दिया गया, मैं समझती हूं यह क्षम्य नहीं होना चाहिए जिनके हलके में यह काम हुआ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उनके प्रति सरकार को एक्शन लेना चाहिए।

अभी पिछले दिनों की घटना है एक आदमी छोटी चौपड़ से अपनी दुकान बन्द करके झोला हाथ में लेकर, जो कि बस स्टेण्ड का द्रुतगामी आगार है झोटवाड़ा रोड पर उसी तरफ से यह आदमी अपने मकान में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

घुसा । उसके पास करीब 18 हजार रुपये थे तो उसे और उसके लड़के को घायल कर दिया गया। बन्दूक के छर्रे मारे गये। उसके एक अभी कल ही आपरेशन हुआ है, तीन छर्रे और उसकी छाती में लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं इस प्रकार की यह व्यवस्था है, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई तो जनजीवन का क्या होगा, लोग घर से बाहर कैसे निकलेंगे ? गंगवाल पार्क में पिछले दिनों सरे आम खड़ा होकर ट्रक भरता रहा और सामान लेकर लोग चले गये हो चोरी नहीं पकड़ी गई। मै खुद और पार्टी के हमारे शंकरलाल माली भूतपूर्व एम.एल.ए. थे, हम लोग अस्पताल को जो सहकारी बाजार की दुकानें हैं वहां मैं मेरे काम से एक दिन गई। मैंने मेरा बटुआ, पर्स जिसमें मेरे टेलीफोन के बिल और घर के लिये गेहूं लाने के लिये पैसे रखे थे, वहीं पहले नम्बर की दुकान के पास मेरा स्कूटर खड़ा था, वहीं बच्चा उसके पास खड़ा था उसे छोड़कर मैं दवा लेने लगी इतने में पर्स गायब हो गया। उसकी भी आज तक मोती डूंगरी थाने में रिकवरी नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, शंकरलालजी की जेब कटी, इस तरह की राहजनी, चोरियां, डाके इस तरह की लूटमार, छुरेबाजी यह सब क्या ? अभी रात को जयलाल मुंशी के रास्ते में हमारी पार्टी की मीटिंग थी और कूलवाल जी के यहां शादी हुई थी । उनके यहां गई तो वहां चाकू चल गया। लोग घायल कर दिये गये सरे आम चाकुओं से घायल किये गये। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जायगा और इस तरह से लोगों को सड़क पर चलते हुए लूटेंगे तो लोग घर से कैसे निकलेंगे ? जन जीवन आज असुरक्षित है, माननीय सभापति महोदय, उलटा इस सरकार ने क्या किया है, मैं जानना चाहूंगी क्या जानकारी प्राप्त की है चार दिन हो गये क्या सजा तजवीज की है, यदि नहीं की है तो क्यों नहीं की है ? क्या इसी तरह से बढ़ावा दिया जायगा उन लोगों को जो असामाजिक तत्व हैं जो मिल जुल कर साजिश करते हैं । मैं यह जानना और कहना चाहूंगी कि अविलम्ब इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठावें ।

(1.17 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन) सरकार अगर ऐसा करने में असमर्थ है तो अपनी असमर्थता प्रकट कर दे तो कोई और व्यवस्था की जा सकेगी । मैं समझती हूं कि सरकार को इतनी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिये और सरकार जो अपनी शिथिलता है उसको दूर करके एक्शन ले, मैं यह आग्रह करती हूं । जिस तरह से भी, यदि कहे तो जनाजा उठवाने के लिए भी तैयार हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा, सिकराय क्षेत्र में अध्यापकों की बड़ी कमी ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, सिकराय क्षेत्र में चार कन्या मिडिल स्कूल हैं..

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री राम किशोर मीना : बिलकुल संक्षेप में ।

(श्री रामकिशोर मीणा),

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी दिलवायी है और आपके पास जो सूचना आई है उसके हिसाब से वहां पर पर्याप्त अध्यापिकाओं की संख्या बताई गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने पहले भी इस तरह का प्रश्न उठाया था और डेढ़ दो साल पहले भी जब विधान सभा में प्रश्न उठाया था और इस बात की आपत्ति की थी कि अध्यापिकाएं वहां के नाम से अटेंडेंस करती हैं ड्यूटी यहां पर आई. ओ. एस. में देती हैं। मैं आपको यहां तक घटना बताऊं कि गोजगढ़ में 15 दिन तक पानी पिलाने वाली महिला, जो उस काम के लिये वहां रखी गई है, ने बच्चियों को सम्भाला है। वहां पर अध्यापिका के नाम की कोई चीज नहीं है। आज का जो समय है उसके हिसाब से बच्चियों पर उनके समाज में दहेज देने का रेट है वह बढ़ जाती, है यदि वे कम पढ़ी हुई हैं तो उसको बहुत दहेज देना पड़ता है। बहुत पिछड़े इलाके में जहां पर अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं वहां दहेज की इतनी प्रथा नहीं है फिर भी जो समाज की मांग है उतनी पढ़ी-लिखी नहीं है तो उनको दहेज ज्यादा देना पड़ता है ऐसी घटनाएं प्रकाश में आये बिना माता बहिनें रोजाना आत्म हत्याएं कर रही है, आत्म हत्या के लिये प्रेरित की जा रही है। तो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही जानकारी की जाय कि क्या वहां पर अध्यापिकाएं सिर्फ अटेन्डेंस करती हैं। जयपुर में रजिस्टर मंगाया जाता है, अटेंडेंस की जाती है और रहती यहां पर हैं। ड्यूटी यहां पर देती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि स्थिति का सही मूल्यांकन किया जाए, सही जानकारी की जाए। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर चार मिडिल स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की संख्या बराबर की जाए। यह क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा रहा है। अध्यापकों की व्यवस्था पूरी नहीं होती है। कांग्रेस सरकार के आने के पश्चात् कोई अध्यापक नहीं लगाया गया है। शिक्षा मंत्री के घर पर जरूर अध्यापक देखने को मिल जाते हैं परन्तु हमारे क्षेत्र में इनके दर्शन नहीं होते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के भ्रष्टाचार को नहीं पनपाया जाए तो बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। भारत एलम्स एण्ड केमिकल में हड़ताल के सम्बन्ध में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, लगभग 43 दिनों से भारत एलम्स एण्ड केमिकल अलवर में यह हड़ताल मजदूरों की चल रही है। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आखिर मजदूर अपनी बात को किस ढंग से रखें इसका कोई तरीका है और उसी तरीके से वे चल रहे हैं। श्रीमान्, मजदूरों ने अपना एक मांग-पत्र सब से पहले 13-12-1980 को वहां की मैनेजमेन्ट के सामने रखा। इस मांग पत्र के अन्त में जो शब्द प्रयुक्त किये हैं वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मजदूरों ने अपने वाजिब हकों को निवेदन करते हुए लिखा है परन्तु पैसे के मद में मदमस्त हाथी को, मैनेजमेन्ट को यह पसन्द नहीं कि वह मजदूरों के साथ विचार करने को तैयार

Page No 51

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हो। श्रीमान, मजदूरों ने अपना मांग पत्र पेश करने के बाद जो अन्तिम शब्द लिखे हैं वे हैं : न्यायोचित मांग-पत्र पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर आपस में बैठ कर मांगों को तय किया जाए जिससे आपके और हमारे समस्त श्रमिक कर्मचारियों के सम्बन्ध अच्छे और मजबूत बनें। यह उनका पहला मांग पत्र है, जो 13-12-1980 के दिन मैनेजमेन्ट को दिया गया था। 15 दिन का पूरा समय दिया परन्तु उसके पश्चात् जब उनकी मांगों के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई, न ही मजदूरों को बुलाया गया, न चर्चा की गई तो उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा पत्र दिया, ठीक 16 दिन के बाद। फिर 7 दिन का नोटिस दिया। आप विचार कर बुलायें—किस प्रकार वार्ता करके इसका हल निकालना चाहते हैं। परन्तु उस पर कोई विचार नहीं किया गया उसके बाद दो दिन का और समय उनको दिया गया और कोई वार्ता नहीं की गई तो मजबूर होकर मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ा लेकिन मालिक के रखे हुए लोगों ने विचार नहीं किया और हड़ताल प्रारम्भ हो गई। 11-1-1981 के दिन यह हड़ताल धरने के रूप में प्रारम्भ हुई, 15 तारीख को तीन, चार दिन निकलने के बाद हड़ताल तेज करने के लिए कुछ मजदूर श्रमिक अनशन कर रहे थे। लेकिन यह आन्दोलन शान्तिपूर्वक चल रहा था कि पता नहीं क्यों हमारी यह मंशा रहती है कि पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट किया जाता है और गरीब मजदूरों को जिनको 7/8 रुपया की मजदूरी मिलती है, जो अपने हकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको किस ढंग से दबाया जाता है। जो मजदूर अनशन पर बैठे हुए थे, 11 तारीख की रात को साढ़े नौ बजे पुलिस वहां पर गई और धरने पर बैठे हुए लोगों को ट्रक में बिठाकर ले गई। उनके सामान, तम्बू को भी उठाकर ले गई और उनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद आन्दोलन अपने रूप में चला लेकिन पुलिस ने मजदूरों पर आपस की कहासुनी पर लाठियां चला दी। पुलिस की दो लाठियां लगने के बाद मजदूरों की भी एक सीमा, क्षमता बर्दाश्त करने की होती है। जान बूझ कर आप उनको प्रवोक करते हैं। उसको इस तरह से दबाने का प्रयत्न करते हैं और उसके कारण आन्दोलन को आपने तेज करा दिया। आन्दोलन तेज होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई मजदूरों पर 307 के मुकदमे लगाये गये। 18 लोगों को बंद कर दिया। उसके बाद कुछ मजदूर नहीं मिले तो उन पर भी 307 की कार्यवाही की जाएगी। श्रीमन् अगर इस मांग-पत्र को देखा जाए तो वह मांग पत्र क्या है। लेकिन इस सब के पीछे मैनेजमेंट द्वारा वार्ता के लिए तैयार नहीं होना है। कलेक्टर ने प्रयत्न किया। मालिक को बुलाने का प्रयत्न किया परन्तु उसने कलेक्टर को भी रिफ्यूज कर दिया। मैं स्वयं अलवर गया। मैंने जाकर कलेक्टर को कहा कि यह क्या स्थिति है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। परन्तु पता चला कि यह सारा नाटक इसलिए हो रहा है कि केन्द्र में बैठे हुए व्यक्ति का फैक्ट्री मालिक पर हाथ है। ईमानदारी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैनेजमेंट को इस बात का अभिमान है कि केन्द्रीय नेताओं का उन पर वरदहस्त है और पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन उनको बराबर मिलता रहेगा। 8-8 गाड़ियां वहां पर पड़ी हैं। पुलिस का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बवन्डर मचा रखा है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके किसी वरिष्ठ नेता का शायद कोई सम्बन्ध है, कोई भाई हो, जान पहिचान हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मजदूर अपनी वाजिब हकों की मांग करते हैं और वाजिब हकों के बारे में विचार नहीं किया जाता है, समझौता नहीं किया जाता है। कितनी बातों को वे मान सकते हैं, उनकी एक सामान्य सी मांग है कि उनको मान्यता दे दी जाय। एलम्स एण्ड केमिकल फैक्ट्री के कारण उनके जीवन को खतरा है। उनके लिए उनको अलाउन्स नहीं मिलता है, कोई वर्दी नहीं मिलती है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस केमिकल की फैक्ट्री में 30 दिन काम करने के बाद पेमेन्ट होता है। हरेक फैक्ट्री में 26 दिन काम होता है और चार दिन की छुट्टी मिलती है। डेली पेमेन्ट के आधार पर 8/– रुपये के हिसाब से पेमेन्ट दिया जाता है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस हड़ताल में इन्टरवीन करे। इसमें इन्टरवीन किया जा सकता है। इसका हल करावे। हल नहीं होगा तो आन्दोलन तेज होगा। मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर बड़ा भारी जुलूस निकला है। सारे शहर में यह आन्दोलन उग्र बनता जा रहा है। इण्डस्ट्रियल एरिया में हड़ताल की स्थिति बनती जा रही है। समय रहते सरकार कार्यवाही करे वरना अलवर में अशान्ति पैदा होगी जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मजदूर शान्तिपूर्वक अपनी मांगों को मन्जूर करवाना चाहते हैं। यद्यपि यह कह कर आप टालना चाहते है कि यह प्राइवेट कम्पनी है। परन्तु यह नहीं हो सकता कि प्राइवेट फैक्ट्री होने के कारण वह मजदूरों का गला घोट दे। अशान्ति पैदा हो, बाद में डंडे बरसाये जायं, यह स्थिति नहीं होनी चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय काफी हो चुका है।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय हमारी तहसील में एक बूंद पानी नहीं है•••

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में जानकारी मंगाई है। आपका बांध के बारे में है।

श्री जीत मल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में इसी फैक्ट्री के बारे में सवाल उठाया गया था। इसकी जहरीली गैस से किसानों की सैंकड़ों बीघा भूमि की फसल नष्ट हो गयी थी। यह आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने में मुआवजा दिला दिया जायेगा। इन किसानों में गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, हरिजन हैं इसलिए उनको शीघ्र ही मुआवजा दिलाया जाए। हमारी मन्त्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता पर भार डाला गया था कि वे शीघ्र से शीघ्र इस विवाद का निपटारा करायेंगे। किन्तु 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है और किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। इसके लिए आंदोलन होगा। वे वहां की सड़कों पर आये तो मामला सुलझेगा ? मजदूरों की भी इसी तरह से मांग हैं। बहुत बार वे मांग-पत्र पेश कर चुके हैं। वे यह चाहते हैं कि फैक्ट्री नियमों के अन्तर्गत उनकी मांगों का निपटारा

(श्री जीतमल जैन)

किया जाय। जो भी सुनवाई हो वह फैक्ट्री नियमों के तहत हो। मजदूर उससे वंचित हो रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्स-पेक्टर फैक्ट्रीज ने इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया 27-1-1981 को और 31-1-1981 की उसकी रिपोर्ट है। उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास में है। इसके अन्दर उसने एक एतराज उठाया है। उसने फैक्ट्री के अन्दर के बायलर का निरीक्षण किया और यह पाया कि यह बायलर बिना बायलर अटेन्डेन्ट के चलाया जा रहा है एक टेक्निकल आदमी को बायलर चलाने के लिए रखना चाहिये जो कि नहीं रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप विषय से दूर होते जा रहे हैं। यह अन्य किसी तरह से उठावें।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा हूं यह भी मजदूरों की मांग में से एक मांग है। फैक्ट्री एक्ट की अनुपालना नहीं की जा रही है और इस प्रकार मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए यह महत्व का विषय है।

दूसरी बात, उस रिपोर्ट में एक बात और कही गयी कि जो प्लांट लगा हुआ है उससे पावर बंद हो जाता है जिससे कि प्रदूषण पैदा होता है। ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए वहां मजदूर अपने जीवन के संरक्षण के लिये लड़ रहा है। वहां का जो मैनेजमेंट है वह बात करने तक को तैयार नहीं है और प्रशासन के साथ बात करने को तैयार नहीं है, समय देकर के प्रशासन से बात करने को नहीं आता है उन्होंने कुछ डिमाण्ड्स रखी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। वहां पर मजदूरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 40 दिन हो गये हड़ताल चल रही है शांतिपूर्ण हड़ताल चल रही है इसके बावजूद पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं लाठी चार्ज हुआ जिसके कारण निश्चित रूप से असन्तोष होना चाहिये। लाठी चार्ज के बाद ही यह सारी स्थिति पैदा हुयी है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट मामला नहीं है वह प्राइवेट होते हुये भी राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। मजदूर अपने हक के लिये आखिर किससे जाकर कहेगा राजस्थान सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां प्रशासन को आगाह करे कि वह मैनेजमेंट को मजबूर करे और मजदूर को बीच में बैठाकर उनकी मांगों पर समझौता करे। उनकी उचित मांगों को शीघ्र पूरा करवाने की कोशिश करे।...

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह ! नियम 295 के अन्तर्गत थोड़े समय की चर्चा उठायेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य समय का अभाव है। आज की कार्य सूची काफी लम्बी है और काफी समय हो गया है मुझे अफसोस है मैं आपको समय नहीं दे सकता।

श्री दाऊदयाल जोशी : लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसी दिन कोई बात हो सकती है। मंत्री महोदय को आश्वासन

(श्री दाऊदयाल जोशी)
देना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय··

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी चाही है, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। यह मेरे विचाराधीन है। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री नाथूसिंह।

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा प्रस्ताव··

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी के लिये कहा है दो बार तो निवेदन कर दिया है।

श्री राम कंवार बैरवा : मैं इसको सभा पटल पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ था आपने लिखकर दे दिया है सरकार का उत्तर आने दें। सभा पटल पर रखने की इजाजत नहीं दूंगा।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न

साहित्यकार सम्मेलन में दिनांक 10 जनवरी, 1981 को मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

श्री नाथूसिंह नियम 295 के अन्तर्गत एक बहुत ही अल्पकालीन चर्चा उठायेंगे।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मामला उठा रहा हूं जो पूरे राजस्थान के लिये बहुत महत्व का है यह मामला विकास से संबंधित न होकर सम्मान से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कई बार बोलना बड़ा महंगा पड़ जाता है हर जगह बोला भी नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप भी ध्यान रखें।

श्री नाथूसिंह : हमारे मुख्य मंत्री जी कहां क्या बोल जाते हैं इसका पता उनको नहीं रहता है और उसके बाद जब बोल जाते हैं और लोग निंदा करते हैं तो तैश में आकर कहते हैं कि मैं तो बोलूंगा। ऐसी ही दुर्घटना और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस दिन घटी जिस दिन 10 जनवरी को राइटर्स गिल्ड का समापन समारोह था और उसमें मुख्य मंत्री जी को बुलाया गया था। वहां उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया गया था अगर व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता तो यहां पर परसरामजी मदेरणा भी बैठे हैं उनको बुला सकते थे, आपको बुला सकते थे, हीरालाल जी को बुला सकते थे। लेकिन उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को बुलाया और मुख्य मंत्री जी वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा उसको मैं कोट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोट नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो कुछ कहा जाता है स्वयं की जानकारी और जिम्मेदारी पर कहा जाता है। अखबार पढ़ा जाय और अखबार में अगर गलत लिखा हो तो इसलिये मैं अखबार पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। आप जो उचित समझते जो हैं, आपको जानकारी में है, केवल वही कहें।

श्री नाथूसिंह : मेरे पास टेप है, भाषण ज्यों का त्यों है जो भी कहूंगा बहुत ही सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारीपूर्वक कहूंगा अन्यथा आपने मुझे कोट करने की इजाजत नहीं दी फिर भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं। महादेवी जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो स्टार्टिंग में उन्होंने न तो राज्यपाल महोदय को निमित्त किया न मुख्य मंत्री जी को किया उनके शुरू के प्रारम्भिक शब्द जो

Page No 55

55

(श्री नाथूसिंह)

ये उन शब्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने राजस्थान का सम्मान करने के लिये, साहित्यकारों का सम्मान करने के लिये साहित्यिक भाषा में कहा कि "गंगा तट का राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम" इसके जवाब में उनको क्या सुनने को मिला जो सुनने को मिला वह लज्जाजनक स्थिति है हमारे लिये दुभाग्यपूर्ण है। उस पर महादेवी जी ने भी अशोभनीय व्यवहार पर अपना दुःख प्रकट किया है। उन्होंने प्रयाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी अध्यक्षता में हुये सम्मेलन में पहाड़िया जी ने जो वक्तव्य दिया उससे देश और विदेश के साहित्यकारों का अपमान हुआ है। उन्होने कहा कि मुझे अपने अपमान का कोई दुःख नहीं है किन्तु विशिष्ट अतिथियों के अपमान का मुझे दुःख सहन नहीं हुआ। सिद्धान्ततः अध्यक्षीय भाषण के बाद में किसी को बोलना नहीं था। सो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों को भी सेवक अथवा नौकर माना गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि किस तरह राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने वहां पर अभद्र व्यवहार, जिसे कहना नहीं चाहिए वह किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि वे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कहें कुछ भी करें हमें इससे आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन राजस्थान के वे मुख्य मंत्री भी हैं और हम राजस्थान के अलग-अलग क्षत्रों से विधान सभा में प्रतिनिधि चुनकर आते हैं हमारी पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि पहाड़िया जी जो कुछ मुख्य मंत्री की हैसियत से बोलते हैं तो वह राजस्थान की जनता की तरफ से बोलते हैं हमारी तरफ से बोलते हैं। उन्होंने महादेवी वर्मा का अपमान नहीं किया एक तरह से राजस्थान की जनता का अपमान किया है।

एक बात और बताना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार का, पिछली बार जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था उसके कुछ अंश आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि एक तरफ तो राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी राजस्थान के साहित्य के विकास की बात करते हैं—साहित्य के विकास की घोषणा करते हैं—"राजस्थान अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिये सदैव याद किया जाता है। संस्कृति, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में इसकी देन राष्ट्र की धरोहर है। इन धरोहरों का पूर्ण संरक्षण और विकास के लिये राज्य सरकार इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के साथ ही उन्हें बहुत सशक्त और गतिशील बनाना चाहती है।"

वहां पर मुख्य मंत्रीजी ने रविन्द्र मंच के ऊपर राजस्थान के इतिहास को और गौरव को कैसा गतिशील बनाया है कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे देश के पत्र-पत्रिकायें दैनिक, साप्ताहिक पूरे विश्व का कोई पत्र ऐसा न होगा जिसने इस घटना की निन्दा नहीं की हो, पूरे हिंदुस्तान के हर पत्र-पत्रिका ने इस घटना की निन्दा की है। उन्होंने महादेवी और साहित्य के लिये क्या कहा कि आप जो लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता यह दुर्भाग्य से और सौभाग्य से, दुर्भाग्य इसलिए कि आप लिखती हैं, ऐसे शब्द साहित्यकारों के प्रति उन्होंने कहे। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि उन्होंने क्या सोचकर ऐसे शब्द

(श्री नाथूसिंह)

कहे उन्होंने और भी बहुत सारी चीज कहीं हैं लेकिन आपने मुझे कोट करने की इजाजत नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। नियम 295 के अन्तर्गत बहुत ही संक्षेप में अल्पकाल की चर्चा उठायी जा सकती है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर पहाड़िया जी की यही आदत रही बोलने की, कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं कुछ कह जाते हैं और उन्होंने कहा कि मैं तो बोलूंगा। भरतपुर में उन्होंने जो भाषण दिया मेरे पास उसकी कटिंग है उन्होंने कहा कि मैं तो बोलूंगा। बिना बोले मुझ से रहा नहीं जाता अगर आपसे बिना बोले नहीं रहा जाता तो आप अपने घर में बोलिये; शान्ति जी से बोलिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह आदत बनी रही और महादेवी जी तो चली गयीं वह साहित्य की देवी थी वह तो चली गयीं लेकिन दिल्ली की महारानी के सामने अगर बोल गये तो ये पहाड़िया जी कहां जाकर टिकेंगे कोई नहीं कह सकते हैं इसलिये तो मुझे चिन्ता है और विशेष रूप से चिन्ता है जो हीरालाल जी देवपुरा और प्रद्युम्न सिंह जी नये-नये मंत्री बने हैं वे कहां जाकर टिकेंगे और ये मंत्री भी रह पायेंगे या नहीं रह पायेंगे इसकी मुझे चिन्ता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ, और मांग करता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी को सदन में आकर इस सदन के माध्यम से इस पूरे सदन से और राजस्थान की जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए इस अशोभनीय व्यवहार के लिये, महादेवी वर्मा से क्षमा याचना करनी चाहिये और यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि–एक तरफ तो महादेवी जी ने कहा जब-जब हिन्दुस्तान के हाथों में बेड़ियां पड़ी राजस्थान की तलवारें उनको काटने के लिए हमेशा तैयार रही हैं और पहाड़िया जी ने किन शब्दों में जवाब दिया इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हमें पहाड़िया जी की XXX उस दिन से। कैसे मुख्य मन्त्री हैं जिसने राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास को हिन्दुस्तान में और विश्व में मिट्टी में मिला दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और सभी माननीय सदस्य जो सदन में बैठे हैं, पूरा सदन शायद, इसमें पार्टी का सवाल नहीं है ...

एक माननीय सदस्य : म्यूनिसिपैलिटी का है।

श्री नाथूसिंह : इसलिए सारे माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे, माननीय सदस्य जितने यहां बैठे हैं, आप भी मेरी भावना से सहमत होंगे कि साहित्यकारों का जो अपमान किया है, अशोभनीय व्यवहार हुआ है। इस अशोभनीय व्यवहार के लिए सभी माननीय सदस्य उसके लिये दु:ख प्रकट करते हैं और राजस्थान की जनता विशेष रूप से मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनको सदन में होना चाहिए, अभी नहीं तो किसी भी दिन साहित्यकारों से और महादेवीजी से क्षमा

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूसिंह)
याचना करे और यह प्रतिज्ञा करें कि भविष्य में ऐसा व्यवहार कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ आर्डर। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ बातें कहीं और यहां तक कह दिया कि मुख्य मन्त्रीजी की ××× यह अनपार्लियामेण्ट्री है, इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है?

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोसिडिंग्स मंगाकर देख लूंगा और उसके बाद में निर्णय दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेस बाई-एण्ड-लाज मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ है इस महादेवीजी के प्रकरण को लेकर के यह विषवमन किया गया है लेकिन मैं समझता हूं यह राजस्थान के हित में होगा और मुख्य मन्त्रीजी के हित में होगा कि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आवे क्योंकि निश्चित रूप से महादेवी वर्मा देश की एक महान् साहित्यकार हैं और देश में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है।

श्री अध्यक्ष : इस पर अब चर्चा नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन जो बात कही गई है, निश्चित रूप से यह जनहित में और लोकहित में है, कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मन्त्री जी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या है उससे इस सदन को अवगत करावें। उनके खिलाफ भयंकर रूप से अखबारों में छापा जा रहा है, महादेवीजी का अपमान हुआ है और उसका प्रतिवाद नहीं हुआ, इसलिए वास्तविक स्थिति क्या है यह लोगों में भ्रान्ति है इसको दूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सदन यह बात जानना चाहता है, सदन को यह अधिकार है....

श्री अध्यक्ष : नियम 295 के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य किसी विषय को उठाना चाहते हैं, जो पाइन्ट आफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता, उसके लिए इतना लम्बा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं है, आज की कार्य सूची बहुत लम्बी है। कृपया स्थान

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)
ग्रहण कीजिये। अब इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, बात बहुत ऊंची है और हाउस में कोई भी बात आ जाती है तो हाउस की प्रापर्टी हो जाती है। हम लोगों का फर्ज हो जाता है कि अगर कोई भी बात गलत कही जाय तो हाउस में मौजूद महानुभाव इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मुख्य मंत्री जी हाउस में हैं और हाउस के नेता हैं इसलिए उनके खिलाफ जो बात कही गई है, यह राजस्थान की शान का सवाल है। कुछ छोटे मोटे अखबारों को छोड़कर सभी अखबार कह रहे हैं, कोई XXX "घुमक्कड़" जैसे अखबार को छोड़कर जिसने कुछ नहीं कहा, मुख्य मंत्री जी को इस हाउस में आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, उन्होंने क्या कहा था, और जो बांदीकई से माननीय सदस्य आए हैं उनकी बातों का भी निराकरण हो सके।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह व्यवस्था की जाय कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां आकर बतावें कि उन्होंने क्या कहा था? क्या उन्होंने यह कहा था कि जब मैं पढ़ता था तब भी आपको नहीं समझता था और अब तो समझने का सवाल ही नहीं है। और आप केवल दो प्रतिशत लोगों के लिए लिख रही हैं। पहले ऐसा राजाश्रय जमाने में कवि रहते थे जो राज्य की विभूतियां हैं उनका कथन करती थी, पृथ्वीराज के बारे में चारण लोगों ने उनसे कहा था कि "मत चूके चौहान" अन्धे थे तो भी मरवा दिया दुश्मन को। मैं कहती हूं जो राष्ट्र के गौरव के लिये लिखते हैं, राष्ट्र के चरित्र के लिये लिखते हैं ऐसे लोगों को अपमानित किया गया तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोचकर बोलें देश की महान् साहित्यकार का अपमान हुआ है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वे सच तो बोलें कि उन्होंने क्या कहा था। उनको आगाह किया जाना चाहिये और उनको क्षमा मांगनी चाहिए वह भी लिखित में। महादेवीजी सचमुच माता की प्रतीक हैं और सारे देश की प्रेरणा का स्रोत रही हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल: मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रकरण समाप्त हुआ, काफी समय हो गया, सूची काफी लम्बी है।

शासकीय वक्तव्य

श्री धन्ना निवासी अमलावदा की पुलिस अभिरक्षा में मार-पिटाई से मृत्यु

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य। श्री धन्ना निवासी अमलावदा की पुलिस अभिरक्षा में मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में मन्त्री जी वक्तव्य देंगे।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 59

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.1.81 को श्रीमती भंवरी बाई जाति मीणा निवासी अमलावदा ने थाना अकलेरा में उपस्थित होकर स्वयं के मकान में गई रात को जेवर आदि चोरी हो जाने की रिपोर्ट की जिस पर थाना अकलेरा में अभियोग नम्बर 10 धारा 380 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। श्रीमती भंवरी ने इस चोरी का सन्देह धन्नालाल, छोटिया, श्री कृष्ण व काला पर बताया। जिस पर अनुसन्धान अधिकारी ने धन्नालाल से पूछताछ की। धन्ना मीणा का पुराना अपराधी रिकार्ड है। अपराध की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए धन्ना मीणा को सायंकाल साढ़े पांच बजे धारा 41 (2) जा.फो. के अन्तर्गत 110 जा.फौ. की कार्यवाही हेतु गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री धन्ना ने इसी रात दिनांक 30-1-81 को 9.30 बजे अपने पेट में दर्द होने व उल्टी होने की शिकायत की जिस पर दो कानि. के साथ उसे शफाखाना अकलेरा उपचार हेतु भेजा गया। डाक्टर ने उसी रात को धन्ना को एक इन्जेक्शन लगाया और हालत सन्तोषजनक बताकर प्रातः फिर देखने को कहा। इस पर धन्ना को रात पौने ग्यारह बजे पुनः थाने पर ले जाया गया।

दिनांक 31-1-81 को प्रातः 7.30 बजे अभियुक्त धन्ना ने फिर अपने पेट में दर्द व उल्टी की शिकायत की। इस पर उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया वहां उसे इलाज हेतु भर्ती कर लिया गया।

उसी रोज करीब 11 बजे दिन शफाखाने के एक चपरासी ने थाना प्रबन्धक को सूचना दी कि धन्ना के भाई ने उसे बताया है कि धन्ना ने कल थाना अकलेरा जाते समय रास्ते में चूहे मारने की दवाई व आकड़े का दूध पी लिया था। इस सूचना पर थाना प्रबन्धक अस्पताल पहुंचे वहां धन्ना के भाई लक्ष्मण ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की जिस पर अभियोग नं. 11 दिनांक 31-1-81 धारा 309 ता. हि. पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

श्री धन्ना की मृत्यु से पूर्व का कथन (डाइंग डिक्लेरेशन) मेडिकल आफिसर अकलेरा ने दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिन में 1 बजे रिकार्ड किया जिसमें धन्ना ने गत दिन आकड़े का दूध करीबन 100 ग्राम एवं चूहे मारने की दवा दो रुपये की खाना बताया। इस बात का उल्लेख धन्ना ने बैड हैड टिकट में भी किया।

डाक्टरी समाचार के बावजूद धन्ना की मृत्यु दिन में 3.00 बजे अस्पताल में हो गई। थोड़ी देर बाद ही कुछ व्यक्तियों ने जबरदस्ती धन्ना की लाश को ठेले में डाला और एम.जे.एम. कोर्ट की ओर रवाना हो गए। इसकी सूचना पुलिस उप अधीक्षक अकलेरा को दी गई जिन्होंने एस. डी. एम. अकलेरा को लिखित रिपोर्ट भेजी जिस पर एस. डी. एम. द्वारा कार्यवाही धारा 176 जा.फौ. प्रारम्भ की गई।

एस.डी.एम. कोर्ट पर लाश के साथ करीब 1500–2000 की भीड़ एकत्रित हो गई थी जो जबर्दस्ती नगर में से जाना चाहती थी। उप पुलिस अधीक्षक मय पुलिस दल के कोर्ट प्रांगण में पहुंचे तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

समझाने का प्रयत्न किया मगर भीड़ और भी उत्तेजित हो गई। उन्होंने प्रांगण में खड़ी डा. दवे की मोटर साइकिल को आग लगा दो। अदालत के कमरों की खिड़की व दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस उप अधीक्षक ने भीड़ को तितर बितर हो जाने की चेतावनी दी मगर इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ और वह जोरों से पथराव करने लगी जिससे उप पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिस कर्मचारियों के चोटें आईं। भीड़ ने पुलिस वालों पर एक दम हमला बोल दिया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर हो जाने तथा बचाव का कोई साधन न देखकर पुलिस उप अधीक्षक स्वयं ने कानि. से राइफल लेकर हवाई फायर किये एवं साथी कानि. को भी हवाई फायर करने का आदेश दिया। गोली की आवाज सुनकर भीड़ तितर बितर हो गई और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मृतक धन्ना की लाश को उसके अधिकार में ले लिया।

इस घटना के संबंध में थाना अकलेरा पर अभियोग नं. 13 दिनांक 31-1-81 धारा 147, 148, 149, 332, 335, 342, 353, 427 व 435 आई.पी.सी. दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। पुलिस की गोली से किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। पथराव से पुलिस उप अधीक्षक सहित 6 पुलिस कर्मचारियों के चोटें आई हैं। इस अभियोग में अब तक 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अभिभावक संघ, अकलेरा की ओर से कुछ वकीलों के शपथ-पत्र भी उपलब्ध कराये गए हैं जिसके अनुसार यह लोग घटना से संबंधित नहीं बताये गये हैं। तफतीश प्रगति पर है।

पुलिस द्वारा मृतक धन्ना की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाकर शव को उसके भाई लक्ष्मण को सुपुर्द कर दिया गया। डाक्टर ने मृतक के विसराय की रासायनिक परीक्षण हेतु भिजवाये हैं। अभी एस.डी.एम. द्वारा धारा 176 जा. फौ. के अन्तर्गत की गई जांच का नतीजा प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब धन्ना की मृत्यु हो गई लाश ठेले में डालकर वहां पर पुलिस इन्चार्ज एस. डी. ओ. कोर्ट में ले गए और वहां रिमांड फार्म पेश कर दिए, उस पर एस.डी.ओ. ने जमानत के आदेश दे दिए और धन्ना की मृत्यु की स्थिति में S.D.O. Court में उसके जमानत मुचलके पेश हुए?

श्री प्रद्युम्न सिंह: यह बात गलत है। मैंने रिकार्ड से वेरीफाई किया है, मैंने अधिकारियों से स्वयं बात की है, न लाश को लाया गया न इस प्रकार मुचलके जमानत ली गई।

श्री अनंगकुमार जैन: जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि धन्ना को पुलिस उसके गांव से पकड़कर अकलेरा ले आई....

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैंने यह नहीं कहा है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, धन्ना को पुलिस पकड़कर नहीं ले आई। आप जितने सवाल पूछना चाहें पूछ लें लेकिन मुझे यह कहने का अधिकार है तथ्यों को मिस रिप्रेजेंट मत करें। पुलिस पकड़ कर नहीं लाई।

श्री अध्यक्ष : चोरी के सिलसिले में उसको बुलाया गया था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : This is correct. गांव में पुलिस गई, तफतीश के दौरान उससे कहा तुम थाने आ जाना।

श्री अध्यक्ष : जहर खाकर चला गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Yes. This is a fact.

श्री अनंग कुमार जैन : वस्तु स्थिति यह है कि धन्ना को पुलिस उसके गांव से पकड़ लाई और दिन में 11 बजे 30 तारीख को पुलिस स्टेशन में बन्द किया। उसके बाद दूसरे दिन 11 बजे शफाखाने में उसको ले जाया गया तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने दवाई लगाई, उपचार किया और करीब 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद डी.वाई.एस.पी. जगन लाल ने यह मैनेज किया उसका रिमांड फार्म तैयार करके आनन्द सिंह भाटी S.D.O. की अदालत में पेश किया। आनंद सिंह एक भ्रष्ट एस.डी.ओ. हैं जिसको वहां गए हुए तीन महीने हो चुके हैं पिछले तीन महीने में एक दिन भी अदालत भवन में वह नहीं बैठे हैं। तीन महीने से लगातार...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मुद्दे पर आइये।

श्री अनंग कुमार जैन : आनन्द सिंह भाटी को इस निकम्मी सरकार ने जांच अधिकारी नियुक्त किया है, यह सदन के सामने साबित होगा कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी क्या जांच करेगा ? तीन महीने में एक दिन भी अदालत में नहीं बैठे, हमेशा चेम्बर में ही बैठते हैं, चेम्बर में ही उसका रिमांड फार्म पेश किया उसके आधार पर एस. डी. ओ. ने जमानत के आदेश दिए। उसके भाइयों ने जमानत मुचलके पेश किए उसके बाद जब धन्ना की लाश ठेले में अदालत के अहाते में पड़ी थी जब भीड़ को पता लगा कि धन्ना की पुलिस की मार पीट से मृत्यु हुई है तो वहां पर 200-300 आदमी इकट्ठे हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई तो डी वाई. एस. पी. जगन लाल ने फायरिंग चालू कर दी...

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा न करें, मुद्दे पर आइए।

श्री अनंग कुमार जैन : मन्त्री महोदय ने बयान दिया है, उससे स्पष्ट जाहिर है कि वह निश्चित रूप से असत्य है, उससे जाहिर होता है कि पुलिस इतने दिनों के अन्दर किस तरह से इस घटना को मैनेज करके यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसकी जहर खाने से मृत्यु हुई है। इसके अलावा इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि पुलिस के द्वारा इस केस को उसकी बात को साबित करने के लिए, झूठा केस बनाने लिए वहां के सम्भ्रांत नागरिक हैं वहां करीब 15 आदमियों को गिरफ्तार करके जमानत ली गई है। इस प्रकार के तीन मुकदमे वहां पर नागरिकों पर दर्ज किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि जहां एक व्यक्ति को पुलिस ने मारा है। उसके बाद केस को दबाया जा रहा है, उसके बजाय वहां पर नागरिकों पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टोरी यहां प्रस्तुत की गई है, यह पूर्णतः कांकोक्ड स्टोरी है, नम्बर एक। राधे श्याम कलाल नामक सिपाही, उसके साथ एक और सिपाही 11 बजे आमला गांव में पहुंचे, उन्होंने धन्नालाल को पकड़ा और हथकड़ी लगाई, वह 11 बजे पकड़ा गया। जब धन्नालाल को कक्ष में लेकर आ रहे थे बीच में कुछ ऐसी गरमागरम चर्चा हो गई, अकलेरा के मेले का जो स्थान है, उस स्थान पर यह जो सिपाही थे इतने गर्म हो गए कि उसी स्थान पर थाने पर जाने से पहले इस सिपाही ने धन्नालाल को जिसको हथकड़ी लग रही थी, लाठियों से पीटा जिसके चश्मदीद गवाह उस मेले पर मिल जायेंगे। 5.30 बजे थाने में आया। थाने में आने के पश्चात रात्रि को रमजान खां नाम के एक आफिसर हैं उसने इतना उसको रात को मारा कि मारने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि जिस हालत के कारण न वह बोल सकता था, सिर्फ कराहता था, चिल्लाता था और प्रातःकाल स्टोरी बताई कि रात को पेट में दर्द हो गया। थाने से उसको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल से वापस पुलिस उसको थाने ले गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसकी हालत खराब थी और अस्पताल ले जाया गया था, मगर उसके पेट में दर्द था, इस प्रकार की स्टोरी ठीक है तो वहां पर थाने लाने की जो स्टोरी को घड़ा गया, वह इस प्रकार का नमूना है जिसमें पुलिस ने इतने समय में लगातार इस प्रकार का प्रयत्न किया। प्रातःकाल 10.30–11 बजे उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जल्दी जल्दी में अस्पताल में उसको ले जाया गया, अस्पताल में डाक्टर ने कह दिया कि यह मर गया। घबड़ा गए पुलिस वाले उस समय, आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसी घटना हुई कि जनता उसकी लाश को ठेले में डालकर ले आई। अगर अस्पताल में मर गया था तो जनता को किसने अधिकार दिया पुलिस के लोगों ने, पोस्ट मार्टम से पहले जनता ने कैसे अधिकार कर लिया क्योंकि सारी भीड़ थाने पर आई इस कारण ठेले में डालकर पुलिस वाले एस. डी. एम. के पास ले जाते हैं। जैसा झालावाड़ से आने वाले सदस्यों ने कहा, एस.डी.एम. कभी भी कोर्ट में नहीं बैठते। पिछले तीन महीनों में एक घंटा आधा घंटा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चैम्बर में ही बिना अभियुक्त को देखे उसकी जमानत हुई है, दस्तखत हुए हैं, उसके भाई ने मुचलके जमानत के पेश किए हैं, जो फाइल में से गायब हो गए हैं। फाड़ डाले गये हैं, सब इस प्रकार की साजिश चली है। तो इसमें मेरा कहना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इसकी जांच उस एस. डी. एम. से नहीं कराई जावे और किसी दूसरे से करवाई जावे। इसके अलावा उस एस. डी. एम. का वहां से ट्रांसफर कराया जावे। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो पुलिस आफिसर रमजान खां है और जो पुलिस के दूसरे कर्मचारी हैं श्री राधेश्याम उनको तुरन्त सस्पेण्ड किया जावे। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमें वहां पर पता लगा कि झालावाड़ के तीन व्यक्ति एक बद्रीलाल, जो कि वहां की कांग्रेस आई का भूतपूर्व

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अध्यक्ष था दूसरा वहां के कांग्रेस आई के युवक प्रकोष्ठ-का महामन्त्री था तथा एक कैलाशचन्द्र ने भी कहा कि यह जांच की गई वह गलत है। जांच के अन्दर जो तथ्य सामने आये एक श्री अशोक और एक और व्यक्ति ओमप्रकाश के कहने से पता लगता है कि इसमें बड़ी भारी साजिश हुई है और एक व्यक्ति को थाने में मारा गया है। वह तो सौभाग्य की बात है कि हम दिनांक 31 जनवरी से भोपाल से हमारे कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तो रात को दो बजे अकलेरा स्टेशन पर जब हम पानी पीने के लिए उतरे तो हमने लोगों के अन्दर स्टेशन पर थोड़ी सी भनभनाहट सुनी कि इस प्रकार एक धन्ना का खून हो गया पुलिस थाने में और पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा एक चक्र व्यूह ऐसा चलाया गया कि धन्ना ने खुद ने खुदकशी की पर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह सारी पुलिस की कान्कोटेड स्टोरी है इसकी खुली अदालत में न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसकी अदालती जांच होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय; पुलिस कस्टडी के अन्दर एक व्यक्ति का खून किया गया। पुलिस कस्टडी में इस प्रकार एक व्यक्ति का मर जाना एक बहुत ही खेदजनक बात है इसमें आपको अदालती जांच करके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को तुरन्त सस्पेण्ड किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जो भी पुलिस ने डाकूमेंट बनाये हैं सभी झूठे हैं। हो सकता हो वह व्यक्ति कभी हिस्ट्री शीटर रहा हो। हो सकता है वह व्यक्ति कभी 110 का मुल्जिम रहा हो लेकिन इस प्रकार पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति को मार देना कहां का न्याय है? क्या हमारे राजस्थान में भागलपुर वाली घटनायें घटित हो रही हैं? क्या भागलपुर में पुलिस द्वारा लोगों की आंखें फोड़ दी गयी उसी प्रकार यहां भी लोगों को मारा जायगा अन्धा किया जायेगा? क्या भागलपुर की घटनायें राजस्थान में भी दोहराई जायेंगी? पर हमारे राजस्थान में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है अब कोई यह सरकार आने के बाद शुरू हुआ हो तो पता नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस पुलिस की कान्कोटेड स्टोरी पर विश्वास नहीं करे और दोषी पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश नहीं करे। इसके लिये खुली अदालती जांच होनी चाहिये और इसमें किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाना चाहिये। इसमें ऐसी जांच हो कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिये। इसकी अदालती जांच होकर दोषी व्यक्तियों को तुरन्त सजा दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यहां पर वक्तव्य दिया उसमें यह तथ्य सामने आये कि दिनांक 20-1-80 को मुसम्मात भंवरी बाई ने एक इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस में उसके घर पर चोरी हो जाने की दर्ज कराई और इब्तदाई रिपोर्ट में चार लोगों पर शक है इसको भी दर्ज कराया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर दफा 380 इन्डियन पेनल कोड

(श्री परसराम मदेरणा)

के अन्तर्गत उस केस को रजिस्टर कर लिया। मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उससे जो जानकारी इन्होंने सदन में दी उसमें पुलिस ने जो धन्नालाल को गिरफ्तार किया गया है वह भंवरी बाई की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया है उसको तो सैक्शन 41 में गिरफ्तार 110 में किया गया है। अब पुलिस इस चोरी के केस में भंवरी बाई के चोरी के मुकदमे में उसे मुल्जिम बनाना चाहती है। इसको दूसरे आफेन्स में गिरफ्तार किया गया है तो एक तो जानकारी मैं यह चाहता हूं कि किस केस में उसे गिरफ्तार किया गया? दूसरी बात जो मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं वह यह है कि धन्ना ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड किया है और पुलिस में उस का डाइंग डिक्लेरेशन भी ले लिया है। सैक्शन 309 के अन्तर्गत। पुलिस ने यह बताया है कि धन्ना ने आकड़े का दूध जब वह शहर आ रहा था तो रास्ते में पी लिया और उसके साथ में दवा भी ले ली थी। अब, अध्यक्ष महोदय, जब केस 380 आइ. पी. सी. के अन्तर्गत रजिस्टर किया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दूसरी बात कहां से आ गयी? इसके अलावा जो पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट है वह रिपोर्ट क्या कह रही है? यह भी मुझे बतावें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी कृपया यह बतायें यह कोई स्टोरी तो नहीं बना दी गयी है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं ···

एक माननीय सदस्य : इसके साथ मेरे प्रश्न का भी जवाब आ जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप माननीय सदस्य ध्यान ग्रहण करें मैं आपको जवाब बाद में दे दूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने इन्क्वायरी की आया यह स्टोरी तो नहीं बनाई हुई है। पहले तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे भी ऐसा ही लगा पर जब तथ्य मेरे सामने आये और मैंने इसकी गहराई से जांच की··

श्री अध्यक्ष : मैंने तो आपकी मदद की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसकी गहराई से छानबीन की तो जो तथ्य मेरे सामने आये इसमें मैंने देखा कि प्रकलेरा के कौन एस. डी. ओ. और कौन थानेदार हैं। इसमें कोई मन्शा सरकार की किसी को दोषी बताने की नहीं है। जब आपके यहां से जानकारी प्राप्त हेतु यह मेरे पास गया तो मैंने तुरन्त पहले तो यह काम किया कि होम डिपार्टमेन्ट के आफिसरों से बात की और उसके बाद में कलेक्टर, एस.डी.ओ. तथा डीवाई.एस.पी. से जानकारी चाही और पूरी तरह से इस मामले की छानबीन की। मुझको बड़ा अटपटा लगा, अध्यक्ष महोदय, मैं केस के जब गहराई में गया तो जैसा कि माननीय सदस्य भोपालगढ़ से आने वाले ने पूछा तो इस बारे में पता लगा कि यह व्यक्ति पुराना हिस्ट्री शीटर है इसका चरित्र अच्छा नहीं था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस व्यक्ति के खिलाफ एक रिपोर्ट तो दिनांक 4-1-79 को पुलिस में दर्ज करायी एक श्रीमती पुष्पा के साथ बलात्कार का प्रयास करने के सम्बन्ध में, दूसरी रिपोर्ट इस व्यक्ति के खिलाफ दिनांक 4-5-80 को एक औरत के साथ मारपीट करने तथा उसके बच्चों के साथ मारपीट करने की दर्ज करायी गई। दिनांक 5-5-80 को एक रिपोर्ट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

धोली प्रेम नाम की युवती ने दर्ज कराई कि धन्ना ने उसको पत्थरों से मारा यह भी 156 नम्बर पर दर्ज है। इसी तरह दिनांक 3–7–80 को एक हुसैन मोहम्मद नाम के मुसलमान ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई की धन्ना ने उसके भाई को मारा और कुएं में धकेल दिया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेन्ट पाइन्ट जो है वह यह है दिनांक 19–11–80 को पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई, रिपोर्ट नम्बर 706, उसमें यह लिखा हुआ है कि धन्ना मारपीट करने का तथा शान्ति भंग करने का आदी है और इस प्रकार इसको बिना जमानत आजाद रखना जन समुदाय के हित में नहीं है। यह जन समुदाय के लिये घातक है। इसलिये इसको दफा 110 आई.पी.सी. में पाबन्द करने की जरूरत है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत लॉग बुक 19-11-80 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज है अगर एक दिन या दो तीन दिन की बात होती तो मैं मान लेता कि शायद यह कांकोटेड स्टोरी है। अध्यक्ष महोदय, लॉग लॉग बुक 19–11–80 को इस बात की रिपोर्ट दर्ज है कि धन्ना झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है और इसको जन समुदाय के हित में पाबन्द किया जाना चाहिए। यह दफा 110 आई. पी. सी. में पाबन्द होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या कि धन्ना के पड़ोस में बिलकुल पड़ोस में चोरी हो गयी और इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई। जब थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी तो उसकी जांच करने को थानेदार वहां आया हालांकि पुलिस की एफ.आई. आर. में कोई व्यक्ति का चोरी के लिये नामजद नाम, मुल्जिम का नहीं था।

श्री अध्यक्ष : यह औरत वह तो नहीं जिसके साथ धन्ना ने मारपीट की ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह औरत अलग है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थानेदार ने मौके पर जाकर वहां पर दफा 161 के तहत लोगों के बयान लिये। उसमें वहां पर ऐसा पाया गया कि उसको चार व्यक्तियों पर शक था और उसमें धन्ना का नाम भी था। तो थानेदार ने धन्ना से कहा कि तुम थाने आ जाना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफ दो रिकार्ड जो धन्ना के भाई ने वहां पर बताया वह निवेदन करना चाहता हूं। धन्ना को पता लगा कि पुलिस में उसका नाम है तो उसने मुस्तगीस को बहुत मिन्नत की और कहा कि मैंने चोरी नहीं की। अध्यक्ष महोदय, उसने बहुत मिन्नत की और धन्ना ने यह कहा कि पुलिस मुझे बहुत परेशान करेगी तुम मेरा नाम कटवावो पर वह औरत बिलकुल नहीं मानी और बहुत मिन्नत करने के बाद भी जब वह औरत नहीं मानी तो धन्ना चूंकि घबरा रहा था कि पुलिस उसको बहुत परेशान करेगी तो दुखी होकर जब वह शहर जाने लगा तो उसने रास्ते में आकड़े का दूध पी लिया और बाजार से दवा भी ले कर खाली। अध्यक्ष महोदय, धन्ना ने अपनी इज्जत बचाने के लिये ऐसा किया। तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह का वाकया हुआ। मैंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लोगों को इस केस में किसी भी तरह से किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं करनी है आपको इम्पार्शियल तफतीश करनी है। इसमें किसी को भी प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है सही ढंग से जांच होनी चाहिये। अब आप

Page No 66

(66)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो यहां पर बार एसोसियेशन की बात करते हैं। एक पहलू वह भूल गए। कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसकी बात कही है। मुझे इसकी लिखित सूचना नहीं है। लिखित में दे सकें तो अच्छा है। आप जो बात कहते हैं। दूसरे विरोधी माननीय सदस्य जो बात कहते हैं सब को एक सा महत्व देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा पहलू हुआ इसका पुलिस के ऊपर पथराव करने का। उसके बारे में आप सहमत हैं कि पुलिस पर पथराव हुआ। वहां की बार एसोशियेशन ने सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित कर पुलिस पर पथराव के लिए भर्त्सना की है। पुलिस पर पथराव के कारण हमारे 6 पुलिस कान्स्टेबल इन्जर्ड थे..

श्री अनंग कुमार जैन: ऐसा कोई प्रस्ताव पास किया नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास लिखित में प्रस्ताव है मैं आपको दिखा सकता हूं। कम से कम मैं सदन में गलत बयानी नहीं करूंगा और वह भी आपके सामने तो कतई नहीं। हां, बाहर तो कर भी सकता हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है आपने मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा कि आप सन्तुष्ट हैं या नहीं। जो अब तक की जांच है और अब तक के नतीजे आये हैं शुरू में मुझे भी बड़ा अटपटा लगा था लेकिन मुझे एक बात से सन्तोष हुआ आखिर में जाकर कि इस आदमी के खिलाफ मैलाफाइड इन्टेन्शन नहीं थी और 19-11-80 को रिपोर्ट डाली जा चुकी थी कि यह व्यक्ति संदिग्ध है, मारपीट और झगड़ालू प्रकृति का है इसके खिलाफ हमें 110 की कार्यवाही करनी है उस संदर्भ में जैसा कि भोगालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसको 380 में गिरफ्तार नहीं करके हो सकता है 161 में बयान आये हैं। उससे संतोष नहीं हुआ है और हो सकता है 110 में गिरफ्तार किया है। फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में यहां आपको निवेदन करूं कि रिपोर्ट करने वाला मीणा जाति का था, एक्यूज्ड मीणा जाति का और डी. एस. पी. अकलेरा के हैं वह भी मीणा जाति के हैं। तो इस बात को तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई फेर बदल की जा रही है। जहां तक भाटी के संबंध में कहा है कि कोई आदमी कोर्ट में नहीं बैठ कर चैम्बर में बैठता है यह अलग चीज है और तफतीश अलग चीज है। 175 की तफतीश अलग है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में मैं एस. पी. झालावाड़ को इस बात के लिए कहूंगा कि इस पूरे मामले में 176 की तो इन्क्वायरी चल ही रही है और दूसरे केसेज कायम हुए हैं। माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह स्वयं उन केसेज को देखें और 176 का जहां तक सवाल है मेरा ख्याल है पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और पूरे तथ्य सरकार के सामने आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल !

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि बिहार में जिनके चरित्र खराब थे उनको अंधा किया गया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप हर बात को पालिटिकल कलर देने की कोशिश करते हैं। आपका मतलब है कि बिहार में अंधे किये गये तो यहां मारे जायेंगे। यह कतई बात गलत है।

श्री अनंग कुमार जैन : आप घोषणा कीजिए कि न्यायिक जांच करायेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, इस हत्या के कारण प्रदर्शन अकलेरा की जनता ने किया और उस पर लाठी चार्ज हुआ इसलिये असन्तोष है। वहां की बार एसोसियेशन ने . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, I am sorry to interrupt आन्दोलन इस बात पर नहीं हुआ। पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। पुलिस पर उलटे हमला किया गया है। पुलिस से लाश छुड़ाकर ले गये अस्पताल से। फैक्ट्स को ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिये। आप फैक्ट्स पर पचासों सवाल पूछ लीजिए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा I will reply every question.

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, बार एसोसियेशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सारी बातों को देखते हुए घन्ना ने कोई जहरीली वस्तु नहीं खाई लेकिन उसकी हत्या हुई है और यह पुलिस हिरासत में हुई है। अकलेरा के संभ्रान्त लोग भयभीत हैं। पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई इसकी सी.बी. आई. से जांच करानी चाहिए और यह सज्जन जो कि बार एसोशियेशन के अध्यक्ष हैं जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई यह कांग्रेस के नेता हैं। झालावाड़ जिले से कांग्रेस के एम. एल. ए. आये हैं उन्होने भी स्टेटमेंट दिया है। मान्यवर, इस रिपोर्ट में एस. डी. ओ. को दोषी पाया गया है और दोषी व्यक्ति जांच करेगा इसका विश्वास नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कहा कि उसका चरित्र ठीक नहीं था तो जिनका चरित्र ठीक नहीं था उनको बिहार में अन्धा किया गया। यहां क्या आप पुलिस हिरासत में उनकी हत्यायें करना चाहते हैं ? . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए फिर बोलिये। संक्षेप में।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, वहां का बुद्धिजीवी वर्ग, कांग्रेस के नेता और वहां के कांग्रेस (आई) के नेता, वहां के युवा कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष, वहां के जिला कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, वहां के विधायक, वहां की जनता यदि यह मांग करती है कि इसकी जांच सी. बी. आई. से करवा ली जाय तो आप ईमानदार हैं, यदि आप वहां की हत्या की सही हालत जानना चाहते हैं तो आप में नैतिक साहस होना चाहिए कि आप स्वीकार करें कि सी. बी. आई. से इसकी जांच करवा ली जायगी और तब पता लगेगा कि पुलिस हिरासत में हत्या किस तरह से षड़यन्त्र रचकर की जाती हैं। आप यदि इजाजत दें तो यह ओरीजिनल कापी बार एसोसियेशन की रिपोर्ट की अध्यक्ष के दस्तखत के साथ है इसे मैं सदन के पटल पर रखने की इजाजत चाहता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक बात निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र का मामला है और सरकार की भी मंशा इसमें गलत नहीं है। वह न्यायिक जांच उन लोगों को देना चाहती है तो पहला कदम तो यह होना चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनकी बदौलत वहां जनता में असन्तोष व्याप्त है तो पहले उन अधिकारियों को या तो निलम्बित किया जाय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बुनियादी जो प्रश्न है उस पर आपका क्या मत है? जनता असन्तुष्ट है या सन्तुष्ट है उसको छोड़िये। जो घटना है उसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, घटना का सही पता तभी लग सकेगा जबकि सी. बी. आई. से उसकी जांच होगी क्योंकि जितने भी वहां पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं वह एक ही तरह से चल रहे हैं। इसमें अगर वास्तव में हत्या हुई है तो इसकी न्यायिक जांच होनी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह तो सभी कबूल करते हैं यदि वास्तव में ऐसा हुआ है। आपका वास्तव में हुआ क्या है? आपके मत में आपको कुछ ध्यान हो।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आपकी राय क्या है?

श्री पृथ्वीसिंह : वास्तव में मरा तो थाने में ही है और कैसे मरा है जहर खाया है या कैसे मरा है यह तो सी. बी. आई. से जांच के बाद ही पता लगेगा। पुलिस की हिरासत में मरा है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यह क्लियर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मन्त्रीजी ने बताया 19-11-80 को 110 के अन्दर उसको बाउण्ड करने के लिए सब-इन्सपेक्टर ने पहले विचार कर लिया था इसलिए उसको गिरफ्तार किया और 161 के बयान जब हो गये सी. आर. पी. सी. में तब तक सब-इन्सपेक्टर कन्विन्स नहीं था क्योंकि मुसम्मात बुरी है और डेफीनेटली उसका नाम है या नहीं क्योंकि 19-11-80 को रिपोर्ट दर्ज हुई और दर्ज होने की वजह से उसको गिरफ्तार किया कि वह झगड़ालू है। झगड़ालू है तो क्या रात को मारपीट हुई? उसने मिन्नतें की कि मेरा नाम मत लिखाओ। मिन्नत का मतलब झगड़ा थोड़े ही होता है। न मारपीट की और न झगड़ा किया। अगर यह हैबीचुअल आफेन्डर था तो उसको गिरफ्तार उस समय कर लेना चाहिए था और मुसम्मात भंवरी के बयान 161 में होने के बाद पुलिस को यह यकीन नहीं हुआ कि यह चोरी के अन्दर मुल्जिम है या नहीं है, 110 में गिरफ्तार किया आपने बहुत अच्छा जवाब दिया गृह मंत्री जी। आप बैठ जाइये पहले खड़े नहीं हो सकते। बड़े जल्दी जल्दी खड़े हो रहे हैं। बड़े ताव में भी आ रहे हैं। स्पाट पाइन्ट थोड़े ही करना है। थोड़ा सुनकर जवाब दीजिये। प्रश्न यह है कि पुलिस बराबर फैबरी-केटेड केस बनाती है। इस तरह झूठे लोगों को, फैबरीकेट करके, रिकार्ड को

(श्री परसराम मदेरणा)

बदल कर कि इस तरह से आकड़ा पी लिया। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ ? उस पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की फाइन्डिंग्स क्या हैं ? इस संदर्भ के अन्दर कोई मारपीट नहीं की। चोरी हुई है भंवरी ने इतना ही नाम लिया है। आप ठीक कर लें अपने स्टेटमेंट को उसके बाद निर्णय लें। जो 161 में बयान दिये इसका नामजद किया। एफ. आई. आर. में नामजद नहीं था। इसलिए कोई झगड़ा नहीं किया। इसके बाद दर्ज किया है और उसमें अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उसको बुलाया और वह जा रहा था उसने सोचा कि मेरी इज्जत खराब हो गई आकड़ा पी लिया जब रोज लड़ाई झगड़ा करता था तो थाने में जाने से कौन सी इज्जत खराब हो गई, कौन सी इज्जत समझ रहे थे ? यह जो कन्विंसिंग की बात है मामला बड़ा टेढ़ा है आप इसकी जांच कीजिए। यह जो आप कन्विन्स हो गये हैं। पहले केस रजिस्टर था आपको कन्विन्स करने में मैं समझता हूं पुलिस ने इसके रिकार्ड में हेरा फेरी की है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि धन्ना को जिस वक्त अरेस्ट किया गया धन्ना की अस्वस्थता के चिन्ह अंकित हैं–एक बात ? दूसरी, अस्वस्थता दर्ज की गई है तो एफ. आई. आर. के किस हिस्से में दर्ज की गई है ? जब केस दर्ज किया गया अस्वस्थता का चिन्ह पहले दर्ज किया गया या बाद में दर्ज किया गया ? तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकस्टरनल इन्जरी क्या दर्ज की गई ?

(2.23 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

श्री भैरू लाल (मनोहरथाना) : सभापति महोदय, मैं इस घटना के तुरन्त बाद वहां पहुंच गया था। इसलिए पूरी जानकारी मुझे भी है।

श्री सभापति : ऐसा है, मन्त्री महोदय को एक एक प्रश्न का जवाब देने दीजिये इस प्रश्न के संदर्भ में जवाब दे सकें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है...

श्री भैरू लाल : सभापति महोदय, अकलेरा में जब भीड़ को देखा तो इस घटना के तुरन्त बाद भीड़ का पुलिस के ऊपर आक्रोश था। यह भी सही है कि धन्ना को पुलिस ने उस शाम को मारपीट की और यह भी सही है कि जिस वक्त मारपीट कर रही थी वहां दो गवाह मौजूद थे और उन गवाहों के हमने बयान लिये वह टेप हैं और वह टेप इन्द्रलाल जी, जो महामंत्री हैं कांग्रेस आई के उनके पास हैं। वह टेप मौजूद हैं हमारे सामने बयान लिया था।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा था।

श्री सभापति : ऐसा है, मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिये ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ..

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ...

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न है।

श्री सभापति : आप बाद में प्रश्न कर लीजिये मैं आपको मौका दूंगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप बैठ जाइये। मंत्री महोदय का जवाब आने दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है...

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन।

(व्यवधान)

आप कार्यवाही में बाधा मत डालें। आप बैठ जायं। आप भी बैठ जायं। मैं एक-एक को मौका दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसमें मुख्य गवाह बाबू भाई हैं? बाबू भाई का कहना यह है कि जब मुल्जिम को पकड़ा जाता है तो आप भी जानते हैं थाने में ले जाने के बाद उसकी जामा तलाशी ली जाती है। जामा तलाशी में उसके पास क्या क्या मिला यह रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। मेरा यह मत है यह आकड़े थे कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। और मेरा यह मत है आकड़े का दूध पीने से मूर्छा हो सकती है, मर नहीं सकता। अगर 5 तोले से अधिक...

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिंक आक्साइड दिया है...

श्री दाऊदयाल जोशी : वही निवेदन कर रहा हूं। आकड़े का दूध तोले भर नहीं एक छटांक भर लेते हैं, एक छटांक से आदमी मरता नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : चूहे मारने की दवा भी खा सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : चूहे मारने की दवा की भी पुड़िया होगी। जामा तलाशी में वह शीशी निकली होगी। बाबू भाई गवाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धन्ना मीणा के पास जामा तलाशी में केवल बीड़ी जलाने की एक माचिस जब्त की जो पुलिस थाने में दर्ज है। दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि धन्ना के भाई ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना की है कि पुलिस ने उसके नाम पर यह लिखा है कि उसका भाई बदचलन था। यह सरासर गलत है मैंने कोई प्रार्थना-पत्र इस तरह का नहीं दिया।

श्री सभापति : विषय से अलग मत होइये। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं?

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या यह सही है कि पुलिस ने धन्ना की जामा तलाशी ले ली थी? क्या यह भी सही है कि धन्ना के भाई ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक शपथ-पत्र दिया है कि उसने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया कि उसका भाई बदचलन है? यह दोनों बातें हैं।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

एक माननीय सदस्य : झालावाड़ के विधायकों को बोलने दीजिये।

श्री सभापति : आप सारी सिचुएशन को कम्पलेक्स मत कीजिये। क्वेश्चन जिस सन्दर्भ में पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार वैसे ही आने दीजिये। इनका कोई फायदा नहीं है। आॅफ मल्टीफलासिटी आफ क्वेश्चन्स के

(श्री सभापति)
अन्दर कोई जवाब आपके पास सन्तोषजनक नहीं आयेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री महोदय बता रहे थे····

एक माननीय सदस्य : एक तो उनको गिरफ्तार किया था नहीं दूसरा···

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (उग) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय बता रहे थे कि वह जहर खा कर मर गया। जब उसी क्षेत्र के उसी क्षेत्र से लगे हुये रानीपुरा के माननीय सदस्य, मनोहर थाना के विधायक हैं उनका जो गांव है धन्ना का जो गांव है आस पास लगा हुआ है उन्होंने बताया है कि उनको पीटा गया पुलिस के द्वारा और उसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं वह तो कांग्रेस आई के हैं। वे तो झूठ नहीं बोल रहे। इसलिये उसकी न्यायिक जांच की जाय।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने दिया जाय। आपने कहा था आपको समय दूंगा।

श्री सभापति : उत्तर दो आने दीजिये। सवाल पर सवाल आ रहे हैं। कुछ उत्तर तो देने दीजिये उनको।

श्री सी.एल. कंवरिया : मेरा प्रश्न अलग है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो प्रासिक्यूशन स्टोरी बयान की है वह नेचरल मालूम नहीं होती। एक तरफ तो प्रासिक्यूशन स्टोरी के मुताबिक उस व्यक्ति को हैबीचुअल आफेन्डर माना है दूसरी तरफ उसने समाज के सामने शर्मिन्दा होने के नाते जहर खा लिया। एक हैबीचुअल आफेन्डर हो जाता है तो वह कभी इस प्रकार से नहीं सोचता है। आप ने यह भी कहा है कि उसके खिलाफ एक दफा अटेम्पट टू रेप की रिपोर्ट दर्ज हुई है। दूसरी दफा चोरी करने की दर्ज हुई व 110 जा. फौ. की रिपोर्ट हुई है। एक दफा चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज हुई, एक दफा 110 की रिपोर्ट दर्ज हुई। मैं पूछना चाहता हूं क्या कभी चालान पेश हुआ था क्या कभी कनविक्शन हुआ? इस बात का उत्तर मंत्री महोदय से चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि इस विषय में जो वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय ने दिया है उससे सम्बन्धित उसकी मौत क्यों हुई, जो क्वेश्चन पूछे गये हैं, उसके लिये मंत्री महोदय जवाब दें।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, गाड़ी खराब हो जाने के कारण हम चार विधायक ऐसे हैं जो उस समय अकलेरा पहुंच गये थे। सभापति महोदय, दो तारीख को भोपाल से जयपुर आते समय चार विधायक–राम नारायण जी, चुन्नी लाल जी, सोहन लाल जी एण्ड माइ सैल्फ.

(व्यवधान)

जैसे ही वहां की जनता को मालूम हुआ कि कुछ विधायक यहां मौजूद हैं तो उन्होंने

(सुश्री पुष्पा जैन)
आधे घंटे का समय चाहा कि हम लोग वहां रुकें वे कुछ कहना चाहते हैं। लिहाजा हम रुके और थोड़ी देर में ही बहुत सारे आदमी वहां एकत्रित हो गये। उन लोगों ने जो बताया मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है और मजबूरन कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो तथ्य रखे हैं वे बुनियादी हैं, गलत हैं और झूठे हैं। सिर्फ पुलिस के कहने के आधार पर रखे हैं। उन्होंने यह कहा कि मैंने सन्तुष्टी कर ली तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं क्या वे मौके पर गये थे ? क्या उन्होंने किसी उच्च अधिकारी को भेजा था? कदापि नहीं। क्या किसी बड़े अधिकारी को वहां तैनात किया था ? नहीं किया और न ही किसी उच्च अधिकारी को वहां भेजा। फिर किस आधार पर कहते हैं कि मैंने सन्तुष्टी कर ली है ? सभापति महोदय, फैक्ट्स यह हैं कि धन्ना को पुलिस ने चोरी के इल्जाम में बुलाया और बुला कर उसकी पिटाई की गई जिसके फलस्वरूप वह मर गया। दूसरे दिन मरी हुई लाश को अदालत में पेश किया गया जिससे जनता ने आक्रोश प्रकट किया उन पर डण्डे बरसाये गये फलस्वरूप हम गवाह हुए और जनता को समझा कर वहां से भेज दिया। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने किसी प्रकार का खेद प्रकट नहीं किया। हम लोगों ने उनसे कहा कि आपने अपनी बात यहां के विधायक से कही या नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमने सारी बात कह दी और वे प्रयास करेंगे लेकिन आप हमारी मदद करें। पुलिस तो ज्यादती कर रही है उससे छुटकारा दिलायें। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने कहा है रिपोर्ट दर्ज की वह व्यक्ति भी मीणा, और जो पुलिस अधिकारी था वह भी मीणा, जो अक्यूज्ड था वह भी मीणा-फिर आत्म हत्या का मामला कैसे हो गया ? एक तरफ तो मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि वह अर्से से चरित्रहीन था, अर्से से इल्जामों में फंसा हुआ था तो मैं पूछना चाहती हूं ऐसे गिरे हुए चरित्रहीन व्यक्ति के लिये क्या आप मान सकते हैं कि वह आत्म हत्या कर लेगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छी वकील हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि पुलिस अधिकारी मीणा, रिपोर्ट दर्ज कराने वाला मीणा और जो अक्यूज्ड था वह भी मीणा तो क्या मीणे ने मीणे की पिटाई कर दी और फलस्वरूप वह मर गया। आपने केवल पुलिस के कहने से मान लिया, मैं समझती हूं यह आपकी समझ में भी नहीं आया लेकिन पुलिस के कहने से मान लिया। इसकी जांच करवाइये, मुझे इसमें आत्महत्या करने जैसा कारण कोई नजर नहीं आता है और इसलिये भी नजर नहीं आता कि जिस तरह का चरित्र आपने बयान किया है...

श्री सभापति संक्षेप में भाषण दें।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मंत्री महोदय की स्वयं की बात को मानते हुए किस तरह माना जा सकता है कि जो चरित्रहीन था, जो अर्से से कई इल्जामों में फंसा हुआ था, जो गिरा हुआ था, और वह भी आज से नहीं अर्से से, ऐसा व्यक्ति तो कभी पुलिस में जाने से शर्म नहीं करेगा। लिहाजा, वह क्यों

Page No 73

(73)

(सुश्री पुष्पा जैन)

आत्म हत्या करेगा ? मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि सारे के सारे केस की दोबारा सी. बी. आई. से जांच कराई जाय। यह कोई राजनैतिक सवाल नहीं है यह मानवीय सवाल है। इन दी इन्ट्रस्ट आफ जस्टिस यह जरूरी हो गया है सारे तथ्यों की दोबारा से जानकारी की जाय और अगर वहां पर कोई अधिकारी सक्षम नहीं है तो जयपुर से किसी अधिकारी को भेजा जाय ताकि जनता को राहत मिले और यह सदन संतुष्ट हो जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं तीन बातें जानना चाहता हूं एक तो यह कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में इनजरीज लिखी हुई हैं तो वह कितनी हैं और किस प्रकार की हैं ? किस प्रकार के वैपन की इनजरी है, सीरियस इनजरी है या सिम्पल इनजरी है–एक तो यह बात बता दीजिये ? मैं समझता हूं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आपके पास है, आप उसे पढ़ कर सुना दीजिये। दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने आरोप लगाया, कहा कि आकड़े का दूध पी लिया और चूहे के मारने की दवा खाली उससे मौत हुई है। जिस समय वह अपने गांव से रवाना हुए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस समय वह गांव से चला था तो क्या वह अकेला था या कोई दूसरा आदमी उसके साथ था और उसने रिपोर्ट कब की कि इसने आकड़े का दूध पी लिया या चूहे मारने की दवा खाली? और फिर जिस आदमी ने कही, उसको जानकारी कैसे हुई कि आकड़े का दूध पी लिया या चूहे मारने की दवा खाली ? तीसरा, मैं जानना चाहता हूँ इसके भाई ने न्यायालय में जाकर यह स्टेटमेंट दिया कि मेरे नाम से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वह सही नहीं है वह कभी मैंने कभी मेरे भाई के लिये नहीं कहा कि उसने इस प्रकार आकड़े का दूध पी लिया और आत्महत्या का प्रयास किया या चूहे मारने की दवा खा ली ? सभापति महोदय, इन तीन प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह कन्विन्स नहीं कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि आप स्वयं भी कन्विन्स नहीं हैं इसलिये यह हत्या नहीं जिस प्रकार आप कह रहे हैं वैसी नहीं है, उस आधार पर यह मरा इसकी हत्या की गई है।

(2.37 म. प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये जो मांग की गई है उसमें यही उचित होगा कि जिस प्रकार की स्थिति में मांग की गई है आप न्यायिक जांच करवा लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अन्दर सिर्फ कान के ऊपर एक हल्की सी खरोंच आना बताया गया है और वह इनजरी

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब पुलिस झूंठी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, असली रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है

(व्यवधान)

Page No 74

(74)

(एक माननीय सदस्य)

केमिकल एग्जामिनर के पास भेजी गई है।

कई माननीय सदस्य : झूठी रिपोर्ट है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब डाक्टर भी झूठा है, मजिस्ट्रेट भी झूठा है, रिपोर्ट भी झूठी है, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

इसका तो कोई अर्थ नहीं है। मैं, अब दूसरी बात जो विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने पूछी है यह बात सबसे पहले अस्पताल के चपरासी ने

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : काज आफ डेथ तो बताये क्या लिखा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : Report says that no definite opinion can be given regarding the cause of death as the Visara has been kept for examination by the chemical examiner.

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि सबसे पहले जिस बात की जानकारी मिली वह अस्पताल के एक चपरासी ने दी, जिसने भर्ती कराया कि ऐसा-ऐसा बताया है--उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 176 की इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा करा दी गई लेकिन फिर भी दोनों तरफ के माननीय सदस्य कहते हैं विरोधी दल के नेता महोदय कहते हैं, तो मैं इसका ट्रांसफर करके दूसरे मजिस्ट्रेट को मुकर्रर कर देता हूं और माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सी. आई. डी. क्राइम में ट्रान्सफर कर देता हूं।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से पुलिस का पर्दा उस दिन खुला जब सारे एम एल.ए. 22 घण्टे वहां ठहरे। आप भले ही सफाई पेश करें लेकिन पुलिस ने कटिबद्ध होकर हत्या की है।

श्री अध्यक्ष : पेट में लात मारे कोई ?

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, पेट में लात मारते तो लीवर स्पलीन या आंत फट जानी चाहिए थी और इस तरह की स्पष्ट इन्जरीज दिखाई देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष: एक्सटर्नल इन्जरीज आना जरूरी नहीं है।

श्री हरिसिंह : एक्सटर्नल इन्जरीज न हो, पिटाई से कोई आदमी की डैथ हो, तो पोस्टमार्टम सबसे ज्यादा इम्पार्टेन्ट होता है उस स्थिति में इन्टरनल इनजरी होती, अगर घूंसा मारा भी गया हो तो कोई सिर्फ घूंसे से मर नहीं सकता। तो अगर पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में कोई इनजरी नहीं है, और अगर पिटाई से नहीं मरा है तो पुलिस कस्टडी में पुलिस की गलती नहीं हो सकती, पुलिस जहर दे सकती है, I can not say जहां तक जहर का सवाल है, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब तक नहीं आयेगी, दूसरे कोई इफेक्ट जो जहर के होते हैं, उसकी एविडेन्स नहीं आये तब तक Cause of death can not be established. यह पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जहां तक मेरा अंदाज है, यह साबित करती है कि पुलिस की मार पिटाई से यह मौत नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक पक्ष मैं रखना चाहता हूं। जो रखना चाहता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
हूं मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की जिक्र का, वहां के लोग मांग कर रहे थे कि इन बॉडी का पोस्ट मार्टम झालावाड़ के अस्पताल में कराया जाय। वहां के लोगों ने फोन किया, कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब ने आने से मना कर दिया। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद जब गोली चल गई, फायर हो गया, ने हवाई, सब वहां के डीवाई. एस. पी. फोन किया, कलेक्टर को, कलेक्टर साहब ने एस. पी. साहब से झालावाड़ चलकर, जो अकलेरा आ रहे थे....

श्री अध्यक्ष: ये मौत वाला मामला गौण हो गया....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए कहता हूं कि पोस्ट मार्टम कैसे हुआ ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : झालावाड़ में किया है, फुलेरा में नहीं किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: वही कह रहा हूं मैं, सी. एम. एच. ओ. के साथ एक डाक्टर, जो कहीं से दौरे से लौटकर झालावाड़ आ रहा था, ये दोनों झालावाड़ से जा रहे थे फुलेरा। बीच रास्ते में, दोनों डाक्टर सी. एम. एच. ओ. मिले तो उनको अपने बीच में साथ बैठाकर ले गये और कलेक्टर और एस. पी. इनके साथ थे। उनके द्वारा इस प्रकार का पोस्ट मार्टम कराया गया है क्योंकि मन में इनकी बात से संतोष पैदा करता है, मुझे कुछ कहना नहीं है किंतु ये सब बातें, ये सब प्रकार के फैक्ट सिद्ध करते हैं कि न्यायिक जांच ही इस का एकमात्र तरीका है। वहां के एस. डी. एम. का, जब इस अपराध में फंसे हैं, अविलम्ब स्थानान्तरण करें। वहां के जो एस. एच. ओ. आफिसर हैं और पुलिस वाले हैं, उनका तुरन्त करें। निलम्बन इसके सिवा वहां के लोगों को राहत नहीं मिल सकती, जब तक इसकी जांच नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा लम्बा नहीं करें। मन्त्री महोदय एक मिनट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना नहीं।

श्री मेघराज तावड़ : मन्त्री महोदय ने जो झूठी बयानी की है और इसकी न्यायिक जांच करायी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे। चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। एक घण्टे से ज्यादा समय हो गया है। मन्त्री जी का वक्तव्य। चिकित्सा मन्त्री जी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मोती लाल कालेज, झुंझुनू में छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय बता रहे हैं कि झालावाड़ में पोस्ट मार्टम हुआ जबकि यह पोस्टमार्टम फुलेरा में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आसन ने आप लोगों को पर्याप्त समय दे दिया। सरकार ने उत्तर दे दिया। उसके बाद में..

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नेता महोदय, आप इनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। ग्रार्डर, कृपया बैठ जायें। यह बात एक घण्टे से, सवा घण्टे से चल रही है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। ग्रार्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इस डिप्टी एस. पी. के खिलाफ···

श्री अध्यक्ष : ये सभी तथ्य सदन के सामने रखे जा चुके हैं, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर लोग बैठे हैं, Dy.S.P. बैठे हैं जजमेन्ट क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें। आप बैठ जायें कृपया। मेरी सहानुभूति आपके साथ है, मैं जितना कर सकता था, उतना कर दिया। बैठ जायें।

चिकित्सा मन्त्री जी, वक्तव्य देंगे। कृपया शान्ति रखें। ग्रार्डर प्लीज।

मोतीलाल कालेज, झुन्झुनू के एक छात्र की अपेन्डिक्स के ग्रापरेशन से मृत्यु

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मोतीलाल कालेज, झुन्झुनू के छात्र स्वर्गीय श्री दुली चन्द की मृत्यु के सम्बन्ध में ये स्थगन प्रस्ताव है तो इस प्रकार इसके तथ्य हैं:-

दिनांक 18-1-81 को एक नवयुवक स्व. श्री दुलीचन्द की डा. एच. के. गुप्ता, एम. डी. (फिजीशियन) ने चिकित्सा जांच की और यह निर्णय लिया कि दुलीचन्द को एक्यूट अपेन्डीसाइटिस है। अतः अपना परामर्श दिया कि वह शल्य चिकित्सक डा. के. एल. गुप्ता को दिखाये। डा. के. एल. गुप्ता ने रोगी स्व. श्री दुलीचन्द को उनके निवास पर रविवार सायं को उनकी जांच की व अस्पताल में भर्ती होने की राय दी ताकि उनकी पूर्ण जांच व उपचार हो सके। अस्पताल में उनकी पूर्णतया चिकित्सा परीक्षण किया गया एवं उनके रक्त एवं पेशाब आदि की जांच की गयी। डा. के. एल. गुप्ता तीन दिवस के लिए झुंझुनू से आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाने वाले थे अतः उन्होंने रोगी की इस विषय में अनुमति ली कि वह श्री दुलीचन्द के ग्रापरेशन के बाद तीन दिवस तक देखभाल नहीं कर पायेंगे फिर

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

श्री श्री दुलीचन्द अपना आपरेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि आपरेशन आवश्यक है। दिनांक 19-1-81 को श्री दुलीचन्द का डा. के. एल. गुप्ता, डा. भोमिया ने जो स्पाइनल एनेस्थेसिया में अपेन्डिक्स का आपरेशन किया। दिनांक 20-1-81 को इनके छाती और फोड़े का एक्सरे किया गया जिसमें रोगी को प्लूरल इफ्यूजन पाया गया, दायें भाग में। श्री दुलीचन्द क्षय रोग के पुराने मरीज थे। श्री दुलीचन्द का अन्य बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद भी आपरेशन आवश्यक था। श्री दुलीचन्द की स्थिति गंभीर होने से एवं इनकी देख-रेख करने वाले डाक्टरों की राय से इन्हें डा. भोमिया एवं एक कम्पाउन्डर की देखरेख में दिनांक 21-1-81 को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती कराया गया। स्व. श्री दुलीचन्द को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के वार्ड 2 एफ वार्ड में डा. नरेश भू की यूनिट में भर्ती कराया गया। डा. नरेश भू के यूनिट में दो वरिष्ठ डाक्टर डा. एस. एस. हल्दिया एवं डा. एस. सी. माथुर हैं, डा. नरेश भू की यूनिट में सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में इनका यथासंभव उपचार किया गया। तमाम आवश्यक उपचारों के बावजूद दिनांक 22-1-81 को 12.45 ए. एम. पर हृदय एवं स्वास क्रिया की गति रुक जाने से व मैनीगो एनकैफेलाइटिस व एक्यूट रेनल फेल्योर के कारण स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु एपेन्डिक्स के आपरेशन के कारण नहीं हुई। जिलाधीश, झुन्झुनू एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू के आग्रह पर डा. डी. डी. निमावत, उप-निदेशक (योजना) को स्वर्गीय श्री दुलीचन्द की मृत्यु के कारणों की जांच कराने हेतु तत्काल निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा भेजा गया। आपरेशन के पश्चात् श्री दुलीचन्द ने 19 तारीख को 6 बजे सायं छाती में दर्द महसूस किया एवं 8-55 सायं उनको उल्टियां शुरू हो गई और उनका रक्तचाप गिर कर 60 एम. एम. रह गया। रोगी की हालत गम्भीर होती गई। रोगी की गम्भीर अवस्था में डा. भोमिया, डा. हुसैन, डा. गुप्ता, डा. भार्गव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू एवं एक प्राइवेट प्रैक्टीशनर डा. जे.सी. जैन, एम. एस. ने काफी प्रयत्न किये परन्तु हालत में सुधार न होने से व सभी डाक्टरों की सम्मति से उनको डा. भोमिया एवं एक कम्पाउन्डर की देख रेख में सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में इलाज हेतु भेजा गया। यहां पर यह बताना उचित होगा कि श्री दुलीचन्द पुराने क्षय रोग से पीड़ित थे एवं अपने अपेन्डिसाइट के अलावा प्लूरल इफ्यूजन से भी पीड़ित थे। इनकी एपेन्डिक्स गम्भीर रूप से रोग ग्रसित थी। हालातों को देखते हुए डा. भोमिया एवं एक कम्पाउन्डर की देखरेख में जब तक श्री दुलीचन्द को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती नहीं करा दिया गया, तब तक रखा गया। झुंझुनू एवं जयपुर में श्री दुलीचन्द को अच्छे से अच्छे सम्भावित उपचार दिए जाने के बावजूद बचाया नहीं जा सका। श्री दुलीचन्द की मृत्यु के लिए किसी चिकित्सक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और न ही श्री दुलीचन्द की मृत्यु किसी प्रकार की चिकित्सा अभाव में हुई।

Page No 78

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो वातावरण हो गया था और जैसा कि स्टूडेन्ट की मृत्यु के प्रति रोष था इसलिए दोनों डाक्टरों, डा. गुप्ता और डाक्टर भोमिया का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उससे भी यह बात साफ जाहिर है कि इट वाज negligence on the part of the Doctor. क्योंकि आपने बताया कि उसकी हालत प्यूरल इफ्यूजन से खराब थी और आपरेशन अपेंडिक्स का किया गया एक तो उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ ? जब यह कण्ट्रोवर्सियल मैटर था उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। इसके अलावा कोई भी आदमी अपेंडिक्स का आपरेशन कराता है तो उसकी बाकी बीमारियों की पहले जांच करनी पड़ती है That is self explanatory. कोई भी आदमी आपरेशन करता है तो उसके पहले लंग्स देखता है, उसकी पल्स देखता है, उसके हार्ट को देखता है और उसके बाद ही आपरेशन करता है। लेकिन जब इन सब चीजों की जांच किए बिना आपरेशन किया तो यह खुद ब खुद जाहिर है कि यह प्योरली नेग्लीजेंस है। अब इसके अलावा यह बात पैदा होती है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया ? क्या आपरेटिव फाइंडिंग्स को, जो हर आपरेशन में एक रुटिन मैटर है, दर्ज किया गया। क्या अपेन्डिक्स का पैथोलोजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया ? ये दोनों बातें कृपया बताइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह एक रेगूलर पेशेंट था। उस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं थी और उसका उपचार करते करते रोगी की डैथ हुई थी तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जब रेगूलर कोर्स में डैथ होती है ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। जिस वक्त डैथ हुई तो देयर वाज नो कण्ट्रोवर्सी एट आल। डैथ के बाद में ये सारी चीजें पैदा होती हैं। यह कन्ट्रोवर्सी पैदा होती है। यह किसी के दिमाग में ही ख्याल नहीं था कि इस प्रकार की कण्ट्रोवर्सी होगी और इसका पोस्टमार्टम कराया जावे। इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। डेड बाडी को परिवार को सौंप दिया गया और उन्होंने वहां ले जाकर अपने रीति रिवाज के अनुसार संस्कार की सारी कार्यवाही की। तो जहां तक पोस्ट मार्टम का सवाल है यह बात तो क्लियर हो गई।

दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपरेशन से पहले सारी चीजों की जांच होनी चाहिए थी। उसकी सारी जांच की गई है और आपरेशन का जो चार्ट बनाया गया था उसके अन्दर यह था। पहले सब चीजों की जांच की गई ब्लड की, यूरीन की, सारी चीजों की जांच की गई थी और जांच रिपोर्ट में भी इस को शामिल किया गया है। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि उन डाक्टरों का स्थानान्तरण कर दिया गया है तो जो आक्रोश और रोष था वह समाप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि. . . . .

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : पहले तो आपने यह बताया कि···

श्री अध्यक्ष : आप तो टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं और यहां सब ले मैन हैं ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : लेकिन इसमें नेग्लीजेंस साबित हो रही है। दूसरी बीमारी से आर्डनरी कोर्स में अगर कोई आदमी मर जाय तो फिर अपेंडिक्स तो अलग से बीमारी हुई ।

यह बीमारी का अलग से ट्रीटमेंट था और अगर यह बीमारी उसकी अनसरटेन थी तो उन्हीं कारणों से क्योंकि वह आदमी आपरेट किया गया।

It shows that primarily medical problem थी और Second appendicitis थी and he has been wrongly treated.

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीज नहीं थी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह पैथोलोजिकल रिपोर्ट, जो सारी चीजें ली जाती हैं उनकी जांच रिपोर्ट आने पर ही आपरेशन किया जाता है । मैं जानना चाहूंगी कि अगर ऐसी स्थिति नहीं थी तो आपरेशन क्यों किया गया और अगर ऐसी स्थिति थी तब फिर बाद में पूरी देखभाल क्यों नहीं की गई ? उनसे सम्बन्धित केसेज की भी देखभाल की जानी चाहिए थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री लच्छूराम जी, आपको कुछ नहीं कहना है ?

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : मेरे को तो कहना ही है ।

श्री अध्यक्ष : तो आप फर्माइये ।

श्री लच्छूराम : यहां तो टेक्निकल बातें हो रही हैं । मैं तो जो सही तथ्य हैं वह बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप तथ्य बताइये ।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने बताया कि इसमें चिकित्सकों की किसी प्रकार की, डाक्टरों की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी । दुलीचन्द विद्यार्थी मोतीलाल कालेज का बी. ए. का स्टूडेंट था और वह कांग्रेस आई का सदस्य था।··

श्री दीपेन्द्रसिंह : इसका सबूत है क्या ?

श्री लच्छूराम : तो दुलीचन्द विद्यार्थी की 18 तारीख से पहले, बराबर 1 तारीख से लेकर 18 तक कालेज की हाजरियां हैं । वह लगातार कालेज अटेण्ड किया करता था सब पीरियडों को। अगर वह इस प्रकार का, जैसा आप कह रहे हैं, मरीज होता तो झुंझुनू के अन्दर बोर्डिंग हाउस में या किसी मकान में रहने का प्रश्न पैदा नहीं होता । जिस प्रकार माननीय होम मिनिस्टर ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पुलिस को बचाने की कोशिश की, उसी प्रकार से आप मेडिकल डिपार्टमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं । दुलीचन्द कोई टी. बी. पेशेंट नहीं था । घटना इस प्रकार से हुई कि दुलीचन्द विद्यार्थी को 18 तारीख

Page No 80

(श्री लच्छूराम)
को अचानक उसके दर्द हो जाने से एन. के. गुप्ता के पास ले गए। उन्होंने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है। के. एल. गुप्ता के घर गये तो के. एल. गुप्ता ने पचास रुपये फीस के लिए घर पर देखने की फीस के...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें माननीय सदस्य। आपस में चर्चा नहीं करें। आर्डर ! आर्डर !

श्री लच्छूराम : मैं तथ्य बता रहा हूं। मैं टेक्निकल बात नहीं बता रहा हूं। I am not a Doctor। डा. के. एल. गुप्ता ने उनसे पचास रुपये ले करके कहा कि हॉस्पिटल में चलो। माननीय मंत्री महोदय को मैं अध्यक्ष महोदय, के मार्फत यह बता देना चाहता हूं कि झुंझुनूं का के डी. हास्पिटल, खेतान हास्पिटल बूचड़खाना है। मरीजों को आपरेशन थियेटर में ले जाकर के उसके बाद में खून का नाम लेते हैं। खून का नाम लेते ही देहाती तो वैसे ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आप किसी न किसी तरह से इन्तजाम करो, उनसे खून के नाम से पैसा लेते हैं। मैं यह प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूं या बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप इसकी जांच करवाइये, पूरे जिले को बहुत बड़ी परेशानी है। लोग दुलीचन्द को हॉस्पिटल ले गए। के. एल. गुप्ता ने आपरेशन कर दिया। आपरेशन के तुरन्त बाद तीन घण्टे के बाद वह दिल्ली चले गए। उनको पता था कि काम गलत हो गया। लापरवाही से उन्होंने किया और किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन, कोई एक्स रे, सही जांच नहीं की गई। प्रॉपर तरीके से पूरी जांच करने के बाद आपरेशन किया जाना चाहिए था। वे दिल्ली भाग गए और पीछे से सी. एम. एच ओ. ने दूसरे दिन, उनकी हालत खराब हो जाने के बाद, कहा कि यह तो गलत आपरेशन हो गया। इसको अपेंडिसाइटिस थी ही नहीं। तो ले-मैन को क्या पता लगे कि क्या आपरेशन है। इस बीच में ऐसी स्थिति हो जाने से डाक्टर भोमिया और एक कम्पाउण्डर को जयपुर भेजा। यह बात सही है और उन्हें, सी एम. एच. ओ. ने यह हिदायत दी कि आप इस मरीज को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इसकी हालत नार्मल नहीं हो जावे। लेकिन डाक्टर भोमिया इमर्जेंसी वार्ड में उसको छोड़ करके उनकी लड़की की 9 फरवरी की शादी थी, वे मार्केटिंग करने के लिए बाजार में आ गए। उन्होंने किसी प्रकार की कोई गाइडेन्स नहीं दी, एक बात। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह नेग्लीजेन्स का मैटर है। यहां उनके पैरेन्ट मेरे पास आए। मैंने कहा कि चलो पता लगायें तो पता लगा कि वह मर चुके हैं। वह लाश को लेकर रुटिन कोर्स में चले गए। वहां जा कर के सारे तथ्यों की लोगों को जानकारी मिली तो सारे विद्यार्थियों ने शांत प्रदर्शन किया। इसके ऊपर कलेक्टर महोदय ने आपके डिपार्टमेंट को लिखा कि डिप्टी डायरेक्टर वहां जाकर के लड़कों से बातचीत कर रहे थे और शांत थे। करीब डेढ़ सौ लड़के थे जिनमें हायर सैकण्डरी के लड़के ज्यादा थे। छात्रों और डिप्टी डायरेक्टर में बातचीत हो रही थी इतने में ही बैठे हुए

(श्री लच्छूराम)

छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करीब 150 छात्र थे, जो हायर सैकण्डरी स्कूल पास पढ़ती है वहां पर उन छात्रों की पिटाई की गई। उसके मुकाबले में 21 जनवरी को झुंझुनू शहर को बन्द किया। करीव 15 हजार विद्यार्थियों का यह काम करना पालिटिकली नहीं है, इसमें किसी प्रकार का राजनैतिक रंग नहीं है। सारे विद्यार्थियों ने 15 तारीख को झुंझुनू बन्द किया। 15 हजार छात्र इकट्ठे हुए। कलेक्टर से कहा कि इस मामले को सुलझायें। उनकी मांग थी कि डा. के. एल. गुप्ता को न्यायिक जांच करवायी जाय। लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाये, यह दो मुख्य मांगें थीं। लेकिन इसके विपरीत यहां जयपुर की राजधानी में जो कांग्रेस के मालिक हैं रामनारायण चौधरी, उन्होंने कलेक्टर को फोन किया कि इस प्रकार की बकवास को बन्द करो और दो चार छात्रों को पकड़ कर बन्द करके इसको दबा दो। मेरे कहने का मतलब है कि राज्य सरकार को सही जानकारी झुंझुनू कलेक्टर ने नहीं दी। 21 तारीख की यही डिमाण्ड थी।

श्री अध्यक्ष : अब आप चाहते क्या हैं। इस चर्चा से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है।

श्री लच्छूराम : यही बता रहा हूं उन्होंने फिर आह्वान किया। उन्होंने मांग की कि अगर डाक्टर की न्यायिक जांच नहीं की गई, दुलीचन्द के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया तो इसके परिणाम बुरे होंगे। लेकिन प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी। 7 तारीख को प्रदर्शन किया और 13 तारीख को जिला बन्द किया। सब कामकाज ठप्प कर दिया। इसके ऊपर पुलिस ने करीब 80 छात्रों को और गांव के ऐसे लोगों को जो मरीजों को रोटी देने गये थे उनको पकड़ लिया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : 9 छात्रों को नवलगढ़ में झूंठे केस लगाकर, कि इन्होंने रेलवे की सम्पत्ति को नुकसान किया, पकड़ लिया। वह सेंट्रल जेल में हैं। छात्रों की मांग है कि बिना शर्त इन 9 छात्रों को रिहा करें और डॉ. के. एल. गुप्ता की न्यायिक जांच करायी जाय, लाठीचार्ज की जांच करायी जाय, दुलीचन्द के परिवार को मुआवजा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : बीमारी शुरू होने से इलाज तक की बात की। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो तथ्य बताये वही मैंने निवेदन किये। उसमें कोई अन्तर नहीं है। जो आपने बताया कि पहले डाक्टर ने जांच की, फिर सर्जन ने जांच की उन्होंने आपरेशन की राय दी, उसमें कोई फर्क नहीं है। मूल बात आपकी थी नेग्ली-जेंसी वाली। डाक्टर की राय थी कि एक्यूट अपेण्डिसाइटिस है। उसका अगर आपरेशन नहीं किया जाता तो उसकी डेथ हो जाती। वह तो इमर्जेंसी आपरेशन किया गया था।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बाद में छाती में पेन हुआ। एक्स-रे कराया गया। उस एक्स-रेज में मालूम हुआ कि दूसरी डिजेज भी हैं। ब्लड प्रेशर गिरने लगा तो तत्काल, भुंभुनू में साधन नहीं थे, वहां डाक्टर के पास इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था कि जयपुर ट्रांसफर कर दें। उसका ट्रांसफर किया। यह कहना मैं भी समझता हूं ठीक नहीं है कि वह डाक्टर भोमिया चले गये। डाक्टर भोमिया ने इमर्जेंसी वार्ड में दिखाया। यह सर्जिकल केस नहीं रहा।

जो आपरेशन हुआ वह बिलकुल ठीक था, अगर आपरेशन में गड़बड़ होती तो फिर सर्जन देखता। फिजीशियन का केस है, मेडिकल का केस है। डाक्टर नरेश के वार्ड में उसे वहां पर दूसरे असिस्टेंट ने देखा। दुर्भाग्यवश यह ठीक है, जितना उपचार कुछ वह कर सकते थे कोशिश की, बचा नहीं सके, यह बात दूसरी है।

एक माननीय सदस्य : ट्रांसफर क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा : ट्रांसफर तो मैंने कहा वहां के आक्रोश को देखते हुए, जन-भावनाओं को देखते हुए शान्त करने के लिये किया। नहीं तो झगड़ा होता।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्या श्रीमती चूंडावत जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : समर्थन करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यदि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को गम्भीरता से पढ़ा जाय तो एक बात निश्चित रूप से सामने आयेगी कि इस अभिभाषण में कोई नयी बात नहीं है। इस अभिभाषण में किसी प्रकार का दिशा-निर्देशन नहीं है। कुछ विभागों के सम्बन्ध में आंकड़े दिये हैं। और आंकड़ों के आधार पर यह बताने की चेष्टा की है कि सरकार ने अमुक-अमुक क्षेत्र में इतना इतना रुपया खर्च किया या अमुक क्षेत्र में इस प्रकार की उपलब्धियां रही हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि किसी प्रकार की दिशा का कोई संकेत इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने नहीं दिया उस सारे भाषण को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है। समाचार पत्रों में जिस प्रकार की चर्चायें होती हैं, यह सरकार नान परफार्मिंग गवर्नमेंट है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद केवल चार्ज नान परफार्मेंस का ही नहीं रहेगा, चार्ज यह है कि यह सरकार एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यह बिलकुल सही है, मुख्य मन्त्री भी हैं, यह बिलकुल सही है कि मन्त्रिमण्डल भी है, विधान सभा भी है। यह सब कुछ होने के बाद भी हम ईमानदारी से सोचें क्या यह सरकार एग्जिस्ट करती है ? मन्त्रिमण्डल का गठन सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की औपचारिकताओं को पूरा करता है। लेकिन सरकार का उत्तरदायित्व क्या है, इसका निर्वाह। यदि मन्त्रिमण्डल नहीं करता है तो परिणाम यह निकलता है कि सरकार एग्जिस्ट नहीं करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस सरकार में कोई दिशा निर्देशन नहीं दिया जा सकता है। यह सरकार दिशा निर्देशन दे सकती है अपने कार्यक्रमों के आधार पर दे सकती है। पिछले अभिभाषण को भी हमने पढ़ा उसमें संकेत किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम का, उसमें संकेत दिया गया था 12 सूत्री कार्यक्रम का, उसमें संकेत किया गया था 5 सूत्री कार्यक्रम का, उसमें संकेत किया गया था सत्ता के विकेन्द्रीकरण का, उसमें अन्य प्रकार के संकेत भी किये गये थे। रेफरेंस इसमें भी दिये गये हैं लेकिन दिशा नहीं है। इस अभिभाषण में एक ही नयी बात है और मैं मेरी बात का प्रोमीशन नहीं करता, प्रोमीशन है 5 सूत्री कार्यक्रम को यह सरकार कैसे भूल गयी मुझे पता नहीं।

लेकिन लगता है संजय गांधी की मृत्यु के साथ ही 5 सूत्री कार्यक्रम भूल गई और यह सरकार तो उससे भी आगे बढ़ गई। अध्यक्ष महोदय, एक प्रोमीशन जो उपलब्धियां हैं उसको भी देखें।

इस सरकार के एक मंत्री ने श्रीमती मेनका के विरुद्ध मानहानि का दावा किया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की, जिसका प्रोमीशन है। मैं समझता हूं कि उसका भी कहीं उल्लेख कर दिया जाता तो इस सरकार की बहादुरी का तो पता लगता कि यह सरकार टूटती नहीं है और यह सरकार बदलने में समय नहीं लगाती। आज तक संजय गांधी की जय बोल रही थी, अब संजय गांधी की पत्नी के खिलाफ मानहानि का दावा यह सरकार कर रही है। यह एक बहुत बड़ा प्रोमीशन है। मैं समझता हूं सरकार उत्तर देगी उस समय इसका भी समावेश कर लेगी। लेकिन हुआ क्या, अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल अभी तक जैसा मंत्रिमंडल था हमने देखा है, एक प्रकार का पूरा मंत्रिमंडल है।

अब इस मंत्री मण्डल में कुछ आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगाये गये हैं। आर्टीफिशियल इसलिये कहता हूं कि एक मन का मंत्रिमण्डल नहीं है इसमें अलग अलग ग्रुप हैं, जो मंत्रिमण्डल को तोड़ने का भी प्रयत्न करेंगे और मंत्रिमण्डल को किस प्रकार पुनर्गठित किया-जाय इसका भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार का भी वातावरण बनायेंगे। यह आर्टिफिशियल लिम्ब हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बातें न कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब यह पूरा मंत्रिमण्डल बना समाचार पत्रों में क्या चर्चाएं करता है कि मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में हजारों फाइलें हैं। यह बात सही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ये हजारों फाइलें पड़ी हैं उसका प्रमाण माननीय सदस्य देखना चाहेंगे। तो माइन्स डिपार्टमेन्ट की 332 फाइलें मंगवालें जिनमें लीजेज रिन्युअल होना चाहिये था जो मुख्य मंत्री जी के हस्ताक्षर के बिना नहीं हुआ जिसके कारण रिन्युअल की डेट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बीत गई और कानून के अनुसार these are deemed to have been rejected अब उन सब में अपील होगी। लेकिन ज्यों ही नये माइन्स मिनिस्टर आये, फाइलें खूब पड़ी हुई थीं, तो आज तक राजस्थान के मंत्रिमण्डल में बहुत मंत्री पुराने बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में एक साइक्लोस्टाइल करवाया और उन पर यह लिख दिया गया कि नये माइन्स मिनिस्टर इसको देख लें। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि फाइलों का डिस्पोजल किस प्रकार किया गया ?

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान के विकास के कामों में किस प्रकार की सुस्ती रखी गई है इसका उल्लेख मैं आगे करना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि सरकार एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन प्रधान मंत्री ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि यह सरकार एग्जिस्ट नहीं करती। पहले किसी ठिकाने का जागीरदार काम अच्छा नहीं करता या ठिकाने का जागीरदार नाबालिग होता तो उस समय कोर्ट आफ वार्ड अपाइन्ट किया जाता, तो राजस्थान में भी श्रीमती गांधी ने देख लिया कि सरकार ठीक प्रकार से नहीं चल रही तो उन्होंने काश्मीर के एक पंडित श्री वली को मुख्य सचिव बनाकर बैठा दिया और इस प्रकार राजस्थान में कोर्ट आफ वार्ड स्थापित हुआ यह अब आप नमूना देखना चाहें तो मुख्यमंत्रीजी ने राजेन्द्र जैन को होम कमिश्नर बनाया लेकिन उसके तुरन्त बाद ही कोर्ट आफ वार्ड बैठते ही राजेन्द्र जैन को होम कमिश्नर नहीं बनाया गया।

अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से चार्ज दिया और किस प्रकार से चार्ज लिया, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वली साहब ने जो चार्ज लिया वह यदि ठीक प्रकार से चार्ज लेते तो उनके कहने की प्रतिष्ठा बढ़ती। एक आई. ए. एस. आफिसर को हटाया। वह न तो हाई-कोर्ट में जा सकता था और न सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था लेकिन सायंकाल 7 बजे सचिवालय में जाकर चार्ज एज्यूम करना एक नई घटना है, मैं समझता हूं, मुख्यमन्त्री महोदय, इसको स्वीकार करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति न हो तो सर्विसेज में जो डी-मोरलाइजेशन जनरेट होता है वह नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार किसके भरोसे चलती है सरकार के अधिकांश आफिसर्स में कांफिडेंस नहीं है जिस प्रकार के स्थानान्तरण और नियुक्तियां हो रही हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पहाड़िया जी ने भी अकबर की तरह से अपने यहां नौ रत्न पैदा किये हैं। ये नौ रत्न हैं—एक श्री रामचन्द्र, दूसरे श्री मायाराम, तीसरे आर. के. अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एक हैं राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पाण्डे एक हैं राजेन्द्र जैन, एक हैं रमाकान्त व्यास, तेजकुमार खैरवाल, एक जी. पी. गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, जो लोग परिचित हैं वे अनुमान लगा लेंगे कि ये अधिकारी किस प्रकार के हैं—A man is known by the company he keeps.

इन नवरत्नों के आधार पर सरकार चल रही है वह किस प्रकार की होगी इसका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुमान आप भी लगा लें। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जिन आदमियों की निष्ठा में सन्देह हो, मुझे सन्देह नहीं था, मेरे से पहले मुख्य मन्त्री को सन्देह था। इन व्यक्तियों को उच्च पदों पर लगाकर आप राजस्थान में अच्छा रिजल्ट लेना चाहें, वह नहीं होगा केवल आप आदमी के दायित्व और ईमानदारी को नहीं देखेंगे अन्य आधार मान कर नियुक्ति देंगे तो मैं समझता हूं उसके परिणाम धीरे धीरे आगे गम्भीर होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की लाइफ लाइन क्या है, मैं भी कहता हूं कि सरकार एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? इस सरकार की लाइफ लाइन है इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स यह मैं नहीं कह रहा। यह स्वयं मुख्य मंत्री जी ने जो पिछली बार अपना भाषण दिया था उसमें मुख्य मन्त्रीजी ने स्वीकार किया था कि इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स ये हमारे राजस्थान की मौत और जिन्दगी का सवाल है। यह मौत और जिन्दगी का सवाल मुख्य मन्त्रीजी मानते हैं। यह इन्टर स्टेट डिस्प्यूट हमारी लाइफ लाइन है। इसी प्रकार राजस्थान नहर भी हमारी जीवन रेखा है। इसी प्रकार से राजस्थान का औद्योगीकरण यह हमारी जीवन रेखा है। अन्त्योदय और फूड फार वर्क, यह हमारी जीवन रेखा है लेकिन लगता यह है कि इस सरकार ने हमारी जीवन रेखा को विलोपित करने के काम किये हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स पर पहले भी चर्चा हुई, राजबहादुरजी ने भी चर्चा की और सदन के अन्य माननीय सदस्य भी चिन्तित होंगे। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान के विरुद्ध दिल्ली और दिल्ली के आसपास कोई षड़यन्त्र चल रहा है और इस षड़यन्त्र के आधार पर जो कुछ हमें इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स से मिलने वाला है वह राजस्थान की वर्तमान कमजोर सरकार प्राप्त नहीं कर सकती। राजस्थान को किस प्रकार से अकेला छोड़ा गया। इस प्रकार का षड़यन्त्र राजस्थान के इस हिस्से पर, जो राजस्थान के पानी पर राजस्थान का अधिकार है, पंजाब का अधिकार, हरियाणा का अधिकार, जम्मू काश्मीर का अधिकार, थोड़ा अधिकार दिल्ली का है। हिमाचल का कोई अधिकार नहीं, हिमाचल का अधिकार है तो पंजाब के अधिकार में से है लेकिन आज हिमाचल प्रदेश ने, एक समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा, 44 करोड़ रुपये की रायल्टी की मांग की है। किस बात की? हिमाचल प्रदेश में पानी को हारनेस किया गया, रोका गया तो उसके कारण से हमारे यहां लाभ होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है उसके लिये हमें प्रतिवर्ष 44 करोड़ की रायल्टी दी जाय। अब एक तरफ तो रायल्टी की मांग और दूसरी तरफ एक एक स्कीम के लिये अलग-अलग पार्टनर्स बन गये। आनन्दपुर साहब और मुकेरिया-इन पर पंजाब कहता है हमारा अकेले का अधिकार है न हरियाणा भागीदार हो सकता है न हिमाचल प्रदेश भागीदार, न राजस्थान और जम्मू काश्मीर भागीदार हो सकते हैं। आनन्दपुर, मुकेरियां में अकेला अधिकार है। इसी प्रकार हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी के मामले में तय कर लिया कि नाथपा झाकड़ी में यदि किसी का हिस्सा है तो हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का है और अब यू. पी. को और शामिल किया गया है इस प्रकार लेकिन यह दूसरी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का तरीका करने जा रहे हैं दो स्टेट मिलकर राजस्थान को एक्सक्लूड करती हैं तो दूसरी ओर तीन स्टेट मिलकर राजस्थान को एक्सक्लूड करती जा रही हैं, वह हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, तीनों मिलकर राजस्थान को एक्सक्लूड कर रहे हैं। वहीं बैरासूल जहां पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये तीनों मिलकर राजस्थान को एक्सक्लूड कर रही हैं और चौथा षड्यन्त्र नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, जो भारत सरकार का कारपोरेशन, है इन स्कीमों को ले रहा है। चौथा षड्यन्त्र यह चल रहा है कि जो स्कीमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश नहीं ले सकते उनके लिए मांग की जाती है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन के अन्तर्गत यह काम कराया जावे और कारपोरेशन में कहीं भी राजस्थान का हिस्सा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, इसलिये कह रहा हूं कि इस षड्यन्त्र के लिए, मुख्य मंत्रीजी कह सकते हैं कि दिल्ली जा रहा हूं, भगवान करे वे दिल्ली जायं और जीत कर राजस्थान के हित के लिए कोई न कोई फैसला करावें लेकिन नाथपा झाकड़ी की ओर मुख्य मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन सारे इन्टर स्टेट डिस्प्यूट की लाइफ लाइन है नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी के बारे में यू. पी. के चीफ मिनिस्टर ने विधान सभा में एक वक्तव्य दिया है जिसमें यह बताया गया है कि बिजली किस किस प्रदेश को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से 27 प्रतिशत बिजली हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। 37 प्रतिशत हरियाणा को मिलेगी, 36 प्रतिशत नेशनल कारपोरेशन को मिलेगी और 20 प्रतिशत बिजली यू. पी. को मिलेगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि नाथपा झाकड़ी के मामले में यू. पी. बीच में कहां से आ गया? इसी प्रकार कल मध्य प्रदेश बीच में आयेगा और कोई दूसरा प्रदेश आ जाएगा। मैं मुख्य मन्त्री का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान को इस प्रोजेक्ट से 1100 मेगावाट बिजली जो मिलने वाली है वह राजस्थान को नहीं मिल पावेगी। यदि यह 1100 मेगावाट बिजली राजस्थान को नहीं मिली तो राजस्थान को बिजली मिलने का और कोई साधन नहीं है। मुख्य मन्त्री यह कह सकते हैं कि वे प्रधान मन्त्री से मिले हैं, ऊर्जा मन्त्री से मिले हैं। परन्तु अब तो ऊर्जा मन्त्री यह वक्तव्य देते हैं कि नाथपा झाकड़ी के बारे में मेरे सामने चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए है और उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है जिसमें राजस्थान का हिस्सा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है एक बार चीफ मिनिस्टर्स और पावर मिनिस्टर की कान्फ्रेंस 5-2-1979 को हुई थी, उसके मिनिटस रिकार्ड किये गये थे जिसका लास्ट पैराग्राफ मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"Summing up, the Minister for Energy said that in the light of the views expressed by the State Chief Ministers and Power Ministers follow up action would be expedited in respect of technical clearance of the Dul Hasti and Natpha Jhakri projects which are proposed for implementation in the Central sector by the National Hydro Electric Power Corporation. Official level discussions

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

would also be arranged to go into the modalities required to be worked out for these projects and also of Kol project which will be taken up for execution jointly by the concerned interested States."

मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1979 में जो निर्णय हुआ था उस निर्णय के बाद यह सरकार, भारत सरकार के पास किस तरह से जा रही है। इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है। इस आधार पर मैं यह मानकर चल रहा हूं, उस दिन भी मैंने सदन में निवेदन किया था कि इस प्रश्न को राजनीति से दूर रखें और इस सदन की ताकत के रूप में एक प्रस्ताव को लेकर आप दिल्ली जाएं तो आपका प्रभाव होगा परन्तु मुख्य मन्त्री ने इसको उचित नहीं समझा और परिणाम यह निकला कि राजस्थान को नाथपा झाकड़ी के मामले में अलग कर दिया गया। आज नाथपा झाकड़ी से अलग किया तो कल आपको थीन डैम से अलग कर देंगे। थीन डैम से अलग किया तो फिर आनन्दपुर साहिब और मुकेरियां से आपकी छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद सलाल प्रोजेक्ट से आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरे और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको नहीं रखा जायगा। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी नाथपा झाकड़ी के मामले में जितनी ताकत आपके पास में है उतनी ताकत आप लगा दें। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री की ताकत पिछले एक साल में देख ली है। मुख्य मन्त्री की ताकत के भरोसे पर न रहें। इनके भरोसे पर रहेंगे तो राजस्थान के गांवों का विद्युतीकरण, कुओं का विद्युतीकरण नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा और उसके पहले मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान को इस कमजोरी को निकालना है, उसको बचाना है तो पहले मुख्य मन्त्री महोदय आप जितना जल्दी त्याग पत्र दे दें, राजस्थान का उतना ही नुकसान बचेगा। यह आप जैसे के बूते की बात नहीं है। आप राजस्थान को नहीं बचा सकते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने जो कुछ किया है इस बारे में वह कल बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल क्यों आज ही स्तीफा दे दें। अब मुख्य मंत्री रिएक्ट करने लगे हैं। हमारे मुख्य मंत्री बोलने लगे हैं। बीच-बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। अच्छा है। कुछ सीखेंगे। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्री जी सदन में कितना ही साहस दिखाएं इस सदन की बैठक एक महीने चल जाएगी, दो महीने चल जाएगी परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह सदन जब दोबारा मिलेगा उस वक्त पता चलेगा कि राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति बिजली के बारे में क्या है? मैं बिजली विभाग के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, जिस समय मौका आयेगा बोलूंगा। आज सतपुड़ा से आप बिजली नहीं ला सके हैं। आज राजस्थान के किसानों के सामने बिजली का संकट है। उद्योगों के सामने बिजली का संकट है। भाखरा काम्पलेक्स को छोड़िये लेकिन चम्बल के प्रोजेक्ट, सतपुड़ा के प्रोजेक्ट से जो बिजली उपलब्ध होवी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहिए थी, वह भी नहीं ला सके हैं, 15 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन सतपुड़ा से मिलनी चाहिए, वह नहीं ले पा रहे हैं। काश्तकार तबाह हो गया, उद्योग तबाह हो रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय कहेंगे मैंने अर्जुन सिंह को तार दे दिया है, ऊर्जा मंत्री को वायरलेस कर दिया है। आपके तार और वायरलैस का असर होता तो सतपुड़ा की बिजली को मध्य प्रदेश नहीं खा सकता। सतपुड़ा की बिजली आपको मिलती। आपके वायरलैस का असर, प्रभाव होता तो हमारे पानी को मध्य प्रदेश नहीं रोक सकता था। हमें अपना पानी मिलता। मैं कह सकता हूं मुख्य मंत्रीजी कि न तो आपका तार ही प्रभावी है और न आपके स्वयं की जो चिट्ठी जाती है उसका कोई नतीजा निकल रहा हैं। राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो हिन्दुस्तान में एकमात्र ऐसा बोर्ड है, जिसने एक आर्डर निकाला है, सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर प्रोक्योरमेन्ट–1 सर्किल, उसमें सारी फर्म्स को नोटिस दिया गया है :

"The supplies against our purchase order under reference may not kindly be despatched till further instructions from this office."

मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सामान लेना था, सप्लाई आर्डर्स प्लेस कर दिये थे, अब उन सारी कम्पनियों को लिखा जा रहा है कि जब तक दोबारा आदेश न दें तब तक आप सामान न भेजें। नतीजा क्या निकलेगा ? एक ही निकलेगा कि सामान की कीमत बढ़ गई, जिन फर्म्स को माल सप्लाई करना था वे तो यह चाहती थी कि सप्लाई करने का मौका नहीं आये। इस तरह का आर्डर उनको मिल जाए तो उनको इस तरह सब कुछ मिल गया। उनको जो आर्डर प्लेस किया गया है उनमें मोटे रूप में चार चीजें हैं। अल्यूमिनियम कण्डक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्टील वायर्स और एक इन्सूलेटर्स हैं। आज इनकी कीमत बढ़ गई है। अल्यूमिनियम की 15–16 प्रतिशत, ट्रांसफार्मर्स की 12–14 प्रतिशत, स्टील वायर्स की 25 प्रतिशत और इन्सूलेटर्स की 300 प्रतिशत कीमत बढ़ गई है। इन फर्म्स को कहा गया है कि सामान नहीं भेजें। आप राजस्थान का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, राजस्थान का विद्युतीकरण करना चाहते हैं, जब तक आगे के लिए इन चीजों को बुक नहीं करेंगे, सामान खरीदने की व्यवस्था नहीं करेंगे, बिजली आपके पास होगी तब भी आप किसी प्रकार से उसको काम में नहीं ले सकेंगे। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह काम किया है। दूसरी तरफ जो किसानों के ट्रांसफार्मर्स, पम्प सेट जल रहे हैं, उसकी कोई चिन्ता नहीं है। यह पहला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसने एक वर्ष के बाद दो करोड़ रुपया डेमरेज का दिया है। सामान आता है रेलवे वैगन से और उसको आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड छुड़ा नहीं सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई व्यापारी मैक्जीमम पैनल्टी डेमरेज वारफेज की नहीं देता है। यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसने मैग्जीमम पैनल्टी पे की है। अखबारों में आया होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सामान फलां तारीख को रेलवे स्टेशन पर नीलाम किया जायगा। नीलामी का नोटिस निकलता है। सरकार की स्थिति क्या है ? यह बोर्ड व्यवस्था करना चाहता है और बिजली को देना चाहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि एक तरफ बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश और दूसरी तरफ बिजली गांव-गांव में पहुंचे तो उसके लिए इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जैसा कि मैंने बताया है हमारी दूसरी लाइफ लाइन राजस्थान कैनाल है। कल विधान सभा में एक प्रश्न पूछा गया था। वह प्रश्न मैं पढ़ कर सुना देता हूं। इससे मालूम होगा कि हमारी लाइफ लाइन को किस तरह से खतम किया जा रहा है।

"क्या यह सही है कि कोयले की कमी के कारण राजस्थान नहर का निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है।"

इसका जो उत्तर दिया गया है सरकार की तरफ से वह भी सुन लीजिये :

"केवल राजस्थान नहर परियोजना की लाइनिंग का कार्य कोयले की कमी के कारण ठप्प पड़ा है। मिट्टी खोदने, भवन, सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।" यानी सड़क बन रही है, भवन बन रहे हैं परन्तु राजस्थान नहर का काम ठप्प है। यह मैंने नहीं सरकार ने कहा है। दूसरी लाइफ लाइन को भी यह सरकार बिलोपित कर रही है। इसको विलोपित न करें, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री ने अपनी अनुभवहीनता के कारण दिल्ली में प्रधान मन्त्री को कहा कि राजस्थान कैनाल के निर्माण कार्य आप किसी केन्द्रीय एजेन्सी को दे दें। राजस्थान नहर का निर्माण कार्य किसी केन्द्रीय एजेन्सी को दे दिया तो ध्यान रखिये, मुख्य मन्त्री जी, कि सैकिन्ड फेज का काम चालू नहीं होगा। राजस्थान कैनाल का जितना पानी है, एक मिलियन एकड़ फीट पानी है, वह पानी हम नहीं ला सकेंगे। मुख्य मंत्रीजी फिर बदल गये और कहने लगे कि मैंने यह देखा था कि कोयला और सीमेंट की कमी है अगर किसी सेन्ट्रल एजेन्सी को सौंप देंगे तो वह अपने आप कोयला और सीमेंट को उपलब्ध कर लेगी और यह काम चलता रहेगा। आज हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान के खिलाफ पानी न देने के लिये इतनी जबर्दस्त लाबी बनी हुयी है कि जो यह चाहती है कि राजस्थान कैनाल और दूसरे काम स्थगित हो जायं ताकि राजस्थान को 3 मिलियन एकड़ फीट पानी जिसका उपयोग वह कर सकता है वह पानी पंजाब और हरियाणा को मिलता रहेगा और राजस्थान के दूसरे चरण का काम कोयला और सीमेंट के नाम पर ठप्प पड़ा रहेगा। लेकिन मेरे पास पूरी जानकारी है, कि दूसरे चरण का काम कल पहाड़िया जी पूरी बात बतायेंगे। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि दूसरे चरण का काम शिथिल कर दिया जाय। यह खुशी की बात है कि आप बदल गये वर्ना भारत सरकार चाहती है कि दूसरे चरण का काम बन्द कर दिया जाय जिसमें राजस्थान का पैसा लगा है 400 करोड़ रुपया जो इस राजस्थान कैनाल के ऊपर खर्च हुआ है। राजस्थान की प्यासी धरती को पानी मिले इसलिये हम व्यवस्था के नाम से लोगों ने अपना खून दिया है उस खून देने वाली नहर के काम को हमारे मुख्य मंत्री हमारी राजस्थान की सरकार से लेकर भारत सरकार को देने का षडयंत्र कर चुके हैं लेकिन धन्यवाद है राजस्थान की जनता को और उस प्रेस को जिसे हमेशा पहाड़िया बेकार बताते रहते हैं। कोसा करते हैं, उस प्रेस को जिसने सबसे पहले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उजागर किया कि मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार का कमिटमेंट कर लिया है ये इस प्रकार का कमिटमेंट करके आये हैं, यह राजस्थान कैनाल है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल के प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी चाहे कैसी बातें करते रहें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने पिछली बार बड़े जोर-शोर से कहा खास तौर से शिवचरण जी माथुर साहब ने बड़े जोर-शोर से आंकड़े दिये थे कि 80 में कितनी लाइनिंग हुयी, 77-78 में कितनी लाइनिंग हुयी और 78-79 में कितनी लाइनिंग हुई । माथुर साहब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि 80-81 में कितनी लाईनिंग हुई, राजस्थान कैनाल पर कितना काम हुआ ? उस समय बड़े जोर-शोर से कहा था कि फन्ड्स लेप्स हो गये । मैं आपसे पूछना चाहता हूं; आपके मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 80-81 में कितना फण्ड लेप्स होगा ? वह लेप्स नहीं हो इसके लिये भी षड्यंत्र हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान कैनाल पर गये हैं, हमारे रामकिशन जी चले जायेंगे अभी नक्शे पर राजस्थान कैनाल ढूंढ रहे होंगे और मेरा ऐसा विश्वास भी है कि उन्होंने ढूंढ लिया होगा पता चल जायगा कि वहां पर गरीब को रोजगार मिल रहा है, गधों से काम हो रहा है, ऊंट से मिट्टी निकाली जा रही है, बैलगाड़ियों से काम हो रहा है सिर पर मिट्टी ढोयी जा रही है और हमारे इकानामिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि वहां पर मशीनों के मुकाबले ऊंट, गधे और बैलगाडियों और लेबर से काम सस्ता होता है । लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 6 करोड़ रुपये की अर्थ मूविंग मशीन खरीद कर रहा है इसको आप रुकवाइये नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी और राजस्थान कैनाल पर जो रोजगार मिल रहा है श्रमिकों को वे श्रमिक त्राही त्राही करेंगे यह सब केवल बजट का पैसा लेप्स नहीं हो इसको बचाने की कार्यवाही है जो सरकार के द्वारा की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने तीसरी बात कही थी कि राजस्थान की तीसरी लाइफ लाइन इण्डस्ट्रियलाइजेशन है । राजस्थान में जब पहाड़ियाजी आये थे तो बड़े जोर-शोर से घोषणा की थी कि मैं मैडम से मिलकर राजस्थान में औद्योगिकरण कर दूंगा । पहाड़िया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जबसे राज बदला है उस समय से आज तक एक भी नया उद्योग, जिसका सिलसिला हम लोग चालू कर गये थे, आपने नया लगाया है ? गिनती करके बता दें । एक भी नहीं लगाया है । अशोक ली लण्ड की बात कर रहे हैं . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल बतायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्रीमान खेतसिंह जी को तो एक ही काम दिया हुआ है । कभी आपने बैण्ड बाजे तो सुने ही होंगे बैंड बाजे में तरह तरह के बाजे होते हैं जो अलग-अलग राग रंग के होते हैं उसमें बीच बीच में एक यूं मुंह वाला बाजा होता है जो बीच में बजता ही रहता है, बजता रहता है । तो खेतसिंह जी तो इस बैण्ड बाजे में वह काम कर रहे हैं उनको वह काम मिला हुआ है जिसका काम होता है बस जब भी मौका मिल जाय खड़े होकर बोल दो । अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहता हूं कि . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : आगे के लिये

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे श्रीमान जी ने घोषणा की थी अशोक ली लैण्ड के बारे में अखबारों में पढ़ा था, फिर मुख्य मंत्री जी कह देंगे कि अखबार तो खिलाफ हैं लेकिन भरतपुर में घोषणा कर दी कि अशोक ली लैण्ड का कारखाना भुसावर, भरतपुर में लगेगा। भुसावर में लग जाये मुझे आपत्ति नहीं है···

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने सुना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो जो महादेवी जी को कहा था वह भी मैंने नहीं सुना वह भी अखबारों में ही पढ़ा था जरूरी नहीं है कि जो आप बोलें हम सुने ही। मैं इसलिये कह रहा था कि भुसावर में चाहे ट्रक का कारखाना लगे नहीं लगे लेकिन ये समझते थे कि अगर मैं इस समय यह कह दूंगा कि कारखाना भरतपुर में नहीं अलवर में लगेगा तो भरतपुर के लोग नाराज हो जायेंगे तो चुनाव के लिए संकट पैदा हो जायेगा, मेरे लिये संकट पैदा हो जायेगा। इसलिये ही चुनाव खत्म होने के बाद ही अशोक ली लैण्ड वालों से बातचीत की गयी और अलवर में लगाने की बात की गयी। दूसरी जो है, मुख्य मन्त्री जी फिर सावधान हो जायं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि हमने उनसे बात कर ली है समझौता कर लिया है। यह समझौते का जिक्र तो मैं बाद में करूंगा मैं आज आपको और सदन को यह बता देना चाहता हूं कि अशोक ली-लैण्ड का कारखाना अलवर में लगने वाला नहीं है वे मारुति वालों से बात कर रहे हैं और अगर मारुति में ट्रक चैसिस बनाने का कारखाना चालू कर दिया तो वह फिर अलवर में ट्रक चैसिस का कारखाना लगाने वाले नहीं हैं। अभी मैं अधिकृत तो नहीं कह सकता हूं परन्तु विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी है कि अशोका ली लैण्ड वाले इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि वह कारखाना मारुति में लग जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछली बार के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैराओं में 3–4 बातें कही गयी थीं। मैं पूरा पैरा पढ़कर सुनाऊंगा :–"एक प्रमुख ट्रक चैसिस बनाने की कम्पनी द्वारा राज्य में 12,500 वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन करने का प्रस्ताव है, जिसमें 85 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा और करीब 3,500 व्यक्तियों को सीधा एवं 35,000 व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। एक कास्टिक सोडा उद्योग भी राज्य में स्थापित किया जा रहा है जिसमें 22 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 68 उद्यमियों को टैक्सटाइल मिल लगाने हेतु परमिट स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में 3 बड़े सीमेन्ट कारखानों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।"

यह सीमेंट का कारखाना लगाने की बात का अलग से जिक्र करूंगा लेकिन यह जो 68 उद्यमियों को टैक्सटाइल मिल के लिये लाइसेंस दिये गये थे उनमें कितनी लगीं? एक मिल भी लगी? सदन का कोई भी सदस्य यह कह दे कि उसके क्षेत्र में कोई मिल इस लाइसेंस के आधार पर लगी हो एक भी मिल लगी हो, एक भी नहीं लगी।

Page No 92

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केवल बिजली का ही सवाल नहीं है। कोशिश की भी बात है कोशिश नहीं करते हैं कभी कभी मुख्य मन्त्री ईमानदारी में कोई सच्ची बात भी कह जाते हैं। आपने चेम्बर आफ कामर्स में कहा कि मेरे कहने से राजस्थान में कोई उद्योग लगाता नहीं है आप लोग उद्योगपतियों को लायें यह आपने कहा और अखबारों में आई यह बात तो झूंठी नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जो कहा था वह भी बतायेंगे कल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल कह देना। आपने कहा कि मेरे कहने से नहीं आ रहे हैं ईमानदारी से कही सही बात।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अखबार वाले हमारे साथ नहीं हैं। आपके साथ हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह पहाड़िया जी के पक्ष में कह रहे हैं या विपक्ष में कह रहे हैं यह पता नहीं पर ये पक्ष में कह रहे हैं या विपक्ष में कह रहे हैं, यह तो सदन अनुमान लगा लेगा पर खेतसिंह जी आपने पहाड़िया जी से मौके पर बदला लिया यह मैं कह सकता हूं। इसमें शक नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पर आप कौनसा बदला ले रहे हैं या कोई अपना पुराना हिसाब साफ कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी दुःख की बात है खेतसिंह जी की नियुक्ति हुयी है चीफ व्हिप के पद पर··

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसका इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आदेश निकला, आज तक राजस्थान में मैं विरोधी दल में भी रहा हूं और सत्ता में भी रहा हूं इस तरह का आदेश मैंने नहीं देखा, उस आदेश में लिखा था मैं एक्युअल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं लेकिन उसमें लिखा हुआ था "Copy forwarded to Shri Khet Singh, with the assurance that his status will be raised to the rank of a Minister."

यह लिखा था। मैं पूछता हूं खेतसिंह जी से पहाड़िया जी ने औरों को तो आश्वासन दिया या नहीं पर आपको तो आश्वासन दिया था 6 महीने पहले उसका क्या हुआ, स्टेटस रेज हो गया क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विश्वास रखें इसका भी नतीजा निकलेगा और सबको लाभ मिलेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 6 महीने ही हुये हैं आठ तो पूरे होने दें, दो महीने बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक नतीजा तो निकल गया 10 दिन पहले स्तीफा देकर शेरगढ़ चले गये तो उन लोगों ने उनसे पूछा की त्याग-पत्र दिया तो कहा कि दिया है। दूसरे दिन पूछा कि आपने इस्तीफा वापिस ले लिया किस लिए, कि पहाड़ियाजी ने एश्योरेंस दे दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यह एश्योरेंस जैसा था वैसा ही है। इसी एश्योरेंस से 6 महीने से तड़प रहे हैं, वैसा ही एश्योरेंस यह है। इसलिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी ड्यूटी है बोलने की, आप बोलते जाओ। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान का औद्योगीकरण किस तरीके से चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां अलवर के माननीय सदस्य कहीं बैठे हों, खैरथल के अन्दर एक पेपर मिल लगने वाली है। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर आ गई। राजस्थान सरकार को उसमें क्या करना है, इसका निर्णय मेरे समय में हुआ, यह फाइल केवल इसलिए मुख्य मंत्रीजी के पास पड़ी है कि उस उद्योग के लिए जमीन एक्वायर करके देनी है। मुख्य मंत्रीजी के पास जिस तरह से फाइलों का ढेर लगा है उसी में यह फाइल पड़ी है उसके ऊपर दस्तखत होने हैं। खेड़ली के लिए तो उस फाइल को निकाल दो वह कारखाना तो खेड़ली में लगने दो, वह तो अलवर में है। उसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, गोसून्डा में भारी प्रयत्न के बावजूद रॉक फास्फेट के बेसिस पर एक फर्टिलाइजर काम्पलेक्स बने, इस बात की काफी वर्षों से कोशिश की जा रही है। उदयपुर क्षेत्र के, माननीय सदस्य देवपुरा जी और माननीय जोशीजी और शिवचरणजी माथुर यहां बैठे हैं, इन सबको इस बात की जानकारी है। पिछले एक वर्ष से वहां काम हो रहा है, उस गोसून्डा में कारखाना लगाने के लिए और मुख्य मंत्रीजी ने कहीं कह दिया कि फर्टिलाइजर का कारखाना चित्तौड़ में क्यों लगे, भरतपुर में क्यों नहीं लग सकता। और ज्यों ही भरतपुर की बात कही, वहां पर कारखाने में काम करने वाले, सर्वे करने वाले वहां से सब के सब गायब हो गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं आज राजस्थान में 30 पर्सेन्ट कण्ट्री की जो रॉकफास्फेट की नीड है, वह राजस्थान पूरी कर रहा है। एक जर्मन कन्सल्टेन्ट कम्पनी को हमने कारखाने के सम्बन्ध में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था उस जर्मन कन्सल्टेन्ट कम्पनी ने भी रिपोर्ट दे दी कि इतनी इकानामी में कारखाना लगाया जा सकता है। वह इकानामी ठीक है उसमें किसी की कोई कमी नहीं है, वह मामला भी पड़ा है। उधर वह भी पड़ा है लेकिन सबसे मोटी चिन्ता की बात क्या है ? अध्यक्ष महोदय, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ये तीनों इस बात के लिये लड़ रहे थे कि बम्बई हाई गैस से फर्टिलाइजर गैस कॉम्प्लेक्स का निर्माण राजस्थान में हो। मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को हिस्सा नहीं दे रहे थे। मेरे पास वह कोरस्पान्डेन्स मौजूद है, मुख्य मंत्री जी चाहें तो बता सकता हूं, मैंने निजी तौर पर कोशिश की, मुख्य मंत्री होने के नाते कोशिश की और कोशिश करके इस नतीजे पर पहुंचे कि बम्बई हाई गैस के आधार पर राजस्थान में दो फर्टीलाइजर कारखाना लग जायं। भारत सरकार की स्वीकृति मिली, आफिशियली नहीं अनआफिशियली प्राइवेट चिट्ठियों में इस प्रकार का संकेत भारत सरकार की तरफ से मिला, गुजरात और महाराष्ट्र वह भी चाहते थे कि कारखाने लगे। दो कारखाने महाराष्ट्र को मिल गये, दो कारखाने गुजरात को मिल गये। गुजरात ने वर्ल्ड बैंक से मिलकर फाइनेन्शियल एड भी ले ली, काम भी शुरू कर दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं–एक आफिसर थे, मैं नाम भूल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया राजकुमार शायद, जिन्होने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, उनकी रिपोर्ट भी आ गई कि सवाई माधोपुर में कारखाना लगना चाहिये इस बात का संकेत भी कर दिया। मुख्य मंत्री जी, मैं यह पूछना चाहूंगा कि उसमें क्या प्रगति हुई, कारखाने का काम महाराष्ट्र में शुरू हो गया, गुजरात में फाइनेन्शियल एड वर्ल्ड बैंक से मिल गई। राजस्थान में आप चुप क्यों बैठे हैं, मेरी समझ में नहीं आता ? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा नुकसान जो पहाड़ियाजी के जमाने में हुआ वह भी बता देना चाहता हूं। जिन्क स्मेलटर प्लाण्ट का एक्सपेन्शन हो, यह मामला कई वर्षों से चल रहा था, हमारे यहां जो जस्ते की खानें हैं उसकी दृष्टि से आगूचा में और दो-तीन जगह सर्वे कराये, सर्वे कराने से हमको जस्ते के भण्डार भी मिले। जस्ता हमारे यहां का और कारखाना एक्सटेन्शन का लगे विशाखापट्टनम में। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि मेनन के पास जाइये और जाकर कहिये कि विशाखापट्टनम में कारखाना लगने से ट्रान्सपोर्ट की कितनी दिक्कत होगी, उसको हल करने के लिए यह जस्ता संयंत्र राजस्थान में लगे इस बात की हमको चिन्ता करनी चाहिये। इसलिए मेरी मांग है कि राजस्थान में यह कारखाना उदयपुर में लगे, उदयपुर के आस पास लगे, या उदयपुर के पास किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगे, यह आपके सलेक्शन का सवाल है।

एक माननीय सदस्य: आगूचा में लगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगूचा में लगे मुझे कोई आपत्ति नहीं और आगूचा में लगे या आपके घर में लगा दिया जाय तो भी मेरे को आपत्ति नहीं। राजस्थान में यह कारखाना लगे, मुझे इस बात की खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से तीन सीमेन्ट के कारखानों का जिक्र किया गया। ब्यावर में जो कारखाना लगने वाला है, जब तक उसको पैसा नहीं देंगे तब तक उसको बैंक भी कर्जा नहीं देगा। हमने फैसला किया था कि उसको 7 लाख रुपया दे दिया जाय। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि फाइल निकल गई क्या या दब गई ढेर में ? कारखाने वाले परेशान हो रहे हैं और भाग जाना चाहते हैं यहां से। उद्योगपति यहां आ गया और वह जाने की सोचता है, आप कहते हो कि उद्योगपति लाओ। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े दिये गये हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, कितने उद्योगों का पंजीकरण हुआ, किसी दूसरे मौके पर इसका जिक्र करूंगा लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा एक सबसे बड़ा कारखाना है जयपुर उद्योग जिसके सम्बन्ध में जो जवाब आया उसको सुनकर मैं परेशान हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस जयपुर उद्योग में राजस्थान सरकार की एक तरफ 5 करोड़ 62 लाख की एक्साइज ड्यूटी, सैल्स टैक्स का लगभग 2 करोड़ 39 लाख, रॉयल्टी के 54 लाख, और 76 लाख के हमारे शेयर हैं, इतनी पूंजी हमारी लगी हुई है, इस पूंजी के लगाने के बाद इसका उत्पादन गिरता गया और उत्पादन इसलिए गिराया कि इसके मालिक हैं श्री आलोक जैन उन्होंने इसके सारे फण्ड्स को सारे रिसोर्सेज को हजम करने के लिए एक दूसरी कम्पनी बनाई जिससे जयपुर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उद्योग का सारा रुपया उसके अन्दर चला जाय। भारत ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी बनाई उसको सोल सेलिंग एजेन्ट बनाया, सारा माल उसको दिया नतीजा यह निकला कि उस कम्पनी में जयपुर उद्योग का 5 करोड़ 18 लाख रुपया बकाया है लेकिन एक पैसा भी वसूल नहीं हो रहा है। आठ मुकदमे उस कम्पनी के खिलाफ हमने रजिस्टर करवाये और कोशिश की कि रुपया मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर थाने में धारा 406, 109 और 103 के मातहत एफ.आई.आर.नम्बर 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68 में 6 आदमियों के खिलाफ M/s भारत ओवरसीज प्राइवेट लिमि., श्यामसुन्दर खेमका Director अनिल गोयनका, Director बालगोपाल गोयनका,, बाबूलाल गोयनका और ढांचोलिया, एगजीक्यूटिव डाइरेक्टर इस सबके खिलाफ केसेज बनाये। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका क्या हुआ? किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया आज यदि उनको गिरफ्तार किया जाता तो मैं यह तो नहीं कहता कि जयपुर उद्योग की सारी आवश्यकता पूरी हो जाती लेकिन इसको रिहेबिलिटेट करने के लिये 8 करोड़ की बकाया में से यदि दो करोड़ भी मिल जाता तो इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए जितने रुपयों की आवश्यकता है, बिना बैंक के हमको रुपया मिल जाता और उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता था लेकिन मुकदमे नहीं बनाये। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने जवाब सुना कि राजस्थान सरकार इसको लेने को तैयार नहीं है। राजस्थान सरकार कह रही है भारत सरकार को दिया जाय। भारत सरकार ने एक कमेटी अपाइन्ट की है उसने लिखा कि जयपुर उद्योग को सीमेन्ट कारपोरेशन को दे दिया जाय तो यह चल सकता है। उन्होंने कहा भारत सरकार इसको ले ले। मैं कहता हूं 60 करोड़ कम्पनी में पूंजी लगी है, भारत सरकार ने लोक सभा में बिल पारित किया उसके आधार पर निर्णय हुआ कि दस करोड़ मुआवजे का, जिसमें साढ़े पांच करोड़ हमारा है और देना पड़ेगा। साढ़े पांच करोड़ में साठ करोड़ की प्रापर्टी आती है तो इस मामले में मुख्य मन्त्रीजी आपको नाराजगी कैसी? परेशानी किस बात की? क्यों नहीं आप इसको लेना चाहते? अभी मैं बम्बई गया जब बीमार हो गया, वहां पर किसी ने सूचना दी कि बम्बई में इस कम्पनी का जो मकान था राजस्थान सरकार ने टेक ओवर कर लिया। दिल्ली में 60-65 लाख की बिल्डिंग थी हमारे कब्जे में उसको जब्त करा दी। लेकिन अब बम्बई में सुना कि मुख्य मन्त्रीजी के निर्देश के अनुसार जो कब्जा किया उसको दिलाने की बात चल रही है। वहां से संकेत मिला है यह जानकर बहुत निराशा हुई।

मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि यह कम्पनी वापस नहीं दी जाए न भारत सरकार को दी जाए। यह कम्पनी राजस्थान में ली जाए। मैं कह सकता हूं राजस्थान में हमारे लोगों ने इसमें एक्सपर्टाइज किया है। जिस घाटे के अन्दर यह कम्पनी चल रही थी, यही बोर्दिया, बराया को मैंने लगाया था, वह आज नहीं हैं। उन्होंने इस काम को धीरे धीरे बढ़ाकर इस कम्पनी में घाटा किस प्रकार से कम हो, उस किस्म की व्यवस्था की। राज्य में और भी अधिकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं जिन अधिकारियों को यह काम दिया जाएगा वे सी. सी. आई. में लगे हुए अधिकारियों से ज्यादा अच्छा काम करेंगे या एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी तो वे एक्सपर्ट्स की सर्विसेज दे सकते हैं। उसमें भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस आधार पर कहना चाहूंगा कि ये सब व्यवस्थायें होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी लाइफ लाइन अन्त्योदय निकाला। मुझे मंत्रीजी ने कहा अन्त्योदय नहीं हम सर्वोदय के पक्ष में हैं। अभी एन. डी. सी. की मीटिंग में गए तो वहां भाषण दिया। राज्य सरकार की तरफ से बोले और बोलकर कहा सर्वोदय की अन्तिम कड़ी को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब सर्वोदय की अन्तिम कड़ी अन्त्योदय। बजट में प्रावधान है अन्त्योदय के लिए 3 करोड़। अन्त्योदय के लिए छठी योजना में 15 करोड़ का प्रावधान है। मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि 3 करोड़ में से आज तक आपने कितना खर्चा किया ? पैसा न मुझे मिलता है न सदन के सदस्यों को मिलता है उस गरीब को मिलता है जो किसी न किसी तरह, अन्त्योदय में न देकर और किसी नाम से लेकर आप उसको पैसा दें लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार पिछले महीने तक अन्त्योदय के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं किया। 3 करोड़ का बजट पड़ा हुआ है। भारत सरकार से पत्र आये कि जो सब्सिडी आपको मिलने वाली है, खतम हो रही है, खर्च करो। मैं तो सदन के माननीय सदस्यों को आगाह करना चाहूंगा कि आजकल गरीब के साथ एक नया षड़यन्त्र चला है जिसको मैंने पहले सुना नहीं है। सब्सिडी लेनी है ढाई हजार की और ढाई हजार बैंक से कर्जा लेना है। बैंक वाले मिलते हैं और कहते हैं अमुक भैंस तुम खरीद लो। ढाई हजार रुपये में बैंक देता है, भैंस खरीदी जाती है। ढाई हजार रुपये और दिए जाते हैं सब्सिडी। 10 दिन के बाद वही आदमी कहता है भैंस दूध नहीं देती इसलिए वापस देता हूं। वह भैंस वापस चली जाती है। ढाई हजार बैंक में जमा हो जाते हैं और ढाई हजार की सब्सिडी वह किसकी जेब में गयी भगवान जानता है। लाखों रुपये की सब्सिडी डूब में जा रही है। पहाड़िया जी चेक करे। आप गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीब का नुकसान कर रहे हैं। सबसिडी में भी पर्सेंटेज लेकर लोग खा जाते हैं।

फूड फार वर्क बन्द कर दिया। एन. डी. सी. की मीटिंग में गए पहाड़ियाजी, यहां शायद फूड फार वर्क के बारे में आप आलोचना करें। कल शिक्षा मंत्री कह गए कि हमारे जितने रिजर्व्स हैं डिप्लीट हो गए, वह नहीं होना चाहिए। लेकिन एन. डी. सी. की मीटिंग में आपने क्या किया ? नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट स्कीम के संबंध में ज्यादा फंड्स राजस्थान को मिले उसका आधार क्या ? मुख्य मंत्री ने भाषण दिया गत वर्ष की परफार्मेंस के आधार पर हमें पैसा दिया जाए। गत वर्ष तो हम थे। हमारी परफार्मेन्स के आधार पर आप पैसा मांग रहे हैं। इन्डाइरेक्टली आप इस बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
को स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब बातें उस राज में ठीक हुई लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि गांवों में जिनको अनाज दिया हुआ है उस अनाज से जो काम हुए उन कामों की गिनती मैं नहीं करा सकता, वह अपने आप कहते होंगे और माननीय सदस्य जानते हैं...

श्री चंदन मल बैद : जनता ने बता दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनाव में हम हारे, आपस में डिवीजन हो गया हमने उसका परिणाम भोगा। जैसे 1977 में आपने भोगा, वैसे 1980 में हमने भोगा। वह कोई अलग अलग बात नहीं है और मैं इसलिए कह रहा हूं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आगे क्या होगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे आप आयेंगे ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्री ने सदन में भाषण दिया। मैंने फूड फार वर्क के लिए पूछा कि कितना अनाज लेने वाले हैं, एडीशनल स्कीम्स में कितना लेने वाले हैं तो भाषण को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, लंबा चौड़ा भाषण दिया चिंता मत करिए, भारत सरकार से जितने अनाज की आवश्यकता होगी अनाज लाऊंगा। 10 हजार टन आया उसके बाद कहते हैं फूड फार वर्क बंद। आपने काम बंद किया ठीक है लेकिन वह तो व्यवस्था करें कि जो अधूरे काम पड़े हैं। दीवार खड़ी हो गई, पट्टियां नहीं पड़ रही हैं। वह तो गया। 10 करोड़ रुपए मजदूरों की बकाया रह गई। प्रभाकर ने वक्तव्य दिया कि 15 मई तक चुकारा कर देंगे वह निकल गई निकलते भगवान जाने अब लोगों को कितना चुकाया गया।

पंचायतों को हमने 5।। करोड़ के अनुदान का फैसला किया, 2।। रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। आप सरपंचों से पूछें उनके अनुदान के अकाउंट में मजदूरों की बकाया है या नहीं कितना उनके अनुदान में से काटा गया। पंचायतों के चुनाव कराकर या और व्यवस्था करके सुधार की बात होती तो समझ में आता। अनुदान का पैसा काट लिया। जहां तक बाड़मेर जिले की मुझे जानकारी है वहां किसी गांव में कहीं पचायत में दो बोरी पड़ी थीं उसको लाने के लिए ट्रक गया, ट्रक का खर्चा दो बोरी से ज्यादा। सारे अनाज को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बकाया को चुकाया। एक तो अनुदान से काटकर बकाया चुकाई, दूसरा अनाज इकट्ठा कर बकाया चुकाई और तीसरे सरकार ने जो अकाल राहत में काम लिए, कुछ काम लेकर उनके नामों पर फंड्स अलाट करके बकाया चुकाई। इससे आप अन्दाजा लगायें कि गांव के विकास की गति बिलकुल रुक गई है। पिछले एक वर्ष में किसी प्रकार विकास का काम नहीं हुआ। माननीय सदस्य नाराज नहीं हों तो बता दें किसी गांव में स्कूल भवन बना, दवाखाना बना हो, एक मील सड़क बनी हो, प्याऊ का इन्तजाम हुआ हो। पहाड़िया जी ने पिछली बार कहा था कि हर साल 5 हजार गांवों में पानी का इन्तजाम करेंगे...

एक माननीय सदस्य : हैंड पम्प्स।

श्री ईश्वर लाल सैनी (राज्य मंत्री) : आप दिवाला निकाल गए सरकार का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं हैंड पम्प पर आ रहा हूं। मुख्य मंत्री ने कहा 24–25 हजार गांव समस्याग्रस्त हैं, मैं 5 साल में समस्या का समाधान कर दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कोई माननीय सदस्य बता दें कि पिछले एक वर्ष में सिवा हैंड पम्प्स लगाने के और काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। कोई नई स्कीम नहीं, कोई नया कुआं नहीं, कोई नया पम्प सैट नही। हैंड पम्प लगाए तो मैं पश्चिमी राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं जहां 100–125 फीट नीचे पानी पड़ता है जहां हैंड पम्प से पानी नहीं आ सकता वहां उन लोगों का हाल क्या है? सीकर की स्थिति क्या होगी, बाड़मेर की स्थिति क्या होगी, जैसलमेर, और जोधपुर की स्थिति क्या होगी? हैंड पम्प लग सकते हैं तो खेतसिंह के घर में लग जाएं, मैं नहीं कह सकता लेकिन शेरगढ़ में कोई हैंड पम्प नही लग सकता। खेतसिंहजी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन से गांव में हैंड पम्प लगाया? यह कोरा धोखा है। हमने ट्रेडीशनल स्कीम्स चालू की। आपको स्कीम पसन्द नहीं थी तो नहीं करते लेकिन हैंड पम्प की स्थिति कहां से लाएं? राजस्थान में हैंड पम्प नहीं लग सकते और आप हैंड पम्प लगा रहे हैं। क्योंकि भरतपुर में वैर में ज्यादा से ज्यादा लगाने थे। चुनाव में दो-दो तीन-तीन रिग्स पड़ी रहीं, यह आपको शोभा देता था? पहाड़ियाजी मेरी चुनौती को स्वीकार कर लें, हैण्ड पम्प आए, वाटर सप्लाई स्कीम्स जो मंजूर नहीं थी वह वैर के अन्दर चालू करा दीं। यह सब कुछ हुआ है।

आज डिस्पेन्सरीज और औषधालयों का मामला था, उस समय आप बैठे नहीं थे। आपको शायद पता नहीं 97 औषधालय और डिस्पेन्सरीज खोली गयीं उनमें से 21 डिस्पेन्सरीज भरतपुर जिले में, 11 आपकी वैर कान्स्टीट्यूएंसी में। यह सब कुछ हुआ। खैर, आपने कर दिया मुख्य मंत्री हैं। बाकी के लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, हमारे हिस्से में एक दो हो जायं कोशिश कर लें सफल हो जाएं। मैं तो यही चाहूंगा आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। औषधालय और डिस्पेन्सरीज खोलीं, हैंड पम्प भी लगा दिए, जो कुछ व्यवस्था आपको करनी थी आपने कर दी। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न...

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आप 35 हजार वोटों से जीते ये 50 हजार से जीते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इलेक्शन पिटीशन चल रही है, पता लग जायेगा। राजस्थान में अकाल पड़ा।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : आपने भरतपुर की आबादी का ध्यान नहीं किया। पहले कितने थे अब कितने हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो मेरी तारीफ की थी, आपने कहा कि आपने कितनी ईमानदारी से काम किया कोई नहीं कर सकता, इतना जल्दी भूल गए?

मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ा था मैं यह नहीं कहता हूं कि पहाड़िया जी आये और उनके आने से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में कोई अकाल पड़ गया है। अकाल तो पहले भी पड़े थे राजस्थान में और अभी भी अकाल है और आगे भी अकाल पड़ सकता है। पिछले तीस वर्षों से राजस्थान में देखता आ रहा हूं कि अकाल राजस्थान में पड़ता रहा है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि अकाल पड़ने के बाद राज्य सरकार उस अकाल से निपटने के लिये क्या करती है? राज्य सरकार अकाल की स्थिति से निपटने के लिये कितनी सतर्क है? तो अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में अभी अकाल पड़ा तो राजस्थान में भारत सरकार की अकाल के लिये एक स्टडी टीम आयी और उस स्टडी टीम के सामने राजस्थान सरकार ने यह बताया कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिये राजस्थान सरकार को 173 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास नान प्लान असिस्टेन्स और एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के तहत कुल मिलाकर 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था, साधन हैं इसमें आपके मार्जिनल मनी और दूसरे सभी प्रकार के एडवान्सेज आ गये। यह सभी कुल मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, 44 करोड़ रुपए ही है। अब राज्य सरकार को चाहिए अकाल से निपटने के लिए 173 करोड़ और राज्य सरकार के पास हैं कुल 44 करोड़ रुपये। तो अध्यक्ष महोदय, यहां पर बैठे सभी माननीय सदस्य अन्दाज़ लगा सकते हैं कि यहां पर कई माननीय सदस्य यह बोलते हैं कि अकाल में मजदूरों की मजदूरी सिर्फ 80 पैसे ही है और यह भी कहते हुए दिखायी देते हैं कि अकाल में पांच व्यक्तियों के परिवार में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही रोजगार दिया जाय। सभी को रोजगार दिलाने की लोग यहां बैठे बात करते हैं आखिर सरकार कहां से पैसे लावे। राज्य सरकार के पास तो सिर्फ 44 करोड़ रुपये ही हैं और इन 44 करोड़ रुपये में आप 80 पैसे से क्या अधिक दे सकते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रभाकर जी बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा कि उनको खड़े होकर इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह 44 करोड़ रुपया एक साल का है। एक साल में कितने करोड़ हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 173 करोड़ इनके पास होने चाहिये जिस समय तक आगे के साल तक जिस समय तक भी अकाल रहता है तब तक और इनके पास सभी मिलाकर 44 करोड़ रुपये हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति राज्य सरकार की है और इस स्थिति से राज्य सरकार क्या कर सकती है?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिये यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर योजना मन्त्री जी श्री शिवचरण माथुर बैठे हैं इनको पता होगा। कभी भी हमारी राजस्थान की योजना में कटौती आज तक नहीं हुई चाहे राजस्थान में कितना ही संकट आ गया हो लेकिन इस साल में हमारी जो 330 करोड़ की योजना थी आज की तारीख तक तीस करोड़ रुपये की कटौती योजना हैड में से हो चुकी है।

एक माननीय सदस्य : शिवचरण जी योजना मन्त्री नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर कौन है मुझे तो पता नहीं है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : बद्रीप्रसादजी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर यह है तो इनको तो 6 महीने तक पता ही नहीं लगेगा। इनको तो पता लगाने में छः महीने लगेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 330 करोड़ की योजना में से 30 करोड़ रुपये की योजना में कटौती हो चुकी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रीमान जी आपको शायद पता नहीं होगा कि मैंने कल ही जवाब दिया था कि इस योजना में घाटा क्या है आपकी सरकार ने यह क्या कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बोल गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने तो अभी कल ही जवाब दिया था कि यह आपने क्या कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह योजना में घाटा क्यों होता है कैसे होता है, गुप्ता जी, आपके बस की बात नहीं है। यह कोई डाक्टरों के ट्रान्सफर्स का मामला नहीं है कि आप इधर से उधर लोगों का ट्रान्सफर्स कर दो। यह योजना का मामला है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, आप अपने दिमाग को रिजर्व ही रखें तो ठीक रहेगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात तो सदन के माननीय सदस्यों को उस वक्त पता लग जायेगी जब कि सदन में एक्चुअल आंकड़े योजना के बारे में आयेंगे तब पता लग जायेगा। इतना ही नहीं अभी तो तीस करोड़ की कटौती की गयी है अब 50 करोड़ और हो जायगी और इस प्रकार कुल मिलाकर 80 करोड़ रुपये की कटौतियां हमारे प्लान्स में हो जायेंगी। इसलिये मैं अभी समय रहते चेता रहा हूं, पहाड़ियाजी, अभी तो मौका आया है आप राजस्थान की गद्दी छोड़कर भाग जाओ नहीं तो राजस्थान की जनता डूब जायगी जिसको बचाने की आवश्यकता है। यह आपके बस की बात नहीं है। अभी राजस्थान को अकाल की विभीषिका से बचाने की जरूरत है। आपके पास अकाल के लिये पैसे नहीं हैं, आपके पास योजना के लिये पैसे नहीं हैं, आपके पास बिजली के विस्तार के लिये पैसे नहीं हैं, आपके पास उद्योग के लिये पैसे नहीं हैं फिर आप ये कहते हैं ये सब व्यवस्था की जावेगी, अकाल की हालत आपके काबू में आने वाली नहीं। आपको अकाल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह तो, पहाड़ियाजी, भगवान की कृपा रही कि बीच बीच में दो तीन बार बरसात हो गयी समय समय पर जिससे कि रबी की फसल अच्छी हो गयी, रबी की फसल बच गयी वर्ना मुश्किल हो जाती।

अभी तीन दिन पहले मैं चूरू गया था वहां पर लोग बात कर रहे थे कि चाहे बरसात लाओ चाहे बिजली लाओ अगर 15 दिन में यह व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी पकी पकाई फसल सूख जायगी। मैं तो चाहता हूं कि भगवान की कृपा से बरसात हो जाय और फसल बच जाय या कहीं और से पावर मिल जाय तो ठीक है वर्ना तो अकाल की भारी समस्या होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि पहाड़ियाजी कहीं चूकते नहीं हैं और चूकते इसलिये नहीं हैं कि जब अभी हमारे राजस्थान में अकालग्रस्त गांवों की संख्या जब पूछी गयी तो उस वक्त 18000 गांव थे लेकिन अभी उसके बाद थोड़े दिन पहले कुछ और गांव अकाल-ग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं। अभी लेटेस्ट फीगर्स 2037 गांवों को और जोड़ दिया गया। और यह, अध्यक्ष महोदय, 2037 गांव कोई बीकानेर के नहीं हैं कोई जालोर के नहीं हैं कोई बाड़मेर के नहीं हैं पाली या जोधपुर के नहीं हैं जैसलमेर के नहीं हैं यह गांव जो जोड़े गये हैं वह भरतपुर जिले के जोड़े गये हैं जबकि अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई भी गांव अकालग्रस्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर सदन में कई बार पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि, पहाड़िया जी, अकाल को आप राजनीति से मत जोड़ो। अकाल चाहे सरदार शहर में हो चाहे अकाल मेरे गांव हो, चाहे और दूसरे के गांव में हो उसकी सहायता करनी चाहिए लेकिन अकाल में राजनीति नहीं आनी चाहिए। आप, पहाड़ियाजी, राजनैतिक आधार पर काम अकाल का करेंगे तो यह काम चलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको और सारे सदन को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि भरतपुर जिले के गांवों की गिरदावरी हो चुकी थी और, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 22 अक्टूबर को यह गिरदावरी की रिपोर्ट भी आ चुकी थी कि दो प्रतिशत फसल में खराबी है पर दिनांक 12 दिसम्बर को वह दो प्रतिशत फसल की खराबी बढ़ कर 67 प्रतिशत हो गयी अध्यक्ष महोदय, जब तक फसल खड़ी थी तब तक तो वह दो प्रतिशत खराब थी पर जब कट गई तो वह 67 प्रतिशत खराब हो गयी। जब फसल कट गई और उसका नामो निशान नहीं रहा तो यह दो प्रतिशत से बढ़ कर 67 प्रतिशत हुई ?

एक माननीय सदस्य : शायद पहले पैन मिस्टेक हो गयी होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैन मिस्टेक हो सकती है पर हुआ कैसे ? पहाड़िया जी ने दिनांक 11 दिसम्बर को कलेक्टर को बुलाया और कहा कि गिरदावरी भरतपुर जिले की दोबारा करायी जाय तो, अध्यक्ष महोदय, दोबारा गिरदावरी हुई उस गिरदावरी पर एस. डी. एम. ने झूठे दस्तखत करने से इन्कार कर दिया तब पहाड़ियाजी ने उस एस. डी. एम. को वहां से हटा दिया और ए. डी. डी. ओ. से दस्तखत कराकर सारे गांवों को अकाल ग्रस्त करा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह भी अधिसूचना 31 दिसम्बर में आयी है कि भरतपुर जिले के सभी गांव अकालग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, 22 अक्टूबर को तो 2 प्रतिशत फसल खराब थी और दिसम्बर 12 को 67 प्रतिशत फसल खराब हो गयी। कलेक्टर को 11 दिसम्बर को यहां पर बुलाया गया और यहां से कलेक्टर वापस 15 दिसम्बर को गया और वहां जाकर 12 दिसम्बर को भरतपुर जिले के सभी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गांव अकालग्रस्त घोषित कर दिये गये और 31 दिसम्बर को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। तो यही सारा काम इस तरह से फर्जी काम हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं इस राजस्थान सरकार को तीस साल से देखता आया हूँ लेकिन अकाल के नाम पर इस प्रकार का कोई भी काम आज दिन तक किसी भी मुख्य मंत्री ने नहीं किया जो कि इन मुख्य मंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यहां पर आता है कि यह सभी क्यों किया गया? इसका भी एक रहस्य है और रहस्य को उजागर करने के लिए मैं आपके सामने एक चार पेज का पत्र जो कि रजिस्ट्रार को-आपरेटिव ने भरतपुर जिले के कलेक्टर को लिखा वह सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि प्रिय श्री मेहरडा, मुख्य अंकेक्षक द्वारा भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के वर्ष 79-80 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने के फलस्वरूप कुछ मुख्य मुद्दे मेरे सामने प्रस्तुत किए गए जो निम्न प्रकार हैं इससे आपको को-आपरेटिव की दशा का भी मालूम हो जायगा। भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड की 37 समितियों की गबन की राशि के बारे में जांच करवाई गई है तथा शेष समितियों की जांच अभी बाकी है और समिति स्तर पर बकाया ऋण व बैंक स्तर पर बकाया ऋण में एक करोड़ रु. से भी अधिक राशि का अन्तर है। इससे आपको वहां की कोआपरेटिव सोसायटीज की भी दशा का पता लग जायगा।

अध्यक्ष महोदय, अलग अलग समितियों में एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा गबन है और इसके परिणामस्वरूप वहां पर 23 या 25 मुकदमे गबन के चलाये जा रहे हैं। वैसे तो और भी हैं लेकिन कुल मिलाकर हम इन मुकदमों को देखें तो करीब साढे तीन से चार करोड़ रुपये का घोटाला भरतपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में हुआ है। कागजों से वसूली नहीं होती है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ऋण वसूली की करे इसके लिए मुख्य मंत्री के ऊपर बहुत भारी दबाव आया कि भरतपुर जिले के गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाय ताकि डिफाल्टर्स को ऋण की वसूली में रियायत की जा सके। वैसे, अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में कहीं भी कोई अकाल नहीं है। और न ही वहां पर कोई अकालग्रस्त क्षेत्रों में जो रिलीफ वर्क चलते हैं वह एक भी रिलीफ वर्क वहां पर नहीं चल रहे हैं, न वहां पर कोई कुएं खुदाई का काम हो रहा है। आज, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि भरतपुर जिले में पांच रुपये रोज तक में काम करने वाला मजदूर नहीं मिल रहा है। तो पांच रुपये की मजदूरी पर जैसलमेर में नहीं मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, पांच रुपये की मजदूरी में आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किसी भी आदमी को पांच रुपये में कहीं भी मजदूर मिल सकता है। भरतपुर में न पांच रुपये में मजदूर मिलेगा न भरतपुर में कोई अकाल राहत में सड़क बनेगी। केवल रिलीफ देनी है कोआपरेटिव सोसायटीज के डिफाल्टर्स को और उन डिफाल्टर्स के लिए इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सारी बातें की हैं। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस अकाल के

(श्री भैरोंसिंह शेखवत)
मामले में भी हमारी सरकार चूकती नहीं है।

अब एक लॉ एण्ड आर्डर की बात बड़े जोर शोर से कहते हैं। लॉ एण्ड आर्डर के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि लोकप्रिय सरकार के आने के बाद, लोकप्रिय सरकार के चार्ज लेने के बाद अपराधों में कमी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान की रिपोर्ट है। इस पर तारीख 14 नवम्बर, 1980 रिलीफ डिपार्टमेंट का मेमोरेन्डम है। यह मेमोरेन्डम मैं पढ़कर सुना देता हूं। उससे आपको पता लग जायगा कि गवर्नर महोदय ने जो कहा है वह कहां तक सही है। उसके प्रिफेस में लिखा है कि हमारे लोग जिस तरह से माइग्रेट करते हैं और हजारों की संख्या में मवेशी किस प्रकार से चलते हैं उसके प्रिफेस में लिखा है :

"Mao-tse-Tung became famous because of his one thousand miles long route march, Mahatma Gandhi became famous because of the Dandi march and Sardar patel became famous because of Bardoli march."

यह प्रिफेस में लिखा है और आगे श्रीमान् जी लिखते हैं कि इसी तरह से हमारे जो लोग जाते हैं उनको हजारों मील जाना पड़ता है तो उनके लिए लिखा है:

"Only one who has accompanied them can understand their problems and difficulties. Over and above that, what about the protection and security of their young wives because otherwise also the present days are known for the scoundrals, goondas and wolves staring at such women."

यह सरकारी रिपोर्ट है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट स्कान्ड्रल का युग है बद्रीप्रसाद जी यह गुण्डों का युग है। यह मैं नहीं कहता यह राजस्थान की सरकार कह रही है और आप कहते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक है क्योंकि यहां पर लोकप्रिय सरकार आ गई और उससे लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक हो गयी।

श्री दिनेश डांगी: यह कौनसी रिपोर्ट है। वैसे आप नहीं दिखा रहे हैं इसको।

श्री भैरोंसिह शेखावत : श्री पहाड़िया जी से पूछ लेना। आप उनसे पूछ लेना। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के बारे में कहा कि कोई विशेष घटना नहीं हुई। आपके जमाने में दो बार गोलीकाण्ड हो गया और अगरसर में तीन लोगों को गोली से उड़ा दिया गया और वह तीनों व्यक्ति बावरी जाति के थे। अनुसूचित जनजाति के एक आदमी और दो महिलाओं को पुलिस ने गोली से उड़ाया और, पहाड़िया जी, आपके भरतपुर जिले के गांव गोखली में दो निरपराध मुसलमानों को गोली से उड़ा दिया गया। आप कहते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक है! एक तरफ अनुसूचित जनजाति के लोगों को गोली से मारें और उधर मुसलमानों को गोली से मार दिया। मैं कहना नहीं चाहता था भारत सरकार ने इन श्रीमान् जी से पूछा कि सारे देश में अनरजिस्टर्ड वेपन्स बहुत हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और ऐसे वेपन्स राजस्थान में भी निकाले जायें। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने हथियार राजस्थान में बरामद किये तो उत्तर आयेगा जीरो और पुलिस लाइन्स से कितने हथियार गायब हुए तो पता लगेगा कि 23 राइफल्स गायब हुईं। जिन लोगों के पास अनरजिस्टर्ड वेपन्स पड़े हैं उनसे ले लिये जायं ऐसी स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि 1980 के सितम्बर तक 1979 में अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ इस तरह के मामले रजिस्टर्ड हुए थे 1979 में 162 और 1980 में 254 हुए। आप कहते हैं कि हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं हुए। मैं कहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ पिछले वर्ष रजिस्टर हुए थे 40 और इस वर्ष 57, हत्या के मामले पहले 15 दर्ज हुए थे और इस बार 85 हुए हैं। गम्भीर चोटों के मामले पिछले वर्ष 1979 में 43 थे और इस बार 139 हुए हैं। बलात्कार के मामले पहले 29 हुए थे और अब 39 और लाठी चार्ज, टीयर गैस आदि के मामले किसी प्रकार से भी कोई कम नहीं हुए।

अभी एक प्रश्न थोड़ी देर पहले धन्ना नाम के व्यक्ति के बारे में आया उसको मुख्य मंत्री जी ने नहीं सुना। अगर सुनते तो पता लगता कि पुलिस कैसी है, मेडिकल बिभाग कैसा है और ऊपर के एस. डी. एम. कैसे हैं। सारी सरकार का खाका आपके सामने आ जाता वह खाका देखने की आवश्यकता थी। यह केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ ही हुआ कि पिछली बार बलात्कार के 7 मामले दर्ज हुए और इस बार 7महीने में 11 मामले हुए। गम्भीर चोट के पहले 31 मामले थे और इस बार 29 हुए। यह सब बातें ऐसी हैं कि जिससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह सरकार चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : समय कम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जल्दी करता हूं। अध्यक्ष महोदय, काम कैसे होता है वह बता रहा हूं। राजस्थान में चने की कमी है। बुवाई का समय आ गया, सरकार को चने का प्रबन्ध करना है। यह प्रबन्ध कैसे होगा ? भारत सरकार से तो मिल नहीं सकता इसलिये प्रबन्ध यह किया जाय कि इसको बैन किया जाय। चने को बैन करने का फैसला लिया गया। यह सब जानते हैं कि अन्तर्राज्यीय व्यापार को बिना भारत सरकार की अनुमति के बैन नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार ने तरीका निकाला कि असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के मातहत बैन नहीं करके फूड ग्रेन लाइसेंसिंग आर्डर के मातहत कर दिया जाय लेकिन इस पर भारत सरकार ने आपत्ति की और कहा कि बैन नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि प्रभाकर जी के पास रिकार्ड है वह बता देंगे कि भारत सरकार ने अपना क्या री-एक्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो छोटा है लेकिन फैसला हुआ, अध्यक्ष महोदय, 23-9-80 को केबिनेट के अन्दर फैसला लिया गया कि तेजकुमार जी का नोट था चने की आवश्यकता है इसलिये इसको बैन किया जाय। 23-9-80 को केबिनेट का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फैसला हुआ, माननीय सदस्य सुन लें और 23-10-80 को वायरलेस मैसेज दिया यानी एक महीने के बाद और 17-11-80 को वह नोटिफाई हुआ। यह इतना विलम्ब क्यों हुआ है ? आज तक श्री खेतसिंह जी मंत्री रहे हैं, श्री हीरालाल जी देवपुरा मंत्री रहे हैं, श्री चन्दनमल जी वैद मंत्री रहे हैं इनमें से कोई खड़े होकर कह दें कि इस प्रकार के डिसीजन जिस दिन केबिनेट का फैसला होता है उसी समय वायरलेस मैसेज होता है और एक्स्ट्रा आर्डिनेरी गजट निकलता है। लोगों में चर्चा जोर शोर से हुई और लोगों ने चना बाहर निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि बीज की आवश्यकता है और उधर व्यापारियों से कहते हैं चने का निकास बन्द होने वाला है इसलिये अभी बाहर निकाल दो।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बैन, हटाने के लिये केबिनेट का कोई फैसला नहीं। केवल मुख्य मंत्री जी ने अपने स्तर पर फैसला लिया और अपने स्तर पर फैसला कब लिया कि पहले तो मुख्य मंत्रीजी से 10 तारीख को एक डेपुटेशन मिला दाल मिल एसोसियेशन का। उस डेपूटेशन को मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बैन हट जायगा। उसके बाद में श्री प्रभाकर जी से मिला। प्रभाकर जी ने भी कहा कि हम बैन हटा देंगे। 23 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने अपने स्तर पर ही 22-12-80 को बैन हटाने का निर्णय ले लिया और फाइल पर हस्ताक्षर हो गए और नोटिफिकेशन निकालते हैं 9-1-81 को यानी 20 दिन के बाद और 20 दिन आप राजस्थान की मण्डियों को देख लें जिन लोगों को पता लग गया कि बैन हट रहा है उन्होंने बाजार से अनाप शनाप चना खरीद कर अपना स्टॉक कर लिया। यह तो दो तरह से कमाई हुई और तीसरी कमाई परमिट के थ्रू की। 57 पार्टीज को परमिट दिये गये। परमिट कई दिये उस परमिट का तो मैं अभी ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। सरकार,

(4. 20 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

का उत्तर आने के बाद ही कहूंगा लेकिन मैं पहाड़िया जी से कहना चाहता हूं कि यह मसला छोटा नहीं है और खास तौर से माननीय चन्दनमल जी मंत्री बने उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात को अच्छी तरह से देख लें और देखने के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे कि विलम्ब क्यों हुआ और इसके कारण से राजस्थान के स्टाक में कितनी गड़बड़ी हुई और बाजार भाव में कितना अन्तर आया और क्या प्रोपराइटी के नाते यह बात उचित है कि निर्णय कब का है और लागू कब किया ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने लाइफ लाइन तो तोड़ ही दी, इसके साथ ही चीजों के भाव कितने बढ़ रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता और किसी मौके पर इसका जिक्र करूंगा। अकाल के सम्बन्ध में कह दिया लेकिन विकास के सम्बन्ध में एक मांग इस सदन में रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा अनुभव था या नहीं था लेकिन मुख्य मन्त्री बनने के बाद एक अनुभव जरूर हुआ जितने जिले अनविकसित होंगे उतना ही विकास कम होगा इसलिए धौलपुर, बारां, हनुमानगढ़ और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दौसा इन चारों को नये जिले बनाने के संबंध में निर्णय लिया था। अब सौभाग्य से धौलपुर के दो मन्त्री हैं। दोनों राज्य मंत्री हैं। दोनों मुख्य मंत्रीजी की पसन्द के हैं। बार-बार ऐसे मौके नहीं आयेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाकी आपकी के हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहाड़िया जी, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं लोग कहते हैं आपने मेरे से पूछ कर मन्त्री बनाये इसलिए मेरी पसंद के हैं लोग कहते हैं मैं नहीं कहता।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री): अच्छा तरीका है पब्लिसिटी का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा उसका उत्तर दिया है। लोग कहते हैं उसका जवाब दिया है। अब सही है या गलत आप बता दें।

एक माननीय सदस्य : किससे पूछा है ?

श्री भैरों सिंह शेखावत : किसने किसी पूछा है इसका रहस्य ही रहने दें।

एक माननीय सदस्य : लोग यह भी कहते हैं कि आप भी पहाड़िया साहब से मिले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार मिलते हैं।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं यह जो सारी स्थिति है कब तक चलेगी ? राजस्थान सरकार ने विकलांग वर्ष मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने विकलांग वर्ष विकलांगों के लिए मनाने से पहले इस पूरे राजस्थान को विकलांग बना दिया है। कोई अंतर्राष्ट्रीय फण्ड मिलने वाला हो और योजना बद्ध तरीके से राजस्थान को विकलांग बनाए तो मैं कह नहीं सकता लेकिन राजस्थान को विकलांग बना दिया। एक करोड़ 60 लाख लोग अकाल से प्रभावित हैं। बिजली के अभाव में कारखाने बन्द हैं। 5 लाख के करीब मजदूर प्रभावित हैं। हास्पिटल्स में डाक्टर्स नहीं। बद्रीप्रसादजी जानते हैं फाइल पर डाक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में नहीं। अगर स्कूलों में जायें तो अध्यापक नहीं। प्रभाकर जी की कृपा थी भगवान जाने कितने टीचर्स का ट्रांसफर किया ? थर्ड ग्रेड टीचर्स को नहीं बख्शा हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना पड़ा। पंचायत समिति के टीचर्स को नहीं बख्शा हाई कोर्ट में जाकर धारा ही विलोपित करानी पड़ी। ट्रांसफर हो गये। केन्सिल हो गये नतीजा यह निकला, अध्यक्ष महोदय, मैं एक आर्टिकल पढ़कर सुनाना चाहूंगा यह है सन्डे रिव्यू टाइम्स आफ इण्डिया का बी0 के0 नेहरू का आर्टिकल है सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा है लिखते लिखते लिख गये

"What, I think, Mrs. Gandhi has been doing on the administrative side is to keep the excesses of those Chief Ministers, whom she can control, within limits and I think the absolute non-sense they were doing in the beginning transfering thousands of people just to please their M.L.As."

यह बी. के. नेहरू वे हैं जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी ने गवर्नर बनाकर जम्मू और काश्मीर में भेजा। उस आदमी के विचार हैं। क्या लिखा है इसको आप अच्छी तरह से देख लें। मैं

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

यह निवेदन कर रहा था कि स्कूल खाली, अस्पताल खाली, सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब हो रहा है कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें तीन-तीन महीने से टीचर्स नहीं हैं टीचर्स नहीं हैं तो इम्तिहान कैसे होंगे ? उनके इम्तिहानों की व्यवस्था कैसे होगी ? एक इम्तिहान की मैंने जानकारी की है ये कहीं गंगानगर में कोई बी. एड. स्कूल को अभी परमिशन दी है । 15, 20 दिन पहले दी है 3 महीने बाद इम्तिहान होंगे । तीन महीने में डिग्री मिल जावगी । मैं समझता हूं यह चमत्कार तो राजस्थान सरकार ही कर सकती है, दो चमत्कार हैं, आज इन्स्टीट्यूशन खुल रहा है तीन महीने बाद डिग्री मिलेगी, दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती । इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, विकलांग बना दिया । कुओं में पानी नहीं, खेतों में अनाज नहीं । चम्बल, राजस्थान कैनाल का पानी हमें मिल नहीं रहा है । अधिकारियों को किसी प्रकार का कान्फिडेन्स नहीं । सिमको फैक्ट्री बन्द पड़ी है । न पहाड़िया जी को चिन्ता है कई दिनों तक बंद रहे किसी को कोई चिन्ता नहीं । केन्द्रीय मंत्री कोटा में यहां तक भाषण दे गये कि अगर ऐसी हालत रही तो जो सिमको का एक्स्पेन्शन हो रहा है उसको दूसरी जगह ले जाने का विचार करना पड़ेगा । यहां तक हो जाय मुख्य मंत्री जी को उसके बारे में चिन्ता नहीं है । मैं ऐसा समझता हूं कि हड़तालें जिस प्रकार से चलती हैं मुख्य मंत्री जी जानें । प्लान में कटौती हो । यह सारी स्थिति है । पहाड़ियाजी, बड़ी मेहनत करके, ईमानदारी से अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग करते-हुए पूरे राजस्थान को विकलांग बनाया है और इस अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में राजस्थान का कैसे भला होगा यह पहाड़िया जी समझ सकते हैं । सभापति महोदय, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ।

एक बात और कहना चाहूंगा कि आज, सभापति महोदय, राजस्थान में कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर मैं अलग से कहूंगा जिस वक्त मौका मिलेगा लेकिन एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स जिसके लिये प्रधान मंत्री से लेकर सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि गम्भीरतम अपराध करने वाले को, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले को उन लोगों को बन्द किया जायगा । नजर बन्द किया गया, तीनों आदमी तो मेरे क्षेत्र के हैं । संयोग से तीन कांग्रेसी हैं । कांग्रेसियों के साथ ही अन्याय हो, मैं पसन्द नहीं करता । उनका दोष यह कि उन्होंने चीनी के अन्दर ब्लैक मार्केटिंग की । क्या सरकार ब्लेक मार्केटिंग करने वालों को नेशनल सिक्यूरिटी आर्डिनेन्स में डिटेन करना चाहती है । मैं पहाड़िया जी से पूछना चाहता हूं जिन लोगों के खिलाफ चीनी के ब्लैक मार्केटिंग के अनाज की होल्डिंग के, थाने में केस रजिस्टर हो रहे हैं, वह चालान नहीं हो पा रहे हैं । उनमें कई नेता भी हैं । उनकी व्यवस्था क्या है ? उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं, सभापति महोदय, नाथूसिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था राजस्थान में बेकारों के लिये क्या व्यवस्था की गई है ? बेकारी भत्ता देंगे या नहीं देंगे ? नाथूसिंह जी, सरकार उत्तर नहीं देगी मैं दे दूं आपके पास यदि कोई बेकार हो, नेशनल परमिट के लिये एप्लीकेशन दे दीजिये, मन्जूर हो जायगी । प्रभाकर जी के दोनों लड़के बेकार हैं एक का नाम है दिलीप कुमार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और दूसरे का नाम है अशोक कुमार। उन दोनों ने एप्लीकेशन दे दी। रमाकान्त अग्रवाल वहां आ गये। 7 फरवरी का गजट है। इस गजट के अन्दर एप्लीकेशन 129 नं. पर श्री दिलीप प्रभाकर, पुत्र श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, 49, सिविल लाइन्स, जयपुर (राजस्थान)। मैं कह रहा हूं बेकारों का समाधान है ऐसी बात नहीं है। आप चाहे रिकार्ड मंगा सकते हैं। दूसरे पुत्र का नाम अशोक प्रभाकर, पुत्र श्री एच. पी. प्रभाकर, 135, अशोक नगर, उदयपुर। दोनों ने नेशनल परमिट के लिये एप्लीकेशन दी। गजट से बोल रहा हूं, प्रभाकर जी नाराज न हों, जो कुछ इसमें लिखा है वह बोल रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं और बहुत लोग बेकार हैं उन बेकारों को भी धन्धा मिले आप व्यवस्था कर दें। परमिट के अलावा एक वे ब्रिज का और कर दिया। जयपुर के अन्दर पत्थर मण्डी है। पत्थर मण्डी में वे ब्रिज लगाने के लिये पहले यू. आई. टी. से कोशिश की जमीन का अलाटमेन्ट करें। यू. आई. टी. में नियम नहीं है तो यू. आई. टी. ने कहा हम नहीं दे सकते। तो कहा नियमों में संशोधन किया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि 2 पर्सेन्ट अलाटमेंट सरकार कर सके विकलांगों को, अन एम्प्लायड ग्रेजुएट्स को और एक्स-आर्मी मैन को इन तीनों को अलाटमेंट कर सके। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वह बात किसी दूसरे के ध्यान में आ गई एक मुद्दा ऐसा है जिसमें पकड़े जायेंगे, एक और तरीका है उसको वहीं रख दिया जमीन नीलाम हो गई। नीलामी में, प्रभाकर जी, दिलीप के नाम छूटी है या अशोक के नाम? मुझे जानकारी है किस के नाम छूटी है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी को 2½ घंटे का समय था 4 घंटे 10 मिनट हो गये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं खतम ही कर रहा हूं। मिसालें और बहुत हैं। गंगवाल पार्क की जमीनों की फाइलें माननीय मंत्री जी के पास पड़ी हैं। गंगवाल पार्क में डीए क्वीजिशन की कार्यवाही कर रहे हैं। उसके लिये तो मुख्य मंत्री जी आपने रोक दिया, धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिनमें मनमानी कार्यवाही की जा रही है, कई अनियमित कार्य हो रहे हैं शायद आपके नोटिस में नहीं हैं। यह तो आपने अच्छा किया कि इनसे एजुकेशन ले लिया और यह भी आपने अच्छा किया कि इनसे एस.एस.जी. ले लिया और अब दूसरे डिपार्टमेंट भी ले लें तो अच्छा रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं लड़के, लड़कियां सब बेकार हैं—सबको धन्धा मिलना चाहिये। उनको धन्धा मिले बाकी के लोगों को नहीं मिले अभी मेरा समय नहीं हैं किन्तु कोई और मौका आयेगा तो चर्चा करूंगा।

अन्त में यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ, राजस्थान में किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं हुआ, राजस्थान में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई कि राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा हो। हां, राजस्थान में एक काम किया है और वह यह किया है कि राजस्थान को विकलांग बना दिया। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): आदरणीय सभापति जी, मैं श्रीमन् राज्यपाल महोदय के

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है आदरणीय चूण्डावत जी के द्वारा, उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करता हूँ।

इस अभिभाषण में अकाल की स्थिति को समझते हुए राहत कार्यों पर मजदूरों को लगाने की योजनायें सरकार ने बनाई हैं। हर साल अकाल की स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने फसलों के बीमा करने की योजना बनाई तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में बारानी तकावी की भू-राजस्व बकाया की वसूली को स्थगित करने के लिये राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना सन् 1980 से गांधी जयन्ती के अवसर पर राज्य की 236 पंचायत समितियों में क्रियान्वित करने की योजना सरकार ने अपने हाथ में ली। प्रत्येक पंचायत समिति में 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने के लिये राजस्थान सरकार ने अपना धर्म और उद्देश्य समझा और 6 नई तहसीलों व 27 उप तहसीलों के नये निर्माण का राज्य सरकार ने विचार और अपना मानस बनाया। गत वर्ष एक करोड़ 65 लाख वृक्ष लगाये गये थे अब एक करोड़ 75 लाख वृक्ष लगाने की सरकार की योजना है। श्वेत क्रांति के रूप में दुग्ध वितरण योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार बहुत सी योजनायें हाथ में लेने जा रही है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं और निश्चित रूप से यह सही है कि कोई भी योजना, कोई भी उद्देश्य, कोई भी प्लानिंग अधूरी रह सकती है लेकिन जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने फर्माया वे इस बात को सोचें और यह भी महसूस करें कि इन योजनाओं की अच्छाइयों की कम से कम तारीफ करने के लिए अमल में लावें कि योजनाओं में अधूरापन रह सकता है लेकिन योजनाओं को बोगस बताने वाले लोगों से मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि अच्छाइयों को अच्छाइयों के रूप में बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं चाहे सत्ता पक्ष का सदस्य हूं लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि इसमें कुछ योजनाएं इस प्रकार की हो सकती हैं जो इस अभिभाषण में शामिल की जानी चाहिए थीं मुझे खुशी होती यदि राजस्थानी भाषा के लिए इसमें कुछ कहा जा सकता था, राजस्थानी भाषा के हितैषियों के लिए दो शब्द इसमें लिखे जा सकते थे लेकिन जो-जो अच्छी योजनाएं, जो-जो अच्छे-अच्छे कार्य राजस्थान सरकार ने अगली बार लेने के लिये कहा है उनकी तारीफ किये बिना भी नहीं रह सकता हूं। लेकिन इसके साथ यह सुझाव भी रखना चाहूंगा कि बिजली की बढ़ोतरी के बाबत राजस्थान सरकार को अत्यन्त परिश्रम की आवश्यकता है, किसानों को बिजली दिये बिना कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ सकता है और इसी प्रकार उद्योगों का काम बिना बिजली के नहीं चल सकता है। राजस्थान में बिजली के जितने साधन बढ़ाये जायं, उतनी ही प्रगति होगी। उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए राजस्थान सरकार को एक अलग से नीति बनानी चाहिए। उद्योगों की नीति में यह स्पष्ट होता है कि उसमें सैल्स टैक्स माफ करने की योजना होती तो अच्छा होता। बंगाल और कलकत्ता में नये उद्योग लगाने वालों को 5 वर्ष के लिए सैल्स टैक्स में माफी दी जाती है, प्राइवेट बिजली उत्पादन करने वालों को सब्सिडयरी व कुछ छूट मिलती तो उसमें मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती। इनके

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

प्रधान कार्यालय जो राजस्थान के उद्योग हैं, बाहर की स्टेट में है। यदि सरकार ध्यान देकर उन कार्यालय को हमारे प्रदेश में स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाती तो मुझे बहुत खुशी होती।

अफसरशाही के बारे में हांलाकि मुझे अधिक नहीं कहना चाहिए लेकिन क्योंकि विरोधी पक्ष के लोगों ने बहुत कुछ कहा है, हमारे यहां के कुछ सदस्यों ने कहा लेकिन मैं मेरी व्यक्तिगत मान्यता रखता हूं। हो सकता है किसी मंत्री ने वक्तव्य दे दिया एम. एल. ए. के कहने पर और हर तरह के आदेश करवाने पर भी न माने और यह भी हो सकता है कि प्रशासन ढीला हुआ हो लेकिन पहाड़िया जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशासन केवल ढीला रह गया हो यह बात कतई नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि वे अपनी मान्यता को बदलें। पहाड़िया के राज में प्रशासन पर अंकुश लगाया गया है। ढाई वर्ष में जनता पार्टी ने जिस प्रकार राज्य की स्थिति को बिगाड़ी प्रशासन को नपुंसक बनाया उसमें कुछ सुधार लाने में समय लगेगा और इसके लिये हमको कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए।

नगरपालिकाओं की चुंगी को माफ करने के सम्बन्ध में सुझाव रखा होता तो अत्यधिक प्रसन्नता होती। सलादीपुरा के खाद कारखाने के बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार अगर इस ओर विचार करती तो मुझे अत्यधिक खुशी होती। बेरोजगारी की समस्या को मिटाने के लिए यह बहुत बड़ा कदम होता। डीजल की कमी, केरोसिन की कमी है। इस ओर भी राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से काफी परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत सी समस्याएं राजस्थान सरकार के सामने हैं उनमें सरकार कुछ में पूर्ण रूप से कार्यरत भी है किन्तु उसके बावजूद भी मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के लोग और विरोधी पक्ष के नेता महोदय इस अभिभाषण के लिए केवल मात्र एक शब्द कहें, सारे का सार यह निकालें कि इस अभिभाषण में सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, अभिभाषण बोगस है और सरकार की कोई किसी प्रकार की योजना नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी इस बात का फैसला करें कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय को केवल एक रंग का चश्मा लग गया है जिससे उन्हें अच्छी चीज का भान ही नहीं होता है और अच्छी बात को महसूस करने का उनका अब कोई तजुर्बा नहीं रहा है। केवल मात्र विरोध करने का एक लक्ष्य रह गया। क्रियाकलाप हमारे सामने रखा। बहुत सी बातें उन्होंने कही लेकिन मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कानून और व्यवस्था की बात सुनने को मिले तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कहां गये वे दिन जब मेरे क्षेत्र में इन्हीं जनता पार्टी के शासन के दौरान एक कुंवारी अविवाहिता अध्यापिका की रिपोर्ट दर्ज हुई कि एक सरपंच ने अवैध रूप से गर्भ गिराया। उसकी हत्या हुई, उस समय शासन के लोग कहां बैठे थे, मैंने शिकायत की थी और मैं व्यक्तिगत रूप से इनके पास गया था...

(व्यवधान)

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उस ओर बैठने वाले लोगों से, इसी जयपुर शहर के चांदपोल बाजार में मेरे यहां की रहने वाली एक महिला की रात को हत्या की गई और उसके लड़के के अंगूठे उसके लड़के के नाम से रोजनामचे में लगाकर सम्बन्धित लोगों ने, भारतीय मजदूर नेता के द्वारा उस हत्या को रातों रात दबा दिया गया यह जयपुर शहर का मसला है।

कानून और व्यवस्था की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं जो बात करते हैं हत्याओं की, जो बात करते हैं चोरियों की, जो बात करते हैं डकैतियों की। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहता हूं याद कीजिये उस कालिख के समय को, याद कीजिये उन अपनी काली करतूतों को जब कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति थी जब इसी जयपुर शहर में इंजीनियर की हत्या हुई, जब इसी जयपुर शहर में पुलिस कर्मचारी की हत्या की गई और अनेक हत्यायें हुई। कानून और सुरक्षा के हिमायत करने वाले लोग बढ़ बढ़ कर आज बोल रहे थे, उस समय कहां गये थे और कितनों को पकड़ कर गिरफ्तार किया गया था।

कस्टम कलेक्टर की हत्या भी इन्हीं लोगों के राज में हुई है, इसी जयपुर शहर में। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इन लोगों से, जिन्होंने चोरियों के सवाल इस सदन में रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं चोरियों के उदाहरण देने वाले उन लोगों से, सदन के सदस्य और माननीय अध्यक्ष महोदय ने, पिछली बार जो इस सदन के अध्यक्ष थे, कि उनके घर में जनता पार्टी के राज में चोरी हुई. उसका आज तक पता नहीं लगा, इस सदन के अध्यक्ष के घर में चोरी हो और ये जनता पार्टी के लोग उस चोरी को साबित न कर सकें, उसको पकड़ न सकें और ये लोग चोरियों के आरोप हम पर लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो इस प्रकार के सवाल यहां खड़े करते हैं। बात करते हैं बलात्कारों की बात करते हैं महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत की। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, भ्रष्टाचार की बात करने वाले माननीय सदस्यों की जिन्होंने एक कपड़ा यहां उठाकर कांग्रेस का कफन बनाया था XXX और वे हमारे पास सबूत तौर पर हैं। मैं आपके सामने, सभापति महोदय, आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग बात करते हैं, जो प्रूफ करते हैं, अखबारों की कटिंग लाते हैं और बलात्कार की बात करते हैं XXX

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री सभापति : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह है कि क्या व्यक्तिगत चरित्रहनन के आरोप लगाने के लिए नोटिस देना पड़ता है।...

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी को इंगित नहीं किया है, मैंने किसी का नाम नहीं बताया है, जो लोग अखबार पढ़ते हैं, उनको मैं भी अखबार की कटिंग दिखा देना चाहता हूँ...

श्री कैलाश मेघवाल : अगर मुझे छूट दी जाय तो यहां...

(व्यवधान)

करने का नम्बर नहीं आयेगा, प्रामाणिक रूप से...

श्री दीपेन्द्र सिंह : व्यवधान हो रहा है, सभापति महोदय, इसके लिए मैं अधिक समय चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चरित्र हनन की बात अगर चालू करना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, मैं स्वागत करता हूं इसका और एक-एक घण्टा तय किया जाय और नम्बर एक से चालू करूंगा; नम्बर दो से चालू करूंगा और वहाँ से लेकर चालू करूंगा, विधायकों तक नहीं आऊंगा, अगर आप ये चाहते हैं...

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं मेरी बात किसी पर आरोप लगाते हुए नहीं कह रहा।

श्री कैलाश मेघवाल : और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने की छूट अगर दे रहे हैं तो वह छूट मुझे भी दी जाय।

श्री अमराराम चौधरी : आपको क्या डाउट हो रहा है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके मन्त्रियों से..,

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी को इंगित नहीं किया है, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाये हैं। मैं इन अखबारों के जरिये से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष में बैठने वाले इधर के क्रियाकलापों को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : आपके ऊपर नहीं आ रहा है यह, आप बैठिये।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखें। आपका व्यवस्था का प्रश्न है, आपने व्यवस्था का प्रश्न...

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम है किसके बारे में है यह। मुझे अलाउ कीजिए कि मैं कहां से चालू करूं, मुख्य मंत्री जी, प्रभाकर जी या दूसरे मन्त्रियों के नाम लेना...

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं केवल कागजों के आधार पर पूछना चाहता हूं, ये कागजात हैं, उनके आधार पर पूछना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मेरे समय में बर्बादी की जा रही है इसलिए मैं

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

इसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूं, इसको बर्बाद न किया जाय।

दुखिया की बहन बेटियों की जो लोग इज्जत नहीं कर सकते, वे अपनी बहन बेटियों के लिए...

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, दूसरों पर कीचड़ उछालना आसान नहीं है, गिरहबान में देखेंगे तो कीड़े देखेंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह : यह समय किसी पार्टी का समय नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमने दूसरों के लिए कोई व्यवधान नहीं किया, हमारे समय में इस प्रकार की बर्बादी सहन नहीं करेंगे। इसमें सॉफ है, ये कागजात हैं। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी का नाम नहीं लिया, मैंने केवल इन कागजातों को रखा है, ये रोते हैं, ये आपसे न्याय मांगते हैं, चिल्लाते है, इस प्रकार की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। इनमें सबूत हैं, ये कागजात हैं।

श्री सभापति : आपको यहां राज्यपाल महोदय के भाषण पर बात...

श्री दीपेन्द्रसिंह : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बलात्कार पर चर्चा की गयी है, राज्यपाल महोदय के भाषण पर चोरियों पर चर्चा की गयी है, राज्यपाल महोदय के भाषण पर डकैतियों पर चर्चा की गयी है। राज्यपाल महोदय के भाषण पर हमारे मन्त्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा की गयी है, ये राज्यपाल महोदय के भाषण का अंग नहीं होता है?

इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार की बात अगर इस सदन में कही जाती है, सम्मानित सदस्य इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब हमको पत्थर से देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : ऐसी रनिंग कमेन्टरी नहीं होगी, बेकार की।

श्री सभापति : ऐसा है, यहां एक सदन की गरिमा को कायम रखते हुए आप लोग सदन की गरिमा को कायम रखिये और यहां ऐसी बात न कहिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह : मैंने किसी का नाम लिया हो तो बतरा दीजिए ? तो फिर...

श्री सभापति : मैं नहीं जानता कि आपने किसी का नाम लिया है, कोई व्यक्ति अपने ऊपर ऐसी बात ले ले और नाराज हो, ऐसी बात भी मत कहिये। आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय सभापति महोदय, असलियत कहने में यदि बुरी लगती है तो उनसे कह दीजिए, असलियत सुनने का हौसला न हो तो जहां असलियत नहीं सुनने को मिलती हो, वहां चले जायं।

(व्यवधान)

कविता नहीं है; यह हकीकत है और हकीकत को दबाया नहीं जा सकता। मैंने जब इन कागजातों की फाइल को खोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन यही कह सकता हूं कि XXX और कितनी तारीख को क्यों लिखा गया, इस बात का फैसला इधर बैठने वाले कर दें। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना,

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)
अपने गिरहबान में झांकते हुए जो अपनी बात नहीं करते उनको दूसरों की बातों को करने का अधिकार नहीं है। यह अखबार, जिसमें ये फोटो हैं, मेरे घर, प्रेस का छपा हुआ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह अखबार जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर जिसमें माननीय मन्त्री किसी के आचरण पर किसी और बात पर क्या लिखा है, ये मुझे नहीं पता लेकिन जब राज्यपाल की उदयपुर की यात्रा हुई, छात्र नेताओं ने उनको ज्ञापन दिया। इसकी जांच के लिए विधान सभा के सदस्यों की कमेटी ने जांच की, उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या फैसला दिया, इसका मुझे पता नहीं लेकिन मेरे पास कागजात मौजूद हैं। इसका अवलोकन आप कर लीजिये। ये नेशनल पेपर है, जयपुर शहर में छपा हुआ नहीं; दिल्ली का छपा हुआ और प्रतिष्ठित अखबार है, इसमें कौन से अखबार के अन्दर कौन से कागज की, कौन सी फोटोस्टेट कापी है, इस बात के लिए मुझे ज्यादा जिक्र नहीं करना लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों को चोरियों पर बात करना आता है, जिन लोगों को भ्रष्टाचार पर बात करना आता है, जिन लोगों को बलात्कार पर बात करना आता है वह इस कागज के पीछे अपना मुंह देख लें, फिर अपनी बात करना शुरू करें। ×××जिसने क्या क्या किया, ये लिखा हुआ है। सभापति महोदय, छात्र संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया, उस पत्र की प्रतिलिपि आपकी सेवा में समर्पित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सभापति महोदय, अभी बड़े जोर शोर से एक माननीय विधायक इस बात की ताईद कर रहे थे, मैंने आपसे निवेदन किया कि मुझे सुनने में कोई एतराज नहीं, सुनाने में भी कोई एतराज नहीं और मैं तो चाहता हूं कि इसका भी एक नियम है कि कोई भी इस सदन में माननीय सदस्य के विरुद्ध, चरित्र हनन की या उसके खिलाफ कोई बात बिना नोटिस के नहीं की जाय, यह एक नियम है और आज यह नियम है, इस नियम को आप...

श्री दीपेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है, किसी पर आरोप नहीं लगाया है। यदि हकीकत किसी को अपनी बुरी लगती है तो यह उनकी बात है, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, ये अपने आप पर क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है ?

श्री कैलाश मेघवाल : अरे, उसका मतलब तो सब जानते हो, ये ×××मन्त्री बैठे हैं, किसी पर आरोप नहीं लगाया है, नाम गिनाऊं तो बहुत कुछ शुरू हो जायगा, क्या फायदा होगा, अखबारों में आयेगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह : मेरा समय बर्बाद करने का तय कर लिया हो तो उनकी मर्जी। वर्ना मैं बोलना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाय, अखबारों में बताया है किसका है, किसका नहीं है, आपको क्यों बुरा लग रहा है ?

एक माननीय सदस्य : आपका नाम तो लिया नहीं है।

×××अभिव्यक्ति एवं शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, आपने नाम तो लिया नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं सवाल करता हूँ कि मेरे बारे में छपा और मेरे बारे में बोल रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इस नियम को वेव कीजिए जिससे चरित्र हनन के आरोप नहीं लगाये जा सकते। या तो इसको कार्यवाही से निकालिये या मुझको इजाजत दीजिए कि मैं मन्त्रियों से, सदस्यों से शुरू करके किस किस विधायक ने किस किसके साथ क्या किया....

श्री दीपेन्द्र सिंह : मेरी बात में व्यवधान होता जा रहा है, उसके बाद किसी की बात करिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, क्या यही पाइन्ट आफ आर्डर का भाषण है। XXX

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, मैं अपने पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहा हूँ।

श्री सभापति : क्या आपने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है या पर्सनल एलीगेशन लगाये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अपनी बात पूरी नहीं कह सका हूँ अभी तक....

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, यह मेरे दल का समय है, यह मेरा समय है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह मेरे दल का समय है इसको बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है।

(4.50 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

I am in possession of the House. I can't be debarred...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज...आर्डर प्लीज, माननीय कैलाश मेघवाल। आर्डर प्लीज।

अभी पिछले दस पन्द्रह मिनटों में वातावरण काफी उग्र हो गया है और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो यहां पर नहीं किया जाना चाहिए। अपने नियम बिलकुल स्पष्ट हैं कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक, अपमानजनक अथवा किसी तरह के अपशब्द कहे जावें तो उसे पहले अगर ऐसे मामले उठाना चाहते हैं तो उसकी सूचना देनी चाहिए।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : नाम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : नाम का सवाल नहीं है। नाम लेना जरूरी भी नहीं है। अगर नाम लेकर कोई बात कहें और उससे ही नियमों का हनन होता हो यह नहीं है। अगर बिना

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

नाम लिए भी अन्यथा कहें और अगर आप इशारा करते हैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ और वह व्यक्ति यह कह दे कि यह मेरे पर है तो उसका नाम हो गया। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि पिछली जितनी भी कार्यवाही हुई है इस कार्यवाही को मैं देख लूंगा। इसके अन्दर बहुत से अपशब्द आए हैं और मुझे अफसोस होता है कि जिस तरह के शब्दों को बहिन बेटियों के लिए यहां कहा गया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कार्यवाही को देखूंगा और मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आपको अधिकार है इस तरह के मामले उठाने का लेकिन उसके लिए नियमों के अनुसार नोटिस देना होता है और नोटिस देकर के आप ऐसी बातों को उठा सकते हैं ताकि जो सदन के माननीय सदस्य हैं वह उसका उत्तर दे सकें और अगर वह सदस्य नहीं हैं, अन्य कोई व्यक्ति हैं तो मंत्री महोदय अगर उसके पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखेंगे तब तक तो प्रकाशित हो जायगा।

श्री अध्यक्ष: देखे बगैर तो मैं भी क्या कह सकता हूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : मैं मनाई करता हूं। मैं इस बात का आदेश देता हूं कि प्रेस को यहां जो भाषण हुए हैं दस पन्द्रह मिनट में उसमें कौन सी चीज कहने लायक है और कौन सी चीज कहने लायक नहीं है, वह सब प्रकाशित नहीं होगी अखबारों में।

अब माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि अपने को यहां पर जनहित की बातें कहनी हैं। उसके बाद भी ऐसी बातें अगर आप को कहनी हों, जैसी कि कही गई हैं, तो उसके लिए नियमों के अनुसार नोटिस देना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक मैंने कहा है, आरोप तो मैंने नहीं लगाये हैं। हकीकत यदि बुरी लगती है और उसके परिणाम दूसरे होते हैं तो मैं इस बात को छोड़ देता हूं। यह सदन, यह पत्रकार, यह जनता, यह राजस्थान के दो करोड़ लोग इसी बात को मेरे मुंह से न कहे जाने पर भी दबा नहीं सकते। हकीकत हकीकत होती है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : Sorry for interruption. समय बढ़ाना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक घण्टा बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : अभी हमारे कांग्रेस के बहुत बाकी रह गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपको कांग्रेस के कौन से हो गए ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय रात्रि को 9 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी एक घण्टा ही बढ़ा दो।

श्री खेतसिंह राठोड़ : हमारे दल के बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। आपका समय था उससे भी डेढ़ घण्टा ज्यादा बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : सभी हमारे ही हैं। आपके लिए भी हमारी वाली बात कह दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा बोल गए हैं।

क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय आठ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री खेतसिंह राठोड़ : 9 बजे तक कर दें।

श्री अध्यक्ष : बाद में कर लेंगे। अभी 8 बजे तक बढ़ा देते हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, बात चल रही थी हमारे शासन में, पहाड़ियाजी के शासन में उपलब्धियों के बारे में। श्रद्धेय विरोधी दल के नेता ने दो घण्टे में हमारे शासन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मैं उनका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि सन् 1979–80 में जो उपलब्धियां जनता पार्टी के राज में रहीं उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैं आपसे निवेदन करूं कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जनता पार्टी के राज में, जो हमारी उपलब्धियां बताते हैं खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 33 पर्सेन्ट की गिरावट आई। तिलहन में 52 प्रतिशत की गिरावट आई, गन्ने में 47 प्रतिशत की गिरावट आई। कपास में 16 प्रतिशत की गिरावट आई। वस्त्र, धागा, सीमेंट, शक्कर इत्यादि में भयंकर गिरावट आई। औसत आय 321 के स्थान पर 276 रह जाय, थोक भाव सूचकांक 448 से बढ़ कर 480 तक पहुंच जाय और उसके बाद भी जनता पार्टी के कीर्तिमान और उपलब्धियों को छुपाते हुए विरोधी पक्ष के लोग यदि हमारी सरकार की, इस पहाड़िया सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करें तो मैं यह उन पर छोड़ता हूं कि वे ही फैसला करें। इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष को असलियत को छुपाना नहीं चाहिए। वास्तविकता स्वीकार करने में किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1979–80 में बजट का घाटा 17.80 करोड़ का बढ़ कर 32 करोड़ तक पहुंच जाय और फिर विरोधी दल के लोग आंकड़ों में केवल मात्र हमारी सरकार की उपलब्धियों पर पर्दा डाल कर, विरोधी दल के लोग लच्छेदार भाषण देकर सदन को गुमराह करें तो यह बर्दाश्त की जाने वाली चीज नहीं है। श्रीमान्, वास्तविकता वास्तविकता होती है।

स्थानान्तरण के बाबत में, दूसरी बाबत में बहुत से आरोप लगाए गए हैं। अध्यापकों के लिए कहा गया कि बहुत से अध्यापकों के अभाव में स्कूल खाली पड़े हुए हैं, बहुत-से स्कूलों में ज्यादा अध्यापक लगाए गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जनता पार्टी के लोगों से कि यह परिपाटी किसने डाली ? मुझे याद है जनता पार्टी के राज में भी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, जब माननीय केदार जी गृह मंत्री थे एक एक थाने में चार चार

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

थानेदारों के कीर्तिमान स्थापित किये गये थे । मैं निवेदन करना चाहता हूं सही बात को छुपाने का प्रयास, असलियत को दबाने का प्रयास मेरे इन दोस्तों को नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की बातें जिन लोगों ने कही हैं, मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है । मैं यह भी नहीं मानता कि पहाड़िया जी के आने के बाद भ्रष्टाचार बिलकुल समाप्त कर देने की घोषणायें हमारी सरकार ने की हों लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि जनता पार्टी के आने के बाद और इन्हीं लोगों को आज विरोधी पक्ष का मुंह देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है, सत्ता में आने के बाद इस राजस्थान की धरती पर घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं भ्रष्टाचार समाप्त करने के पक्षधरों को, वन विभाग के मुख्य संरक्षक श्री के. के. गुप्ता के खिलाफ लाखों रुपयों के सपोटरा काण्ड के घोटाले के आरोप लगाए गए थे । उस घोटाले को किसने जातिवाद के चक्कर में आकर, रिश्तेदारी के चक्कर में आकर के जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं की वजह से, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मामला साबित हो जाने के बावजूद तथा जनता पार्टी के तत्कालीन मंत्री द्वारा चालान किये जाने के आदेश देने के पश्चात् भी इस मामले को दबाया ? उस मामले को चीफ सेक्रेटरी के पास दोबारा जांच के लिए भेजा गया। वह अधिकारी राजस्थान के वन विभाग में बहुत बड़ा अधिकारी बना हुआ आज भी बैठा है । यह भ्रष्टाचार का मामला था लेकिन उस वक्त वह समाप्त हो गया । यह मैं दावे के साथ नहीं कहता कि भ्रष्टाचार राजस्थान से समाप्त कर दिया गया है लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के यदि मामले साबित होते हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई विधायक हो, अगर साबित होते हैं, तो मैं निश्चित रूप से पहाड़िया जी से निवेदन करना चाहता हूं और राजस्थान सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी की तरह से इन मामलों को दबाया नहीं जावे । चाहे वह हमारे दल से सम्बन्धित हों ।

(व्यवधान)

मैं मेरी बात निवेदन कर रहा हूं। आपका समय था तब आप निवेदन कर चुके हैं । मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि गांव गांव तक जिन लोगों ने भ्रष्टाचार पहुंचाया है, जिन लोगों ने बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दबाया है और जिन लोगों ने स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाया है, वह इस विधान सभा के सदस्यों को गुमराह करने के लिये, पत्रकारों को, समझदार पत्रकारों को गुमराह करने के लिये और राजस्थान की दो करोड़ जनता को यदि गुमराह करने का प्रयास करें तो उससे जनता, विधायक और पत्रकार गुमराह नहीं हो सकते । मैं निवेदन करना चाहता हूं भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिये उन लोगों को, जो विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं, इन सदस्यों को जो कल तक यहां बैठा करते थे और जिनके भ्रष्टाचार के आरोप मुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । जो बड़े चिल्लाया करते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वे अपनी गिरहबान

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

में झांक कर देखें। उनको याद होगा कि उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर दिल्ली में उनके कारनामों का ज्ञापन दिया था जिनकी जांच आज तक नहीं हुई। हमारे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पूर्व अपने खुद के कारनामों को चैक कर लीजिये। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। वक्त आयेगा और वह सरकार जांच करके बता देगी, वह वक्त दूर नहीं है जब बढ़ चढ़कर बोलने वालों को मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो लोग न्यायालय के अन्दर स्वच्छ न्याय और परम्परा की बात करते हैं, जो लोग कानून और व्यवस्था की बात करते हैं वह कान खोलकर सुन लें, जब इस राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, उस दिन का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। बी.पी.गुप्ता के सामने, हमारे हाई कोर्ट के जज, उनकी अदालत में एक मुल्जिम को ले जाया गया। आज वक्त नहीं है, मैं साबित करता, हमारे सदन के बुजुर्ग नेता हमारी कांग्रेस अर्स के नेता राजबहादुर उस मुल्जिम की पैरवी करने वाले व्यक्ति थे। जब उस मुल्जिम को न्यायालय में हथकड़ी पहना कर भेजा, माननीय न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए मना कर दिया। वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देख नहीं सके उनकी आंखों में आंसू आ गये, वह चैम्बर में चले गये। यह न्याय की हिमाकत करने वाले लोग उस दृश्य को क्यों भूल जाते हैं? उन्होंने कहा कि बेड़ियां डाल कर मेरे सामने मुल्जिम को पेश नहीं किया जाता है उसको बाहर ले गये, राजबहादुर जी की आंखों में आंसू आ गये; न्याय के इन पक्षधरों को सोचना चाहिए न्याय व्यवस्था कहां तक पहुंच गयी थी? उस मुल्जिम को बाहर लाया गया, उसकी हथकड़ी और बेड़ियों, जो कि जेल में काटी जाती हैं, को बरामदे में विशेष रूप से काटी। नियमों का उल्लंघन हुआ न्यायालय का अपमान किया गया इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। सदन में जो परम्पराओं की बात करते हैं और परिपाटी की बात करते हैं; इसी सदन में इस प्रकार का एक उदाहरण पेश हुआ है। मेरे खयाल से गणतंत्र देश हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में इस प्रकार के उदाहरण पेश नहीं हुए। राजस्थान की सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए राजस्थान की सरकार का उसकी पार्टी का राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष त्याग-पत्र दे दे और सरकार पर आरोप लगाकर अपने घर चला जाय। इस प्रकार के कीर्तिमान जनता पार्टी के राज में स्थापित किये जो विश्व के इतिहास में नहीं मिल सकते। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैं मेरी पार्टी का समय ले रहा हूं।

लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो बातें करते हैं अधिकारियों की, प्रशासन की याद करें उस वक्त को। मुझे याद आता है, एक छात्रा मधु तिवारी को सप्लीमेण्ट्री परीक्षा में बैठने के लिए गलत तरीके

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

से रोका। राजस्थान के गवर्नर ने आदेश भेजे कि इसे परीक्षा में बैठाया जाय, विश्व-विद्यालय के उप कुलपति ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, मजबूर होकर वाइस चान्सलर को परीक्षा लेनी पड़ी। इस जनता पार्टी के शासन में गवर्नर के आदेश का उल्लंघन हो सकता है, उनको क्या अधिकार है इस बात का कि हमारे अधिकारियों पर आरोप लगा सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इनके क्रियाकलापों को। अनुशासन, श्रीमन् आप याद रखिये, अनुशासन नाम की चीज को, भ्रष्टाचार नाम की चीज को आप दफना दें अपने मुंह से इस शब्द का प्रयोग मत कीजिये, जिस प्रकार औरंगजेब ने संगीत को दफना दिया था। जनता पार्टी ने इस देश में ईमानदारी और अनुशासन को दफना दिया।

एक माननीय सदस्य : जय हो।

श्री दीपेन्द्रसिंह : जय तो हो ही रही है जनता ने जय कर दी और आप जैसे लोगों को जय हो करने के लिये इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह डिबेट का विषय नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : मैं मेरी पार्टी का समय ले रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में व्यवधान नहीं डालने दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम तो दावत दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। कृपया भाषण में व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, इनको इधर बैठने के बाद, उधर जाने के बाद और वापस इधर बैठने के बाद लोगों को लगा था कि बदलाव आयेगा। मैं समझता था इधर से अब उधर गये, उधर से जब वापस इधर आये विरोध में तो कुछ बदलाव आया होगा यह भी कहते थे कि बदलाव आया है जनता में जाकर कहते हैं कि बदलाव आया है। मुझे उस समय की पंक्तियां याद आती हैं जब बदलाव की बात करते हैं :

"पंछी समझते हैं कि गगन बदला है।
सितारे समझते हैं कि चमन बदला है।।
मगर मुझे अफसोस है···

एक माननीय सदस्य : भूल गये।

एक माननीय सदस्य : यह राजस्थान की जनता माया जाल में आने वाली नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तो भैरोंसिंह के जाल में आयेंगे?

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे बीच में व्यवधान न डालें। इनके बदलाव की ओर निवेदन कर रहा था। जो इनको बुरा लगा।

पंछी समझते हैं कि गगन बदला है,
सितारे समझते हैं कि चमन बदला है।

श्री नाथूसिंह : यहां पहाड़िया जी बदले हैं, वहां इन्दिरा जी बदली हैं।

एक माननीय सदस्य : नाथूसिंह बदल गया। एम.एल.ए. हो गया।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : इनकी बात से मुझे उस शायर के शेर की याद आती है,

बरबाद-ए-गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,

हर शाख पर उल्लू बैठा है,
अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा ?

(व्यवधान)

इस तरह से विरोधी दल के लोग हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं करने देना चाहते हैं। इन प्रजातंत्र के हामियों को सोचना चाहिये ..

एक माननीय सदस्य : यह तो क्रास ब्रीड है। छोड़ो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अच्छी बात है क्रास ब्रीड का पता लग जायगा। मुझे लगा क्रास ब्रीड नहीं होनी चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं इन लोगों से वह चार बीघा जमीन जो जयपुर शहर में आलीशान बिल्डिंग के लिये हिन्दुस्तान के सबसे बड़े स्मगलर शंकर गुप्ता को रातोंरात दफ्तर खोल कर किसने दी, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की ? इस बात का जवाब चाहिये सदन के विरोधी पक्ष के लोगों से ...

एक माननीय सदस्य : पहाड़िया जी देंगे जवाब।

श्री दीपेन्द्र सिंह : पहाड़िया जी के शासन की बात नहीं है। आलीशान बिल्डिंग के लिये जयपुर में चार बीघा पक्की जमीन का पट्टा दे दिया। जितना आपको बोलना आता है, अपने गिरेबान में झांक कर देखो।

एक माननीय सदस्य : जांच करने से कौन रोक रहा है आपको। जांच कराओ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं विरोधी पक्ष अपनी भूमिका अदा करे, रचनात्मक भूमिका अदा करे इसमें सत्ता पक्ष को खुशी होनी चाहिये। केवल मात्र विरोध के नाम पर विरोध करें, गवर्नर के अभिभाषण की अच्छाइयों का विरोध करें, वास्तविकता को छुपाकर केवल मात्र अखबार में नाम छपाने के लिये अपनी शेखी साबित करें, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिये मैं आपसे भीख मांगता हूं कृपया अपने उत्तरदायित्व को समझिये और इस देश को चलाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिये सरकार को अपना योगदान दीजिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस अभिभाषण की अंतिम पंक्तियों के बारे में, जिसमें आप जैसे लोगों को नसीहत है, जिसमें आप लोगों को चेतावनी दी है, सिखाया गया है, आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें लिखा है, "वास्तव में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास सरकार, जनता व जन प्रतिनिधियों के मिले-जुले सहयोग से ही सम्भव है, अतः मैं समस्त जन प्रतिनिधियों एवं

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

जनता का इस प्रक्रिया में सहयोगी व भागीदार बनने के लिये आव्हान करता हूं व आशा करता हूं कि आप इस सत्र में अपने कर्तव्यों को भलीभांति निभायेंगे।' इसमें राज्यपाल महोदय ने चेतावनी दी है उसको स्वीकार कर लें। मैं आपका समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं।

अन्त में इस अभिभाषण के पक्ष में पूर्ण रूप से तहे-दिल से इसका समर्थन करता हूं और विरोधी दल के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि सभी अपना सहयोग दें, सही विपक्ष की भूमिका निभायें और प्रजातंत्र को चलाने में मदद दें।

जय भारत।

श्री अध्यक्ष : बृज सुन्दर शर्मा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने अपने तरीके से कई बातें ऐसी रखी है जिससे सदन भुलावे में आ जाय, हमेशा उनका तरीका यह रहता है कि अपनी बात छिपा कर के कहते हैं। मैं इस सदन के सम्मुख यह कहना चाहूंगा कि आज किस स्थिति में गुजर रहे हैं और आगे जो गुजरने वाले हैं उसके बारे में उनके अपने जमाने में, अपनी सरकार के जमाने में क्या दौर रहा है। आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति यदि कमजोर हुई है, योजनाओं की क्रियान्विति में आर्थिक स्थिति में जो कमजोरी आई है या शासन में जो कुछ भी उन्होंने कहा कि ढिलाई आई है तो जो कुछ भी पक्षपातपूर्ण रवैया उनका रहा उसे साल भर हो गया आप परिचित हैं। इसलिये सारी जनता पार्टी की सरकार के नेताओं को कहता हूं आपने अपने जमाने में जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया, अनाज के गोदाम के गोदाम खाली करा दिये और आज कहते हैं कि खाने के लिये अनाज नहीं है। लेकिन उस वक्त कौनसा अकाल था जिसकी वजह से काम के बदले अनाज योजना में गेहूं के सारे गोदाम खाली कर दिये, और उसमें जो घोटाले हुए हैं उनके लिए दोषी कौन है? आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति कमजोर की गई है उसकी नींव उन्होंने रखी है जिस तरह से बेटे को बाप के मर जाने पर उसका पैसा मिलता है और वह उस पैसे को बर्बाद कर देता है उसी तरह से राजस्थान की दौलत को इन लोगों ने बर्बाद किया और आज हमें उसका फल भोगना पड़ रहा है। हमारी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए आज हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे पास इतने साधन उपलब्ध नहीं है जिनसे योजनाओं को चालू रख सकें।

यह ठीक है कि जहां तक अन्तर्राज्यीय समस्याओं का मसला है, यह सदन और हम सब और मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए अपने हक को पेश करने के लिए ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर पहुंचेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा है कि आज मुकेरियां, थीन डैम का हिस्सा हमारा नहीं माना जा रहा है। आज आनन्दपुर के पावर हाउस से बिजली नहीं मिल रही है, पानी में हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये मामले ऐसे हैं जिन पर आखिर तक राजस्थान को लड़ना होगा और हमारे मुख्य मंत्री जी इतने कमजोर नहीं हैं कि इस लड़ाई को लड़ नहीं सकेंगे वे दिखने में बहुत छोटे हों, लेकिन बहुत चतुर हैं। इसलिए इन्टर स्टेट मामलों का मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं हमें कोई भी ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जाने में कोई नहीं रोक सकता है यदि प्लानिंग कमीशन नहीं मानता है, दूसरी सरकारें नहीं मानती हैं तो हमारे मुख्य मंत्री जी को दूसरा सहारा है वह सहारा लेकर राजस्थान के लोग मुकदमे को जीत कर रहेंगे, इस केस को हम अच्छी तरह से रखेंगे और इन योजनाओं से जो बिजली मिलती है वह लेकर रहेंगे । आज जैसा मैंने कहा है कि हमारे रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई हैं, मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कमी की वजह से रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारी पलाना थर्मल की ग्रान्ट काट दी गई क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं हैं जिनकी वजह से ग्रान्ट को पूरा कर सकें लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज पंजाब की सरकार भटिण्डा के प्लान्ट को अपने पैसे से क्रियान्वित कर सकती है तो पलाना लिग्नाइट हमें मिलता है जिससे हम जितना थर्मल पावर जनरेट कर सकते हैं तो इसको अपने रिसोर्सेज से प्राथमिकता से हमें पूरा करना चाहिये । यह मैं मानता हूं कि राजस्थान का विकास अगर होना है तो वह बिजली की वजह से रुका हुआ है और जब तक राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं होती है, उस वक्त तक राजस्थान का पूरा विकास नहीं हो सकता, यहां के उद्योगों का विकास नहीं हो सकता ।

(5.15 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

चाहे कितनी कोशिश करें, आज के दिन हमारी जो पोजीशन है, बिजली के बारे में उस पोजीशन को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के बाद में, पांच सालों के बाद में भी हमें इतनी बिजली उपलब्ध नहीं हो सकेगी, अपने साधनों से जितनी हम चाहते हैं कि हो और इसलिये यह दिक्कत हमारे सामने आती है । इस दिक्कत को किस तरह से फेस कर सकते हैं इसके बारे में सभी को विचार करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी सभी को कान्फिडेंस में लेकर हल निकलवायेंगे या स्वयं हल करेंगे । 2-3 तारीख को वह जा रहे हैं । मैं अपना पूरा विश्वास देता हूं और यदि कोई दिक्कत आती है तो हम सबको मदद करनी चाहिये, खाली क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलता । हमें जो दिशा हमारे पास है और जो दिशा निर्देशन, विरोधी दल के नेता ने कहा कि कोई दिशा निर्देशन नहीं हैं, इसमें तो बहुत दिशा निर्देशन है । राजस्थान के राज्यपाल के भाषण में इन्टर स्टेट विवाद के बारे में कहा गया कि हम लोग किसी षडयंत्र के शिकार हो रहे हैं । यू. पी. गवर्नमेंट आनन्दपुर मुकेरियां में शेयर मांग रही है जब कि उनका कोई हिस्सा भी नहीं है और राजस्थान अपना शेयर होते हुए भी प्राप्त नहीं कर रहा है तो यदि पुराने कागजों को पढ़ेंगे तो उनमें निश्चित रूप से मिलेगा कि भारत सरकार ने इस बात को माना है कि मुकेरिया और थीन डैम में राजस्थान का हिस्सा है ।

हरियाणा, पंजाब छोटे छोटे राज्य हैं और उन छोटे राज्यों का काम थोड़ी बिजली से चल सकता है और इस वजह से उनको देखते हुए कि उनके पास बहुत कारखाने लगे हुए हैं अगर हमारे पास हों, थर्मल पावर प्लान्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाय और

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हम भी प्रयत्न करें। पलाना हमारे पास हो, थर्मल प्लांट हमारा जल्दी जल्दी तैयार हो जाय और साथ ही हमें पूरी बिजली जो मध्य-प्रदेश हमारी खा रहा है, यह बात बिलकुल ठीक है इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है जो हकीकत है उसको मान कर चलना चाहिये कि मध्य प्रदेश हमको बिजली सतपुड़ा से नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है इसके कारणों के पीछे हमें जाना चाहिये लेकिन मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था कि जनता पार्टी के शासन में जब वहां के मुख्य मंत्री थे और उनकी कांस्टीट्यूएंसी में जिस वक्त छोटे-छोटे बान्ध बने और उन बांधों का पानी गांधी सागर में नहीं आने दिया जाता था, उन बांधों का पानी रोक लिया उस वक्त हमारे विरोधी दल के नेता मुख्य मंत्री थे वे क्यों उनके लिहाज में रह गये, क्यों नहीं बोले ? नतीजा यह होता है कि आज पानी की कमी की वजह से राजस्थान को नुकसान हो रहा है। इसका कारण भी वे हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का पानी मध्य प्रदेश ने रोका तो चम्बल में हमारा, उनका बराबर हिस्सा है। जब उन्होंने जितना हमारा पानी रोक लिया तो हमें हक है कि उनका पानी हम रोकें और अपने खेतों में पानी दें और इसके लिए कार्यवाही करनी चाहिए। गांधी सागर में पानी नहीं छोड़ेंगे तो उनके पास कहां से आयगा। वह तो जवाहर सागर से निकल कर कोटा डेम में आयगा तभी वहां उनकी कैनाल में पहुंच पायेगा लेकिन इतना साहस होना चाहिए कि उनके पानी को रोक दें और फिर वे झगड़ा करते हैं तो हम भी झगड़ा खड़ा करें। यह इन्टर स्टेट डिस्प्यूट लल्लो चप्पो की बातों से तय नहीं हो सकता है यह तभी हल हो सकता है जब हमें सख्ती के साथ विरोध करना पड़ेगा। और फैसला करने वाली भारत सरकार है। भारत सरकार फैसला नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों के बारे में सही तरीके से अगर केस को रखें, सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री इन सारी बातों का अध्ययन करके पूरा केस तैयार कर लेंगे और दो, चार दिन में दिल्ली जाकर के बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से विजयी होकर आयेंगे और हमारे राजस्थान को आगे बढ़ायेंगे अपना हिस्सा दिलाएंगे ऐसी आशा करता हूं।

दूसरी चीज, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोग्राम बहुत हैं। गये वक्त हमने प्रोग्राम बहुत बनाये, लेकिन मशीनरी का प्रयोग हम ठीक तरह से कर सकें, राइट पर्सन को राइट जगह पर लगा कर काम लेना यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। मैं यह सलाह दूंगा कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये फिट होता है उसको वही काम दिया जाता है तो उससे अच्छा काम होता है इसलिये उस व्यक्ति को वहीं रख कर काम लेना चाहिये। मैंने पहले भी कहा था जनता पार्टी के जमाने में भी वही मशीनरी थी और आज भी वही मशीनरी है। इसलिये हमको विश्वास करके, आपकी मशीनरी ठीक तरह से काम करे तो उसके ऊपर आप सवारी गांठें तो वह ठीक काम करेगी। जैसे कोई सवार सवारी रखता है

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

और सवारी की लगाम अपने हाथ में रखता है तो वह सवारी ठीक तरह से चलेगी। निश्चित तौर से वह घोड़ी अच्छी तरह से दौड़ती है ....

(व्यवधान)

मेहरबानी करके मेरे विचारों के बीच में बाधा न डालें नहीं तो मैं नहीं कह सकूंगा। मैं काम की ही बात कहता हूं। इधर उधर की फालतू बातें नहीं कहता। चाहे आप बुरा मानें या अच्छा मानें।

श्री नाथूसिंह : हम तो अच्छा मानते हैं लेकिन पहाड़ियाजी नहीं मानते हैं।

श्री सभापति : बोलने दीजिये। आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सबसे बड़ा डवलपमेंट का जो कार्यक्रम आपने हाथ में लिया है वह है स्माल फार्मर्स के डवलपमेंट का। इसके अन्दर कई आपके काम होंगे। इस प्रोग्राम को सही ढंग से चलाया जायगा तो गरीब आदमी को राहत मिलेगी परन्तु इसका इम्पलीमेन्टेशन सही होना चाहिये। हमको जो रुपया मिलता है उसको हमें अच्छी तरह से काम में लेना पड़ेगा। अगर रुपया खर्च नहीं होता है तो खाली योजनाओं को बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें जो अनुदान मिलता है, उस अनुदान का पूरा लाभ उठाना चाहिये। हमारा यह विचार रहता है कि जो अनुदान मिलता है उसको तो खर्च कर देना चाहिये चाहे वह अच्छी तरह से खर्च हो, चाहे गलत तरह से खर्च हो। एम. एफ. डी. का कार्यक्रम गरीब काश्तकार के लिये है। इसलिये इस प्रोग्राम को चलाने के लिये हमें इसके अन्दर चुने हुए अधिकारियों को रखना चाहिये। इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह जानकर मुझे अफसोस हुआ अपने जिले की एक मीटिंग में मैं गया वहां पर मालूम हुआ कि एस.एफ.डी. कार्यक्रम का सात लाख रुपया पड़ा हुआ है परन्तु उसमें से एक या दो लाख रुपया ही खर्च किया गया है। रुपया खर्च करने के लिये होता है और उसको खर्च किया जाना चाहिये। कई आफिसर ऐसे होते हैं जो हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं। वे जो काम करना चाहिये वह काम नहीं करते हैं। उनका यह विचार रहता है कि अधिक काम करेंगे तो कहीं न कहीं वे फंस जायेंगे और हमारे ऊपर आफत आ जायगी इसलिये रुपया खर्च नहीं होता है। एक बी.डी.ओ. का किस्सा मुझे याद आता है। वह कहता था कि काम करके मेरे को कोई डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी थोड़े ही करानी है। कम से कम मैं डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी से तो बचूंगा। रुपया खर्च करूंगा तो फंस जाऊंगा। काम नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी नहीं होगी। तनख्वाह तो मिलती रहेगी। यह जो अधिकारियों की प्रवृत्ति बन गई है यह घातक प्रवृत्ति है। यह घातक प्रवृत्ति हमें दूर करनी पड़ेगी और जो वातावरण बना हुआ है, जनता पार्टी के जमाने का, उस जनता पार्टी के वातावरण को दूर करना होगा। हजारों लाखों रुपया खर्च किया, कमाया भी। कोई ही ऐसा होगा जिसने खर्च करने की बेवकूफी न की होगी। कई चीजों की शुरूआत जनता पार्टी के राज में हुई है। आपके जमाने में हेण्ड पम्प्स की स्कीम बनी। जनता पार्टी ने

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैण्ड पम्प लगाये। सब गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना थी आज भी आप देखेंगे एक पम्प पर कितना खर्चा आया है और उसका वास्तविक खर्चा कितना है ? इस आधार पर मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। इसकी मन्जूरी उस जमाने में हो चुकी थी। एक-एक गांव में दो-तीन हैण्ड पम्प लगाये गये। जो परिपाटी आपने डाली है वह अच्छी नहीं थी, वास्तविक आवश्यकता को आपने नहीं देखा। आज के दिन पानी की आवश्यकता है, हमारे शहरों के अन्दर, गांवों के अन्दर पानी की आवश्यकता है। जहां पर पहले से पीने के पानी के लिये कुआं है वहां पर हैण्ड पम्प लगाना गलत है जहां पर कुएं होते हैं वहां पर भी आपने तीन, तीन हैण्ड पम्प लगा रखे हैं। इसको जस्टिफाई कैसे करोगे ? इसके लिये

(5.25 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

डिवीजन करना चाहिए और जहां जहां पर पम्प लग गये हैं वहां यह देखना चाहिए कि वहां पर कुआं है या नहीं ? वहां क्या स्थिति है। बूंदी शहर में पानी की क्या स्थिति है उसके बारे में बताना चाहूंगा। वहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अधिकारियों को कोई चिन्ता नहीं है कि पीने का पानी मिलेगा या नहीं ? दस, पन्द्रह मिनट पम्प चल जाता है तो नीचे के हिस्से में पानी आ जाता है और मकान का ऊपरी हिस्सा खाली रहता है। आज यह हालत है तो गर्मियों में क्या हालत होगी ? इसकी किसी को कोई चिन्ता नहीं है। हमारे यहां पर म्यूनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हैं। वह एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप कहता है कि मैं भरतपुर का रहने वाला हूं। मैंने इस बारे में पहाड़ियाजी को कहा। वे भी यह मानते हैं कि यह खराब आदमी है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि उसके बारे में बहुत शिकायतें हैं और म्यूनिसिपैलिटी में ऐसे काम हो रहे हैं। कुएं, बावड़ी, तालाब की सफाई या खुदाई का जो काम है वह नहीं होता है और दूसरी चीजों पर, दूसरे कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यदि हमने इन चीजों को बर्दाश्त किया तो हमारा काम किस तरह से चलेगा ? हमारे कार्यक्रम किस प्रकार सफल होंगे ?

जो बैंक्स की हालत है, दुर्दशा है वह जनता पार्टी ने की है। मेरे खयाल से यह हमारे यहां पर ही नहीं सभी जगह ऐसी ही दुर्दशा है। जनता पार्टी ने कहा, कर्जा किसानों से वसूल मत करो और किसानों से कोई कर्जा वसूल नहीं किया गया। बैंक वालों से कहा ऐसी तरकीब निकालो जिससे यह रुपया चुक जाए ऐसा दिखाई दे और किसान भी हमारी तारीफ करें। तरीका यह निकाला गया कि एक के विरुद्ध पांच हजार रुपया बाकी है तो एडजस्टमेन्ट कर दिया। उसको साढ़े पांच हजार का लोन दे दिया और पांच हजार पहले वाले लोन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया। वैसी की वैसी ही हालत रही। इसकी वजह से बैंकों की हालत खराब होती है। दूसरों को कहना आसान होता है। जब अपनी बात आती है तो उसको डिफेन्ड करते हैं। यह जो चीज हुई है यह कोई एक ही बैंक में नहीं हुई। इस तरह की सभी बैंकों की दुर्दशा है। इस

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तरह से एडजस्टमेन्ट करके वसूलियां नहीं की गई। अगर वक्त पर वसूलियां होतीं तो बैंक की हालत ठीक होती।

आफिसरों के बारे में आप कहते हैं। आपने अपने शासन में ही आफिसरों में इस प्रकार की दरार डाली है विचारों की, वर्ना आफिसर कभी यह नहीं कहते कि मैं इस विचार का हूं लेकिन आपने यह प्रश्रय देकर आफिसरों को राजनीति में डाल दिया। जो आर.एस. एस. के हैं उनको एक तरफ और दूसरों को दूसरी तरफ रख दिया।

एक माननीय सदस्य : आपके बस की बात नहीं है इनको खतम करना . . .

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो आपने बीज बोये हैं वह फल दे रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे कारपोरेशन चलते हैं। पता नहीं कितने सारे कारपोरेशन बने हुए हैं और हरेक बात के लिए कारपोरेशन बना दिया है। मैंने उस रोज एक सवाल के बारे में कहा था। गत वर्ष इस बारे में बहुत कुछ आलोचना हुई थी ट्रान्सपोर्ट के बारे में। राजस्थान रोडवेज की क्या हालत है? राजस्थान रोडवेज की स्थिति और गम्भीर होती चली जा रही है। ये कारपोरेशन आपको फायदा नहीं देते हैं तो कम से कम यह तो करें कि ये जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी पोजीशन को अगर अच्छा न रख पायें तो कम से कम बिगड़े तो नहीं वर्ना आज हालत यह है कि कर्जा ही कर्जा हो रहा है कहां से चुकायेंगे। आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्जे में और राजस्थान रोडवेज कर्जे में, आपके डेयरी फार्म, कारपोरेशन में पता नहीं क्या घपले हो रहे हैं मैं चाहूंगा कि इतने अनुभव के बाद में आपको पूरी तरह चैकअप करना चाहिये और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि जो व्यक्ति इसमें लगे हुये हैं वे चैलेन्जिंग स्प्रिट से काम नहीं करते हैं उनको चैलेन्जिंग स्प्रिट से काम करना चाहिये उनको कहना चाहिये कि काम करोगे तो तुमको प्रमोशन देंगे और काम नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा और नुकसान आयेगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।

हम एक बात और कहना चाहते हैं कि शायद अब तो सिविल सप्लाई में चन्दन मल जी आ गये, मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप सिविल सप्लाई में किसी रिटायर होने वाले को लगायेंगे तो काम क्या करेगा वह तो साल छः महीने में रिटायर होने वाला है उसको सिविल सप्लाई का इन्चार्ज लगा दिया तो क्या होगा? किसी नये व्यक्ति को लगाइये जो नया व्यक्ति तहसीलदार से बनता है उसको लगाइये तो वह जनरेटिंग स्प्रिट से काम करेगा और उसको डर होगा कि अगर काम नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ सकता हूं, ऐसे व्यक्ति को सप्लाई में लगायेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा।

वितरण व्यवस्था के बारे में बात हुई, और चीजों के बारे में बात हुयी लेकिन सारी मुद्दे की बात यह है कि आफिसर्स में आज के दिन कोई चलेन्जिग स्प्रिट से काम करने वाला नहीं है उनमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि जो कमजोरियां होती हैं वे उनमें हैं।

नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम में आपने स्टाफ तो बहुत कर दिया लेकिन एक्चुअल जायजा लिया जाना चाहिये। महीने में आधा महीने में जायजा ले लिया जाना चाहिये कि कितना

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। अगर नहीं लिया तो जनता पार्टी ने जैसे काम के बदले अनाज योजना को आरम्भ करके उसका जायजा नहीं लिया मुझे मालूम है कहीं पर सड़कें नहीं बनी, मिट्टी नहीं पड़ी लेकिन मस्टर रोल दिये। अगर ऐसी हालत रहती है तो जिसकी शुरूआत उन्होंने की थी उसकी अगर हम भी करेंगे तो इससे हमारे एल. ई. प्रोग्राम पर फर्क पड़ेगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि राजस्थान के डिपार्टमेण्ट में काम करने वाले चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के हों, चाहे इरिगेशन के हों या दूसरे डिपार्टमेंट के हों जो 10 साल की सर्विस में थे उनको परमानेन्ट कर दिया गया, उनको वही लाभ दिये गये थे जो दूसरों को दिये गये थे, परन्तु अभी-अभी राज्य सरकार ने आदेश जारी करके कह दिया कि उन आदेशों को रद्द कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको वापस वैसा ही कर दिया जाय यह असन्तोष भयंकर रूप से फैल रहा है। इस असन्तोष को बढ़ने न दें और अगर यह बढ़ता है तो हमारे ऊपर काफी विपत्ति आ सकती है। जिस तरह अभी यहां पर जयपुर में हड़ताल हुयी थी अगर उसको शुरूआत में ही मान लेते या दो चार दिन के बाद मान लेते तो क्या होता ? वह हड़ताल डेढ़ महीने तक चली और बाद में उनकी मांगों को माना पहले मान लेते तो फायदा होता···

श्री गोपाल पचेरवाल : 34 दिन तक चली।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तनख्वाह भी देनी पड़ी और अधिकार भी दिये, पहले मान लें तो ठीक है। जिनको बैगन फैक्ट्री में सवा महीने तक हड़ताल चली, इसमें पहले बात कर लेते और मांग मान लेते तो ठीक था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीति, जहां तक श्रम नीति का सम्बन्ध है वह एक बात बिलकुल सही है कि हम संकट नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम असहयोग नहीं करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि देश का उत्पादन बढ़े। सारा काम जन सहयोग से होना चाहिये और आज के दिन तो सब सहयोग देना चाहते हैं, कौन सहयोग देना नहीं चाहता है ? मजदूर भी असहयोग नहीं करना चाहता है पर जब वह दुःखी होता है तो असहयोग करता है। लेकिन सहयोग लेने की तैयारी सरकार की होनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि जो कुछ भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है अच्छे शब्दों में कहा गया है एक ही बात कही गयी है और हम और आप चाहते हैं कि हमने जो कुछ कहा है और लिखा है उसको पूरा करें। जहां-जहां जायं और साल भर के बाद में हम इसकी समीक्षा करें और सोचें कि यह काम पूरे हुये हैं या नहीं। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ चलता हूं। अब तो हमारी सरकार भी पूरी बन गयी है जिसमें अक्लमंद भी हैं, यह नहीं है कि सभी बेअक्लमंद हैं। मैं चाहता हूं कि वे पूरी मेहनत से और पूरी पूरी अक्लमंदी से काम करें···

श्री गोपाल पचेरवाल : कितने अक्लमन्द हैं और कितने बेअक्लमन्द हैं यह भी बता दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कह सकते हैं कि जो सरकार बनी है उससे अपेक्षा करते हैं कि लोगों को जिम्मेदारी से काम करना

(श्री वृज सुन्दर शर्मा)

चाहिये। हमें जनता को जवाब देना पड़ता है जनता हमारे लत्ते पकड़ती है मेहरबानी करके हमारे लत्ते न पकड़वायें वर्ना वे लोग हमारे कपड़े फाड़ेंगे। हम यह उम्मीद करके चलते हैं कि अब क्योंकि काफी अनुभव हो चुका है। पहाड़िया जी को पहले अनुभव नहीं था अब तो साल भर होने को आया है काफी अनुभव हो चुका है और वे राजस्थान की सारी समस्याओं से भी वाकिफ हो गये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे बड़ी अच्छी तरह से काम करेंगे और राजस्थान की प्रगति के लिये, राजस्थान की बहबूदी के लिये और कल्याण की योजना जिस तरह की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी है उसके लिये पूरी मेहनत से काम करेंगे, इसी अपेक्षा के साथ, उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं बाकी मैं बजट के वक्त कहूंगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने एस. एफ. डी. की बात बतायी। स्माल फार्मर्स को कर्जा देने की बात कही और यह भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा कि मई के महीने में राजस्व अभियान करके इन कठिनाइयों को दूर करेंगे। लेकिन पहले, श्रीमान्, आर्डर का तो पालन करें कि कठिनाइयां क्या हैं और उनको कैसे दूर करना चाहते हैं, गवर्नमेन्ट करना क्या चाहती है।

सन् 71 में अलाटमेन्ट हुआ था जिस वक्त मैं राजस्व मंत्री था और उस अलाटमेंट में काफी लोगों को पट्टे दिये गये थे। आज काश्तकारों के पास उस वक्त के अलाटमेंट के आर्डर मौजूद हैं, पट्टे मौजूद हैं लेकिन पटवारियों ने क्या किया कि उन्होंने कई कागजों में रद्दोबदल कर दिया। जो ट्रेस पासर उस वक्त क्रियाशील थे वे ही आज भी कार्य करते हैं। दूसरे पटवारी ने क्या बदमाशी की कि जमीन अलाट की 112 नम्बर की उस वक्त जो बड़े चक थे चक के अन्दर जो एक दो तीन चार या 15 बीस चक थे उनमें जमीन दे दी गयी बतायी है। बाकी का पता नहीं है। तो साफ तौर पर हमको यह आदेश निकालना होगा कि जो राजस्व के मामलों में काम बाकी है उनको करेंगे, जब तक साफ रूप से काम नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा और पटवारी और तहसीलदार जो चमड़ी खींचते चले आ रहे हैं खींचते रहेंगे। पेशी तारीख में जाते-जाते किसान परेशान हो गया है। 10-15 साल से काबिज है लेकिन कब्जा नहीं देते हैं कर्जा नहीं ले सकते हैं। जब तक उनको कब्जा नहीं दे सकते हैं उनको कोई एस. एफ. डी. से फायदा नहीं मिलने वाला है। उनको खातेदारी राहत मिलनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, हमें दो तीन दिन से टाले जा रहे हैं। हम भी सदस्य हैं हमको इस बात का मौका नहीं मिल रहा है कि अपनी बात कहें सभापति महोदय, मैं नमाज पढ़ने के लिये जाऊंगा इसलिये मुझे कहने का मौका दें।

श्री सभापति : श्री चाव खां।

श्री चाव खां : सभापति जी, यह जो गवर्नर साहब का अभिभाषण है, इसके पहले मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं क्योंकि मैं पहली

(128)

(श्री भाव खां)

बार चुनकर इस विधान सभा में आया हूं, 55 साल से ज्यादा उम्र हो गई और यह कहा जाता है कि 60 साल के बाद दिमाग बिगड़ जाता है 65 साल की इसलिए उम्र हो गई है। कोई गलती हो तो मैं सदन से माफी चाहूंगा।

सभापति जी, मैंने गवर्नर साहब के 28 पेज के भाषण को पढ़ा। हांलाकि मैं बहुत कम हिन्दी जानता हूं लेकिन मैंने इस पर दो दिन खर्च किये। इसमें क्या-क्या बातें हैं यह मैंने देखीं। एक तो इसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है कि राजस्थान में 25 लाख मुसलमान रहते हैं उनकी जुबान के बारे में, उनकी उर्दू जुबान के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है एक बात तो यह है और दूसरी बात यह है कि यह हमको नहीं दूसरों को रखना चाहिए उर्दू कोई बाहर की जुबान नहीं है, कोई अमेरिका की जुबान नहीं है, यह हिन्दुस्तान के सभी सूबों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 80 फीसदी लोगों की जुबान है जिसका कोई जिक्र यहां पर नहीं किया गया।

इसके अलावा हमारे पिछड़ेपन और तरक्की के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया जबकि शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स का तो जिक्र है लेकिन हमारे लिये, हमारी तरक्की के लिए कोई जिक्र नहीं है। जबकि हमारी इन्दिरा गांधी का यह कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस में और दूसरी नौकरियों में छोटी जातियों के लोगों को और मुसलमानों को भर्ती किया जाय लेकिन उनकी भर्ती दो पर्सेंट भी नहीं की जा रही है। मैं यह भी दावा करता हूं कि लोग यह भूल जाते हैं कि हम भी हिन्दुस्तानी हैं। 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई में हमीद ने हिन्दुस्तान के लिए कुर्बानी; देश के लिए कुर्बानी दे दी और आज भी मुसलमान अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम इसी देश में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान अगर हम पर हमला करता है तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस बात को छोड़िये हमको भाई समझकर चलना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दवाखाने के मामले में आयुर्वेदिक का और होम्योपैथी का तो जिक्र किया गया है 18वें पेज पर लेकिन यूनानी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसका मैंने कारण सोचा तो यह पाया कि इसमें अधिकतर मुसलमान भाई लगे हुए हैं जबकि दवाइयों में यह सबसे पुराना तरीका है। लेकिन आज हकीमों को कहीं नौकरी नहीं मिलती वैद्यों को वहां लगाया जाता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वे कोई जानकारी यूनानी के बारे में नहीं रखते है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यूनानी की तरक्की के लिये काम किया जाय। यहां पर तीन सफे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के लिए रखे गये हैं और उसकी तरक्की की बात की गई है लेकिन यूनानी को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसकी तरक्की के लिए एक अलग से महकमा बनाया जाना चाहिये।

सभापति जी, यह सब कुछ क्यों होता है, बोर्ड्स हाउस कमेटियों और दूसरे महकमों में मुसलमानों को नहीं लिया जाता, यह बहुत ही अजीब बात है। एक बात और कहना चाहता हूं, श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती है; वह मुसलमानों से हमदर्दी रखती है और

(श्री चाव खां)

उनको आगे बढ़ाना चाहती है। उनकी तरक्की के लिए, उनकी तहजीब के लिये एलान करती है लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया जाता। इसलिए सभापति जी, हम चाहते हैं हमारे लिये महकमा खोला जाय, हमारी तरक्की के लिये काम किये जायं। हर जगह तो बच्चे पढ़े-लिखे मिलेंगे नहीं, यदि कोई-पढ़ लिख जाय तो उसको नौकरी नहीं मिलती, बी.ए. पास भी ढोर चरा रहे हैं। जमीन रहन रखकर बच्चों को पढ़ाया, उनको जगह नहीं दी जाती।

मैं आपको एक और बता देना चाहता हूं। सन् 47 में अलवर और भरतपुर के मुसलमानों को उजाड़ा गया उनको घर से बेघर किया गया। महात्मा गांधी ने जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनको विश्वास दिलाकर रोका और यह कहा कि मुस्लिम भाई हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और यह कहा कि मेव लोग हमारे ही देश के हैं। तीस साल हो गये जो जमीन हमारी थी वह भी नहीं मिली, लोगों की सौ–सौ बीघा जमीन थी वह नहीं दी गई उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। लोगों को उनकी चाही अच्छी जमीन से महरूम कर दिया और जो बंजर जमीन थी वह उनको दे दी। जनता पार्टी के राज में हमने सम्पतराम जी को कहा था उन्होंने रटे तो कर दिया लेकिन कीमत कम नहीं की, 400 रु. बीघा के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है। खातेदारी हमको नहीं दी मैंने पिछली विधान सभा में भी सवाल किये थे इनकी कीमत के बारे में और पूछा तो बताया कि अलाटमेन्ट किया जायगा, दूसरा मेरा सवाल था कि क्या सरकार उनकी सम्पत्ति वापस करने का इरादा कर रही है, लेकिन इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे लोगों पर जुल्म किया जाता है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को नीची निगाह से देखा जाता है। इसलिये सभापति महोदय, मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे उर्दू जुबान के लिये, वक्फ के लिये, 24 सवाल उठाये थे लेकिन अखबारों ने भी उस बात को नहीं लिया, बड़े अफसोस की बात है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ कहता हूं कि गवर्नर साहब ने जो भाषण दिया, उर्दू का मामला, उसकी तरक्की होना बहुत जरूरी है, यह मेरी दरख्वास्त है।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूलाल।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

उसमें कई तरह की चीजें सामने आती हैं। अकाल को ले लो, बिजली को ले लो, कई प्रकार की चीजों पर काफी चर्चायें हुई। सभी सदस्यों के दिमाग में है कि हमारे सामने किस प्रकार की तकलीफें हैं और वह करीब-करीब इस अभिभाषण में दर्शायी गई हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ इसमें लिखा गया है यदि उसकी पूर्ति हो जाए तो मैं समझूंगा कि काफी हद तक काम हो जायेंगे। केवल अभिभाषण में लिख देना और अभिभाषण दे देना काफी नहीं है और हम यहां पर चिल्लाकर बहुत सी बातें कह देते हैं। सबसे

(श्री भैरूलाल मीणा)

मोटी बात यह है कि जो कुछ कहा जो कुछ अभिभाषण में लिखा है वह पुरजोर रूप से लागू हो जानी चाहिए जिससे काफी लोगों को राहत मिल जाए क्योंकि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के दिमाग में अकाल छाया हुआ है, बिजली छाई हुई है, पेयजल सबके दिमाग में है ही और सब अपने-अपने क्षेत्रों में वायदा करके आये हैं कि हम आपकी तकलीफों को दूर करेंगे किन्तु यहां आकर हम जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से अपने विचार रखते हैं वह सदन में इस तरह से रखने चाहिए कि हम अपने विचारों को रखें और उन विचारों को आगे बढ़ायें और वह क्रियान्वयन में आने चाहिए। तो हम इस राजस्थान को खुशहाल बना सकते हैं। हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात करते हैं, या एक दूसरे के भले बुरे की बात करते हैं, यह मेरा क्षेत्र है, यह उनका क्षेत्र है, इस तरह की बातें हम सदन में बैठकर करते हैं। जरूर करनी चाहिये। मेरे क्षेत्र के नागरिक मुझसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं आप? उसके साथ ही हम जब सदन में बैठते हैं तो हम सारे राजस्थान की बात ध्यान में रखकर बोलते हैं। आदिवासी और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की कई तरह की मदद दी जाती है। सरकार की तरफ से अनुदान और कर्जे दिए जाते हैं। इस अभिभाषण में काफी हद तक खर्चा करने का मुद्दा रखा है। मैं इस मौके पर मांग करना चाहूंगा और सुझाव भी रखूंगा कि आदिवासियों को या पिछड़े वर्ग को जो पैसा दिया जाता है वह इसलिये दिया जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। दूसरी ओर मैं देखता हूं कि जो पुराने कर्जे दिए गए उनका चुकारा करने के बाद भी उनके पास आज भी कर्जा मौजूद है। उसका एक कारण है। सभी माननीय सदस्य अगर इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जो भी सदस्य खड़ा होता है, आदिवासियों का नाम लेता है। मैं जब आदिवासियों की बात कर रहा हूं तो आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनसे जो वसूली होती है उसका जो तरीका है वह ठीक न होने से उस पर कर्जा ज्यों का त्यों बना रहता है। महाजन जो पहले कर्जा देते थे, एक महीने में 5–6 महीने में बराबर वसूल करता था और जितना पैसा आसामी के पास होता था वह ले लेता था, आज सरकारी कर्मचारी जीप लेकर जाते हैं, 2–4 को पकड़ लेते हैं और उसी समय उनसे कहते हैं कि अभी पैसा लाओ। वह आसामी 20–25 रुपये लेकर आता है तो नहीं लिया जाता है, कर्मचारी कहता है, नहीं पूरी किश्त दो। तब वह 50–100 रुपये ले आया आसामी के पास वह जमा नहीं हुआ, पैसा रह गया, फिजूलखर्ची कर दी खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, कर्जा हो गया। किश्त पर पेनल्टी लगाई जाती है। उस कर्जदार का कर्जा बढ़ता ही गया न कि कम हुआ। मैं इस अभिभाषण पर यह दोहराना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आदिवासी या पिछड़े वर्ग का उद्धार चाहते हैं तो उनको जिस तरह से अनुदान दिया जाता है उस अनुदान में से कुछ पैसा जो पुराने कर्जे हैं उसका जो ब्याज है, उसको माफ कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकेगी। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उदयपुर ग्रामीण से; खास तौर से नेशनल हाईवे नं. 8 के बीच में रहता हूं, रोड लम्बा चौड़ा है, वह आदिवासी क्षेत्र है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ

(श्री भैरू लाल मीणा)
जो जमीन ली जाती है वह 100-100 फीट दोनों तरफ ली जाती है। उन पहाड़ियों के बीच में कुछ जमीन आदिवासियों के पास थी 100-100 फीट दोनों तरफ लेने से उनकी जमीन बहुत सी चली गई। उसके कारण आदिवासियों के पास बाकी जमीन नहीं रही उनको जो मुआवजा दिया गया वह न के बराबर है। अब उस मुआवजे को लेकर बराबर दूसरी जमीन लेने जायं तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगता है। ऐसी हालत में उनकी आर्थिक स्थिति और नीचे गिरेगी। मैंने इस बात को लेकर जिला स्तर पर बात की कि इस कीमत को कुछ कम करो। आप 100 फीट दोनों साइड लेकर पेड़ लगा रहे हैं, आप पेड़ों को जंगल में ले जायं या सड़क के किनारे लगायें जहां काश्त भूमि है उसको ज्यादा न लेकर कम लें-50 फीट या 40 फीट लें। हो सकता है जितनी जमीन उनके पास बच जाएगी वह काफी हद तक उनके सामने आ सकती है उनके जीवन का गुजारा हो सकता है। उससे गुजारा कर सकते हैं। किन्तु हुआ क्या ? ज्यों ही मैंने जिला प्रशासन में बात उठाई उन्होने जल्दी-जल्दी जमीन लेकर उसमें खड्डे खोद दिए जैसे आज की तारीख में जितना जल्दी हो सके खड्डे खोदे बारिश आई आज की तारीख में पेड़ लगा दिए। इससे आदिवासियों की हालत और भी खराब होती जा रही है, एक तरफ कहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाय, दूसरी तरफ इस प्रकार...

श्री हंसराज शर्मा : पेड़ बबूल के या आम के ?

श्री भैरू लाल मीणा : आप शांत बैठें। मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं आप मुंह फाड़-फाड़ कर कह रहे थे। सड़क के किनारे जमीन लेने की योजना आपके समय से चल रही है और अभी लागू कर दी। जैसा कि आपने फर्माया यह आर्थिक स्थिति सुधारने वाली बात नहीं है। हम एक दूसरे पर कुछ न कुछ बातें कहते हैं, जनता पार्टी वाले कहते हैं, विपक्ष के भैरोंसिहजी बहुत अच्छी बातें कहते हैं। मैं मानता हूं वह इस तरह से इस सदन को या जनता को गुमराह करते हैं और जब उनके हाथ में राज आया, उन्होंने भी इस राज को चलाया था। अब उनको अनुभव हो गया। इतने वर्षों तक विपक्ष में बैठे तो ढाई तीन साल सत्ता पक्ष में बैठे। इस बीच में उन्होंने भी कुछ नहीं किया और वापस जाकर ना पक्ष में बैठ गए। अनुभव तो उनको हो गया क्योंकि यह बात वह है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। जब सिर पर कोई काम आता है तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसी अभिभाषण के अंदर सारी बात दर्शाने के बाद एक बात और छूट गई कि मजदूरों के संबंध में कोई खास बात नहीं कही गई है क्योंकि जिस तरह से किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं उसी तरह उद्योगों में काम करने वाले मजदूर भी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर मजदूर कारखाने में उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई का जरूर इस पर असर पड़ता है। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि राजस्थान में भी मजदूरों के लिये कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिये और उस नीति के अनुसार मजदूरों को मजदूरी दी जानी चाहिये। सभापति महोदय, उनके लिये भी मेरा सुझाव है कि नीति के अनुसार काम हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आज

(श्री भैरूं लाल मीणा)

और कल ही हमारी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बात इस सम्बन्ध में हुई और उन्होंने इस बात के लिये रुचि भी ली और यह कहा कि मजदूरों के संबंध में कुछ न कुछ जरूरी नीति निर्देशित की जाय।

सभापति महोदय, उदयपुर क्षेत्र में उदयपुर शहर के पास जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं वैसे तो यह सभी के लिये समस्यायें हो सकती हैं। जो भी शहरों के पास ग्रामीण इलाके आते हैं उनके अन्दर यह समस्याएं निश्चित रूप से पाई जायेंगी। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से हर चीज आती है और वहां से शहर में अपने यहां से लोग आते हैं और वहां पर उनके आने जाने के कोई साधन नहीं हैं। आज लोग ग्रामीण क्षेत्र से अपने यहां के साग सब्जी और दूसरे अनाज लेकर आते हैं शहरों में तो उनके पास कोई साधन नहीं होने के कारण वह लोग अपनी बैलगाड़ी में या साइकल पर सामान लेकर आते हैं उनके आने जाने में कोई सुविधा नहीं होने के कारण उन लोगों को बहुत असुविधा होती है। कई बार साइकल पन्चर हो जाती है या और कोई दिक्कत हो जाती है जिससे उन लोगों को तकलीफ होती है और जब वह बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों में काम आती है तो अपने आप ही बाजार में सब्जी वगैरह महंगी हो जाती है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्र, जो कि शहर के नजदीक है, में इनके आने जाने की सुविधा की जानी चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज जो राज्य सरकार ने हैण्ड पम्प्स वगैरह लगाये हैं, वह सभी ऐसी जगह पर आम तौर पर लगाये हैं जो कि सड़क के किनारे हैं मेरा सुझाव है कि यह गांव के अन्दर लगाये जाने चाहियें ताकि लोगों को पानी की तकलीफ नहीं हो। नहीं तो होता क्या है कि बड़े-बड़े अधिकारियों को दिखाने के लिये और जब मिनिस्टर लोग वहां जाते हैं तो उन्हें वहां बताया जाता है कि यहां पर हैण्ड पम्प्स लगाये गये हैं। वैसे मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह हैण्ड पम्प अधिक होने चाहिये। जहां पानी की कमी है वहां लगाये जायं। जो टंकी लगी है उससे अधिक लोगों को लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि शायद मुश्किल से 50-60 व्यक्ति होंगे जो कि उस हैण्ड पम्प से पानी लेते होंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन हैण्ड पम्प्स को वहां लगाया जाना चाहिये जहां कि वास्तव में उनकी जरूरत हो। अगर ऐसा किया जाय तो यह ज्यादा उपयोगी लोगों के लिये रह सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं आप कोई खास मुद्दे हों तो उन पर चर्चा करें तो उचित होगा।

श्री भैरूंलाल मीणा : बस इतना ही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि आपका आदेश है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, वित्तीय वर्ष 1980-81 समूचे देश के लिये और विशेष तौर से राजस्थान प्रदेश के लिये

(श्री हरिसिंह)

गम्भीर चुनौतियों का वर्ष रहा है। इस वर्ष के अन्दर प्राकृतिक विपदायें हमारे समक्ष आई और इसके साथ ही साथ मानवीय समस्याएं भी हमारे सामने उत्पन्न हुई। श्रीमन्, जब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आये सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार विनिमय करने जा रहे हैं तो हमें इसका सिंहावलोकन सभी स्तर पर करना पड़ता है। अपने सरकार के पिछले वर्ष के कार्य-कलाप का भी सिंहावलोकन करना पड़ता है। हमें उस समय यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमारी सरकार शासनारूढ़ हुई उस समय राजस्थान प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब थी। सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक खराब कर दिया था। इसके अलावा उस समय राजस्थान में अकाल की स्थिति बहुत ही गम्भीर थी। राजस्थान के 26 में से 25 जिलों में अकाल था। इसके अलावा जनता पार्टी की सरकार ने काम के बदले अनाज की स्कीम को चालू करके राजस्थान में जो सरकार के पास गेहूं का स्टॉक था उसको समाप्त कर दिया इतना ही नहीं उस समय कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। जगह-जगह पर राहजनी, चोरियां, डकैतियां, कत्ल हो रहे थे। यह तो आम बात हो गयी थी। मुद्रास्फीती चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था सभी जगह सभी स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने राजस्थान के शासन को हाथ में लिया था। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने उस समय अकालग्रस्त राजस्थान के 25 जिलों में अकाल राहत कार्य खोले। हमारी सरकार ने कोई नवीन टैक्स उस समय बजट में नहीं लगाये और जब नवीन टैक्स सरकार ने नहीं लगाये ऐसी स्थिति में सरकार ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। इस स्थिति में सरकार के कार्य-कलापों पर विचार किया जाय तो हमें पता पड़ेगा कि जब अकाल पड़ा तो पैदावार कम हुयी इसके अलावा वर्षा की कमी हुई और वर्षा की कमी हुई तो अपने आप बिजली में कटौती हुई और जब बिजली में कटौती होती है तो अपने आप ही, स्वतः ही उत्पादन कम हो जाता है। जब उत्पादन कम होता है तब सरकार की आमदनी कम होती है आप देख लें कि सरकार को इस साल सेल्स टैक्स में कमी हुई होगी। तो सभापति महोदय, हमारी सरकार के पास वित्तीय साधन कम थे सीमित वित्तीय साधन होते हुए ऐसी गम्भीर परिस्थितियों में हमारी सरकार ने काम किया। हमें हमारी सरकार के कार्य का इस तरह से सिंहावलोकन करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के कार्य का जायजा लेने के लिये यह कोई जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार ने कितने टार्गेट पूरे किये। सभापति महोदय हमारी सरकार आने के बाद, इस समाज की रचना में हमारे देश के महान् नेता महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के समाज के लिये जो सपने सजाये थे उनको साकार करने में लग गयी। यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार ने शासनारूढ़ होते ही राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की समस्या को हाथ में लेने की घोषणा की। हमारे समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिये कार्यवाही की। आज हमारा

(श्री हरि सिंह)

शासन इस ओर अग्रसर हो रहा है और इसका ही नतीजा है और हमारी सरकार की नीतियों के कारण आज पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों में इस ओर आस्था जागी आज दलित वर्ग के लोग शान्ति से अपने विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के आने के बाद हमने सबसे पहले जो सबसे अच्छा काम किया वह प्रायोरिटी फिक्स करने का किया आज क्या चीज जरूरी है उसकी प्रायोरिटी फिक्स की। सरकार ने सबसे पहले पेयजल की समस्या को हाथ में लिया और राजस्थान सरकार की उस समय पेयजल की बड़ी भारी समस्या थी। हमारी सरकार ने जो लक्ष्य रखे हैं उसमें तो आज राजस्थान में जो 25 हजार गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त थे उनको पानी उपलब्ध कराने के लिये हमारी सरकार ने चार हजार हैण्ड पम्प लगाने की घोषणा की और दो हजार गांवों में पानी की समस्या को हल किया। यह कोई साधारण सी बात नहीं है, सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी बात है। आज गांवों में जो हैण्ड पम्प हैं वह हमारी सरकार की देन है। यह एक सराहनीय काम है। इसके अलावा हमारी सरकार ने एक नवीन जल बोर्ड को गठित किया जिससे 1503 गांवों की पेयजल की समस्या को हल किया जायगा और अनेकों गांवों में हैण्ड पम्प्स भी लगाये जायेंगे हमारी सरकार ने इसके लिये एक योजना बनाई है उसका नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। इससे गांवों का विकास होगा यह योजना, सभापति महोदय, 2-10-80 को लागू की गयी है और यह योजना हमारे प्रदेश की 236 पंचायत समितियों में लागू कर दी गयी है।

इससे पहले राजस्थान में इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। जो योजना चलती थी अन्त्योदय योजना के नाम से उसमें तो केवल एक गांव में 5 परिवारों को चयनित किया जाता था और कहा जाता था कि यह लोग वह हैं जो सबसे अधिक निर्धन हैं और गरीब हैं। हमारी तरफ तो ऐसे लोग जिनको अन्त्योदयी के नाम से पुकारा जाता था उनकी सगाई-ब्याह भी होना मुश्किल हो जाता था क्योंकि उनके लिए इस तरह से कहा जाता था कि यह सबसे हीन आदमी हैं और सबसे निर्धन आदमी हैं। इस सरकार ने उस नाम को हटाकर एकीकृत ग्रामीण विकास योजना चलाई है और उसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक पंचायत समिति में 600 परिवारों का चयन किया जायगा और उनको गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाया जायगा। इस प्रकार से अगली जो छठी पंचवर्षीय योजना सामने आ रही है उस योजना के समयकाल में 7 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया जायगा और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं होता कि अभी तक इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष में 1 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाया गया है। यह कहना बहुत ही साधारण सी बात है, विपक्ष की ओर से तर्क दिया गया है इस सम्बन्ध में कि जब 7 लाख परिवारों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाया जायगा तो फिर राजस्थान में जो 25–30 लाख परिवार ऐसे हैं वह किस प्रकार से गरीबी की रेखा से ऊंचा उठा सकेंगे। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से

(श्री हरिसिंह)

अधिक से अधिक 40 लाख परिवार राजस्थान के अन्दर हो सकते हैं और उनमें से 50 पर्सेन्ट भी गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों को लगाया जायगा तो 20 लाख परिवार बैठेंगे और भी ऐसे परिवार हो सकते हैं। हर दो परिवार में एक परिवार अपने आप गरीबी की रेखा से ऊंचा उठ जाता है और दूसरे परिवार ऐसे हो सकते हैं कि जो सरकार की सहायता से ऊपर उठ पायेंगे। इस सरकार ने पांच साल के अन्दर 7 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने की योजना बनाई है। वह सराहनीय योजना है और ऐसी योजना की गत सरकार, जो कि जनता पार्टी की थी, कल्पना भी नहीं कर सकी।

अभी इसके अलावा विपक्ष के नेता महोदय ने यह बात कही थी कि इस अभिभाषण के अन्दर जो बांच सूत्री कार्यक्रम है उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि वह भूल गए पढ़ने में। इस अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस सरकार ने इसी वर्ष 1 लाख 65 हजार नये पेड़ लगाये हैं और अगले वर्ष के लिए योजना बनाई है उसमें दस हजार पेड़ ज्यादा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी बहुत सराहनीय कार्य इस सरकार का है। पेड़ अगर अधिक लगते हैं तो न केवल उस स्थान में अधिक वर्षा होती है और खुशहाली आती है बल्कि वहां की जलवायु ठीक रहने से वहां के रहने वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।...

इसके अतिरिक्त इस वर्ष दस माह में 665 गांवों को बिजली देना तथा 19 हजार कुओं को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य एक सराहनीय कदम है। मैं यहां निवेदन करना उचित नहीं समझता हूं इस वर्ष में जितने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जितने अभी खोले गये हैं उतने कभी पहले जनता सरकार में भी नहीं खुले।

इसके अतिरिक्त असहाय लोगों के लिए पेन्शन की सीमा में कमी की गई है और 45 वर्ष के ऊपर जो असहाय हैं, विधवा हैं, उनको पेन्शन दी जायगी यह भी एक सराहनीय कदम रहा है।

यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं बहुत आवश्यकता है इस बात की कि यदि राजस्थान के किसानों को खुशहाल रखना है तो यह जरूरी होगा कि राजस्थान में बिजली की उपलब्धता अधिक बढ़ाई जाय। इस समय राजस्थान को बिजली 50 प्रतिशत भी लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में एक या दो सुपर थर्मल प्लान्ट जिनकी क्षमता एक हजार या दो हजार मेगावाट बिजली बनाने की हो वह स्थापित किये जायें।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, आवश्यकता इस बात की है कि किसानों के लिए जो डीजल का वितरण होता है वह भी सही रूप से किया जाय। मैं तो अपने क्षेत्र की बात कह सकता हूं, हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए इस वर्ष 20 दिन में भी 15 लीटर डीजल उपलब्ध नहीं हो सका था। जो डीजल का अलाटमेंट होता है वह यहां से किसी ऐतिहासिक प्रणाली के ऊपर अलाटमेंट होता है। जितना गत वर्ष डीजल उस जिले

(श्री हरिसिंह)

में कन्जूम हुआ था उतना ही डीजल उस जिले के लिए दिया जाता है। तो भरतपुर जिला ऐसा जिला है जहां अधिक डीजल सैट लगाये जा रहे हैं, जहां अधिक उत्पादन के लिए किसान अग्रसर हैं वहां पर डीजल की सीमा कायम करके डीजल पूरा उपलब्ध नहीं कराना एक चिन्तनीय और सोचनीय विषय है।

मेरा जो क्षेत्र कुम्हेर है, जहां से मैं आता हूं उस क्षेत्र के संबंध में भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि वह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहां के 80 से 85 प्रतिशत लोग खेती के ऊपर निर्भर करते हैं और उस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का बहुत भारी अभाव है। एक भी नहर उस क्षेत्र में ऐसी नहीं है जिससे कि पानी निरन्तर वहां के लोगों को मिल सके। भरतपुर फीडर नाम की केवल एक नहर है जिसे उत्तर प्रदेश से पानी मिलता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता है केवल बरसात के दिनों में पानी मिलता है। मेरा निवेदन राज्य सरकार से यह है कि उस नहर को किसी भी प्रकार से पैरानियल नहर बनाया जाय. इस प्रकार की नहर बनाई जाय जिससे कि पानी निरन्तर लोगों को मिल सके।

इसके अतिरिक्त वहां की जनता के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर पाताल तोड़ कुएं बनाये जायं। पूरे क्षेत्र में उसका सर्वे कराकर पाताल तोड़ कुएं बनाये जायं जिससे किसानों के खेतों के लिए पानी उपलब्ध हो। उस क्षेत्र में पेयजल की भी बड़ी भारी समस्या है और आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर इस प्रकार की एक योजना बनाई जाय कि लोगों को प्रत्येक गाव में पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के अस्पताल की हालत अत्यधिक दयनीय है। वहां पर अनेक अनेक मरीजों के लिए शैयायें उपलब्ध नहीं होती और उन्हें जमीन पर ही पड़े रहना पड़ता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमान्, जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : सी.पी.आई. के सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है और मैं इस भाषण, जो राज्यपाल महोदय ने यहां दिया है, को दिशाहीन मानता हूं, एक भ्रमजाल की तरह मानता हूं। एक शेर याद आता है :

'तमन्नाओं में उलझाया गया है।
देकर खिलौना बहलाया गया है।'

सभापति महोदय, वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो हमेशा यह बात कही जाती है। हर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह बात कही जाती है कि समाजवाद लायेंगे और समाजवाद की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं। 30 साल तक कांग्रेस का राज था तो समाजवाद की बात किया करते थे। सभापति महोदय, आज इस भाषण के अन्दर कहीं समाजवाद का नाम नहीं है। समाजवाद की बात आप भूल गए

(श्री मेघराज तावड़)

और एक समय था इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम की बात करते थे। जब इमर्जेन्सी का टाइम था तो 20 सूत्री प्रोग्राम का नाम लेकर गरीब हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को गुमराह किया गया और बीस सूत्री प्रोग्राम के नाम पर क्या किया? उन मुनाफाखोरों और तस्करों को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके खिलाफ कभी कार्यवाही नहीं की गयी। उस समय यह कहा कि हरिजनों का पुराना कर्जा माफ कर दिया गया, सभापति महोदय, उसका शिकार मैं हूं। इन्दिरा कांग्रेस ने 20 सूत्री प्रोग्राम की बात कही थी। उस बीस सूत्री प्रोग्राम की बात को लेकर जब हम गांवों में गये हमने समर्थन किया था कांग्रेस के 20 सूत्री प्रोग्राम का लेकिन सही मायने में बीस सूत्री प्रोग्राम लागू करने की बात नहीं की गई है। जब गांवों में लेकर गये, बीस सूत्री कार्यक्रम की बात जनता तक पहुंचाई तो बड़े बड़े सूदखोर नाराज हो गये तो फिर कांग्रेस और तत्कालीन नेताओं और मिनिस्टर्स को उसकी शिकायत की गई। नतीजा यह हुआ कि मुझे मीसा में बन्द करना पड़ा क्योंकि, सभापति महोदय, हाथी के दांत खाने और दिखाने के लिए अलग-अलग होते हैं।

अब आइये जनता पार्टी के राज में, जनता पार्टी के टाइम पर अन्त्योदय योजना लागू की गई। सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान में 56 प्रतिशत जनता गरीबी की लाइन के नीचे है। आज आवश्यकता इस बात की है ऐसे कानून बनाये जायं और ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे तमाम लोगों को, आम देश की जनता को फायदा मिले। समाजवाद लागू किया जाय। लेकिन नहीं। इन्दिरा गांधी बीस सूत्री कार्यक्रम लाई जनता पार्टी का राज आया 5 आदमियों को छांटा गया। यह गरीबी नहीं मिट सकती। उसके बाद राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना में 7 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायगा। क्या मजाक है? सभापति महोदय, चाहे सरकार जनता पार्टी की आये, चाहे कांग्रेस की आये, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये केवल भ्रम में डालने वाली बात है। सभापति महोदय, आज मैं चाहता हूं यह सरकार गरीबों के कर्ज की बात करती है, गरीबी मिटाने की बात करती है। सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार, आज दूसरी जगह महाराष्ट्र की सरकार पुराने कर्जे माफ कर सकती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करके केवल सूदखोरों के कर्जे माफ करने की बात करें। श्रीमान्, मैं चाहता हूं पहाड़िया जी अभी यहां नहीं है, यहां तो यहां से शायद या दिल्ली जा सकते हैं। पहाड़िया जी कान खोल कर सुन लें अगर राजस्थान की गरीब जनता का भला चाहते हैं तो जैसे महाराष्ट्र सरकार ने पुराने कर्जे गरीबों के माफ किये, उसी तरह से पुराने कर्जे माफ करें। हरिजन और आदिवासियों के पुराने कर्जे चाहे सहकारी समितियों के हों, चाहे बैंकों के हों और चाहे तकाबी के हों, वह एक कलम से माफ किये जाने चाहिए, बिलकुल खत्म किये जाने चाहिएं। मैं नहीं चाहता केवल ब्याज माफ करने की बात करें।

(व्यवधान)

वह आ जाएगा आप इसकी चिन्ता मत करें।

(श्री मेघराज तावड़)

आप बेरोजगारी की बात करते हैं। सभापति महोदय, कभी बेरोजगारी इस देश से मिट नहीं सकती जब तक यही व्यवस्था रहेगी, बेरोजगारी नहीं मिट सकती। मैं चाहूंगा बेरोजगारी के लिए उस नौजवान को, पढे-लिखे, इन्जीनियर और डाक्टरों को और दूसरे काम करने वाले लोगों के लिए भत्ते की बात नहीं कही मैं चाहूंगा दूसरे राज्यों की तरह केरल और बंगाल की तरह उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए और बेरोजगारी भत्ता देकर भी कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता।

सभापति महोदय, वितरण की व्यवस्था इस समय कहां गई? आप कहते हैं वितरण व्यवस्था बहुत अच्छी है। अरे, आप तो अपने आइने में जाकर मुंह देखो। जौहरी बाजार में हाडियों की घाटी में गये थे तुम्हारे यहां हमने पूछा भाई गेहूं क्या भाव मिला। वह कह रहे हैं 80 बोरी गेहूं आना था 20 बोरी मिला। एक आदमी को दो किलो भी नहीं मिले। शक्कर दो महीने से आई ही नहीं। सभापति महोदय यह, तमाम जो आज की वितरण व्यवस्था है, हमारी पुरजोर मांग है उसमें पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये हमारी पार्टी की यह मांग है। दो तारीख को हमने यहां घेराव करने की बात रखी थी। पहाड़िया जी ने यहां घबरा करके छुट्टी कर दी, 28 तारीख से छुट्टी। हमारे बाहर से किसान लोग आ रहे थे, घबरा गये। पहाड़िया जी जब गांवों में आयेंगे तो पता चलेगा आज गांवों की हालत क्या है। अकाल की बात मैं कहना चाहता हूं मैं मानता हूं, सभापति महोदय, तमाम माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष में बैठे हों, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लें ऊपर से हमारी बात को नहीं मानेंगे लेकिन वे जानते हैं उनके क्षेत्र की हालत क्या है वहां अकाल की क्या स्थिति है। हमारे यहां से आने वाले माननीय मंत्री महोदय, जो अकाल राहत मंत्री हैं, उदयपुर जिले की बात को जानते हैं। उदयपुर जिला पहाड़ी इलाका है। वहां पर काम पूरी तरह से खोले नहीं हैं। पीने के लिये पानी नहीं है न कोई काम खोले गये हैं। जहां तीन हजार मजदूर काम कर रहे हैं झूठे बयान देते हैं कि 10 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। आज आंकड़ा उठा करके देखने के बाद क्षेत्र में जा करके देखा जाय जहां 100 आदमी के लगने की बात कहते हैं वहां 10 आदमी लगे हुए होंगे इस तरह से है। चोरियां, डकैती, लूट नहीं होगी तो क्या होगा? आज भूखा मरता क्या नहीं करता।

दूसरा, कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। तसल्ली करते हैं राज्यपाल के भाषण में हमने 12 गुण्डे पकड़े लेकिन काला बाजारी, तस्कर मुनाफाखोर और मिलावट करने वालों के खिलाफ कितनी कार्यवाही की गई? उनको गिरफ्तार करने की उनको जेल में डालने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। ये गुण्डे पकड़े गये वह गुण्डे हैं कौन। वे भी जो इन मंत्रियों के खिलाफ होंगे या कांग्रेस के खिलाफ होंगे या कांग्रेस के मानने वाले नहीं होंगे, उन लोगों को किसी तरह गुण्डा एक्ट में बन्द कर दिया गया है। आज गुण्डा एक्ट की बात करते हैं खुद को देख लें अपने आइने में।

(श्री मेघराज तावड़)

आज सत्ता में डाके पड़े। एम. आई. रोड पर डाका पड़ा, यहां चोरियां हुई। दूसरे शहरों और गांवों की बात जाने दीजिये आप यहां की बात कीजिये, राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात कीजिये कानून और व्यवस्था बेकाबू है। सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की बात करने वाली यह सरकार, मैं तो यह कहता हूं राजस्थान में कोई सरकार ही नहीं है। यहां कोई सरकार नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, पेयजल की बात कही। आज जयपुर में पूरी पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो हमारे बाड़मेर और जैसलमेर की हालत क्या होगी? सरकार द्वारा पानी पहुंचाने का कभी सोचा ही नहीं जा सकता। जोधपुर शहर की बात कर लीजिये। जोधपुर शहर में पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर नलों में पानी नहीं आता। मटके फोड़े जाते हैं। जिलाधीश के यहां जाकर मटके फोड़े जाते हैं। यह सरकार क्या चाहती है इतना बजट कर दिया वह पैसा जाता कहां है? हमारे पहाड़ी इलाके में कहां पानी दे सकते हैं। आज जैसे हमारे साथी ने कहा कि सड़कों के किनारे तो हैंड पम्प लगा दिये गये, सभापति महोदय, उन पहाड़ों में जहां पर आदिवासी बसते हैं और कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहां इस अभिभाषण में उनका नाम लिया होगा केवल नकली आंसू बहाने का काम कर रही है सरकार।

श्री सभापति : समय समाप्त हो गया, 15 मिनट का समय था आपका।

श्री मेघराज तावड़ : मेरे दल को पूरा समय दिया जाना चाहिये।

आज हमारे पहाड़ी इलाके में पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं भूमि सुधार की बात करना चाहता हूं। कहीं भी इस अभिभाषण में भूमि सुधार का संकेत नहीं है। आप कर भी कैसे सकते हैं आपको मालूम है जितनी सीलिंग की जमीन ली गई आज जागीरदारों ने उन जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं करती है। पहले कांग्रेस की सरकार ही उनकी खिलाफत किया करती थी किन्तु आज जब वे कांग्रेस (आई) की गोद में जाकर बैठ गये तो उनके सारे पाप धुल गये इसलिये इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये भूमि सुधार के कोई काम करेगी।

शिक्षा की बात कर रहा हूं। आज शिक्षा के बारे में हमारे पहाड़ी इलाके में जितने स्कूल खोले गये हैं, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में 25 स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। छात्रावासों की जमीनें मेरे क्षेत्र में बेची जा रही हैं। सभापति महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

सभापति महोदय, आज नेहरू छात्रावास जो आदिवासी के नाम से खोला गया उसको यूनिवर्सिटी को हैन्ड ओवर कर दिया गया और तो और हमारे वहां पर लॉ कालेज नहीं है। सागवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जैसे इलाके में कालेज खोले जाने चाहिये। हमारा पहाड़ी इलाका है और ट्राइबल एरिया है इसलिये गोगुन्दा में कालेज खोले जाने चाहिये। सभापति महोदय, राजस्थानी भाषा की अकादमी स्थापित की जानी चाहिये।

(श्री मेघराज तावड़)

राजस्थानी भाषा की एक स्वतन्त्र प्रकादमी की स्थापना करनी चाहिये । इसी प्रकार आदिवासी भाषा को प्रिजर्व रखने के लिये भी एक अलग से अकादमी खोली जानी चाहिये । यदि सरकार राजस्थान की संस्कृति को जिन्दा रखना चाहती है तो राजस्थानी भाषा के लिये स्वतन्त्र अकादमी का दर्जा दिया जाना चाहिये।

अब भ्रष्टाचार की बात करता हूं। सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार तो पहले मंत्रियों से समाप्त होता है तो देश की जनता भी उसका पालन करेगी। आज हमारे मंत्रियों ने कहां-कहां पर और किस-किस जगह पर जमीनें ले रखी हैं – कहां कहां जमीनें एक्वायर की हैं, कहां कहां पर अपने प्लाट बनाये हैं इस पर आपको आना चाहिए और फिर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं । आज जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं चाहे वे किसी भी महकमे के हों आज हमारे मंत्री भी हों, हमारे सदस्य भी हों तो उनकी प्रापर्टी की जांच की जानी चाहिये तब आपको मालूम हो जायगा कि दो नम्बर का पैसा कहां से आया है। भारी भरकम अनाप शनाप खर्च करते हैं। यदि वे चोरी नहीं करते हैं, लोगों से नहीं लूटते हैं तो फिर पैसा कहां से आता है, बंगले कहां से खड़े हो जाते हैं, कारें कहां से आती हैं सोफा सैट्स कहां से आते हैं ? एक छोटा सा बाबू, पी.डब्ल्यू.डी., इरिगेशन में चले जाइये आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट दो दो लाख के बंगले खड़े कर लेता है कहां से आता है उनके पास पैसा ?

श्री सभापति : समय का ध्यान रखिये ।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, शिक्षा से सम्बन्धित अभी बात रह गई है । प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको बन्द किया जाना चाहिये या फिर सरकार अपने हाथ में ले और उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । शिक्षा समान नहीं होगी तो यह समानता आ नहीं सकती है । अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं मिट सकता है । आज एक अमीर का लड़का सेन्ट जेवियर स्कूल में पढ़ता है और एक गरीब का लड़का गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है तो उसका स्टेण्डर्ड क्या होगा ? सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा इस अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

वसूली की बात आई । एक तरफ तो आप कह रहे है कि सरकार अकाल के क्षेत्रों में वसूली नहीं कर रही है । कोटड़ा, गोगुन्दा और सारे उदयपुर डिवीजन को ले लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहना कि सब जगह वसूलियां हो रही हैं । आदिवासी के दिलों पर पत्थर रखवा कर वसूली की जा रही है । आदिवासी के नाम पर नकली आंसू बहा रहे है लेकिन अब आदिवासी भी जग रहा है, समझ रहा है।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य ।

आपका पांच मिनट का समय भी हो गया है।

श्री मेघराज तावड़ : बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है । आदिवासी नौकरशाही के भरोसे रहते हैं। नौकरशाही कहती है बिजली नहीं है तो क्यों नहीं है बिजली ?

(श्री मेघराज तावड़)

सरकार की योजना नहीं है इसलिये बिजली का संकट है और बिजली का संकट कहां है जब तीन पैसे यूनिट दिया जाता है टाटा और बिड़ला को ? सभापति महोदय, एक ओर तो पूंजीपतियों को कम दर पर बिजली दी जाती है और दूसरी ओर किसानों को जो गरीब हैं उनको 50 पैसे प्रति यूनिट पर दी जाती है। फसल की बात करते हैं, फसल चौपट हो रही है। चाहे पक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों सब महसूस करते हैं।

सभापति महोदय, रैली निकालने की जरूरत क्या थी ? जनता ने जब आपको पहले ही बहुमत दिया है तो ताकत किसको दिखाने की जरूरत थी। रैली में करोड़ों रुपया खर्च किया अगर यही रुपया अकाल राहत के कार्यों में लगाते तो काम आता और राज्य की प्रगति होती। प्रदेश की जनता पर यह भार पड़ा। सभापति महोदय, अभी बजट आया नहीं है आयेगा तब उस पर वसूल कर लेंगे। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने महंगाई पर कन्ट्रोल करने के लिये कहीं भी कोई संकेत नहीं दिया है। सभापति महोदय, कैसे कर सकते हैं महगाई पर कन्ट्रोल ? आज जनता पार्टी की बात करते हैं जनता पार्टी के शासन से आज भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, शक्कर कितनी महंगी हो गई है ? मंत्री महोदय, रात को एक वक्तव्य देते हैं और सारे के सारे व्यापारी सजग होकर जनता पर डाका डालना शुरू कर देते हैं। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जो जनता के साथ धोखबाजी करता है, मुनाफाखोरी करता है, काला बाजारी करता है, अधिक फायदा करने की बात करता है उन सबको फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिये मैं तो यही चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : समय समाप्त हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट और कहूंगा, सभापति महोदय, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। मेरे दल का जो टाइम है वही लूंगा। सभापति महोदय, नौकरी के नाम पर आज सरकार सागड़ी प्रथा को पाल रही है वह सागड़ी प्रथा को छुड़ा नहीं सकती है। सभापति महोदय, सरकार बता सकती है आज कितने सागड़ियों को छुड़ाया ? सभापति महोदय, एक बात और कह कर समाप्त करूंगा, क्योंकि आपकी भी नाराजगी हो रही है। सभापति महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. ने सड़कें तोड़ दी मेरे क्षेत्र में क्योंकि जो नेशनल हाईवे है वह जा रहा है इसलिए अपने पर्वज के लिए, मंत्रियों के लिए, बड़े-बड़े लोगों के लिए तो सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारा पहाड़ी इलाका, आज 30 साल हो गये, ढाई साल जनता पार्टी के 32 साल हो गये–गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया। पी. डब्ल्यू. डी. की बात तो कह दी लेकिन रेगिस्तानी इलाके में कितनी सड़कें हैं ? जंगलों को बर्बाद करने की बात कहते हैं, जंगलो को बर्बाद करने वाली ये कांग्रेस की सरकार बैठी है। सबसे पहले अगर किसी ठेकेदारों को जंगल के ठेके दिये गये तो, सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने दिये और उनके जंगल बर्बाद होने के बाद आज जो आदिवासी सड़क पर लकड़ी काट कर जाते है, उनका कोई धन्धा नहीं,

(श्री मेघराज तावड़)
वहां पर उनका कोई कारखाना नहीं तो आदिवासी सिर पर मूली लाते हैं, कोयला लाते हैं तो सरकार उनके ऊपर जुल्म ढाती है। जेल में रखते हैं, जेल में रखने की बात तो समझ में आती है, सभापति महोदय · · ·

श्री सभापति: आप भी समय का ध्यान रखें।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट। सभापति महोदय, आपने यह नहीं देखा होगा कि शेर के पिंजरे में कभी आदमी को डाला गया। शेर के पिंजरे में आदिवासी को उदयपुर में डाला गया। उसकी गलती क्या थी, बांस काटकर ले आया, लकड़ी के कोयले ले आया इसलिए उसको लेकर शेर के पिंजरे में बन्द कर दिया गया। सभापति महोदय, इससे ज्यादा क्या आगे रोने वाली, इससे आगे और क्या शर्म की बात हो सकती है। सभापति महोदय, एक हमारी साम्प्रदायिकता की बातें आती हैं। कहीं झगड़ा न हो, हमारे जो साम्प्रदायिकता · ·

श्री सभापति : समय का अभाव है।

श्री मेघराज तावड़ :...की बात करने वाले हमारे हनुमान जी ने एक बात कही थी कि मैं आर. एस. एस. को मिटाकर रहूँगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो आर. एस. एस. को खत्म करके रहूंगा तो, सभापति महोदय, आर. एस. एस. को खत्म करने की बात तो दूर रही, जितने आर. एस. एस. के अध्यापक थे उनको तो शहरों में लाये और कांग्रेस के अध्यापक बाहर गये और तबाह हो गये। 30 हजार अध्यापक आज तक भी तसल्ली करके नहीं बैठे हैं, वह आज तक भी विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा तबादला कल हो जायगा। सभापति महोदय, परीक्षा मार्च अप्रेल में जब आ गयी तो फिर कैसे लड़के पास होंगे?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका समय हो गया है। अब आप भाषण समाप्त करें। दे दिया।

श्री मेघराज तावड़ : मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने समय दिया। मैं अपनी बात कहकर, राज्यपाल महोदय और इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं, जो इसमें लिखा हुआ, केवल जनता को भ्रम में, राजस्थान की जनता को भ्रम में डालने का एक डॉकूमेन्ट है, दिशाहीन है। इसमें कोई दिशा नहीं और ये भ्रमजाल है, इसलिए यह केवल जनता को बहलाने का एक डाकूमेन्ट है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका बहुत विरोध करता हुआ, अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह एक खाली ढकोसला है, मैं इसको नहीं मानता। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री देवदत्त।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, देवीसिंह है या देवीदत्त है ?

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): सभापति महोदय, हमारी उजला जी को दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, लेडीज का · · ·

श्री सभापति : ऐसा है, वैसे आपकी पार्टी का समय तो समाप्त हो गया है,

(श्री सभापति)

समय से 2 घण्टे ज्यादा हो गये हैं लेकिन टाइम रहा तो मैं आपको जरूर मौका दूंगा।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, जयपुर की बारी नहीं आयी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका जो समर्थन किया गया है, उसकी समपुष्टि के लिए, आज कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, मैं आशा करता हूं कि सभी सर्वश्रेष्ठ जन इन्हें ध्यान से सुनेंगे और ज्यादा व्यवधान नहीं डालेंगे। मेरा निवेदन यह है कि किसी भी कार्य के करने की जो रूपरेखा होती है अथवा जैसा भी काम किया जायगा, वैसी एक सच्ची रूपरेखा हमारे सामने महामहिम राज्यपाल ने रखी है। वास्तव में, यथार्थ में यदि देखा जाय तो उनकी इस उम्र में और ऐसी अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने जो अभिभाषण किया है, उन्होंने दया करके जो कष्ट किया है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार हो, सभी सरकारें किसी एक नियम, एक संविधान के अन्तर्गत चलती हैं। उनके अन्दर विशेष कोई अन्तर तब तक नहीं आता है जब तक कि उनका संविधान पलट नहीं दिया जाता। लिहाजा आप चाहे यू.पी. की सरकार देखिये, राजस्थान को देखिये, चाहे बंगाल, बिहार को देखिये, केरल को देखिये और चाहे तमिलनाडु को देखिये। उन सब लोगों का जितना भी पैटर्न है, हमारे संविधान से बाहर कोई भी बात कर सकते हैं, न कर रहे हैं इसलिए जो हम एक दूसरे की सरकारों पर आने और जाने पर जो छींटाकशी करते हैं यह ऐसे [redacted] पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों . हिन्दुस्तान के लोगों को बुरा भला कहा तो यहां के एक विद्वान् ने कहा कि आप अपने ही बड़ों को बुरा भला कहते हैं। जब हम कोई भी एक सरकार को अच्छा बुरा कहते हैं तो हम अपने आपको यह कहें कि हम अपने संविधान को बुरा कहते हैं जिसके अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं या यथार्थ में घोषणा है कि जो लोग भी इस सरकार में आये हैं या किसी भी सरकार में थे, उनकी इन्टेन्शन क्या थी और उन्होंने किन परिस्थितियों में कार्य किया और उन लोगों के एफर्ट्स क्या रहे हैं? हम भी हमारे क्षेत्र में अगर आप यह समझें, आप कोई वायदा करके आये हैं कि आप कोई चार चांद लगा देंगे तो आपकी भूल है। हम तो कोई वायदा करके नहीं आये हैं कि हम उस इलाके के चार चांद लगा देंगे, हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे एफर्ट्स हम करेंगे उससे हम देखें। यह वायदा ही हमारा हो सकता है और होना न होना तो अल्टीमेटली तो सब प्रभु के हाथ में है। सरकार करे तो अच्छी बात है, इसलिए सही बात तो यह है कि हम जो एफर्ट्स करें व हमारे एफर्ट्स सही होने चाहिए, सिन्सियर होने चाहिए। कोई भी बीमार आदमी अगर हमारे दरवाजे पर आ जायगा तो हमारा काम यह है कि हम उसको लेकर डाक्टर तक चले जायें, अच्छे से अच्छे डाक्टर से मिला दें, डाक्टर कोई फीस लेता है तो वह भी हम दे दें और उसका बहुत अच्छा निदान हो जाय। उसको होस्पिटल में भर्ती करा दें और वहां उसका अच्छा इलाज हो,

Page No 146

(145)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

इस सबकी हम व्यवस्था करा दें, इसके पश्चात् भी अगर वह मर जायगा तो उसके लिए मैं क्या करूं? फिर उसका कोई उपाय नहीं है इसलिए हमें देखना तो यही होगा कि जब वह सरकार थी, तब क्या परिस्थिति थी और आज जब यह सरकार हमारी आयी तब क्या परिस्थिति हुई और लोगों के थिंकिंग में, लोगों के विचार के अन्दर क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन आप देखिए कि स्वयं हमारे विरोधी दल के नेता जो कल को यह कहते थे कि पहाड़िया जी अगर मुख्य मंत्री बने रहे तो हम तो बड़े प्रसन्न हैं, वे ही आज सदन में यह कहते हैं कि आप शीघ्र से शीघ्र त्याग-पत्र देकर पधार जाइये। अवश्य ही कोई परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है तभी तो उनकी दो बातों के अन्दर बहुत भारी भेद है। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए था, आज वे यह क्यों कह रहे हैं, जबकि पहले वे आह्वान करते थे, सम्भवतः वे यह समझते थे कि यह सरकार उनसे ठीक नहीं चलेगी और इन्तजाम बिगड़ जायगा, सारी चीजें खराब हो जायेंगी तो अपने आप ही मामला ठीक होगा, उनके हक में होगा लेकिन अब वे कुछ अपनी दूर दृष्टि से देख रहे हैं कि मामला जमने जा रहा है। कोई न कोई स्थिति काबू में आ रही है तो अब वे घबरा रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उनको डेंजर पैदा हो जायगा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब की और अब की परिस्थितियों में भारी अन्तर है, वह परिस्थिति थी तब पहले भी हमारे माननीय सदस्यों ने बात कही है कि उन परिस्थितियों के अन्दर पहले की सरकार ने कांग्रेस सरकार ने वह तो उसको लगीसी कहेंगे लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने अनाज का भण्डार उन्हें भरपूर दिया था। उनको फारेन एक्सचेंज दिया था, सब तरह से देश को सम्पन्न किया था तो कोई भी गवर्नमेन्ट जब काम करती है तो जो पहले के डिफेक्ट्स हैं, जो लगीसी हैं, जो उनका असर होने वाला है, वह उसी टाइम तो नहीं हो जाता, कुछ समय लेता है, उनको उनके समय में जो मिल रहा था, ढाई साल के अन्दर वह उस सरकार का, जिस सरकार ने इस राज्य को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित और सब तरह से ठीक बनाया था वह उन्हें प्राप्त हो रहा था और उसको वे उजाड़ रहे थे। मैं यह कहूंगा कि हमारे से पहले जो वृद्धि चन्दजी बैठते थे वे कई दफा ये तारीफ करते थे कि पंडित जी इन्होंने देखो काम के बदले अनाज जितनी अच्छी योजना बनाई है और अपन लोग नहीं चला सके। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह देश के साथ विश्वासघात है और यह अनाज को लुटा रहे हैं। राष्ट्र के अन्दर अनाज इसलिए इकट्ठा किया गया है कि हमारे शास्त्री जी जैसे विद्वान् आदमी यह कहते हैं कि हम अमेरिका के सामने मस्तक नहीं झुकायेंगे चाहे हम भूखों मर जायं, चाहे हमें सप्ताह में एक दिन उपवास करना पड़े लेकिन हम अपना अमेरिका के सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे और उनके पास मांगने के लिए नहीं जायेंगे। And he did it. और तब उन्हीं लोगों ने उनके पास आने वाले लोगों ने उस भण्डार को भरा। इसलिए भरा कि कहीं हम ऐसे समय में आ जायं, कहीं अकाल पड़ जाय अथवा कहीं दूसरी परिस्थिति लागू हो जावे तो, या हम पर युद्ध थोप दिया जावे तो हम उस

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

अनाज से अपने अस्तित्व की रक्षा कुछ समय के लिए तो कर सकें। इसलिए उन्होंने अनाज के भण्डार भरे थे। इसके साथ-साथ उन्होंने इस बात को भी देखा था कि प्राइसेज जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, इन्हीं प्राइसेज को डाउन करने के लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। यही एक अच्छा तरीका हो सकता है। हम उस अनाज के भण्डार को इकट्ठा कर लें तो शायद वक्त न वक्त, जब आवश्यकता हो तो हम मार्केट में उस अनाज को फेंक दें तो भाव कुछ दब जाएगा। इन चीजों के लिए यह अनाज इकट्ठा किया गया है। मैंने उनसे कहा था उस समय मैं विधायक थे और जो मैंने कहा था वह यह था कि इसमें साजिश है गवर्नमेंट के लोगों की। उन लोगों की भी जिन्होंने कि अनाज लिया, अच्छा अनाज लिया था बारम्बार चलनियों में छान कर लिया था और जब वे सप्लाई करते हैं तब उसके अन्दर कंकड़, धूल और कचरा होता है। यह कहां से आता है? तो वे लोग ये गड़बड़ियां बीच में कर रहे थे। तौल में, माप में गड़बड़ियां हो रही थीं। उस अनाज को उन्होंने रखा था और सुरक्षित तरीके से रख नहीं सके थे, तब वे चाहते थे कि किसी तरह से यह अनाज यों ही निकल जाय तो ठीक है। हमारे जो उस वक्त के मुख्य मंत्री महोदय थे वे देखते थे कि अच्छा है मुफ्त में मिल गया। चलो वाहवाही लूट लो। तो वे वाहवाही के कारण, सरकारी कर्मचारी इसलिए कि उनकी पोल छुप जाएगी और ऊपर की सरकार इसलिए कि अनाज भरा पड़ा है, चलो हम भी कुछ करिश्मा दिखा जावें। दोस्तों, यह याद रखिये कि इसलिये भी कि अमेरिका जो उनका 'आका' था, अमेरिका की यह पालिसी रही है कि कोई भी कैपीटलिस्ट देश हो; कोई पूंजीवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, रहना तो नहीं चाहते हैं, चाहे वह भारतीय ही हों, रहना तो नहीं चाहते लेकिन जो फंसे हुए हैं ऐसी व्यवस्था में, उनको दबाने का आज की दुनिया में एटम बम वगैरह इत्यादि कोई भी तरीका नहीं है जो उनको दबा सके। उनको दबाने का एक ही तरीका है कि किसी तरीके से उनको भूखों मारो तो अपने आप हमारे सामने पैरों पड़ेंगे और इसीलिए जब कभी भी हिन्दुस्तान को या पाकिस्तान को या किसी भी दूसरे देश को अनाज की जरूरत होती थी वह आ करके अमेरिका के सामने घुटने टेकते थे, उनके सामने झुकना पड़ता था। विश्व की नीति में अमेरिका यह चाहता था कि किसी तरह से इन लोगों का यह अनाज का जखीरा जो इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, जो कि एटम बम से भी बढ़ करके है और अगर इन्होंने और भी ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो किसी दिन दूसरी नौबत आ जाएगी। इसलिए वे अपने स्वार्थ से चाहते थे कि यह अनाज का जखीरा खर्च करा दो, खत्म कर दें और यहां तक कि दूसरे लोग जो उस वक्त तत्कालीन नेता थे वे इस बात से आश्वस्त थे कि उनके आका जब चाहेंगे तब दे देंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलते जाओ। इन सब बातों के कारण काम के बदले अनाज वाली स्कीम चलाई गई वह देश के साथ एक महान् घातक कदम रहा। और अकाल''

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह तो सूझ ही उनकी थी। आप कहते हो कि यह खतरनाक योजना थी।

(धान)

श्री सभापति : बीच बीच में इण्टरप्शन मेहरबानी करके मत करिये। आप पंडितजी स्पीच जारी रखें।

श्री देवव्रत तिवाड़ी : यह उनकी सूझ होगी हम कब बुरा मानते हैं। वे अपने शब्दों में सूझबूझ कहते रहें हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं और उन लोगों ने क्या किया है यह देखना है। हम अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं और उनकी बात यह उनका थर्मामीटर नहीं है। थर्मामीटर तो हमारे पीछे पब्लिक बैठी है जो कि अपने आप मन में समझती है और वह जब वोट देती है उस वक्त थर्मामीटर को यूटिलाइज करती है। उसको आप अपने शब्दों में अच्छा कहिये, सूझ बूझ कहिये, हम उसको कहते हैं कि गलत सूझबूझ थी, लेकिन जब हमारी परिस्थितियां थीं। मैं तो केवल यह बात कहता हूं कि परिस्थितियों का अन्तर बताता हूं।

दूसरा उदाहरण देता हूं। भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं रथ को और अर्जुन बाण छोड़ता है और सामने कर्ण बाण मारता है। जब कर्ण बाण मारता है तो अर्जुन का रथ एक कदम पीछे हटता है और अर्जुन जब बाण मारते हैं तब उस कर्ण का रथ पांच कदम पीछे हटता है और जब कर्ण बाण चलाता है और अर्जुन का रथ एक कदम पीछे हटता तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शाबास। अर्जुन कहता है कि क्या बात है महाराज! हम बाण मारते हैं तो उसका रथ पांच कदम पीछे जाता है और वह जब बाण मारता है तो मैं एक कदम पीछे हटता हूं और आप शाबास कहते हैं तब भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं त्रिलोकी का नाथ तुम्हारी पीठ पर बैठा हुआ हूं तब भी एक कदम पीछे हटता है तो तुम समझ लो कि अगर मैं नहीं होऊं तो कितने कदम पीछे हटोगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह राज्य हमारे पहाड़िया जी को जिन परिस्थितियों में मिला है, अगर वह परिस्थितियां नहीं होतीं तो जैसा वे कहते हैं बहुत थोड़ा आगे बढ़े हम तो न जाने कितने कदम आगे बढ़ गए होते। मेरा निवेदन है कि केवल परिस्थितियां ही नहीं, जिन परिस्थितियों में यह सब मिला है उसमें देखने से यह मालूम पड़ता है कि कोई भी काम कैसे चल रहा है। हो सकता है कि हमारी यह सरकार बहुत सारे काम नहीं कर सकी हो, हमारे बहुत से उलहाने भी हो सकते हैं और होने भी चाहिए क्योंकि हम तो यह आशा करते हैं, हमारे क्षेत्र वाले भी आशा करते हैं कि उनका भला कर सकें। लेकिन यदि कोई समझदार आदमी देखे तो वह इन परिस्थितियों को देखेगा, जिन परिस्थितियों में पुरानी सरकार जो कि यहां से निकल कर गई, वह हमारी सरकार, इस राजस्थान की सरकार को बैंक करप्ट करके गई। यहां के खजाने को लुटा कर गई। तो इन परिस्थितियों के अन्दर इस देश को सम्भाला और इन परिस्थितियों में ये विरोधी दल वाले यह समझते थे कि यह राज चलेगा नहीं और जब उन्होंने इसको सम्भाल लिया है तो हम इस चीज के लिए साधुवाद क्यों नहीं करें, क्यों न हम इसको अच्छा कहें ? और जो सफलता प्राप्त की गई हैं उसके लिए भी हम सराहना निश्चित रूप से करेंगे।

दूसरा प्रश्न इन्टेशन का है कि इन्टेशन किस तरह की होनी चाहिए।

Page No 149

(149)

श्री सभापति : समय का अभाव है पंडित जी समय का ध्यान रखें। दस मिनट से ज्यादा एक वक्ता नहीं बोलेगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : खत्म हो जायगा। आपकी आज्ञा से बैठ जाऊंगा। सभी लम्बाई से बोले हैं। मैं कोई विशेष चीज नहीं कहने वाला हूं।

श्री सभापति : बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं इसलिए मैंने अर्ज किया।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : यह बात ठीक है, तो आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप इसी तरह से समय देंगे तो समाधान हो जाएगा।

मैं तो संक्षेप में इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि हमको परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, हमको इन्टेन्शन देखनी पड़ेगी और हमारे जो सिंसियर एफर्ट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। तो जहां तक इन्टेन्शन का सवाल है, हम यह कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया, प्रौढ़ शिक्षा का। वे कहते थे कि हमने प्रौढ़ शिक्षा का बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया और आज हमको उलाहना देते हैं कि हम इन लोगों को शिक्षित नहीं कर पाये और 19 पर्सेंट कर पाये हैं। वे तो यह कहते थे कि प्रौढ़ शिक्षा में सभी को शिक्षित करते चले गये। फिर वे वापस अशिक्षित, अंगूठा छाप कैसे हो गये? इसका मतलब है कि उनका इन्टेन्शन सही नहीं था। उस प्रौढ़ शिक्षा के पीछे अपने एक विशेष समुदाय को अपने लोगों को अन्दर घुसा कर के और राज्य के उस पैसे से लाभ उठाना चाहते थे जो सम्भवत: नहीं उठा सके और क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे वह नीति, वह इन्टेन्शन लोगों को पसन्द नहीं आई। तो ऐसी इन्टेन्शन भी देखनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों से आज यह हो रहा है। वे कहते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर में असर नहीं आया। लॉ एण्ड आर्डर की बहुत आवश्यक बात है। असर क्यों नहीं आया? इसी हाउस के अन्दर यहां रोजमर्रा यह आवाज लगाते थे कि इतने बलात्कार हो रहे हैं। जहां देखो वहां बलात्कार की ही बातें आती थीं। अब बलात्कार की बातें भूल गये। तो क्या हुआ? क्योंकि कुछ न कुछ सुधार हुआ है और आप कहते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर में सुधार नहीं हुआ। पहले आप ही लोग हंगामा मचाते रहते थे। अब तो किसानों को पकड़ा है। मालूम पड़ेगा जब योजनायें सामने आ जायेंगी कि किसानों का हितैषी कौन है। यह बात स्पष्ट हो जायगी। इसलिए मैं तो केवल इतनी बात कहना चाहता था कि इन तीन क्राइटेरिया के अनुसार हम देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं।

अब मैं आपको केवल यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक इन परिस्थितियों का सवाल रहा है, परिस्थितियां बहुत गम्भीर थीं और गम्भीर हैं। बहुत गम्भीर हैं जिनमें हम चला रहे हैं। हमारे पहाड़िया जी इस सरकार को लेकर चला रहे हैं और इन गम्भीर परिस्थितियों में जो कुछ किया जा सकता है वह ठीक किया जा रहा है और वे बहुत ठीक कर रहे हैं। जहां तक इन्टेन्शन है, बिलकुल क्लियर है, साफ है। ऐसी बात नहीं है जैसी कि दूसरे लोगों की थी जो कि अपने चमत्कारी शब्दों से भुलावे में हमको डालना चाहते हैं। उनके अन्दर यह कला है कि वे अपने शब्दों से दूसरों को भुलावे में डाल सकते हैं। चाहे हम में यह कला नहीं हो लेकिन चाहे कला हो या नहीं हो, जो लोग

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

पीछे हैं वे हमारे सूत्रधार हैं। वे लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है, ला एण्ड आर्डर ठीक हो रहा है। उस समय हरिजनों पर क्या विपदा आई थी। कोई भी अल्पसंख्यक, हरिजन, हमारे बाड़मेर इलाके के बॉर्डर पर रहने वाले मुसलमान लोग तो इस स्थिति में आ गये थे कि वे अपने ढोर ढाढे लेकर दूसरी तरफ भाग कर चले जावें और जितने भी दूसरे राजपूत वगैरह आ गये थे, उन लोगों का इतना पक्ष लिया जा रहा था जैसे उनको हावी कर दिया, जायगा, ऐसी परिस्थिति पैदा की। आज सारी जगह हरिजन अल्प संख्यक, दूसरे लोग सभी लोग असुरक्षित नहीं है। आज वह कोई भी असुरक्षितता महसूस नहीं करते हैं। जितने भी अल्प संख्यक, दबे हुए या पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं, सुरक्षित हैं। आज तो यथार्थ कहूं तो मैं आगाह करूंगा कि लोग इस बात से भयभीत हैं कि हरिजनों को बहुत ज्यादा लिफ्ट न दे दें। आज सरकार निकम्मे आदमियों को ऊपर लाकर उसका इन्तजाम न बैठा जाए। यह स्थिति हो गई है। आप कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं आगाह करना चाहता हूं, हरिजनों को उठाना चाहते हैं, उठायेंगे। हमारे लीडर उठायेंगे। लेकिन वे स्वयं उस क्लास से आ रहे हैं, इसलिए कि हिन्दुस्तान में आप देखें ...

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : प्रधान मंत्री बनाते-बनाते रह गये और हमने यहां मुख्य मंत्री बना दिया। इस चीज को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि दो चीजें ठीक हैं। इन्टेन्शन ठीक है। सिंसीयर एफर्ट्स ठीक नहीं हैं। जहां राजस्थान की तरक्की का प्रश्न है मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो एफर्ट्स है वह बराबर नहीं हो रहे हैं। दृष्टिकोण बदल रहा है। जागीरदार लोग हम पर हावी हो रहे थे। वह दृष्टिकोण पलटने जा रहे हैं, पलट गया है। सभी लोग सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन हमें देखना है हमारे एफर्ट्स बराबर हो रहे हैं या नहीं। सारी शिकायतें मैंने देखी, हाउस में इस बात की शिकायत है कि एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। जहां तक हमारे पेयजल का प्रश्न है, बिजली लेने देने का प्रश्न है, बांधों का प्रश्न है, इत्यादि, दूसरे प्रान्तों के प्रति अन्तर प्रान्तों के विवादों का प्रश्न है उनकी शिकायतें यहां रही हैं, हमारे प्रयास जो एफर्ट्स हैं उनका बढ़िया रिजल्ट आ जायगा It proves every thing. तो अच्छे रिजल्ट आ जायेंगे तब तो बात अच्छी है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे प्रयास हो रहे हैं वह कम हो रहे हैं। यह अकाल की दृष्टि से देख लिया जाय। नियमों का पालन कितना होता है, नियमों का इतना जंजाल खड़ा कर रखा है कि हमको रोने की भी इजाजत नहीं है। हमने उस दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। ऐसे कानून के जाल में डाल दिया, वह जाने कहीं उछलकर प्रश्न चला गया।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : इस दृष्टिकोण से अकाल को नहीं मिटा सके हैं। हमने यहां निवेदन किया था। अब यह कौन-सा अर्थ-शास्त्र अपना रहे हो? यह तो सम्भालो? पहले अकाल था उस समय सरकार से कहा था कि 10-11 करोड़ जबर्दस्ती खर्च कर

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

रहे होंगे, हम 6 करोड़ की मांग कर रहे थे। हमें दे दो हम लोगों में वितरण कर देंगे, नहीं दिया। अभी हमारे मंत्रिगण आये, हम भारत सरकार को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं बराबर कहता हूं कि आपकी जो कार्य पद्धति है उसमें कहीं नहीं जा रहे हैं, डिवीजन नहीं खुल रहे हैं। कहीं आप कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम खोल दिए, अरे, काम तो खोल दिए, डिवीजन नहीं खोला। आदमी काम करने वाले नहीं है। कराने वाले नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

काम देखने वाले नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : पांच मिनट दे दें।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्र, जो बार्डर से लगा हुआ है, के गरीब ग्रामीणों की बात रखूंगा। वहां जब जाकर देखते हैं तो वहां का ग्रामीण जो बरसों से यह आस लगाये बैठा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तो वह जनता के हित के लिए जो महत्ती आवश्यकता हैं पानी, रोटी, रोजी, सड़क, स्कूल और औषधालय, इनकी व्यवस्था करेगी। पर दुख है, सभापति महोदय, आज उस बार्डर पर बसे हुए हमारे मुसलमान भाइयों को जाकर देखिए, उनकी कमीज के चिथड़े चिथड़े हुए पड़े हैं। सिर के ऊपर साफी का टुकड़ा है- उसको दिन में सौ-सौ बार लगाता है कहीं गिर न जाय। पैरों में जूते नहीं है पैर फटे हुए हैं और ऐसी प्यासी हालत हो रही है कि जो कुआं खोदता है उसी का पानी थोड़े दिन में खतम हो जाता है। ऐसी हालत हमारी दूर दराज पाक बार्डर से लगे हुए क्षेत्र के निवासियों की है। आज वह क्या मांगता है? इस व्यवस्था में वह सिर्फ मांगता है, मुझे पीने के लिये मीठा पानी दो। आज सरकार से यह मांगता है कि रोजी-रोटी के लिए कोई साधन दो। वह कोई अपने बेटे को कलेक्टर बनाने के लिए नहीं कहता। वह नहीं कहता कि मेरे बेटे को सर्विस दिलाओ, पर शर्म आनी चाहिए हमें अपने ऊपर जो हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार बनी है वह मीठे पानी के लिए व्यवस्था नहीं कर सकी है। आज इतना भयंकर अकाल है। लेकिन बार्डर से लगे हुए गांवों में कोई मजदूरी के साधन नहीं खोले हैं। वह ग्रामीण जाय तो कहां जाय वह रोना रोये तो कहां रोये। वह गांव के मुखिया से कहता है तो मुखिया हमें कहता है और हम आकर इस विधान सभा में, हाउस में कहते हैं पर बात भी कही जाती है, इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। आखिर जो बात हम यहां कहें कम से कम उस बात को तवोज्जह तो दी जाय। यह सरकार है इसका सारा अमला चलता है मैं कहता हूं फण्ड भी खूब है कोई फण्ड की बात नहीं है, फण्ड क्या अफण्ड है खूब अफण्ड है। फिर क्या आप उसको ही रोजी रोटी देंगे, उसको ही पानी देंगे जो आपका गला पकड़े, आन्दोलन करे, प्रदर्शन करे? जो शान्ति प्रिय तरीके से ग्रामीण अपने गांवों में रहना चाहता है, उसकी कोई आवाज नहीं सुनी जाती। आज सरकारी व्यवस्था की तरफ से जैसे ही गिरदावरी होकर अकाल घोषित हुआ, अकाल घोषित होते ही सरकार की तरफ से एक टैस्ट रिलीफ वर्क का नमूना लिया। टैस्ट रिलीफ

Page No 152

(श्री देवीसिंह भाटी)

वर्क राजस्थान प्रदेश में किस बात के लिये आवश्यक था ? क्या कोई पहली बार अकाल पड़ा है जिससे कोई तजुर्बा नहीं है कि किस ढंग से रिलीफ वर्क स्टार्ट करें : क्या परिणाम आयेंगे ? किस बात के लिये चालू किया है ? वह चाहता था कि मैं भूखा हूँ, मेरा जितना भी पैसा था सारा खेत में लगा दिया। कुछ नहीं है, कर्जा है--मेरे पास मेरे परिवार का पेट भरने के लिये, पालने के लिये मजदूरी का साधन दो। हमें शर्म आनी चाहिये कि आज वह ग्रामीण भूखा बैठा है। मैं उदाहरण दूं पिछले महीने पहले ग्रामीण सहकारी समिति वहां अनाज ले गयी। अनाज ले जाकर वितरण के लिये लोगों से कहा। आधे से ज्यादा लोगों की यह हालत थी कि उनके पास पैसा नहीं था। वह अनाज नहीं ले जा सके। वह दो टाइम का एक टाइम खाना पका कर अपना गुजारा करते हैं। सबसे पहले हमें उस पर सोचना चाहिए। किस बात की रेल, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी किस बात का हवाई अड्डा ? आज पहली बात यह है कि भूखे और गरीब ग्रामीण के लिये कुछ नहीं कर सकते तो क्यों बेकार में यह चिढ़ते हैं ? क्यों बेकार में समय बर्बाद करते हैं ? तो, मैं, सभापति महोदय, इस सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि महज आंकड़े पेश न करें। हम तो यह चाहते हैं कि सबसे पहले अहम मसला है अकाल का। इसलिये हर गांवों में, ग्रामीणों को रोजी रोटी के लिये आपका कोई साधन दीजिये कैसा भी काम करवाइये, आज ज्यादा मजदूरी नहीं दे सकते फिर भी चाहे आप पांच रुपये दें, चाहे ढाई रुपया दें, किसी तरह से मजदूरी कर पेट पालन तो करें।

एक माननीय सदस्य : राजस्थानी भाषा में भाषण दें, राजस्थानी अकेडमी कैसे कायम होगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : लिखने में दिक्कत होती है।

श्री देवीसिंह भाटी : आज बीकानेर जिले में व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायतें सिर्फ 10 हजार का काम करा सकती हैं वह भी एक समय में तीन। तो एक ग्राम पंचायत में 10–15–20 गांव होते हैं जिनमें 15 से 20 किलोमीटर का फासला होता है। मैं विशेष तौर से बार्डर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। दस हजार तक का काम ग्राम पंचायतें करा सकती हैं। इससे ज्यादा का पी. डब्ल्यू. डी. करायेगी। पी. डब्ल्यू. डी. को वहां कोई भी लगाव नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. को जहां सुविधा होगी शहरों के नजदीक कोई काम होगा जहां हेरा-फेरी का काम होता है वहां जाएगी। वह क्यों जाएगी गांवों के लोगों के सामने, गांव के लोग हाहाकार करेंगे, पीछे भागेंगे तो पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी आगे भागने की कोशिश करेंगे। तो यह स्थिति है हमारे अकाल राहत कार्यों की। हम कुछ नहीं मांगते हमारे क्षेत्र में हर गांव में ग्रामीणों को मजदूरी देने के साधन खुलवा दीजिये। आज राज्यपाल के अभिभाषण में कोई कोनी सुणस्या कांई ? भई, नोट नहीं करेंगे तो हमारे भाग्य ही ऐसे हैं। हमारे ग्रामीणों के भाग्य फूटे हुए हैं तो क्या करें।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नन्दलाल जी नोट कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मांगीलाल जी देख रहे हैं। एक ही मंत्री है जिन पर सारी सरकार का भार है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इस अभिभाषण में पेज तीन पर बताया गया है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है इन्होंने कहा बेचारे यह कोई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। अभी नाथूसिंह जी ने बेचारे कहा है।

एक माननीय सदस्य : वह चारे के अभाव में बेचारे कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। आप जारी रखिए, देवीसिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी : जहां पांच किलोमीटर की परिधि में पेयजल उपलब्ध नहीं है वहां ट्रक-ट्रैक्टरों द्वारा, अथवा किराये के वाहनों से पेयजल पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया है। हकीकत यह है, सभापति महोदय, बार्डर क्षेत्र में जहां न कोई सड़क का साधन है न कोई दूसरी अप्रोच रोड है वहां न कोई टैंकर पहुंच रहा है न कोई पानी भेजने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ इसके अन्दर बता दिया है कि पांच किलोमीटर की परिधि में पानी की कमी होगी वहां पानी की व्यवस्था करेंगे। अब इसे सच मानूं या गांवों में जो हकीकत है उसको सही मानूं ? यह निर्णय अब सरकार को करना है। हमारा तो इतना ही है कि हम कह सकते हैं अपनी बात। अगर आपको सिर्फ ग्रामीण काश्तकारों, ग्रामीणों की तरफ देखना है उनका फायदा देखना है तो कुछ हकीकत पर, असलियत पर आयें।

सभापति महोदय, बातें तो खूब हैं और किए जाएंगे जवाब कुछ मिलेगा नहीं।

एक माननीय सदस्य : बहुत हो गया।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत क्या हो गया समस्याओं से भरा पड़ा है। आज, सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में करीबन तीन सौ, चार सौ वर्षों से किसान अपनी भूमियों पर काबिज हैं उनको आज की तारीख में राजस्थान नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उस स्टेट टाइम के रेवेन्यू रिकार्ड का है, स्टेट के वक्त में रेवेन्यू रिकार्ड नहीं बनाया, सामन्त, राजा, ठिकानेदार सारे थे, उन्होंने कार्यवाही नहीं की। उसके बाद 32 वर्ष हो गये अब तो लोकप्रिय सरकारें आने लग गईं उसके बाद में भी उनको हक नहीं मिलते। आज शहरों में 1971 से पूर्व कहीं कब्जा कर लिया हो तो उसे तो मान्यता देकर पट्टे जारी कर दिये हैं और गांवों में 400 वर्षों से ग्रामीण काश्तकार खेत में काबिज होते हुए भी बैठा है भूखा, प्यासा, अकाल से जूझता हुआ उसको अपना अधिकार नहीं दिया जा रहा है यह कहां का न्याय है आखिर वह अपनी बात कहे तो किसको कहे ?

एक माननीय सदस्य : मांगीलाल जी को कहे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नरेन्द्रसिंह जी रनिंग कमेंटरी नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इस बात को लेकर उन ग्रामीण काश्तकारों ने अपनी समस्या को सरकार के सामने रखने के लिये बीस तारीख से एक शांतिपूर्वक रास्ता रोको अभियान में रोड नं. 931 और 1060 पर प्रदर्शन किया और रास्तों पर धरना दिया। वह सिर्फ अपनी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, महज यही उनका उद्देश्य था। मैं भी उनके साथ था पर जैसे ही रास्ता रोकने का अभियान उन्होंने वहां शुरू किया पुलिस आई पुलिस के 250 जवान आये और एस.डी.एम., एडीशनल एस. पी., डी.एस. पी. सारे अधिकारीगण वहां पहुंच गये और जाते ही जबर्दस्ती उनको वहां से उठाकर फेंकने लगे। अगर वे कोई किसी प्रकार की बाधा पहुंचा रहे थे, शांति भंग कर रहे थे तो उनको उस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था वे गिरफ्तारी देने के लिये तैयार थे पर उसी पुलिस द्वारा उसके हाथ में डण्डा था उस डण्डे से गरीब काश्तकारों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। वे सिर्फ अपनी मांग के लिये ही सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। क्या यही एक तरीका है समस्या के समाधान करने का? अगर ऐसी बात होती तो उनको जेल में डालते, उनके खिलाफ मुकदमें होते, कार्यवाही होती। सभापति महोदय, अगर इसी प्रकार सरकारी व्यवस्था द्वारा किसानों को, ग्रामीणों को, उनकी आवाज को दबाया जायगा तो यह देश की, प्रदेश की सरकार के हित में नहीं होगा। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं जैसा कि जिला प्रशासन से हमारा समझौता हुआ है सात दिन में अगर 28 तारीख तक उनके खातेदारी अधिकार उपलब्ध करा दिए तो ठीक है वरना एक तारीख से फिर किसान रास्ता रोको, घेराव का प्रोग्राम चालू करेंगे। इसलिये कान खोलकर सरकार सुन ले अगर फिर शान्ति भंग हुई, कोई लाठी चार्ज हुआ, गोलीकाण्ड हुआ तो उसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी।

सभापति महोदय, इसमें यह बताया गया है पेज नं 6 पर राजस्व से सम्बन्धित अनेक मामलों में मौके पर निपटारे की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों को बड़ी राहत मिलती है। यह कल्पना तो बड़ी अच्छी है इस सरकार की, पर, इस वर्ष के दौरान कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ने वहां दूर दराज गांवों में जाकर कोई फैसला किया है? कोई एक भी नहीं।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें। माननीय सदस्य और भी सदस्यों को बोलना है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, राजस्थान नहर परियोजना देश की बहुत बड़ी परियोजना है। इससे देश के लाखों लोगों को फायदा होने जा रहा है। जो गरीब काश्तकार वर्षों से अकाल से जूझ रहे हैं, प्यासे हैं, खेत में कुछ उपजता नहीं है उनको इससे फायदा होने जा रहा है। पर, जिस प्रकार से राजस्थान नहर का निर्माण हो रहा है उससे यह उम्मीद लगाई जाती है कि पचास वर्षों तक, इसका कार्य पूरा नहीं होगा। आज जब राजस्थान नहर के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे एक ही बात कहते हैं कि कोयला नहीं मिलता है। पिछली दफा जब हमारे मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय नेताओं से बात की, उनका स्टेटमेन्ट भी आया कि हमें शीघ्र ही कोयला मिलेगा और इससे राजस्थान नहर क्षेत्र में गति

(श्री देवीसिंह भाटी)

आयेगी। परन्तु आज तक न तो एवज़ा कोटा मिला है और न ही निर्माण कार्य में गति आई है। राजस्थान नहर क्षेत्र में जैसे ही नहर का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण होता है, वहां पर पहले ईंट का भट्टा बनता है और सबसे पहले वहां के रहने वाले, चार सौ साल पुराना काबिज काश्तकार है, वह सबसे पहले मारा जाता है। उसकी जमीन रोक ली जाती है, बगैर किसी सूचना के ईंट के भट्टे और सड़क के निर्माण के लिए जमीन ले ली जाती है। चार, पांच वर्ष हो जाने के बाद भी उसको एवज़ में न तो जमीन ही दी जाती है और न ही मुआवजा दिया जाता है। जो कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट है उसमें इस प्रकार के सैंकड़ों मामले विचाराधीन हैं। ऐसे भी कई परिवार हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन अवाप्त की गई है। आखिर इनका निपटारा कौन करेगा, कब करेंगे, यह हमारे समझ में नहीं आता है। सरकार को इन गरीब काश्तकारों की समस्या के प्रति ध्यान देना चाहिए। यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि आपके पास बात पहुंच गई है तो उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए वरना उग्र रूप धारण करके किसान सड़क पर आएंगे जिससे सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। सभापति महोदय ...

श्री सभापति : आपकी पार्टी का बचा हुआ सारा समय पर्याप्त तरीके से आपने काम में ले लिया है ...

श्री देवीसिंह भाटी : शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर, जो कि बार्डर क्षेत्र है कई, प्राइमरी स्कूल्स हैं पर उनमें 6-8 महीनों से कोई अध्यापक नहीं है। एक एक अध्यापक का स्कूल है और वहां भी अध्यापक नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में शिकायत की गई है। एक तरफ तो सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिले, शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा दी जाए पर दूसरी तरफ न तो वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था है और न ही स्कूल भवन की व्यवस्था है। आखिरकार यह देश में जो आस लगाये बैठे हैं देश के गरीब किसान जिसके बच्चे पढ़ कर एक चरित्रवान नागरिक बनेंगे वह आखिर किस ढंग के होंगे यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आखिर में एक और निवेदन करना चाहूंगा बीकानेर में पलाना में थर्मल पावर प्लान्ट शुरू करने की योजना विचाराधीन है। इसके ऊपर सरकार ने निर्णय भी कर लिया है इसको वर्ष 1980-81 में चालू कर दिया जाएगा, केन्द्र से भी इसकी मन्जूरी मिल गई है परन्तु यह मामला कहां पर अटक रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पलाना थर्मल प्लान्ट शुरू कर दिया जायगा तो कम से कम पश्चिमी राजस्थान की बिजली की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। इसकी ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन लोगों की जमीन वहां पर अवाप्त की जा रही है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए दूसरी जमीन दी जानी चाहिए।

और आखिर में मैं मेरी मातृभाषा राजस्थानी के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जब अपने घर में सारा

(श्री देवीसिंह भाटी)

राजस्थानी बोलां हां तो म्हें राजस्थानी बोलतां क्यों शर्म आवे ? जद हर बात घर के मायने पड़ोस में, सारी जगह राजस्थानी में होवे तो म्हें भी बात खुलासा सहज समाज के मायणे बोलनी चाहिजे। खास तौर से मैं कहनो चाहूंगो कि दूसरा प्रदेश के मांय पंजाबी, बंगाली, हरेक भाषा ने मान्यता दे दी है, परन्तु म्हें जद कोई बात उठावे तो तुरन्त सदस्य इकों विरोध करने लग जावे। म्हारो निवेदन है कि राजस्थानी भाषा की स्वतन्त्र अकादमी री स्थापना की जाए। एक प्रक्रिया शुरू होसी तो मने फक्र होवेलो कि म्हारी राजस्थानी भाषा री मान्यता है, यारी भी एक भाषा है अर निरन्तर इकीं प्रगति होती रहेगी।

आखिर मायणे राजस्थान रा राज्यपाल महोदय रो जो म्रा अभिभाषण है, ओ थोथो कागज लागे है फालतू रा कागज काला कर राखया है। कागजां रो ढेर रद्दी में कर्यो है। इकीं जगह गरीब परिवारां ने पीसा देता तो था कोई धन्धा करता। इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थिति)

श्री रामसिंह विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश तिवाड़ी

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं सहर्ष समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो सराहनीय हैं लेकिन इसके साथ ही जो कुछ बातें छूट गई हैं उनके बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। यदि उन घोषणाओं को इसके साथ करते तो ज्यादा अच्छा रहता।

मैं सर्व प्रथम समाज के कमजोर तबके की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस समाज के बारे में इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यगणों ने कभी भी ध्यान नहीं किया है उनमें एक है सांसी जाति, जो आज से नहीं जीवन पर्यन्त से चोरी करके जीवन यापन करती है। दूसरा समाज है, जिनको हमारे यहां पर नट जाति कहा जाता है। यह जाति अपना शरीर, सुन्दरता को बेचकर पैसा कमा कर जीवन यापन करती है। यह दोनों ही समाज ऐसे हैं जिनके जीवन निर्वाह के लिए आज तक हमने कोई प्रयत्न नहीं किया है और समाज की जो बुराई है उसको समाप्त करने के लिए, उनके संस्कारों को सुधारने के लिए आज तक सरकार की ओर से प्रयास नहीं किये गये हैं। मुझे उम्मीद है कि नये समाज कल्याण मंत्री इस बारे में गंभीरता से विचार करेंगे और जो यह समाज के लिए कलंक है उसको दूर करने के प्रयत्न सरकारी स्तर पर कर पाएंगे।

सभापति महोदय, मेरे यहां भी सांसी जाति के लोग हैं। उन लोगों को हमने जमीनें आवंटित की हैं और अब वे चोरी नहीं करते हैं। जिन नटों के पास जमीने हैं वे लोग

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

वेश्यावृत्ति का धन्धा नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग इस बारे में अक्सर सोया हुआ रहा है। अफसोस इस बात का है कि समाज कल्याण विभाग ने इन दोनों जातियों को अछूता छोड़ रखा है जबकि पिछड़ी जाति में ये भी आते हैं। दूसरा, मैं अकाल के संबंध में संक्षेप में अर्ज करना चाहता हूं अकाल भयंकर है और सरकार उससे निपटने के लिये काम भी कर रही है लेकिन योजनाओं के आधार पर जो कामों की स्वीकृति दी जा रही है जो प्लान वर्क हैं उनको ही स्वीकार करेंगे। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि कई तहसीलें ऐसी हैं वहां पर ऐसे प्लान वर्क हैं जो एक ही कोने पर शुरू हुये हैं और स्वीकृत हुये हैं आप स्वयं इस बात को मानेंगे कि अकाल राहत कार्यों पर मजदूर मजदूरी तो जरूर करना चाहता है लेकिन वह 20-20 और तीस-तीस किलोमीटर दूर जाकर के काम करना नहीं चाहता है इसके बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइये। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार इस प्रकार की घोषणा करे कि हर 5 किलोमीटर की परिधि में अकाल राहत कार्य शुरू किये जायेंगे और जो अकाल पीड़ित लोग हैं और जो पीड़ित लोग काम चाहते हैं उनको रोजगार देंगे।

इसके साथ-साथ अकालग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था की जाय। मैं तो मेरे क्षेत्र की बात करता हूं जनता सरकार के समय से अकाल पड़ता आया है और वह इलाका आज भी अकालग्रस्त है इन पांच गांवों में पीने का पानी जहरीला हो गया है और वहां के लोगों को पानी पांच छः किलो मीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मैंने जिलाधीश से भी निवेदन किया था कि आप रामगढ़ बांध की नहर से पानी दिलवा दीजिये। लेकिन मवेशियों को पानी कहां से मिलेगा, आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है यह मानवीय समस्या है इसके बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अकालग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है तो उसके तहत इस तरह से जयपुर जिले में ऐसे गांव हैं उनको जल उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

सहकारिता के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो सहकारी समितियां हैं वे ऋण देने में असमर्थ हैं और जहां सहकारी समितियां ऋण नहीं दे रही हैं वहां के लोग आज भी ऋण से वंचित हैं। आज अच्छा होता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसके लिये घोषणा करते कि हमारे राजस्थान में एक गांव भी सहकारी समितियों से वंचित नहीं रहेगा और एक भी व्यक्ति को ऋण लेने से वंचित नहीं रखा जायगा। आज सहकारी समितियां जरूर हैं लेकिन वे मृत अवस्था में हैं और ऋण नहीं दे रही हैं। दूसरी जो सहकारी समितियां पड़ोस की हैं उनसे ऋण दिलाने की व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं तो वहां का किसान कहां जाय ऋण लेने के लिये? इस प्रकार की जिम्मेदारी सरकार की है और हमारे द्वारा यहां इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जो सहकारी समितियां ऋण देने में असमर्थ हैं और जो सहकारी समितियां ऋण नहीं दे रही हैं वहां के लोगों, जो आज भी ऋण से वंचित हैं, को दूसरी सहकारी समितियों से ऋण दिलाने

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

की व्यवस्था करायें अथवा दूसरी व्यवस्था करें जिससे कि लोग ऋण से वंचित न रह सकें।

तीसरा, शिक्षा के संबंध में निवेदन करूं कि इस सदन में महिलायें भी माननीय सदस्य है लेकिन उनका ध्यान पता नहीं इस बात की ओर नहीं गया कि हमारे...

श्रीमती उजला अरोड़ा : बोलने का मौका ही कहां दे रहे है ?

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : यहां पर निरन्तर स्कूल खुल रहे हैं और क्रमोन्नत भी हो रहे हैं लेकिन छात्राओं के कितने स्कूल खोले गये हैं, कितने स्कूल को क्रमोन्नत किया गया जबकि हमारा बराबर का समाज है ? यूं ही राजस्थान महिला शिक्षा के अन्दर पिछड़ा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर छात्रों के स्कूलों के साथ छात्राओं के स्कूल खोले जायं, उनको समान औसत संख्या के आधार पर रखा जाय, चाहे क्रमोन्नत करने का प्रश्न हो उनको बराबर मानें, चाहे नये खोलने का हो महिलाओं के लिये एक नीति निर्धारित होनी चाहिये कि जितने छात्रों के कॉलेज, विद्यालय खोलेगे उतने ही छात्राओं के भी खोलेंगे। जितने छात्रों के स्कूल क्रमोन्नत किये जायेंगे उतने ही छात्राओं के होंगे इस प्रकार की नीति की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में करते तो ज्यादा अच्छी बात होती।

सड़कों के बारे में इतना ही निवेदन करना है कि जयपुर जिला सड़कों के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। सड़कें बनायी जा रही हैं लेकिन 1500 की आबादी वाले गांवों तक सड़कें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था योजना के अन्दर उन गांवों को सम्मिलित नहीं किया गया है। उचित होता अगर योजना में लेते, हो सकता है योजना जनता सरकार के समय बनायी हो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी अगर यह नीति है तो जो गांव वंचित रह गये हैं उन गांवों को योजना में शरीक किया जाना चाहिये और वहां भी सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

दूसरा, सिंचाई के संदर्भ में मुझे निवेदन करना है। जयपुर जिले में चाहे बिजली पहुंच गयी या और कोई कारण कहें कि बांध नहीं हैं उसके कारण समझें कुओं का पानी दिनोंदिन घटता जा रहा है उनका स्तर गिरता जा रहा है यह एक चिन्तनीय विषय है। जितने सिंचाई के काम के कुएं हैं उनमें पानी बहुत कम रह गया है अतः हमें इस विषय में गम्भीरता से विचार करना होगा अगर हम अभी विचार नहीं करेंगे, कुओं में पानी नहीं लायेंगे तो ऐसी स्थिति आ जायगी कि एक रोज कुओं से खेतों की पिलाई नहीं हो सकेगी। यहां पर बांध भी नहीं है इसलिये और कोई व्यवस्था भी नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में जहां कुओं के पानी का स्तर नीचा हो गया है वह और नीचे नहीं जाय इसके लिये चाहे एनीकट बनाये जायं या बांध बनाये जायं। योजना में, जो बड़ी बड़ी नदियों का पानी बहकर चला जाता है उसको बांधने की व्यवस्था की जाय।

खनिजों के मामले में आज भी जो व्यक्ति खनिज में एक बार घुस जाता है

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

उसको ही खानें मिलती हैं जबकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को देंगे। राज्य सरकार की नीति भी है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माइन्स सहकारी समितियां बनी हुयी हैं वे जिस माइन्स के लिये अप्लाई करते हैं तो आज भी उनको माइन्स नहीं मिलती है, वे पीड़ित हैं। मेरे क्षेत्र बासकों में एक कोआपरेटिव सोसायटी 15 साल से बनी हुयी है उसको एक खनिज का टुकड़ा दे भी दिया गया था लेकिन पड़ोस के जो एक सम्पन्न व्यक्ति थे उस व्यक्ति के कारण आज वह सहकारी समिति माइन्स का काम नहीं कर पा रही है। अच्छा होता हम इस वर्ष नहीं अगले वर्ष ही करते कि सहकारी समितियों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को और खनिजों में जो स्वयं मजदूरी का काम करते हैं उन लोगों को खानें देंगे। इस प्रकार करते तो ज्यादा अच्छा होता, इस प्रकार की नीति निर्धारित नहीं करेंगे तो जो व्यक्तिगत लोग इसमें पहले से काम करते हैं उनको ही प्राथमिकता देंगे और वह लोग ही काम करेंगे गरीब तबके के लोगों को आगे नहीं आने देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं चाहे वह नीति से सम्बन्धित हो हमारी सरकार को एक मामले में नीति निर्धारित करना चाहिये स्थानान्तरण के बारे में। इसके बारे में समय तय करना चाहिये। यदि आवश्यकता पड़े, प्रशासकीय दृष्टि से कोई दिक्कत हो तो अवश्य करें बाकी जनरल स्थानान्तरण जून और जुलाई से पहले नहीं किये जायें। यदि बीच में प्रशासकीय दृष्टि से आवश्यक हो तो ही किया जाना चाहिये। अगर यह नीति निर्धारित की जाती तो अच्छा होता। हमारी सरकार, कर्मचारी और अधिकारी भी यह समझते कि जो स्थानान्तरण होने हैं जून और जुलाई में ही होंगे बाद में नहीं होंगे वह परेशान नहीं होगा और काम का भी नुकसान नहीं होगा। हम लोगों को भी स्थानान्तरण के चक्कर में न पड़ना पड़ेगा। हमें भी गलत स्थानान्तरण को रोकने के लिए परेशान होना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः राज्यपाल महोदय के द्वारा दिये गये अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री राधेश्याम !

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी तरफ से आपके माध्यम से अपनी डिवीजन की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां गंग कैनाल पचास वर्ष से पूर्ण नहीं हुई है, उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। पिछली दफा जब बजट पेश हुआ था उस समय राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिलाया था कि अगले बजट में इस गंग कैनाल के लिए प्रावधान किया जायगा लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में

(१५८)

(श्री राधेश्याम)

इस बात का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गंग कैनाल राजस्थान' की मेन कैनाल है और गंगानगर जिला राजस्थान का एक सराहनीय जिला है कम से कम वहां 8 लाख एकड़ भूमि इस गंग कैनाल से सिंचित होती है जिसमें चार सौ करोड़ की हर साल फसल होती है, इसलिए उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके लिए भी इसमें कुछ प्रावधान रखा जाय।

इसी के साथ साथ एक लिन्क चैनल बनाने के लिए बहुत अर्से से प्रोग्राम चल रहा है जो सरकार के विचाराधीन है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके लिए कार्यवाही तुरन्त पूरी की जावे ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके।

साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गंगानगर और बीकानेर में ही होनी चाहिये क्योंकि गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल, राजस्थान कैनाल, तीन तीन लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम गंगानगर जिले में हैं, बीस लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है, इसलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस स्थान पर न होकर किसी अन्य स्थान पर खोलना मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील है और नम्र शब्दों में निवेदन है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर या गंगानगर जिले में खोली जाय, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल ही नहीं है, इधर आ जाओ आप तो।

श्री राधेश्याम : इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं गंगानगर का जो हास्पिटल है वह 'ए' क्लास है लेकिन जबसे तीस वर्ष पूर्व से हमारी सरकार रही, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई और आज गंगानगर जिला जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान में रेवेन्यू देने वाला जिला है, लेकिन गंगानगर में एक पैसा भी किसी कार्य के लिए नहीं लगाया, यह बड़े ही दुख की बात है। जनता ने 11 विधायक कांग्रेस "आई" के और 2 एम. पी. "कांग्रेस आई" के चुनकर भेजे हैं इन्हीं वायदों पर कि गंग कैनाल की समस्यायें हैं, रोडवेज की समस्या, हास्पिटल की बिल्डिंग की समस्या है, सड़कों की बहुत ही दयनीय हालत है, इन समस्याओं को हल किया जायगा। पी.डब्ल्यू.डी. में सड़कों का कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले के लिए उचित प्रावधान नहीं रखा है इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और हमें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिये।

इसके साथ ही साथ वाटर वर्क्स के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं पीने के पानी को हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था और अब फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं गर्मी का मौसम आने वाला है और पानी की

(श्री राधेश्याम)

समस्या जटिल होती जा रही है। एक एक बूंद, महिलायें रात को दो-दो बजे सर पर घड़ा लेकर पानी का इन्तजार करती रहती हैं और बिजली नहीं होने के कारण थोड़ी-बहुत जो सप्लाई है वह भी नहीं हो पाती। बिजली के लिए भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बिजली के मामले में भी हमारे साथ कुछ पक्षपात किया जाता है। बाकी जगह में भी बिजली की समस्या है लेकिन गंगानगर जिले में 15-15 दिन भी 24 घंटे लाइट नहीं मिलती, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार अपने कर्मचारियों को खींचे जो चुप करके बैठे हैं, उनसे पूछा जाय कि 15-15 दिन हमको बिजली नहीं मिलती है, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही साथ मैं पिछली बार और इस बार भी यह कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां बस स्टेण्ड की मंजूरी हो चुकी है लेकिन वह आज तक नहीं बना है, इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाय। कोलोनाइजेशन एक्ट के बारे में मेरा यह निवेदन है कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं इसलिए इस पर पुनः विचार करके इसको ठीक किया जाय। जिन लोगों ने अपनी किश्तें भर दीं उनको आज तक खातेदारी राइट नहीं मिले हैं। ऐसा स्वतः हो जाना चाहिये था, जो लोग किश्त भर दें उनको खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये। तीस वर्ष पहले, 47 में आए हुए पाकिस्तान से आए हुए जो रिफ्यूजी हैं उनको अभी तक कब्जा नहीं मिला है अमल बरामद की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनको कब्जा दिलाने और अमल-बरामद की व्यवस्था की जाय। इसके साथ साथ.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शराबबन्दी के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे राजस्थान में शराबबन्दी से 70 करोड़ का सरकार को लास हुआ है लेकिन उसके साथ साथ सारे राजस्थान में चार या पांच आदमी ही 70 करोड़ का लाभ उठा रहे हैं, इसका भी कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो शराबबन्दी नहीं होनी चाहिए और यदि हो तो इसका ओपन आक्शन होना चाहिये। केवल चार पांच व्यक्ति ही राजस्थान का सारा धन्धा करें यह एक अनुचित बात है, सभी को बराबर मौका दिया जाना चाहिये।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कन्वर्शन की राजस्थान में एक भारी समस्या है यह एक अभिशाप है। आप सब लोग इस बारे में कह चुके हैं। मेरे शब्दों में यह एक अभिशाप है। चालीस-चालीस मकान बन गए हैं उस वक्त रुकावट नहीं हुई और उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन गरीब आदमियों को पट्टे दिये जाने चाहिए और उनका कन्वर्शन हो जाना चाहिये और आयन्दा जो बस्तियां बसें उनका रेगूलेराइजेशन करना चाहिये खासकर गंगानगर जिले में एक ऐसी समस्या है वहां के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से उनके ऊपर रिसीवर कायम कर दिया है, पहले तो उनको तोड़ने की धमकी देते हैं।

(श्री राधेश्याम)

मैंने सरकार से निवेदन किया तो सरकार ने स्टे आर्डर दे दिया जिससे उनकी नाराजगी हुई और जितनी भूमि पर मकान बने हुए हैं या खाली पड़ी हुई है उन्होंने उस पर रिसीवर बिठा दिया,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब कि सारे राजस्थान में कहीं भी ऐसा नहीं है। उसके साथ-साथ ही उनकी जेब काटते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सीलिंग कानून एक दोहरा कानून है। उससे जमींदारों को परेशान किया जा रहा है और जमींदार जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, उनको तंग करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि एक ही कानून होना चाहिए एक बार केस समाप्त हो जाने के बाद, उसका केस दो दफा चार दफा, पांच दफा दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए यह भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ ही साथ मैं कन्वर्शन के बारे में निवेदन कर रहा था वह एक ही बहुत अहम् मसला है। कन्वर्शन एक ऐसी जरूरी चीज है जिससे कि सारे राजस्थान का डवलपमेन्ट उसी वजह से रुका हुआ है, अगर यह हो जाय, कन्वर्शन ईजी कर दिया जाता है तो फैक्ट्रीज और इण्डस्ट्रीज का विकास होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जब हम कुछ दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी आदमी ने दुखी होकर अपनी बीवी के गहने बेचकर या कितनी तकलीफ पाकर अपना एक कमरा किसी जगह पर बना लिया तो उनको आये दिन पंचायत समिति वाले रोज हथौड़ा लेकर फावड़ा लेकर पहुंच जाते हैं कि हम मकान तोड़ेंगे। इसलिए इन गरीब बस्तियों को रेगूलेराइज करने को भी मैं अपील करता हूं। यह निःशुल्क होना चाहिए, निःशुल्क अगर नहीं हो तो इतना मिनिमम चार्ज होनी चाहिये जो आसानी से दे सकें और कुछ अगर मान लें इस तरह की समस्या कहीं पर आए कि गलत तरीके से बस्ती बस गई है तो सरकार का यह कदम होना चाहिए कि जमीन एक्वायर करके लोगों को पहले अपने रहने के लिए पूरी तरह की व्यवस्था करें—सड़क, पानी, औषधालय, इस तरह की व्यवस्था करके मकान बनाकर देने चाहिए और लोगों से एक रुपया आठ आना रोज लेना चाहिए, बाहर डिब्बा लगाना चाहिए और हर महीने आदमी जाकर निकाल आये और उनकी किश्त पूरी हो जाए तो वह आदमी, वह गरीब उस मकान का मालिक बन जाए चाहे वह मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग का ब्राह्मण हो। किसी भी जाति का हो, यह फैसिलिटी उस गरीब को देनी चाहिए, यह राहत मिलनी चाहिए और उसके बाद···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप 2-4 मिनट का समय दे सकें तो···

श्री सभापति : बहुत कह दिया।

श्री राधेश्याम : अच्छा तो मैं ज्यादा आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करके, सभापति साहिब, आर्डर मानते हुए मैं इस प्रस्ताव पर अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : आपने अपने पूरे भाषण में राज्य सरकार की और राज्यपाल के अभिभाषण की तीखी आलोचना की है...

श्री राधेश्याम : मैंने अपने सुझाव दिए हैं वह हरेक को अधिकार है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 8 बजे तक के लिए है और महिला सदस्य की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिये मैं श्रीमती उजला अरोड़ा से निवेदन करूंगा कि वह 8 बजे तक ही अपना भाषण जारी रखें।

श्री हेमा राम चौधरी (गुढ़ामालानी) : भगवानदास का नाम है या नहीं ?

श्री सभापति : नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन अकार्डिंग टू मेरिट्स लूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी : कितने नंबर पर है ?

श्री सभापति : भगवानदास का नंबर 15 वां है।

श्री हेमाराम चौधरी : कितने तक आ गया ?

श्री सभापति : 13।

श्री असलम खां : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय तो खतम हो गया।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : मेरा नाम कमला भाई मीणा है, लिस्ट में मेरा क्या नम्बर है ?

श्री सभापति : आपका नाम लास्ट में दिया गया है और यह कहा गया है कि टाइम मिले तो उनको बुला लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप एक्स्ट्रा हैं, अगर समय मिलेगा तो बुला लिया जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, इतने व्यवधान में कोई भी मस्तिष्क का संतुलन करके अपनी बात करना चाहे तो कह सकता है क्या ? माननीय सभापति महोदय, गीता में श्लोक है

न त्वम् कामयं राज्यं न स्वर्गम् न च पुनर्भवम्
कामये दुःख तप्तानाम् प्राणीनाम आर्ति
नाशनाम।

मैं केवल एक ही कामना करती हूं कि जो जीव प्राणी है उनके दुःख को दूर किया जा सके। इस आधार पर मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जिन मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। मैं सोचती थी कि हमारे गुरूजन, वृद्ध, वयोवृद्ध हमारे लिए कोई संकेत करेंगे कि इस पूरे वर्ष में क्या और अच्छे काम होने वाले हैं, उनका कोई संकेत नहीं मिला, ऐसा देखने को नहीं मिला। मैं कहना चाहूंगी कि महिला वर्ष निकल गया, महिलाओं का कोई काम नहीं हुआ। एक महिला महारानी की उपमा दे दूं और दूसरी मेहतरानी जाति के लिए मैला ढोने की प्रथा खतम नहीं हुई। बड़े दुःख की बात है जिस देश के सर्वोच्च आसन पर सत्ताशाली महत्वाकांक्षी जो महिला बैठी है उसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोचा। माननीय पहाड़िया जी हर काम मिसेज पहाड़िया से पूछकर करते हैं।

Page No 164

(162)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जिस जाति से वे आए हैं मुझे पूरा विश्वास था कि जो सन् 1973-74 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा दूर की जाएगी . . .

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : श्रीमती जी से पूछ कर काम करने की बात नहीं है यह . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने शांति जी नहीं कहा लेकिन आप शांति के साथ बैठिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यदि मैला ढोने की प्रथा खतम हो जाती मेरी बहिनों को इतना सम्मान मिलता जितना अन्य महिलाओं को। वे भी अपने कपड़े बचाकर दूर से नहीं हटती। अनेक लोग हैं जो बस्तियों में आते हैं 30 जनवरी को आंख पर गंगाजल छिड़कते हैं, सफेद टोपियां पहनकर जाते हैं। मुझे खेद होता है उन लोगों की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। आखिर पहाड़िया जी यहां एक पद पर स्थापित हो गए हैं, पार्टी के सब लोग नाराज हैं . . .

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : बिलकुल गलत है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी पंडितजी ने भाषण में कहा कि हमारे पूर्वजों के पाप बोलते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको कोई सपना आया है कि सब लोग नाराज हैं ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाय।

कई माननीय सदस्य : नो।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय रात्रि 9 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट ऑफ आर्डर, आपने ना पक्ष से पूछा ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ना पक्ष से तो पूछा ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपसे पूछने की आवश्यकता हमने महसूस नहीं की।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं कह रही थी कि प्रदेश में कितनी ही महिलायें दहेज उपलब्ध न होने से मार दी गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : टाइम बढ़ाकर खुद जा रहे हैं।

श्री सभापति : यहीं रहेंगे।

श्री लच्छूराम : एक घंटे के लिए समय बढ़ा दिया गया।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आपकी सेलरीज के लिए दौड़ रहा हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद-

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज भी इस शहर में, इस प्रदेश में कितनी घटनायें हुई हैं कि दहेज न मिलने के कारण महिलाओं की हत्या की गई हैं, उन पर स्टोव के नाम पर मिट्टी का तेल डालकर जलाया जाता है। इस कानून की क्या सख्ती से पालना नहीं हो सकती है, 95 प्रतिशत पति आज खरीदे जाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, राज्य सरकार को भी शर्म नहीं आती कि खरीदे जाने की पूरी छूट है, जो 95 प्रतिशत खरीदे हुए हों वे क्या काम करवायेंगे ? क्या सोच पायेंगे, सोचना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगी कि दहेज के कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए था। मान्यवर, यह समाज जो स्वार्थ नीति में आ गया है, वह सुधार नहीं कर सकता। समाज ने सोचना छोड़ दिया है, परम्परायें बदल रही हैं, जो काम जनतंत्र के हिसाब से, राज्य सरकार के हिसाब से हो सकते हैं, जो कानून बने हैं; यदि सख्ती से पालन नहीं किये गये तो उनका बनना न बनना बेकार है।

श्री राधेश्याम : पाइन्ट आफ आर्डर ये शब्द कार्यवाही से निकाले जायं कि "खरीदे हुए हैं"।

श्री भंवर लाल शर्मा : आपके लिए थोड़ा ही कहा है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य खरीद शब्द असंसदीय नहीं है इसको सदन की कार्यवाही से निकालने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों इसी शहर में एक लड़की की मृत्यु दहेज नहीं मिलने के कारण हो गयी उस लड़की को ऊपर से गिरा कर मार दिया गया। मैं समझती हूं कि दहेज नहीं मिलने के कारण हमारे प्रान्त में ऐसी कई दुर्घटनायें हुई होंगी व दूसरे माननीय सदस्यों के क्षेत्र में भी हुई होंगी। मैं समझती हूं कि आप सभी लोग इस दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठायेंगे और मेरी बात का समर्थन करेंगे...

एक माननीय सदस्य : हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह परम्परा गलत है अगर आपको विरोध के लिये प्रदर्शन करना है तो यह उचित नहीं है, गलत काम का हमेशा विरोध किया जाना चाहिये। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार इस दहेज प्रथा के खिलाफ कदम उठाये।

सभापति महोदय, इसके साथ में एक बात यह और निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां पर बाल विवाह नहीं हों इसके लिये एक बहुत अच्छा कानून बहुत वर्षों पहले हो गया था वह शारदा एक्ट था, उसके अनुसार बाल विवाह होना गैर कानूनी था। पर, आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस कानून को कहीं भी नहीं माना जा रहा है इसलिए भी मेरा निवेदन है कि इस शारदा एक्ट को भी हमारे प्रान्त में क्रियान्वित किया जाना चाहिये और इसके लिये दोषी लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिये। आज सभापति महोदय, हमारे प्रान्त में ही नहीं अपितु देश में महिलाओं की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

चाहती हूं कि सरकार ऐसे काम करे जो कि महिलाओं के हित में हों। अगर सरकार अच्छे काम करती है तो इसमें सभी का भला होता है। आज कहने को तो महिलाओं के हित के लिये कई बातें कही जाती हैं पर देखने में ऐसा आया है, इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को ही ले ले कहीं भी महिला शिक्षा की प्रगति के बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। एक भी महिला स्कूल आपने गांवों में नहीं खोला है जबकि हमारे प्रान्त की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। आप शहर में भी महिलाओं की शिक्षा के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में शिक्षा मन्त्रीजी को कई पत्र लिखे पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने मेरे पत्र का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैं आपको उस पत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। मैंने एक महिला सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिये लिखा था पर उन्होंने कहा है कि हमारी यह नीति नहीं है। यह क्या बात है? अगर आप एक स्कूल को एक साल के लिये बढ़ा देते हैं तो क्या हर्ज था? एक महिला स्कूल की क्रमोन्नति हो जाती लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। इसी तरह गांवों में पंचायत स्तर पर भी कोई महिलाओं के लिये लड़कियों के लिये विद्या अध्ययन की कोई शालायें नहीं। अगर पंचायत समिति स्तर पर भी एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाय तो कम से कम वह साक्षर तो हो सकें आप उन्हें गांवों में ज्यादा तो नहीं कम से कम साक्षरता का ज्ञान तो दिला दें। ऐसा मेरा सरकार को सुझाव है।

इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर गत दिनों एक प्रश्न सदन में उठाया था उसमें मैंने राज्य सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार की कोई मेटरनिटी होम गांवों में खोलने की योजना है तो मुझे यह उत्तर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जयपुर जिले में जमुवा रामगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के इलाके की सीमा तक कोई भी स्त्रियों के लिये मेटरनिटी होम नहीं है अगर महिलाओं के बच्चा होना होता है तो उन्हें जयपुर शहर में लाना पड़ता है। उन प्रसूति महिलाओं को यहां आने में कई बार जापे बिगड़ जाते हैं और कई औरतें इसमें दम तोड़ देती हैं। यह ऐसा क्यों हो रहा है क्या वह इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनके पति राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? क्या उनके घर वाले आपको टैक्स नहीं देते हैं? फिर क्या कारण है कि आपने उनको मेटरनिटी की सुविधायें नहीं दी हैं? सभापति महोदय, आज हमारे प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा टैक्स आपको गांवों से मिलता है और उस टैक्स की आमदानी को आप शहरों में लोगों के चिकित्सा के लिए खर्च कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप हमारे गांवों में माताओं के लिये, गांवों की बहिनों के लिए यह चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। आज कोई सामान्य ज्वर भी हो जाता है तो गांवों से हर बीमार को जयपुर या बड़े शहर में लाना पड़ता है। इसमें कई बार बिना चिकित्सा सुविधाओं के गांवों की जनता मर जाती है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आप एक तरफ तो महिलाओं को सुविधा देने की बात करते हैं पर आप सिवाय प्रदर्शन के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप यह नहीं सोचे कि महिलायें सोचती नहीं वह सब जानती हैं। मैं आपको आगाह करना चाहती हूं कि आप उनको ज्यादा सोचने का मौका मत दें। सभापति महोदय, आज हमारे देश में समाजवाद की घोषणा की जाती है और समाजवाद में सबसे पहले आती है रोटी कपड़ा और मकान लेकिन आज आपके समाजवाद में कहां है रोटी ? आज आपने जनता को रोटी के लिए क्या दिया है सिर्फ दो किलो अनाज ! क्या एक मनुष्य के लिए दो किलो अनाज ही बहुत है ? सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दो किलो अनाज तो मुर्गी के लिये भी कम होता है उसके लिये भी महीने में दो किलो और 900 ग्राम अनाज चाहिये। इसके अलावा आज हमारे यहां पर सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी है, आज आपको चीनी कहीं भी राशन की नहीं मिल रही है, सीमेंट का पता नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, वैसे तो सदन का समय पांच बजे तक का ही है पर आज पिछले दो दिनों से कभी एक घंटा और कभी दो घंटे और उसके बाद में एक घन्टा और बढ़ा दिया जाता है। सदन का समय अब आज नौ बजे तक के लिये बढ़ाया गया है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य सचेतक महोदय समय बढ़ा कर सदन से चले जाते हैं और बाद में सदन में माननीय सदस्य बहुत कम बैठे रहते हैं। जब आपने सदन का समय बढ़ाया है तो आपका दायित्व हो जाता है कि आप यहां पर हाजिर रहें। आप यहां पर माननीय सदस्यों की गिनती करेंगे तो पता लगेगा कि सदन में कोरम ही नहीं है और सदन की कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपसे तो सदन में चौगुणे पांच-गुणे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : होंगे, पर, यहां पर तो नहीं बैठे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को यह मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में भी पांच बजे बाद कोरम की कोई जरूरत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनको ताड़ना दीजिये ताकि यह सदन में बैठे रहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदय, कि कांग्रेस सरकार आने के बाद हमारे यहां पर न अन्न है, न चीनी है और न मिट्टी का तेल ही मिल पा रहा है। आज आप मिट्टी का तेल एक बोतल देते हैं एक महीने में तो क्या एक बोतल से काम चल सकता है ? यह नहीं कि आज हमारे यहां पर माल नहीं है, माल सभी हैं पर वह माल मालदारों के लिये है अगर आपके पास पैसा हो तो आपको सभी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। अभी एक दो दिन पहले मेरी खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक बड़े अधिकारी से बात हुई तो मैंने कहा कि आज बाजार में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा बहिनजी किस बात की कमी है ? सभी तो मिलता है बाजार में। यह

Page No 168

(168)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं भी मानती हूँ कि मिलता है पर ज्यादा पैसे देकर। अगर आपकी यही नीति है तो आपने राशन की प्रणाली क्यों लागू की ? आप अपनी दोहरी नीति को बन्द क्यों नहीं कर रहे हैं ? क्या जरूरत है राशन में चीनी गेहूं देने की आज वह कई जगह नहीं मिल रही है। कई महीनों तक राशन की सामग्री नहीं मिल रही है अगर आप साधन नहीं जुटा पाते हैं तो आप इस प्रणाली को समाप्त कीजिए अगर आपने प्रणाली लागू की है तो आप साधन जुटाइये, कहीं से लाइये वरना लोगों का बजट बिगड़ रहा है। कृपया लोगों के घरों का बजट तो मत बिगाड़िये। आज घर की सामग्री की तो स्त्रियों को जरूरत है, यही नहीं आज महिलाओं की अनुपस्थिति में मैं बोल रही हूं अगर आपका यही हाल रहा तो हो सकता है कभी महिलायें अपने घर से बेलन चकला लेकर आपके सामने आकर धरना देंगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी आप राजस्थान में सभी चीजों को मुहैया करावें और इसके लिए मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगी कि आप यह सामग्री कहां से लावें यह हमारे सोचने का काम नहीं है आपकी सरकार है आप चाहें तो दिल्ली से लावें या कहीं पर से अगर आपको राशन प्रणाली रखनी है तो आपको सही ढंग से वितरण करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा राज्यपाल महोदय ने इस वर्ष को विकलांग वर्ष मनाने के लिये अपने अभिभाषण में कहा है। सभापति महोदय, हमेशा की भांति कांग्रेस सरकार कुछ न कुछ वर्ष मनाती रहती है। कभी महिला वर्ष तो कभी बाल वर्ष। इस वर्ष विकलांगों के लिये वर्ष मनाया जा रहा है मैं समझती हूं उनके लिये भी यह सरकार कुछ भी नहीं कर सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आपको सही ढंग से कुछ वर्ष में, जिसके लिये आप मनाने जा रहे हैं कुछ करना है तो यहां पर समाज कल्याण मन्त्री से और राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक निश्चित कार्यक्रम बनावें एक ढांचा तैयार करें और उसके अनुसार उनको सुविधायें दें। सिर्फ मनाने के लिये ही वर्ष नहीं मनावें। आप इस तरह से कभी महिला वर्ष, कभी बाल वर्ष तो कभी विकलांग वर्ष यह कह कर उनका मखौल न उड़ावें। सभापति महोदय, अभी हमारे मुख्य मंत्री जी कच्ची बस्ती में गये थे, सजंय कच्ची बस्ती, वहां पर इन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार कच्ची बस्ती वाले गरीब लोगों के लिये इस वर्ष 60 लाख रुपये का प्रोविजन कर रही हैं जिसमें इनको मकान बनाकर देगी। लेकिन हुआ क्या ? सभापति महोदय, उन्होंने यह 60 लाख रुपया उदयपुर, यू. आई. टी. और कोटा यू. आई. टी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर यू. आई. टीज में बांट दिया और इस प्रकार 6 यू. आई. टीज राजस्थान में बांटा गया है। इस एक डिवीजन के अन्दर दस लाख रुपये हिस्से में आते हैं आप सोचिये कि आज राजस्थान में कम से कम 163 कच्ची बस्तियां हैं उनमें यह रकम क्या काम कर सकती है ? यह एक थोथी घोषणा है इससे भी कच्ची बस्तियों का कोई काम नहीं होने वाला है। आप क्या इनको आवासीय भूखण्ड दे सकेंगे ? आज हमारे यहां पर कितनी भारी आवासीय समस्या है, आप सभी लोग महसूस करते होंगे हर जगह, सभापति महोदय, कोई भी अपना मकान तो बना नहीं सकता और इसके लिये उसे कहीं न कहीं तो रहना ही पड़ता है, कई

Page No 169

(169)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लोग किराये में रहते हैं तो कई लोग कच्ची बस्तियां बनाते हैं। रहने की समस्या के कारण यह कच्ची बस्तियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं आज वहां पर कोई फेसिलिटी नहीं है न बिजली है न पानी है और न कोई दूसरी सुरक्षा ही। वे कोई नियोजित ढंग से भी नहीं बनी हैं इसके अलावा आज किरायों की हालत बहुत खराब है अत्यधिक किराये हैं उसके साथ साथ मकान मालिक किरायेदारों को परेशान करते हैं आपने उनको संरक्षण देने के लिये किरायेदारों के लिये कानून तो बना दिया पर कोई उससे उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है। आज किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच में कोर्ट केस चल रहे हैं, रोज झगड़े होते हैं। मैं कम से कम जयपुर की तो बात बता सकती हूं कि 90 प्रतिशत किरायेदारों के केस कोर्ट में चल रहे हैं।

मैं किरायेदारों के लिए कहना चाहूंगी कि जो आदमी काम के लिए बाहर निकल जाते हैं उनकी बीवियां कितना तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। ऊपर मकान मालिक नीचे किरायेदार कि यहां क्यों खड़े हो गए, यहां क्यों थूक दिया, यहां चूला क्यों जलाया। इस तरह की उनकी व्यवस्था है। बच्चे ठीक तरह से पढ़ नहीं सकते। जो किरायेदार हैं उनके लिए मैंने एक संशोधन कमेटी का सुझाव दिया था लेकिन साल भर हो गया सरकार कुछ करती नहीं है सोचती नहीं है। सरकार को कुछ काम करने का टाइम मिला है उसको करना चाहिए। आवास की समस्या का समाधान करना चाहिए।

यहां पर हाउसिंग बोर्ड के मकानों के लिए नयी योजनायें बनाई गई हैं कि रजिस्ट्रेशन किया जायगा। बहुत खुशी की बात है कि रजिस्ट्रेशन हो, भविष्य की योजनायें बनाई जानी चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि अब तक जो रजिस्ट्रेशन शुदा लोग हैं उनको भी अभी तक मकान मुहैया नहीं कराये गये? इतना ही नहीं लोगों ने मकान बना लिए मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम नूरबानों है जिसको आप भी अच्छी तरह से जानते हैं उसका मकान जाकर तोड़ आये यह कहां का तरीका है। आप गलत काम करने के लिए खुद ही प्रेरित करते हैं और प्रभावी लोग गलत काम करते हैं। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के विपरीत मकान बना लिए। वह लड़की सवाई माधोपुर में थी उसके पीछे 10 कमरों को तोड़कर आये हैं, अनेकों काम गलत हो रहे हैं। यू.आई.टी. का दिखता नहीं है लेकिन प्रभावी ढंग से जो अपना प्रभाव उस डालकर यू.आई.टी. वाले एक अनमेरिड लड़की का मकान तोड़ आये हैं यह गलत बात है। यह तो आवास की घटना की बात रही।

कपड़े की हालत तो और भी गयी बीती है। राशन में लोगों को कपड़ा कभी नहीं मिला और मैं जानती भी नहीं हूं कि राशन का कपड़ा कहां मिलता है, कोई मुझ से पूछे तो मैं बता भी नहीं सकती। इसकी व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में पंचायती राज कायम हुआ और पंचायती राज की नींव सबसे पहले राजस्थान में डाली गयी इसके बाद गुजरात ने इसको स्वीकारा। हमारे यहां से गुजरात में यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पंचायती राज अधिक सफल हुआ है। आप वहां की पंचायतों को देखें तो मालूम होगा कि हम कहां हैं और वह कहां पहुंच गये हैं। सहकारिता के बारे में कहना चाहूंगी कि हमारे यहां से अधिक सहकारी समितियां गुजरात में हैं। जितनी सहकारी समितियां गुजरात में हैं उतनी कहीं नहीं हैं। इससे हमें दिशा लेनी चाहिए और एक अध्ययन दल वहां पर भेजा जाना चाहिए जो कि यह सब देखकर आये। मैं गुजरात गयी थी, मैंने देखा कि छोटी-छोटी पंचायतों के पास उनके खुद के बिजली घर हैं, उनका खुद का जल-दाय विभाग है। गुजरात में छोटी-छोटी पंचायतें इतनी विकसित हो चुकी हैं हमारे यहां सोचते हैं तो लगता है कि पता नहीं किस प्रान्त की बात कही जा रही है और यह कब होगा, यहां कब होगी। कहां होगा ऐसी बात नहीं, मान्यवर, कि बात नहीं कही जाती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मुझे समय देंगे और दो चार बातें मैं बोलूंगी, अधिक नहीं। माननीय सभापति जी, मारीशियस एक छोटा सा राष्ट्र है और 44.9 मील वर्गाकार का वह राष्ट्र है। वह पूरा राष्ट्र चीनी उद्योग पर ही आधारित है। चीनी वह 46 पैसा किलो के हिसाब से सारे राष्ट्र को भेजता है। एक छोटा सा देश है लेकिन आप देखें कितना विकसित है और आज उसका दुनियां में चीनी की वजह से स्थान है ....

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति महोदय, कोरम पूरा नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्यों नहीं हमारे देश के लोग भी ऐसा कर लेते ? यदि खनिज आधारित बजट बनाया होता तो निश्चित रूप से कोई बात होती। हमारे यहां इतना खनिज है जिसके ऊपर आधारित बजट बनाया जाता तो जो बात कही जाती है और जो हमारे माननीय सदस्य ने कही है कि शराब खोल दी जाय, ऐसा कहने का अवसर नहीं आता। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां सैन्ट पर्सेन्ट कितने ही ऐसे खनिज हैं जो केवल हमारे यहां ही पाये जाते हैं उनका विकास कर लेते तो निश्चित रूप से पैसों का अभाव नहीं होता, विकास का अभाव नहीं होता। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि उन खनिजों तक पहुंचने के लिए हमारे पास सड़कें नहीं हैं, साधन नहीं हैं जो कि विकसित किये जाने चाहिए यदि हमें पूरी तरह से खनिज बाहर निकालने हैं तो। माननीय श्री चन्दनमल जी ने जब वह पिछली बार वित्त मंत्री थे तो बड़ी योग्यता से खनिज पर आधारित बजट बनाया था। मैं आग्रह करूंगी श्री चन्दनमल जी की सलाह से वर्तमान बजट बनाया जाता तो अच्छा था। यह बजट तो गया, लेकिन मैं समझती हूं कि अभी भी समय है और अगर संशोधित होकर यदि यह बजट आ सके तो उनकी राय से आना चाहिए। हमारे यहां सोना पड़ा हुआ है। उसे निकाला जाकर यदि सही उपयोग किया जाय तो हम मालामाल हो सकते हैं और राजस्थान का विकास हो सकता है। हमारे यहां मकराना की तरफ ग्रेनाइट निकलता है और यह पॉलिश होने के लिए जोधपुर जाता है। वहां क्या जरूरत है ? कटिंग और पालिश की मशीनें वहीं होंगी तो क्या वहां के लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी ? झामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की खानों तक जाने के लिए सड़क नहीं है और पूरे साधन नहीं है जिन्हें राज्य के हित में विकसित किया जाना चाहिए

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, बहुत समय ले लिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो बातें कहना चाहूंगी, मान्यवर। मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी। गंगानगर यहां से दूर है और वह क्यों दूर है? इसलिए दूर है कि यातायात के साधन वहां जाने के नहीं हैं। एक ट्रेन जाती है चौबीस घंटों में। मैं समझती हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए भी हमें जल्दी वहां पहुंच सकें तो उसके लिए सरकार को प्रयत्न करने चाहिए। सड़कों के सहारे जहां रेत के टीले आ जाते हैं वहां ट्रेन नहीं जा पाती है और कभी कभी तो बीकानेर होकर ट्रेन 13-13 घंटे तक लेट हो जाती है इसमें सुधार होना चाहिए। यह ऐसा सरसब्ज इलाका है कि यह पूरे राजस्थान को फीड कर सकता है उसकी उपेक्षा किया जाना उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो गोगुन्दा है यह आबू से दो मील दूर है और सात मील ऊंचा है उसका विकास किया जाना चाहिए, पर्यटन के हिसाब से हमको और पैसा मिल सकता है। रतनगढ़ और नागौर के लिए लिफ्ट इरिगेशन की योजना थी लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है और वहां पर गांव में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहां एक टंकी बना दी गयी जो कि फूट गयी आज साल भर हो गया वहां पर लोग कीचड़ का पानी लाते हैं और उसे छान छान कर पीते हैं। फिर भी यह कहा जाता है कि हमने पेयजल की व्यवस्था में सुधार कर दिया। मुझे खेद होता है हमारे मुख्य मंत्री जी को और मंत्री मण्डल को राजस्थान में जाकर देखना चाहिए। दूर की बात छोड़ दीजिये, जगह जगह जहां हमारे पाकेट्स हैं जहां हम सुविधायें दे सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं हमें यह साधन और सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, सारा समय यही बोलती रहेंगी ?

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जो सीलिंग की भूमि थी, हमारे यहां सीलिंग की बड़ी वाहवाही की गयी, सीलिंग की जमीन को लोग बेच रहे हैं। उन पर मकान बनाये जा सकते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि सीलिंग की जमीन लोगों से ली जानी चाहिए जिससे हमारी आवास समस्या हल हो सकती है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पंचायतों की पंचायतें वहां के पड़ोस के एक जो प्रभावी एम. एल. ए. हैं उनके प्रभाव के कारण बिना गिरदावरी किये अकाल में आने से रह गयी हैं वहां काम नहीं खोले गये। मेरे यहां टेस्ट वर्क्स तक नहीं खोले गये

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
हैं और कहा गया है कि नवम्बर में खोल दिये। वहां का मजदूर परेशान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल एक मिनट। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो साहू नाम का एक गांव है जहां आदमी पहुंच नहीं सकता वहां पर बंधा फूट गया है। रास्ता पानी से भरा हुआ है। साहू का विकास होना चाहिए मेरे तो वायदे कुछ नहीं हैं वह आपको पूरे करने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, समय हो चुका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष ने वायदे किये हैं न कोई स्कूल खोला गया और न कोई अस्पताल ही खोला गया। उस क्षेत्र से चुनाव लड़कर मुख्य मंत्री जी बनने का सपना देखा जा सकता है क्यों नहीं इन कामों के लिये इजाजत दी जाती? मैं समझती हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सारे वर्गों को देखकर ही बजट बनाया जाना चाहिए। अकाल पर कम पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमने मजदूरी पर लोग लगा दिये तीन रुपया रोज दिया जाता है। तीन रुपये में कौन मजदूर आयेगा? मान्यवर, यह लोग और हम लोग यहां बैठे हैं 51 रुपये रोज लेते हैं। मैं समझती हूं कि यह स्थिति बहुत ही गलत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह घण्टा इन्हीं के लिए बढ़ाया गया है क्या?

श्रीमती उजला अरोड़ा : फेमिन कोड को भी बदला जाना चाहिए ...

श्री सभापति : आप कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आपने कहा था बिगनिंग भी महिला से और क्लोजिंग भी महिला से। अतः इन्हें ही क्लोज करने दीजिए।

श्री सभापति : आप एक मिनट में समाप्त कीजिए। आप समय का ध्यान रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्याणकारी सरकार के पास अगर पैसा नहीं होता है सरकार उनको सब्सिडाइज करती है। सब्सिडाइज करके अकाल के काम में लगायें स्थाई नेचर के काम किये जाने चाहिये।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : इनको बैठाइये साहब, यह हमेशा बोलती हैं...

श्री सभापति : कृपया आप बैठ जायं।

एक माननीय सदस्य : इनको बैठाइये...

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्द्रप्रस्थान भी कर रहे हैं, बोलने भी नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। मैं कहना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहूंगी इसमें सुधार किया जाना चाहिये। राज्यपाल को धन्यवाद दिया जाना चाहिये किन्तु राज्यपाल ने महिलाओं के लिये कुछ भी नहीं कहा, क्या धन्यवाद दूं।

श्री सभापति : श्री भगवान दास।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं। मेरे से पूर्व कई व्यक्ति बोल गये हैं जितने भी विरोधी दल के बोले हैं उनको भी गौर से सुना है और हमारे दल वालों को भी सुना है। विरोधी दल के लोगों के मुंह से एक भी अच्छी बात नहीं सुनी। काम अच्छे भी हुए हैं जितने बोले खराब ही खराब कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके पक्ष वाले भी नहीं बोले···

श्री भगवानदास डोसी: हमारे वाले पक्ष में भी बोले हैं और आप के लोगों ने कोई अच्छी बात कही ही नहीं इसका मतलब आपका मुंह ही खराब है। राज्यपाल के अभिभाषण के किसी भी अंश को न बखाना सारा का सारा खराब कहा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, एक गणित शास्त्री थे एक नहर के किनारे अपने परिवार को ले गये। उन्होंने कहा सारे उतर जाओ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किस की बात कर रहे हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : ···काम कुछ नहीं···

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्री भगवानदास डोसी : यह बार-बार भाषण दे रही हैं व्यवधान पैदा कर रही हैं इनको हिदायत करें···

श्री सभापति : मैंने कह दिया है। आप क्यों विवाद कर रहे हैं?

श्री भगवान दास डोसी : अपनी मर्जी से शुरू कर देती हैं।

मेरा निवेदन यह है कि यहां पर जितने भी सदस्यों ने भाषण दिये जितने भी विरोधी दल के सदस्यों ने दिये, लीडर ने दिये सिवाय आलोचना के एक भी अंश मैंने कोई अच्छा बोलते नहीं देखा। यह कहते हैं कि इधर वालों ने सराहा भी है थोड़ा कसताया भी है। अच्छी बात है। अगर जनता पार्टी के राज में खामियों को देख लिया होता आपका भी राज नहीं जाता। हमारी अगर कुछ खामियां हैं तो उसको हम देखते हैं। आपके मुंह से कोई भी चीज अच्छी नहीं सुनी। आप लोग किसानों के हिमायती बने हुए हैं। न तो आपसे राज चला। 30 साल के राज पर आपने पानी फेरा। अब इस बात पर तुले हुए हैं कि राज चले नहीं। किसानों के हिमायती बने हुए हैं। यहां तो कहते हैं किसानों को ज्यादा मूल्य मिलना चाहिये उधर शक्कर सस्ती मिलनी चाहिये। दोहरी नीति चलाते हैं···

श्रीमती उजला अरोड़ा : शक्कर तो मिलनी ही चाहिये।

श्री भगवान दास डोसी: आप लोगों से ढंग से राज सम्भला नहीं। आपने यह धार रखा है सहयोग करना नहीं। जनता का भला

(श्री भगवान दास डोसी)

सोचना नहीं, राज का सहयोग करना नहीं। हर बात को उलटा कहना खड्डे में डालना आपका दायित्व है। आप यह चाहते हैं कि राज न चले इसमें फेल हो। आप लोगों की जो नीति थी वह बिलकुल गलत थी और आप लोगों की नीति के कारण ही यह दिन देखना पड़ा। बहुत से अनाज का जो जखीरा था वह खतम कर दिया, सारी व्यवस्था खराब कर दी। सरकारी कर्मचारियों को बेलगाम कर दिया। लगाम लगाने में टाइम लगेगा। सोना आपने बेच दिया आपने सारे सरपंचों को चोर बनाया, आपने अनाज की स्कीम चलाकर सारे सरपंचों को चोर बनाया फिर किस मुंह से कहते हैं कि राज ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे पहाड़िया जी राज ठीक कर रहे हैं। आपने हमें 100 फीट के गड्ढे में फेंक दिया। हम 100 फीट से केवल 60 फीट ऊपर आये हैं। 40 फीट और ऊपर आकर बाहर आयेंगे तो आप देखेंगे राज कैसे चलता है। जनता को बरगलाकर फिर खड्ढे में फेंकना चाहते हैं। जनता पार्टी का राज आया था जब हमने देखा था ठाकुर लोगों का राज था, जागीरदारों का राज था, जनसंघियों का राज था। जनसंघी किसी का कहना नहीं मानते उनको मंत्र ही यह पढ़ाया जाता है कि वह अपने बाप का कहना नहीं मानें। आपने देखा होगा 75 में इन्दिरा गांधी ने तस्करों को बन्द किया था। ठीक है, कुछ गलतियों के कारण हमारा राज चला गया। बहुत अच्छा हुआ। यह तो आप से राज सम्भला नहीं। मैं तो यह सोचता था कि आने वाले···

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। रात 9 बजे तक विधान सभा चलती है यहां आने वाले कर्मचारी जो विधान सभा के हैं और बाहर से आकर ड्यूटी निभाते हैं उनमें अनेक ऐसे हैं जिनको ओवर टाइम नहीं मिलता। उन सबके लिए हमें सोचना चाहिये। मैं समझती हूं आसन आदेश देगा कि अगर लेट तक चले, आफिशियल टाइम 5 बजे तक का है उसके बाद चार घंटे और चलती है तो निश्चित रूप से उन्हें ओवर टाइम दिलाया जायगा···

श्री सभापति : माननीय सदस्या···

एक माननीय सदस्य : इन महिलाओं का आदर करते हैं।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

ऐसा है, इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है। जो कर्मचारीगण अपनी-अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनके जो अधिकारी हैं उनके मुताल्लिक बेहतर सोच सकते हैं। यह सदन की ड्यूटी में है, सदन की कार्यवाही चल रही है···

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, हर व्यक्ति का अधिकार है जितना काम···

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : रात को 2॥ बजे तक आप लोगों ने बैठाया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, पहाड़िया जी, माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। मैं आग्रह करूंगी कि जो देर तक रुकते हैं, आफिशियल टाइम 5 बजे तक का है, उसके बाद ओवर टाइम मिलना चाहिये···

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री सभापति : व्यवस्था का यह प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आपने लोगों को ढाई-ढाई बजे तक बैठाया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति महोदय, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कर्मचारियों की व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सूरजपाल सिंह : यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे है? ढाई साल आपने राज किया है, आपको कोई जानकारी ही नहीं है।

श्री भगवान दास डोसी: मैं निवेदन कर रहा था जनता पार्टी के राज ने हमको 100 फीट गहरे कुएं में डाल दिया। अब हम बाहर निकल आये हैं, साल भर में और निकल आयेंगे। हम बिगाड़ेंगे नहीं, पहाड़िया जी ने अब राज को सम्भाल लिया है। मैं तो यह कहता हूं कि यदि आपने भी थोड़ी खिलाफत की होती तो आपका राज नहीं जाता। आपका जो तरीका था वह ठीक नहीं था।

अब मैं मेरे क्षेत्र बाड़मेर में अकाल के विषय में निवेदन करूंगा। बाड़मेर में भयंकर अकाल है दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा है। हर क्षेत्र सूखा हुआ है और जो मजदूर लगे हैं वे कम मात्रा में हैं। हमने इसके बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था लेकिन उसमें समय नहीं दिया इसलिये यहां कहूंगा कि बाड़मेर जिले के लिये ज्यादा रियायतें देकर मजदूर लगायें। मेरे क्षेत्र में मैं अर्ज करूं, लोग हरे वृक्षों को काट काट कर गुजारा चला रहे हैं उनको देखकर आंसू आते हैं। ठीक है, सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर है लेकिन अगर लोगों की हालत खराब हो गई तो हल नहीं जोतेंगे। मैं यह कहूंगा ज्यादा से ज्यादा हमारे इलाके की तरफ ध्यान दें।

दूसरा, पानी के बारे में निवेदन करूंगा, जो हैण्ड पम्पों की स्कीम है वह हमारे इलाके में लागू नहीं होती है। इस साल एक पैसा भी इसमें खर्च नहीं होने वाला है।

सिचाई के बारे में पूरे क्षेत्र में एक बान्ध बन सकता है। मैंने दरख्वास्त कलेक्टर साहब को दी है उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए।

शिक्षा के बारे में चार-चार स्कूल खोले हैं, नये स्कूलों में मास्टर गये लेकिन पुरानी स्कूलों में मास्टर नहीं हैं और 20-20 स्कूल बन्द पड़े हैं इसलिए सब स्कूलों में मास्टर होने चाहिये। 15 से ज्यादा लड़के कर दिये जायं तो बार्डर इलाके में अलाउन्स दिया जाय। अभी कई स्कूल बन्द पड़े हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तीन हजार शरणार्थियों को बसाया हमारे निवेदन पर, इसलिये वे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आपने शरणार्थियों की बहुत ही समस्या सुलझाई।

दूसरा, मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी ध्यान से सुनें, लघु कृषक के बारे में योजना चल रही है। लघु कृषकों को फायदा दिया जाय उसमें एक अड़चन आती है। हमारे यहां हेत

(श्री भगवान दास डोसी)

पट्टे भाइयों के नाम से हैं, शामिल नाम के कारण लघु कृषकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। वास्तव में वे लघु कृषक हैं। मैंने 60 लोगों की कृषि ऋण वास्ते दरख्वास्तें दिलवाई थीं लेकिन जब मीटिंग हुई तो केवल एक ही आदमी को लोन मिला। अब गई में जो आपका अभियान चल रहा है, मुख्य मंत्री जी, उसमें लघु कृषकों के लिये कुछ होना चाहिये जो शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को दिया जाना है उस रूप के लघु कृषक हमारे इलाके में नहीं मिलते हैं। जो पट्टे हैं वे सिरोंवे हैं। अभी जो सोसायटी के जरिये पैसे देने की बात है हमारे गांव में उस प्रकार के लघु कृषक नहीं हैं इसलिये जो अभियान है उसमें हमारे यहां के लघु कृषकों के बारे में भी सोचा जाना चाहिये ताकि उनको कुछ फायदा हो सके।

अन्त में राज्य पाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का समर्थन करते हुए अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री सभापति : श्री अमरचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री असलम खां।

श्री असलम खां (बाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अकाल की स्थिति का जिक्र है, जो हमारे राजस्थान में एक दैवी प्रकोप माना जाता है उसके बारे में कुछ कहूं उसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकाल की स्थिति से निपटने के लिये हमारी पूर्व सरकार जनता पार्टी ने जो प्रशासन की आदत बिगाड़ी इसके लिये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो अनाज के गोदाम भारत सरकार ने इनको सौंपे थे वे गोदाम इन्होंने खतम कर दिये या मैं यह उदाहरण दे दूं कि प्रशासन के जो घोड़े थे वे चर गये। उन घोड़ों को कन्ट्रोल करने के लिये एक सवार जो हमारे कांग्रेस सरकार के श्री पहाड़िया जी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन घोड़ों को कन्ट्रोल करने के लिये जो काटे वाली लगाम आती है उसको काम में लें तो कांग्रेस सरकार इस अकाल से निपट सकेगी। मैं एक बात बताऊं कि जनता पार्टी के भूतपूर्व एम. एल. ए. ने अपने गांव के पास ही सरकार का पैसा लगाकर खुद के लिये एक बान्ध का निर्माण किया। इसी तरह भूतपूर्व जनता पार्टी के एम. एल. ए. ने बजट की रकम से करीब दो किलोमीटर एक पाइप लाइन अपना जो खेत पड़ता है वहां पर बिना परमिशन के डलवाई···

एक माननीय सदस्य : नाम बता दें···

(व्यवधान)

श्री असलम खां : भूतपूर्व एम..एल. ए. राणावत साहब। उनके लिये मैंने गत सत्र में एक प्रश्न भी इसके लिये दिया था और मुझे जवाब मिला वहां पर कोई लाइन नहीं लगाई गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जाय। आज भी दो किलोमीटर की पाइप लाइन लगी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जनता पार्टी के जो घोड़े हैं, जो सरकार का अनाज खा गये अब कांग्रेस को अच्छी तरह सोचना पड़ेगा नहीं तो सरकार

(श्री असलम खां).

की स्थिति में हमारी क्या दुर्गति करेंगे उसके लिये मैं क्या निवेदन करूं ? अकाल के लिये काफी योजनाएं हमारे यहां चल रही हैं मगर फिर भी मैं पानी के लिये विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में काफी बातें बताईं मगर भूजेल विभाग के लिये मैं विशेषकर एक निवेदन करना चाहता हूं जिसमें ब्लास्टिंग मशीनें, बोरिंग मशीनें व होरिजेन्टल मशीनें आज राजस्थान में कितनी हैं, हर गांव में उनकी कितनी डिमाण्ड है और इतना पैसा पंचायत समिति क्षेत्र में जमा हो चुका है, मगर सरकार की मशीनें वहां पर पहुंच नहीं पा रही हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मई-जून में पानी की बड़ी भारी किल्लत होगी, उस किल्लत को देखते हुये हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा मशीनें उपलब्ध कराकर उन किसानों को व उन गवांई कुओं को गहरा करवाएं ताकि पानी की किल्लत न रहे।

शिक्षा के बारे में अभिभाषण में बहुत कुछ कहा गया है मगर मैं कुछ तो हिमायत राजस्थानी भाषा की करना चाहता हूं, अभी हमारी विशेषाधिकार समिति साउथ में गयी थी, वहां के लोग केरल में, मदुरई में, पांडिचेरी में हिन्दी बोलना गुनाह समझते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपनी मातृभाषा, जो राजस्थानी है, को यहां किसी तरह से नहीं बोल सकें, उसकी भी एक अकादमी बनायी जाय। विशेषकर उर्दू के साथ तो बड़ा भारी अन्याय किया गया है क्योंकि मैं भी एक माइनोरिटीज का मेम्बर हूं। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उर्दू के लिये भी स्थान बनाया जायगा ताकि हमारे माईनोरिटीज के लोग भी इसको बोल सकें। इसलिए मैं आपसे एक दफा और निवेदन करता हूं कि सरकार की समस्या जिसके अन्दर बिजली पानी को लेकर के हर बार हर सदस्य यही बात कहता है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया, 6 करोड़ 78 लाख रुपये इस पर लगाये जायेंगे। मैं मेरे क्षेत्र का एक छोटा सा वाक्या बताना चाहता हूं, हमारे कुछ सदस्य इस बात को जानते हैं। मेरे क्षेत्र में एक ही 7100 बीघा जमीन, जो जोधपुर दरबार के नाम से है उसका नाम बालिग जोहड़ है। उस जोहड़ को दरबार ने जनता पार्टी का राज आया तो उनके मुलाजिमों को दे दिया। हमारी सरकार ने उसका केस लड़ा, वह केस अभी तक चल रहा है। मगर उस जमीन के साथ क्या अन्याय हुआ, आज अगर चलकर देखें तो आज उस 7100 बीघा जमीन में एक दरख्त वहां मौजूद नहीं है। तीन साल में वह दरख्त काट दिये गये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब तक केस चले, उसको अपने कब्जे में लेकर उन पर कम से कम दरख्त लगवा दे ताकि हमारे क्षेत्र में जो बारिश की कमी महसूस होती है, वह न हो।

अन्त में मैं, श्रीमान्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री धारा राम।

श्री धारा राम फुलवारिया (सिवाना) : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया गया है एवं धन्यवाद प्रस्ताव इस

(श्री धारा राम फुलवारिया)

संबंध में रखा गया है, मैं हृदय से स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सही रूप से पढ़ने पर यह मालूम हुआ कि वास्तव में यह जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, वह राजस्थान के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है। इसलिए अगर सही रूप से यह कार्यरूप में परिणित हुआ, इस रीति नीति और योजनाओं पर अगर काम हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान का विकास होगा, अवश्य होगा। इसलिए भारत गांवों का देश है, गांवों का विकास ही देश का विकास है इसलिए मेरा आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि गांवों का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाय। गांवों के अन्दर अनपढ़ लोग हैं, उनकी आर्थिक हालत बड़ी कमजोर है इसलिये उनकी आर्थिक हालत सरकार को मजबूत करनी चाहिये और उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिये। बिना शिक्षा के जागृति आ नहीं सकती और बिना जागृति के जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं, वह जा नहीं सकते हैं इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलें और कमजोर तबके के जितने भी लोग हैं और गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा दिलायें। मेरा निवेदन सरकार से यह भी है कि स्कूल तो गांवों में ज्यादा से ज्यादा खोले भी हैं और खोलने का इरादा भी सरकार का है लेकिन गरीब वर्ग के लोगों को जैसी शिक्षा हासिल कराना चाहते हैं, वे अपनी गरीबी के कारण कर नहीं पाते क्योंकि उनको जैसी किताबें या वर्दी, जो हासिल होनी चाहिये वह समय पर नहीं हो पाती है इसलिए सरकार से निवेदन है कि प्राइमरी तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको मुफ्त, वैसे सरकार ने घोषणा तो की है और मेरा इसलिये निवेदन है कि बिलकुल मुफ्त शिक्षा उनको हासिल होनी चाहिये और 6 से 8 तक जो छात्र पढ़ते हैं उनको बहुत ही कम स्कॉलरशिप मिलती है। 40 या 50 रुपये पूरे साल में मिलते हैं तो 40 या 50 रुपये के वजीफे से क्या वे अपनी साल की किताबों, वर्दी में लगाकर पढ़ सकते हैं? तो ये सन् 51 से जो वजीफा बांधा गया है, वह कम है इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वजीफा भी समय समय पर बढ़ाते रहें तो जरूर उनको शिक्षा हासिल करने में सुविधा होगी। जो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए साल भर में सौ रुपये मिलते हैं। वास्तव में वे क्या किताबें आदि खरीदकर पढ़ सकते हैं? वह भी कम है इसलिये सरकार से इस बारे में निवेदन है कि हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी में पढ़ने वाले बच्चों का भी वजीफा बढ़ायें। उसके उपरांत जो उच्च शिक्षा अनुसूचित जाति और जन जाति के बच्चे हासिल करना चाहते हैं जो कालिज होस्टल में रहना चाहते हैं, कालिज होस्टल बहुत महंगा पड़ता है वह खर्च सहन नहीं कर सकते हैं, वहन नहीं कर सकते हैं इसलिए साल भर का खर्च वहन कर सकें तो सरकार उनका उसी हिसाब से वजीफा दे, ये सरकार से मेरा विशेष निवेदन है ताकि गरीब तबके के लोग अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और शिक्षा हासिल कर सकें। इससे उनमें जागृति आयेगी और जिस रास्ते पर वे जाना चाहेंगे, जैसा भी धन्धा करना चाहेंगे, वे कर सकेंगे।

(श्री धाराराम फुलवारिया)

अतः किसानों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर सरकार किसानों के हित के लिए कुछ करना चाहती है तो इसमें मेरा निजी विचार है और सुझाव है कि किसानों के लिये जो एल. डी. ओ. मतलब लाइट डीजल आयल और डीजल पर अपने राजस्थान में 12.5 परसेन्ट सेल्स टैक्स लगा हुआ है. अगर इस सेल्स टैक्स को कम कर दिया जाता है तो इससे जरूर किसानों को कम पैसा देना पड़ेगा और उसकी कीमत कम होगी जिससे किसानों को आसानी से क्रूड भी मिलेगा और वे अपने पम्पिंग सेट आराम से चलायेंगे। इस पर चुंगी कर भी 3 पैसा प्रति लीटर लगता है, उसका भी किसानों पर भारी बोझ है तो सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि चुंगी कर भी कम किया जाय तो जरूर डीजल और क्रूड आसानी से, सुविधा से, सस्ते रेट से मिलेगा। दूसरा, मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि किसानों को समय समय पर खाद है, बीज है, तेल है और ये एम. टी. लोन्स है, या आर्टिजन्स समय-समय पर मिलते रहें तो समय पर साधन जुटाकर वह फसल बो सकें और अपने हित में उपयोग कर सकें। दूसरा, राजस्व मन्त्री महोदय जी से मेरा विशेष निवेदन है कि सन् 79 में लूणी नदी में भयंकर बाढ़ आयी थी, उससे हमारे काश्तकारों को जितने भी लूणी नदी के देरे थे, उनकी जगह, जमीन बिलकुल नष्ट हो गयी है और वहां नदी बन गयी है, लेकिन अभी तक वहां वह ही चाही किस्म का लगान लगाया जाता है तो वापस राजस्व मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उसका सर्वे कराकर वह लगान उसी से लगायें, रेती की जमीन है, उसके हिसाब से, ताकि उनको फायदा हो सके। दूसरा, मेरा यह भी निवेदन है सरकार से कि किसानों के लिए आज मूल्य वृद्धि की बात कह कर विपक्ष के लोग जगह जगह आन्दोलन चलाते हैं और अटलबिहारी जी ने अभी चार दिन पहले अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किसानों को अपनी मूल्य वृद्धि के लिए आन्दोलन करना चाहिए। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं . . .

श्री भंवरलाल शर्मा : परसों यहां पर आयेंगे।

श्री धाराराम फुलवारिया : जब वे सत्ता में थे तब गन्ने की किसानों को क्या कीमत देते थे ? तीन या चार रुपये क्विन्टल। और आज किसानों को क्या मिलता है ? 23) रु. क्विन्टल। तो आप हितैषी हैं या हमारी सरकार हितैषी है यह सोचने की बात है। इसलिए आप यह सारी बातें करते रहते हैं, हिमायती बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आप हिमायती हैं या हिमायती यह सरकार है ? हिमायती तो हमारी यह सरकार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये नहीं रहे तभी तो उधर बैठे हैं।

श्री धाराराम फुलवारिया : दूसरा, मेरा सरकार से विशेष निवेदन है कि लूणी नदी पर हर चौथे साल, हर दूसरे तीसरे साल जब कभी बाढ़ आती है तो भयंकर बाढ़ आती है। वह मेरे क्षेत्र में है और मेरा मतलब है कि पूरा जोधपुर जिला, बाड़मेर जिला और जालोर जिला इससे इफेक्टेड हो जाता है। पूरी तरह से जनता प्रभावित हो जाती है। उनकी कमाई और

(श्री धाराराम फुलवारिया)

जायदाद, मकान, मवेशी सभी चली जाती हैं। यहां तक कि 1979-80 में तो सैंकड़ों की तादाद में लाशें बह गई थीं और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप शीघ्रता से, जहां पर ज्यादा नुकसान होता है, जहां पानी ओवर फ्लो होता है वहां पर तटबन्दी करायी जावे ताकि भविष्य में गांवों की सुरक्षा हो सके और गांवों के लोग आराम से जीवन गुजार सकें। मास्टर प्लान की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि मास्टर प्लान बनाया गया है लेकिन उसको कार्यान्वित करने में टाइम लगेगा इसलिए दो चार गांव ऐसे हैं जो...

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मास्टर प्लान इसके लिए नहीं है, यह तो किताबों में लिखने के लिए है।

श्री धाराराम फुलवारिया : वास्तव में दो चार गांव ऐसे हैं कि जो हमेशा लूणी नदी के पानी से बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हो जाते हैं उन दो चार गांवों की जल्दी तटबन्दी करने का प्रबन्ध किया जावे तो उन लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सकता है।

साथ ही सड़कों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वैसे 1951 से 1980 तक सड़कों के बारे में बहुत ही विस्तार हुआ है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। 1951 में पक्की सड़कें हमारे प्रदेश के अन्दर 5428 किलोमीटर थी और अब 1980 में तीस हजार से ऊपर किलोमीटर सड़कें बन गई हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन से पीरियड में बनीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 51 से लेकर 77 तक और 77 के बाद में काला पीरियड आ गया।

(व्यवधान)

श्री धाराराम फुलवारिया : इसलिए यह कोई कम तरक्की की बात नहीं है। देश में जिस तरह से इस कम पीरियड में तीस साल में जो देश का विकास हुआ है बिजली की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से उद्योग धन्धों की दृष्टि से देश में बहुत अच्छा विकास हुआ है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि तीस साल के कम पीरियड में भारत ने जो तरक्की की है वह दुनिया में किसी देश ने नहीं की। मेरी मान्यता है कि आज जो स्थिति है, आजादी पहले सुई भी बाहर से आती थी,

(8.55 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कोई भी माल का, किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता था। यहां से कच्चा माल बाहर जाता था और उसी का पक्का माल बन कर यहां आता था। आजादी के बाद यहां कल कारखाने, बड़े भारी उद्योग धन्धे लगे हैं। आज हमारे यहां की कितनी साइकिलें निर्यात होती हैं। रेल के डिब्बे निर्यात होते हैं, अस्त्र-शस्त्र निर्यात करते हैं, क्या यह तरक्की का द्योतक नहीं है। लेकिन इसको भी आप कम मानते हुए आलोचना करते हैं, यह आपकी आदत है, विपक्ष में बैठने वालों

(श्री धाराराम फुलवारिया)

की आदत है कि हर बात का विरोध करना। क्योंकि

(व्यवधान)

"कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुणतीन
जैसी संगति बैठिये, तैसो ई फल दीन।"

आप आखिर में विपक्ष में बैठते हैं तो आपकी आदत भी वैसी ही बनी हुई है। विरोध करने के लिए विरोध करते हैं लेकिन अच्छे कामों की जरूर प्रशंसा करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कोई भी विकास के काम हों, देश के हित के कामों में जरूर सहयोग देना चाहिए। बिना सहयोग के केवल अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये जब पक्ष में थे तब भी आपस में विरोध करते थे।

श्री धाराराम फुलवारिया : और बार-बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हटा है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा निजी विचार है कि जब तक हर नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना जागृत नहीं होगी, राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखते हुए

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : भैरोंसिंहजी जब मुख्य मंत्री बने थे तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की घोषणा की थी लेकिन जब छोड़ कर गए तो चौगुणा कर गए।

श्री धाराराम फुलवारिया : इसलिये आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अगर वास्तव में आप अपने देश का विकास चाहते हैं तो जब अपन सब मिलकर परस्पर सहयोग से राष्ट्रीयता की भावना पैदा करें और राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर अगर सभी सहयोग से काम करें तो अपना देश एक ऊंची तरक्की कर सकेगा। अपनी मंजिल पर जिस गति से जाना चाहते हैं वह जरूर मंजिल पास होगी और अपना देश अच्छी मजबूती से विकास कर सकेगा। जयहिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम ! सदन का समय पांच मिनट और बढ़ाया जाता है।

श्री महाराम चौधरी : पांच मिनट में तो मैं पूरा नहीं कर सकता। मेरे पड़ोस के क्षेत्र फलौदी निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मुझे कुछ बातें कहनी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दस मिनट और बढ़ा देंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री महाराम चौधरी : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की मैं तारीफ तो नहीं करना चाहता हूं। इसमें जो कुछ लिखा है यह सब किसान-विरोधी है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों का विरोधी यह अभिभाषण है लेकिन उसके ऊपर का पुट्ठा बड़ा चिकना-चुपड़ा, साफ-सुथरा है।

श्री सूरजपालसिंह : क्या आप चाहते हैं कि गांवों में सड़कें नहीं बननी चाहिए, गांवों में पानी नहीं पहुंचना चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : इसमें जो आंकड़े और जो नीतियां, दिशा निर्देश जो कुछ भी दिया है उनकी भी पालना करने के लिए सरकारी अधिकारियों की कोई गांवों के प्रति भावना नहीं है। मेरी बातें तो काफी लम्बी चौड़ी हैं उनको कहने के पहले मैं बाद वाली बात पहले कहना चाहता हूं कि सूखा सम्भावित कार्य क्षेत्र जिन जिलों में शुरू किया गया है उन जिलों के अन्दर, राजस्व मंत्रीजी ध्यान देंगी···

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय दस मिनट और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री महाराम चौधरी : तो ग्रामीण क्षेत्र में आजादी के तीस साल बाद भी यह पेयजल की समस्या और अकाल की समस्या और अनाज की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। किसानों और मजदूरों को उचित मूल्य पैदावार का नहीं देने से किसानों के अन्दर बड़ा जबर्दस्त असन्तोष फैल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब बहुत अच्छी तरह से चेत गये हैं और चेतन होकर आपकी सरकार के लिए बड़ी खतरनाक अव्यवस्था पैदा करने वाले हैं। जो कुछ भी अभिभाषण में आपकी नीतियों के बारे में लिखा हुआ है उसका भी अच्छी तरह से पालन करने का प्रयत्न किया जाय तो कुछ थोड़ा बहुत सन्तोष लोगों को हो सकता है।

गांवों के अन्दर पेयजल की समस्या है। सरकार ने जो योजना बनाई है, उसके अन्दर ग्रामीण क्षेत्र का, पहली नम्बर पर तो जो योजना बनाई गई है उसमें ढाणियों को मद्देनजर नहीं रखा है, वहां पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। ढाणियों के साथ-साथ गांवों में रहने वाले आदमी गाय को माता कहते हैं, बैल को पिता कहते हैं उन जानवरों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, आदमी को तो थोड़ा बहुत कुओं से मिल जायगा लेकिन जानवर को कहां से पानी मिलेगा ? आपकी जो योजनाएं हैं, यह योजनाएं गांवों से शुरू नहीं होकर ऊपर से शुरू हुई हैं। यदि परिस्थितियों को देखकर अधिकारी लोग गांव वालों के साथ बैठकर योजना बनाते तो ज्यादा अच्छी सिद्ध हो सकती थी।

पशुधन और पशु विकास के लिये बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। न तो उनकी दवाइयों का इन्तजाम है और न कोई सांड वगैरह रखने की व्यवस्था है। डेयरी के लिये सफेद क्रांति की बात बहुत की जाती है लेकिन डेयरी के मामले के अन्दर आपका जो स्टाफ और अधिकारी लोग इसमें लगे हुए हैं, उन आदमियों में इसका विकास करने के लिये इसको प्रोत्साहन देने की भावना नाम की कोई चीज नहीं है। फ्लाइंग विजिट हो जाता है। आपकी जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं उन सहकारी समितियों में फेट लेने का सिस्टम है लेकिन उस सिस्टम की पालना नहीं करते हैं। किसानों को या दूध पालकों को पूरा पैसा नहीं मिलता है।

शिक्षा के मामले के अन्दर-शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बजट का भ्र.

(श्री महाराम चौधरी)

सुनते हैं, पैसे का भी सुनते हैं, लेकिन हमने तो कोई गांवों के अन्दर यह स्कूल चलते नहीं देखा।

मरु विकास एवं सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्य के अन्दर 14-15 डिपार्टमेंट्स ने जो स्कीम चलायी हुयी है, उस स्कीम में को-आर्डिनेशन के हिसाब से यह स्कीम है, मगर को-आर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें अनुदान का पैसा मिलता है, वह वर्ल्ड बैंक से मिलता है। जो आर्थिक सहायता है अधिकारी को एक तरह से, जैसे डाकन को कालजा दिख रहा है वैसे सब का इस पर ध्यान लगा हुआ है। आर्थिक सहायता सीमान्त और लघु कृषकों के लिए है, उनको समय पर पैसा नहीं मिलता है। प्रार्थना-पत्र भरने का जो प्रोफार्मा है उसको अच्छी तरह से एक एक पन्ना निकाल कर देखें तो शायद 6-6 महीने में तो प्रोफार्मा भरा ही नहीं जायगा। इस कार्यक्रम के अन्तंगत गांवों के अन्दर सितम्बर और अक्टूबर के अन्दर कैम्प रखा। उस कैम्प के रखने से सरकारी पैसे का बहुत जबर्दस्त दुरुपयोग हुआ। या तो सब अधिकारी पहुंचे नहीं, अगर पहुंच भी गये तो प्रार्थना पत्र एक भी सम्पूर्ण नहीं भरा गया और वैसा का वैसा ही रह गया। इसके अन्दर कमशियल बैंक समझ लीजिए या को-आपरेटिव बैंक समझिये, उन बैंकों के जरिये जो ऋण देने का प्रावधान है, उनमें सभी जगह बगैर एजेन्ट के कहीं पर यह एप्लीकेशन पार होती नहीं है। कहने को यह भी कहते हैं कि जो सब्सिडी का पैसा है, उसमें तो आपका क्या अधिकार है। यह वर्ल्ड बैंक का पैसा है, उसमें आपकी सरकार का भी कुछ नहीं है।

श्री लच्छूराम : दस मिनट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट उनमें से फलोदी के लिये दिये हैं।

श्री महाराम चौधरी : जो नागौर की परिस्थिति पेयजल, पशुधन, शिक्षा की है, नागौर निर्वाचन क्षेत्र के फलोदी नजदीक है वहां वही का वही हाल है। वहां कुओं में पानी जबर्दस्त गहरा है। पानी की समस्या एक बराबर सी है। ढाणियों में रहने वाले आदमियों की और जानवरों के पानी को पिलाई की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की बात इस क्षेत्र के लिए कही गई है। विद्युतीकरण तो आप गांवों का करने जा रहे हैं लेकिन डी.पी. ए.पी. के अन्तर्गत विद्युतीकरण की आपको जो समस्या है, जैसे नागौर का सवाल ही ले लीजिए, उसका एक्स. ईएन. मकराना है और ए.ईएन. कुचामन लगा हुआ है तो वह यहां से जाकर नागौर का काम किस तरह से संभालेगा? न तो वह वहां पहुंचेगा, न जानकारी करेगा। न कोई मैटीरियल आता है न किसी जगह ले जाने का प्रयत्न करेगा, किसी तरह की व्यवस्था नहीं करेगा।

सहकारी आन्दोलन और पंचायत आंदोलन को ले लीजिये। पिछले 4-5 साल पहले सहकारी समितियों को सक्षम इकाई बनाने के लिये तीन-तीन, चार-चार पंचायतों की एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बना दी। इसमें वास्तविकता का कतई ध्यान नहीं रखा गया। जैसे भरतपुर अलवर के जो नजदीक नजदीक के गांव हैं, उस जगह तो सहकारी समितियों को सक्षम इकाई बनाने के लिये दो-तीन पंचायतों की बना दी, वह तो ठीक बन गई

(श्री महाराम चौधरी)

लेकिन हमारे क्षेत्र में जिस जगह एक गांव का कार्य क्षेत्र 25-25, 10-10, 15-15 माइल है, उन गांवों में तीन-तीन पंचायतों का एक तरह से एक कार्य क्षेत्र बनाने से वह कम से कम 50-60 माइल का एरिया हो गया। वहां पर सहकारी समिति एक दूसरे की पहचानने में नहीं आती है। इस तरह से सहकारी समितयों के चुनाव नहीं होने की वजह से बड़ी-बड़ी सहकारी समितियां बन जाने की वजह से इसने न तो लोन बट रहा है और न कोई रिकवरी हो रही है। इस तरह से सहकारी समितियां डिफंक्टेड पड़ी हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव पिछले दिनों हो गये लेकिन उनकी अगली जो पंचायत समिति, जिला परिषदों के चुनाव नहीं होने की वजह से यह पंचायतें भी एक तरह से डिफंक्टेड पड़ी हैं। इन पंचायतों में जो सैक्रेटरी लगाया हुआ है, एक पंचायत में एक सैक्रेटरी लगाया जाय तो पंचायतों का काम ठीक ढंग से चलता रहता है। तीन-तीन चार-चार पंचायतों में एक ग्राम सेवक सैक्रेटरी के रूप में लगा दिया जाता है तो न तो वह पंचायतों में पहुंच सकता है, न उसको पहुंचने के लिये जीप मिलती है। उससे जो ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, या बिखरे हुए लोग रहते हैं उनका माइलेज के हिसाब से बहुत लम्बा एरिया हो जाता है। इसलिये इन पंचायतों को सक्षम इकाई बनाने के लिये कार्य रूप में ठीक ढंग से काम करने के लिये सचिव एक पंचायत में एक ही होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में भाषण समाप्त समझा जायगा।

श्री महाराम चौधरी: राजस्व अभियान पहले भी चला था और जनता पार्टी के टाइम में इस नाम का यह अभियान चला था। लेकिन जो पहले चला था और जो जनता पार्टी के टाइम में चला था उनमें मुकदमों को किसी का भी कोई माव तक निपटारा नहीं हुआ है। 15-15, 20-20 साल से जिस तरह से शुरू में रेगूलेराइज करने के लिए केसेज पेन्डिंग थे, बाडों के समझ लीजिये, या अलाटमेंट के समझ लीजिये, न तो कोई मीटिंग होती है, न अलाटमेंट की कार्यवाही आज तक सम्पूर्ण हुई है। मैं डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत कहना चाहता हूं। डी. पी. ए. पी. में जो जिले घोषित किये गये हैं, उनमें जो भूमिहीन हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सर्कूलर पहुंच गया है, इतने हैक्टेयर से ज्यादा किसी को अलाट नहीं होनी चाहिये। डी.पी.ए.पी. में जहां-जहां कार्य खोला गया है, उस जगह पर चाहे भूमिहीन हो, चाहे सीमा के आस पास रह गया हो जैसे पांच बीघा वाले आदमी हैं, उसको 7 बीघा जमीन अलाट होने को है चाहे उसके पास के खेत में समझ लीजिये, चाहे अगाऊ के खेत की जमीन समझ लीजिये। जो खेत में 10-15 साल से काबिज हैं, लेकिन डी. पी. ए. पी. का सर्कूलर पहुंचने के बाद भी यह अलाट नहीं होती है।

मैं यह कह कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल दिनांक 27-2-81 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.10 बजे शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची

वर्ष 1968 से वर्ष 1980 तक क्रमोन्नत किये गये महाविद्यालयों (राजकीय व अराजकीय) की सूची

राजकीय महाविद्यालय

1.	राजकीय महाविद्यालय	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
2.	,, ,,	भरतपुर	भरतपुर
3.	आर.आर. महाविद्यालय	अलवर	अलवर
4.	राजकीय महाविद्यालय	गंगानगर	गंगानगर
5.	,, ,,	सीकर	सीकर
6.	लोहिया महाविद्यालय	चूरू	चूरू
7.	राजकीय महाविद्यालय	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
8.	,, ,,	टौंक	टौंक
9.	,, ,,	बून्दी	बून्दी
10.	,, ,,	झालावाड़	झालावाड़
11.	,, ,,	नागौर	नागौर
12	,, ,,	सिरोही	सिरोही
13.	,, ,,	पाली	पाली
14.	,, ,,	किशनगढ़	अजमेर
15.	,, ,,	कोटपूतली	जयपुर
16.	,, ,,	करौली	सवाई माधोपुर
17.	,, ,,	दौसा	जयपुर
18.	,, ,,	बाड़मेर	बाड़मेर
19.	,, ,,	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
20.	,, ,,	डूंगरपुर	डूंगरपुर
21.	मीरा कन्या महाविद्यालय,	उदयपुर	उदयपुर

अराजकीय महाविद्यालय

1.	सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर	अजमेर
2.	एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय, गंगानगर	गंगानगर
3.	एम.डी. महाविद्यालय, गंगानगर	गंगानगर
4.	भोपाल नोबल्स महाविद्यालय, उदयपुर	उदयपुर

Page No 186

(184)

5.	ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्री करनपुर	गंगानगर
6.	प्राज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर	अजमेर
7.	सेठ मोतीलाल महाविद्यालय, झुंझुनू	झुंझुनू
8.	नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़	गंगानगर
9.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, संगरिया	गंगानगर

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 71 व 59 की सूची

खोली गई शहरी डिस्पेन्सरी/सहायक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण डिस्पेन्सरी) की सूची

क्रम संख्या	(क) शहरी डिस्पेन्सरी	जिलों का नाम
1.	सिटी डिस्पेन्सरी, बीकानेर	बीकानेर
2.	बरकत नगर, जयपुर	जयपुर
3.	नागौरी गेट, जोधपुर	जोधपुर
4.	प्रताप नगर, जोधपुर	जोधपुर
5.	हनुमानगढ़ जंक्शन	श्रीगंगानगर
6.	सती मन्दिर झुन्झुनू शहर	झुन्झुनू
7.	विधायक नगर (ज्योति नगर)	जयपुर

(ख) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण डिस्पेन्सरी)

क्र.सं. 1	ग्राम का नाम 2	पंचायत समिति 3	जिला का नाम 4
8.	रामगढ़	मसूदा	अजमेर
9.	फतेहगढ़	अराई	अजमेर
10.	जूनिया	केकड़ी	अजमेर
11.	बुधवाड़ा	पीसांगन	अजमेर
12.	नांगल बानी	थानागाजी	अलवर
13.	बीजवाड़ चौहान	मंडावर	अलवर
14.	माजरा	निमराना	अलवर
15.	हमीरपुर	बानसूर	अलवर
16.	शिव	शिव	बाड़मेर
17.	थोब	बालोतरा	बाड़मेर
18.	बन्दुजी का गढ़ा	घाटोल	बांसवाड़ा
19.	शेरगढ़	बागडोरा	बांसवाड़ा
20.	धनवाड़ा	कुम्हेर	भरतपुर
21.	अलीपुर	बैर	भरतपुर
22.	बल्लभगढ़	बैर	भरतपुर
23.	निठार	बैर	भरतपुर
24.	घरसोनीचक	बैर	भरतपुर
25.	सरसेना	बैर	भरतपुर

1	2	3	4
26.	मुड़िया ललिता	वैर	भरतपुर
27.	रणधीरगढ़	वैर	भरतपुर
28.	बाछरेण	वैर	भरतपुर
29.	जीवद	वैर	भरतपुर
30.	त्रिजवाड़ी	वैर	भरतपुर
31.	सिघाड़ा	बयाना	भरतपुर
32.	हुन्तरा	नदबई	भरतपुर
33.	गोपालगढ़	नगर	भरतपुर
34.	ब्राम्ही पहाड़पुर	रूपवास	भरतपुर
35.	महुग्रा	मांडलगढ़	भीलवाड़ा
36.	महेन्द्रगढ़	महाड़ा	भीलवाड़ा
37.	बान्दरास	माण्डल	भीलवाड़ा
38.	पूगल	बीकानेर	बीकानेर
39.	कूदसू	नौखा	बीकानेर
40.	बांसी	नैनवा	बून्दी
41.	गोठड़ा	हिण्डोली	बून्दी
42.	श्रयाना	इटावा	कोटा
43.	धामाना	कपासन	चित्तौड़गढ़
44.	गोगासी	चूरू	चूरू
45.	भालेरी	तारानगर	चूरू
46.	बोखली	राजगढ़	चूरू
47.	कुंश्रा	सागवाड़ा	डूंगरपुर
48.	साबली	डूंगरपुर	डूंगरपुर
49.	खानपुर	बाड़ी	धौलपुर (स्वास्थ्य जिला)
50.	जसुपुरा	राजाखेड़ा	धौलपुर
51.	सेवउ	धौलपुर	धौलपुर
52.	पचगांव	धौलपुर	धौलपुर
53.	चित्तोड़ा	धौलपुर	धौलपुर
54.	बरौली	बसेड़ी	धौलपुर
55.	नेठराना	भादरा	श्रीगंगानगर
56.	फफेना	नोहर	श्रीगंगानगर
57.	हुक्मावाद	सांगरिया	श्रीगंगानगर
58.	चकजेड़-17	पीलीबंगा	श्रीगंगानगर
59.	चक महाराज का	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

Page No 189

(189)

1	2	3	4
60.	लखुवाली	रावतसर	श्रीगंगानगर
61.	मांधी	जमवारामगढ़	जयपुर
62.	धानोता	साहपुरा	जयपुर
63.	मानपुर माचेडी	आमेर	जयपुर
64.	कल्याणपुरा	कोटपुतली	जयपुर
65.	रामदेवरा	पोकरण	जैसलमेर
66.	रामगढ़	साम	जैसलमेर
67.	करडा	रानीवाड़ा	जालौर
68.	खेतडा	सायला	जालौर
69.	पादरली	आहोर	जालौर
70.	सारोला कला	खानपुर	झालावाड़
71.	खेतरावा	शेरगढ़	जोधपुर
72.	बारा कलां	आसिर्मा	जोधपुर
73.	लोरड़िया	फलौदी	जोधपुर
74	मकराना खान क्षेत्र	मकराना	नागौर
75.	मेड़ता रोड़	मेड़ता	नागौर
76.	आलनिया वास	डेगाना	नागौर
77.	बल्दू	लाडनूं	नागौर
78.	हरियामाली	सोजत	पाली
79.	जोझावर	खारची	पाली
80.	नारलाई	देसूरी	पाली
81.	मेहन्दीपुर बालाजी	टोडाभीम	सवाईमाधोपुर
82.	महस्वा	टोडाभीम	सवाईमाधोपुर
83.	साथा	महुआ	सवाईमाधोपुर
84.	बालाहेड़ी	महुआ	सवाईमाधोपुर
85.	रसीदपुर	महुआ	सवाईमाधोपुर
86.	महु इब्राहीमपुर	हिण्डौन	सवाईमाधोपुर
87.	कोट	महुआ	सवाईमाधोपुर
88.	मेहरोली	श्रीमाधोपुर	सीकर
89.	धांद	धोंद	सीकर
90.	घुंआकला	देवली	टोंक
91.	नासरदा	देवली	टोंक
92.	भवराणा	सलूम्बर	उदयपुर

Page No 190

1	2	3	4
93.	पीपली अहिरान	रेलमगरा	उदयपुर
94.	साकरोदा	मावली	उदयपुर
95.	सगतड़ा	सराड़ा	उदयपुर
96.	गठबोर	कुम्भलगढ़	उदयपुर
97.	तंवरी	सिरोही	सिरोही

वर्ष 1980–81 में जनवरी 81 तक स्वीकृत 86 आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी औषधालयों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	नाम स्थान	पं.स./तहसील	जिला	चिकित्सा पद्धति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मांगलियावास	पीसांगन/अजमेर	अजमेर	आयुर्वेद	
2.	ढाणी पुरोहितान	किशनगढ़/किशनगढ़	अजमेर	आयुर्वेद	एस.सी.पी.
3.	आलोली	केकड़ी/केकड़ी	अजमेर	आयुर्वेद	
4.	मंडोडी	अलवर	अलवर	आयुर्वेद	
5.	कठूमर	कठूमर	अलवर	आयुर्वेद	
6.	हरिजन बस्ती अलवर	नगर परिषद्	अलवर	होम्यो.	एस.सी.पी.
7.	होलावास (बानसुर)	अलवर	अलवर	आयुर्वेद	
8.	भेडवा	धोरीमन्ना/गुढ़ामलानी	बाड़मेर	आयुर्वेद	
9.	वतीनी	शिव	बाड़मेर	यूनानी	
10.	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
11.	लोलेड़ा व्यासान	तालेड़ा/बून्दी	बून्दी	आयुर्वेद	
12.	सोली	तालेडा/बून्दी	बून्दी	होम्यो.	
13.	रामपुरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
14.	उल्लाई	सहाड़ा	,,	,,	
15.	मुंशी	बनेड़ा	,,	,,	
16.	संरसियां	जहाजपुर	,,	,,	
17.	डावला	बनेड़ा	,,	,,	
18.	चोड़खेडा	सहाड़ा	,,	,,	
19.	पावण्डियां	मांडल	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
20.	पालरा	रामपुर	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
21.	हरिजन बस्ती, बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	होम्यो. जिला मुख्यालय	एस.सी.पी.
22.	मदनपुर	बयाना	भरतपुर	आयुर्वेद	
23.	इब्राहिमपुर	रूपबास	,,	,,	
24.	बैर	बैर	,,	,,	
25.	थानाडांग	बयाना	,,	,,	
26.	रावल	बाडी	,,	,,	एस.सी.पी.
27.	फलछेड़ा	नदबई	,,	,,	,,
28.	सिरस	बैर	,,	,,	
39.	उहलु	बैर	,,	,,	
30.	मैनापुरा	बैर	,,	,,	
31.	मुखेना	बैर	,,	,,	
32.	ईडरा	बड़ीसादड़ी	चित्तौड़गढ़	,,	
33.	आजोल्यां का खेड़ा	गंगरार	,,	,,	
34.	रावडरा	बेगू	,,	,,	
35.	गादोली	निम्बाहेड़ा	,,	,,	
36.	चित्तौड़गढ़	चित्तौडगढ़	,,	होम्यो. जिला मुख्यालय	
37.	रामगढ़	प्रतापगढ़	,,	आयुर्वेद जन जाति क्षेत्र	
38.	तेहनादेसर	राजगढ़	चूरू	,,	
39.	तेनदेसर	सुजानगढ़	,,	,,	
40.	चूरू	चूरू	,,	होम्यो. जिला मुख्यालय	
41.	राईपांवाली	पीलीबंगा	श्रीगंगानगर	आयुर्वेद	
42.	संगतपुरा	वशारीसिंहपुर	,,	,,	
43.	इन्दिरा कालोनी	श्री गंगानगर	,,	,,	
44.	जाटावाली	गोबिन्दगढ़	जयपुर 'अ'	होम्यो.	
45.	सोडाला	जयपुर	(बी)	,,	
46.	सीनहा	लालसोट	,, ,,	आयुर्वेद	
47.	रोजबाड़ी	बस्सी	,, ,,	,,	
48.	निहालपाड़ा	सिकराय	,, ,,	,,	एस.सी.पी.
49.	लांगड़ियावास	जमवारामगढ़	,, (अ)	,,	
50.	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	होम्यो. जिला मुख्यालय	

1	2	3	4	5	6
51.	जालौर	जालौर	जालौर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
52.	करवाड़	रानीवाड़ा	,,	आयुर्वेद	,,
53.	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	होम्यो.	जिला मुख्यालय
54.	ल्हास	मनोहरथाना	,,	आयुर्वेद	
55.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	झुन्झुनू	होम्यो.	जिला मुख्यालय
56.	पंचलंगी	उदयपुरवाटी	,,	आयुर्वेद	
57.	काजड़ा	चिड़ावा	,,	,,	
58.	खेतपुरा	झुन्झुनू	,,	,,	
59.	लाघूसर	मण्डावा/झुन्झुनू	,,	,,	
60.	रातेड़ा	लाडपुरा	कोटा	,,	एस.सी.पी.
61.	राजपुर	शाहबाद	,,	,,	
62.	खीमच	रामगंजमण्डी	,	,,	
63.	राई	छबड़ा	,,	,,	एस.सी.पी.
64.	गुलजारपाड़ा	जोधपुर	जोधपुर	यूनानी	
65.	नागौर	नागौर	नागौर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
66.	गोठमांगलोद	जायला	,,	आयुर्वेद	राज्याधीन लेना है (दधिमति धर्मार्थ औषधालय
67.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
68.	कुरेड़ी	खण्डार	,,	आयुर्वेद	एस. सी. पी.
69.	मीना की नांगल	नीम का थाना	सीकर	आयुर्वेद	
70.	सिरोही	सिरोही	सिरोही	होम्यो.	जिला मुख्यालय
71.	दोहितरा	आबूरोड	,,	आयुर्वेद	ज. जा. क्षेत्र
72.	टौंक	टौंक	टौंक	होम्यो.	जिला मुख्यालय
73.	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	होम्यो.	,, ,,
74.	पोलाधर	सराड़ा	,,	आयुर्वेद	ज. जा. क्षेत्र
75.	पोपाली	खैरवाड़ा	,,	,,	,,
76.	टैंकण	धरियावाद	,,	,,	,,
77.	चन्दनवास	झाड़ोल	,,	,,	,,
78.	मुन्डिया	निवाई	टौंक	,,	,,
79.	देवसोमनाथ	डूंगरपुर	डूंगरपुर	,,	,,
80.	माथा	सांगबाड़ा	,,	,,	,,
81.	बासियां	डूंगरपुर	,,	,,	,,

Page No 193

1	2	3	4	5	6
82.	भेवड़ी	आसपुर	डूंगरपुर	आयुर्वेद	ज.जा. क्षे
83.	सुन्दनपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	,,
84	बडाना	घाटोल	,,	,,	,,
85.	बड़वा	बांगीडोरा	,,	,,	,,
86.	मूंदड़ी	कुशलगढ़	,,	,,	,,

परिशिष्ट – 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जहरीली शराब से मृत्यु

72 श्री माधूसिंह (बांदीकुई): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पूर्ण नशाबन्दी होने की तिथि से अब तक राज्य में कुल कितने लोग जहरीली शराब पीने से मारे गये व सरकार ने ऐसे वाकिये रोकने के बारे में क्या प्रयास किये ?

(2) 6 जून, 1980 से अब तक मद्य-पान के कुल कितने परमिट दिये गये ? 6 जून, 1980 के पश्चात् कितनी दुकानों को सुरा बेचने के परमिट दिये गए ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छः। गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध तुरन्त कारगर कार्यवाही की जाती है और अवैध शराब की रोकथाम के लिये सतर्कता बरती जाती है।

(2) 87,799।

6 जून, 1980 के पश्चात् भारत निर्मित विदेशी मदिरा रिटेल ऑफ के 82 तथा देशी मदिरा के 381 लाइसेंस दिये गये हैं।

जनजाति उप योजना क्षेत्रों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

73. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्रों में कब से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास नये व्यवसाय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में निम्नलिखित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उनके सम्मुख अंकित वर्षों से चल रहे हैं:–

1. बांसवाड़ा, जून 1976
2. डूंगरपुर, जुलाई 1979
3. प्रतापगढ़, जुलाई 1979
4. आबूरोड, सितम्बर 1980

(2) फिलहाल ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं किन्तु आवश्यकता पड़ने पर नये व्यवसाय खोलने पर विचार किया जा सकता है।

सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, मांगरोल (कोटा) के विरुद्ध शिकायत

74. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल थाना जिला कोटा के सहायक उप निरीक्षक

(श्री हीरालाल आर्य)

पुलिस, श्री हिम्मतसिंह द्वारा श्री पन्नालाल तथा श्री जगदीश खटीक निवासी मांगरोल को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 151 के अधीन बिना कारण बन्द कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि श्री. नन्द किशोर खटीक निवासी मांगरोल से इन्हीं सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने उक्त मामले में रुपये मांगे तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति के उक्त व्यक्तियों ने इस घटना की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

(4) क्या सरकार इस तरह नाजायज परेशान करने वाले उक्त अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । गोवर्धन पुत्र पन्नालाल रंगर को इन व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने एवं तत्काल जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

(2) रुपये मांगने एवं अभद्र व्यवहार करने के बारे में जांच जारी है।

(3) जी नहीं । आरोपों की जांच जारी है।

(4) जांचोपरान्त कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।

पोटास के भंडारों का उपयोग

75. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या चूरू और बीकानेर जिलों में पोटास के भंडारों का पता चला है ?

(2) यदि हां, तो यह भण्डार कितने विशाल हैं और किन-किन स्थानों पर पाये गये हैं ?

(3) क्या इन भंडारों की खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

(4) इन भण्डारों के उपयोग के लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । चूरू और बीकानेर जिलों में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण में सेंधा नमक के साथ सूक्ष्म मात्रा में 275 मीटर से 600 मीटर की गहराई के बीच में पोटास खनिज के भी संकेत मिले हैं।

(2) यह सही है कि उक्त सर्वेक्षण द्वारा सालासर (चूरू) इन्सेरा (बीकानेर) आदि स्थानों में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेंधा नमक (Rauc salt) के भंडारों के साथ पोटास की कुछ परतें पाई गई हैं जिसमें पोटास की मात्रा केवल 8% है। अब तक पोटास खनिज के खनन हेतु उपयोगी भंडार नहीं मिले हैं।

(3) जी नहीं। इस क्षेत्र में पोटास की खोज भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जारी है। उचित मात्रा तथा उपर्युक्त क्षेत्रों के पोटास के भंडार मिलने पर ही खुदाई का कार्य सम्भव हो सकेगा।

(खनिज मंत्री)

(4) उचित मात्रा तथा श्रेणी के पोटास भंडारों का पता लगाने के बाद ही योजना बनाना सम्भव हो सकेगा ।

जिला झुन्झुनू में राजकीय महाविद्यालय

76. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनू में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जिला झुन्झुनू में जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

राज्य में विनिर्मित कानून

77. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करोली): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) सन् 1949 से वृहत्तर राजस्थान के निर्माण से लेकर अब तक कुल कितने कानून राज्य में बनाये गये ?

(2) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण से पूर्व राजस्थान में कितने कानून राज्य भर में प्रचलित थे ?

(3) राज्य सरकार ने कभी इस पहलू पर भी विचार किया है कि कानूनों की बहुतायत से सरकारी सेवाओं पर अधिक खर्च होता है और व्यक्ति और समाज के स्वतंत्र व्यवहार में बहुत बड़ी बाधा पहुंचती है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वृहत्तर राजस्थान का निर्माण सन् 1949 में हुआ। सन् 1949 से 1980 तक बनाये गये अधिनियम की कुल संख्या 851 है।

(2) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण के पूर्व राजस्थान में कुल 95 कानून राज्य भर में प्रचलित थे।

(3) कानून व्यक्ति व समाज की सुरक्षा व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाये जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक खर्चा सरकारी सेवाओं पर किया जाना अनिवार्य होता है। सामाजिक सुरक्षा व न्याय के लिये व्यक्ति और समाज के स्वतन्त्र व्यवहार पर उचित नियंत्रण लगाना आवश्यक होता है।

विधायक नगर में चिकित्सा सुविधा

78. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) जयपुर में विधायक नगर नाम की कॉलोनी में कितने विधायक परिवार रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उनके लिये वहां कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(3) क्या उक्त क्षेत्र के लिये डिस्पेन्सरी की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो कब तक खोल दी जावेगी? नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधायक नगर में 50 विधायक परिवारों के निवास की व्यवस्था है।

(2) इस समय विधायक नगर के पास सचिवालय तथा गांधीनगर में एक एक डिस्पेन्सरी है।

(3) जी हां। दिनांक 2/2/81 को एक डिस्पेन्सरी ज्योति नगर के नाम से स्वीकृत हो चुकी है जिसे शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री

79. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री को उसकी समस्त देनदारियों सहित वापस लेने का राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था?

(2) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजने को कहा है? यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक भेज दिया जायगा? यदि नहीं, तो इस फैक्ट्री को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने में विलम्ब क्यों हो रहा है?

(3) इस फैक्ट्री के सम्बन्ध में राज्य सरकार निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने की सोच रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) भारत सरकार को बराबर स्मरण करवाया जाता रहा है।

ग्राम शिवाड (सवाई माधोपुर) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का स्टाफ

80. श्री चुन्नी लाल (खण्डार): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम शिवाड़, तहसील सवाई माधोपुर के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को क्रमोन्नत कर डिस्पेन्सरी बना दिया गया है? यदि हां, तो इस प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के स्टाफ का क्या हुआ?

(2) क्या सरकार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ को ग्राम सारसोद में सब-सेन्टर खोल कर वहां स्थानान्तरण करना चाहती है? यदि हां, तो यह कब तक हो जायगा? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम शिवाड में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र न होकर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र है तथा एक उप केन्द्र है जो इसी स्थिति में कार्यरत है?

(2) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

टोंक और निवाई के चिकित्सालयों की क्रमोन्नति

82. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या टोंक के सआदत अस्पताल और निवाई के राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वित्तीय प्रावधान के अभाव में।

थाना अकलेरा में गिरफ्तार अभियुक्त की मृत्यु

83. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सत्य है कि अकलेरा थाने में श्री धन्ना पुत्र श्री बलदेवा मीणा की मृत्यु हो गई थी ?

(2) क्या गिरफ्तारी के समय उसका मेडिकल चैकअप कराया गया था ?

(3) उसे किस समय गिरफ्तार किया गया तथा उसकी मृत्यु कब हुई ?

(4) श्री धन्ना को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था ?

(5) क्या दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) श्री धन्ना की मृत्यु अस्पताल में हुई थी।

(2) जी, नहीं।

(3) उसे दिनांक 30-1-81 को सायंकाल 5.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। उसकी मृत्यु दिनांक 31-1-81 को 3.30 बजे सायंकाल अस्पताल में हुई थी।

(4) उसके विरुद्ध धारा 110 जा. फौ. का इस्तगासा प्रस्तुत करने हेतु उसे धारा 41(2) जा. फौ. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

(5) एस. डी. एम. अकलेरा की जांच प्राप्त होने पर यदि किसी अधिकारी को दोषी होना पाया गया तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का चालान

84. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों का ओवर लोड चलने के कारण चालान हुआ ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) कितने चालानों का अदालत द्वारा फैसला सुना दिया गया है एवं निगम ने कितनी राशि जुर्माने के रूप में अदा की है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 की अवधि में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 399 वाहनों का ओवर लोड चलने के कारण चालान किया गया। वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन मामलों में से 319 मामलों में अदालत द्वारा फैसला सुना दिया गया है और निगम ने इस संदर्भ में 30592.20 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में अदा की। वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

198

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न संख्या 84 की सूची

1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 की अवधि में निगम की वाहनों के ओवर लोडिंग के चालानों की सूची

क्र.सं.	आगार का नाम	ओवरलोड के चालानों की संख्या	अदालत द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	ओवरलोड के चालान न्यायालय में विचाराधीन	योग	जुर्माना की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
जयपुर संभाग						
1.	हिण्डौन	6	–	6	6	–
2.	द्रुतगामी	–	–	–	–	–
3.	जयपुर	5	5	–	5	880.00
4.	नगर वाहन सेवा	–	–	–	–	–
5.	उप नगरीय आगार	3	3	–	3	559.00
सीकर संभाग						
6.	सीकर	10	6	4	10	580.00
7.	खेतड़ी	–	–	–	–	–
8.	झुंझुनू	–	–	–	–	..
अलवर संभाग						
9.	अलवर	22	19	3	22	2770.00
10.	भरतपुर	6	4	2	6	200.00
11.	धौलपुर	4	4	–	4	170.00
12.	कोटपूतली	–	–	–	–	–
उदयपुर संभाग						
13.	उदयपुर	35	14	21	35	730.00
14.	चित्तौड़गढ़	118	118	–	118	14843.00
15.	बांसवाड़ा	24	18	6	24	718.80
16.	डूंगरपुर	18	18	–	18	1800.00

Page No 201

(199)

1	2	3	4	5	6	7
जोधपुर संभाग						
17.	जोधपुर	4	4	–	4	200.00
18.	सिरोही	11	8	3	11	412.00
19.	जालौर	8	8	–	8	402.00
20.	फलौदी	9	9	–	9	395.00
21.	आबूरोड	–	–	–	–	–
22.	बाड़मेर	14	8	6	14	428.00
बीकानेर संभाग						
23.	बीकानेर	8	8	–	8	820.00
24.	सरदार शहर					
25.	हनुमानगढ़	(चारों आगारों की सम्मिलित सूचना)				
26.	गंगानगर					
कोटा संभाग						
27.	कोटा	8	4	4	8	290.00
28.	टोंक	1	1	–	1	30.00
29.	बून्दी	3	1	2	3	50.00
30.	झालावाड़	2	2	–	2	100.00
अजमेर संभाग						
31.	अजमेर	9	9	–	9	625.00
32.	ब्यावर	5	5	–	5	135.00
33.	भीलवाड़ा	46	31	15	46	2825.00
34.	नागौर	20	12	8	20	629.30
		399	319	80	399	30592.10

सिनेमा गृह

85. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गुजरात, कर्नाटक, मद्रास आदि प्रान्तों की तुलना में राज्य में सिनेमा गृहों की संख्या अत्यन्त कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार सिनेमा गृहों के निर्माण के लिये क्या-क्या रियायतें देने का विचार रखती है ?

(3) क्या राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से सिनेमा गृहों के निर्माण के लिए ऋण देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार समाज के कमजोर तबकों के लिए सस्ती दर वाले सिनेमा गृहों के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या प्रस्तावित सस्ती दर वाले सिनेमा घरों को कम से कम प्रथम 5 वर्ष तक मनोरंजन कर से मुक्त रखने का प्रावधान रखा जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) सस्ती दरों पर चलने वाले सिनेमा गृहों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या सरकार सस्ती दर पर भूमि एवं ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 30-9-80 तक सिनेमा गृहों की संख्या 225 थी।

(2) गुजरात, कर्नाटक, मद्रास आदि प्रान्तों के सिनेमा गृहों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जी, नहीं।

(3) जी नहीं। सिर्फ वित्त निगम इण्डस्ट्रीज को ऋण देती है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, नहीं। सिनेमा के लिये भूमि नीलामी द्वारा बेची जाती है और इस कीमत का प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ही लीज मनी लिया जाता है।

नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा अवाप्त मकानों के मालिकों को मुआवजा

86. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा दक्षिण बीड़ा खांजापीर (किशनपोल) में सड़क का निर्माण किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह सड़क गत कई वर्षों से विचाराधीन थी और गत वर्ष कुछ कार्य होकर, अब इस पर कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इस सड़क निर्माण में इस क्षेत्र के व्यक्तियों के कुछ मकान भी अवाप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भैरूंलाल मीणा)

(4) क्या यह भी सही है कि इन मकान मालिकों को न तो भवन के एवज में मुआवजा दिया गया है, न ही उन्हें भूमि के बदले भूमि दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इन लोगों को भवन का मुआवजा व उसी क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि दे दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, इस सड़क के बीच आ रहे कुछ मकानों के अवाप्त न होने के कारण निर्माण कार्य बन्द है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बीकानेर में राहत कार्य

87. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के 25 जिलों को अकाल-ग्रस्त घोषित करने के उपरान्त भी ग्रामीणों को राहत, मजदूरी देने हेतु नियमित अकाल राहत कार्य क्यों नहीं खोले गए ?

(2) अकाल–ग्रस्त क्षेत्रों में से मुख्य मंत्री जी ने अब तक कितने जिलों में अकाल की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से दौरे किए हैं ?

(3) बीकानेर जिले में अलग-अलग तहसीलवार कितनी कितनी राशि राहत कार्यों हेतु स्वीकृत की गई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) बीकानेर जिले के लिए राज्य सरकार की अकाल राहत हेतु कितनी राशि स्वीकृत करने की योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने समस्त 26 जिलों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार ने लगभग 74 करोड़ रुपयों के ऊपर की लागत के 2065 राहत कार्य खोले हैं।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अकाल की स्थिति का जायजा लेने के लिये जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर जिलों का दौरा किया तथा समय समय पर जिलाधीशों का सम्मेलन बुलाकर भी अकाल की स्थिति का जायजा लिया।

(3) बीकानेर जिले में अलग अलग कितनी राशि के राहत कार्य मंजूर किये गये, तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(4) राज्य सरकार ने मजदूरों की उच्चतम सीमा हटा दी है। अतः मजदूर और आने पर जैसे जैसे नये कार्यों को खोलने की आवश्यकता होगी तो जिलाधीश से प्रस्ताव आने पर और अधिक राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार कर दिया जावेगा।

(202)

तहसीलवार राहत कार्यों एवं स्वीकृत धनराशि की सूची।

क्र.सं.	नाम तहसील	कार्यों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1.	कोलायत	56	1,06,56,632
2.	नोखा	81	83,67,686
3.	बीकानेर	98	72,03,084
4.	लूणकरणसर	74	64,41,270
	योग :	317	2,26,68,672

केरोसिन का कोटा

88. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केरोसिन का कोटा राज्य को आबादी के अनुपात में सीमित ही प्राप्त होता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कोटा बढ़ाने के लिये क्या-क्या कदम समय-समय पर लिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखकर, विशेषकर केरोसिन, डीजल की मात्रा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर केन्द्र सरकार पर दबाव डालती रही है और केन्द्र ने भी कोई विशेष कोटा देने में ढिलाई बरती है ? यदि हां, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) व (2) जी हां, राज्य की आवश्यकता 33,000 किलो लीटर केरोसिन की प्रति माह है जिसके विपरीत राज्य को 11000 से 14000 किलो लीटर केरोसीन ही प्राप्त होता है। राज्य सरकार ने वितन्तु सन्देश दिनांक 27–10–80, 30–10–80, 4–11–80, 11–11–80, 15–11–80, 30–12–80, 8–1–81, 15–1–81 एवं 12–2–81 द्वारा भारत सरकार को केरोसीन का कोटा बढ़ाने का निवेदन किया है। पैट्रोलियम उत्पादों (पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स) की देशव्यापी कमी को देखते हुए भारत सरकार का रुख असहानुभूति पूर्ण नहीं है। सारे देश में पैट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धि को देखते हुये ही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की सहायता करती है।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 की सूचना

1 जनवरी, 80 से 1-2-81 तक अजमेर जिले में घटित डकैती, लूट व चोरी के अपराधों का विवरण ।

क्र.सं.	अभियोग	दर्ज हुए	अदम बकुआ	157 जा.फौ., में बन्द	अदम पता	अदम सबूत	पेंडिंग तफतीश	चालान	कारण अभियोग पेंडिंग रहने का	सजा	बरी	राजीनामा	पेंडिंग कोर्ट	नहीं पकड़े गये अभियुक्तों की संख्या
1.	डकैती	2	–	–	–	–	2	–	मुलजिमान की तलाश जारी है	–	–	–	–	2
2.	लूट	42	8	–	6	1	7	20	मुलजिमान की तलाश जारी है	1	–	–	19	11
3.	चोरी	1081	95	5	533	4	112	332	मुलजिमान की तलाश जारी है	22	3	4	303	645

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची व वितरण-पत्र
राजस्थान वित्त निगम

बीकानेर जिले की औद्योगिक इकाइयों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण एवं वितरण-पत्र (संस्थापन) 1955 से 31 जनवरी, 1981

क्रम सं.	औद्योगिक इकाइयों का नाम	स्वीकृत ऋण	ऋण वितरण
1	2	3	4
1.	मै. श्री गणपति वूलन मिल्स	5,00,000	4,58,000
2.	मै. छालानी वूलन मिल्स	3,80,000	2,75,800
3.	मै. फ्रैण्डस वूलन इण्डस्ट्रीज	4,30,000	4,08,500
4.	मै. आटो पाइन्डस	2,50,000	1,93,100
5.	मै. पैरामाउन्ट आइस फैक्ट्री, बीकानेर	3,35,000	3,33,500
6.	मै. सूरज इंडस्ट्रीज, बीकानेर	4,40,000	3,50,000
7.	मै. अग्रवाल वूलन मिल्स	4,50,000	3,91,700
8.	मै. कमल कारपेट्स, बीकानेर	10,90,000	5,94,000
9.	मै. जे की वूलन इंडस्ट्रीज, बीकानेर	9,00,000	9,00,000
10.	मै. जनता कार्डिंग एंड स्पिनिंग इंडस्ट्रीज	4,86,000	4,68,000
11.	श्री श्याम दाल एंड आयल मिल	4,68,000	2,77,300
12.	मै. कृष्णा दाल एण्ड फ्लोर मिल	2,00,000	2,00,000
13.	मै. गोयल गम इंडस्ट्रीज, बीकानेर	4,75,000	4,24,000
14.	मै. जनरल इंडस्ट्रीज, बीकानेर	4,10,000	3,50,000
15.	मै. ओझा वूलन मिल्स, बीकानेर	7,75,000	7,06,000
16.	मै. श्री हनुमान गम इंडस्ट्रीज, नोखा	3,00,000	2,76,400
17.	मै. झम्बेश्वर दाल एंड आयल मिल, नोखा	2,00,000	2,00,000
18.	मै. अलाइड फाइबर्स एण्ड टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज	5,00,000	3,40,600
19.	मै. सारा टेनरीज	6,70,000	4,46,500
20.	मै. भारत दूत प्रिंटिंग प्रेस	36,000	36,000
21.	मै. राजस्थान आइस फैक्ट्री	3,50,000	3,38,200
22.	मै. सुराना वूलन टैक्सटाइल्स	6,10,000	3,64,200
23.	मै. सासवानी वूलन मिल्स	1,94,000	1,37,600

1	2	3	4
24.	मै. चित्रा प्राइस फैक्ट्री एण्ड कोल्ड स्टोरेज	11,73,000	4,99,000
25.	मै. दुर्गा काटन इंडस्ट्रीज	4,70,000	3,38,200
26.	मै. डागा उद्योग	2,75,000	1,99,000
27.	मै. चांडक गम एंड केमिकल इंडस्ट्रीज	12,40,000	5,69,000
28.	मै. दूदी गम एंड दाल इंडस्ट्रीज	4,30,000	2,51,000
29.	मै. जुगल किशोर गम इंडस्ट्रीज	5,07,000	3,93,200
30.	मै. श्री लक्ष्मी ग्रायल एंड ग्राइस मिल्स	3,75,000	54,000
31.	मै. नोखा केबल इंडस्ट्रीज	2,64,000	2,06,100
32.	मै. श्रीराम सीमेंट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज	10,00,000	2,61,000
33.	मै. किसान गम इंडस्ट्रीज	4,35,000	2,00,000
34.	मै. रूरल स्पन पाइप फैक्ट्री	4,00,000	–
35.	मै. मोहिनी केमिकल एण्ड मिनरल इंडस्ट्रीज	4,00,000	–
36.	मै. दुर्गा गम ग्वार फैक्ट्री	7,25,000	–
37.	मै. श्री लोहुत ग्रायल मिल, नोखा	2,30,000	–
38.	मै. श्री प्रमोद गम इंडस्ट्रीज	10,00,000	–
39.	मै. हरियाणा होटल	8,85,000	–
40.	मै. होटल जोशी	9,24,000	–
41.	मै. श्री अशोक कुमार मूंदड़ा	91,000	91,000
42.	मै. श्री सांवल दान	85,000	75,400
43.	श्री दया कृष्ण अग्रवाल	87,000	87,000
44.	श्री जेठा राम	90,000	80,000
45.	श्री ओम प्रकाश आहूजा	90,000	90,000
46.	श्री केदार लाल भाटर	93,000	82,000
47.	श्री जगराम जाट	74,000	74,000
48.	श्री विमल कुमार बागड़ी	94,000	93,200
49.	श्री खुशी राम आहूजा	89,500	89,500
50.	श्री मोहन लाल शर्मा	1,44,500	1,37,000
51.	श्री काश्मीरी लाल नागपाल	1,52,000	1,52,000
52.	श्री दुर्गाराम	1,28,000	--
53.	श्री प्रभुदयाल	1,28,000	--
54.	श्री राम कुमार डागा	1,38,000	—
55.	मै. ए. आर. इंडस्ट्रीज	42,000	28,800
56.	मै. हिमालया आप्टीकल इंडस्ट्रीज	91,000	86,500

Page No 208

(208)

1	2	3	4
57.	मै. अग्रवाल साल्ट कम्पनी	2,00,000	1,36,700
58.	मै. गुप्ता नेल इण्डस्ट्रीज	1,00,000	82,000
59.	मै. अमरदीप उद्योग	1,50,000	88,400
60.	मै. राजस्थान पेपर बैग इण्डस्ट्रीज	38,000	37,200
61.	मै. जयश्री इण्डस्ट्रीज	75,000	4,250
62.	मै. अशोका वूलन मिल्स	1,50,000	1,23,700
63.	मै. सत्यप्रकाश एंड कम्पनी	26,000	26,000
64.	मैं. नागार्जुन रसाला	85,000	2,200
65.	मै. सत्यराज एंड कम्पनी	75,000	25,400
66.	मै. मोहनी वूलन टैक्सटाइल्स	1,37,000	1,28,000
67.	मै. मोदी कन्फेक्शनरी बिस्किट्स एंड ब्रेड इण्डस्ट्रीज	38,000	28,100
68.	मै. वर्द्धमान इण्डस्ट्रीज	2,31,000	2,09,300
69.	मै. कमल प्रिंटिंग प्रेस	17,000	15,500
70.	मै. अग्रवाल उद्योग	25,000	11,400
71.	मै. गायत्री पोलीकेम	1,20,000	1,15,000
72.	मै. हनुमान होजरी	18,000	13,000
73.	मै. इन्द्र केमिकल इण्डस्ट्रीज	95,000	90,000
74.	मै. भाटिया टायर रिट्रेडिंग कम्पनी	12,000	11,400
75.	मै. नवभारत केमिकल्स	50,000	19,000
76.	मै. नार्थ इण्डिया केबल	1,25,000	81,900
77.	मै. श्रीराम दाल मिल्स	1,50,000	1,50,000
78.	मै. लूनकरणसर प्लास्टर वर्क्स	1,50,000	30,800
79.	मै. सीके प्लास्टर एंड केमिकल इण्डस्ट्रीज	1,00,000	58,300
80.	मै. त्रिमूर्ति फार्मेसी	65,000	43,000
81.	मै. हनुमान जोशी एण्ड कम्पनी	25,000	21,300
82.	मै. प्रशांत प्रोडक्ट्स	57,000	55,500
83.	मै. राजस्थान चिलिंग प्लांट्स	20,000	20,000
84.	मै. राजस्थान फोटो स्टेट सेन्टर	17,000	13,200
85.	मै. सुप्रीम आइसक्रीम	47,000	44,000
86.	मै. महावीर दाल मिल	99,000	98,500
87.	मै. चौधरी रिपीट इण्डस्ट्रीज	1,20,500	1,13,200
88.	मै. अरविन्द ब्लॉक एनग्रेव्स	25,000	25,000

1	2	3	4
89.	मै. गोना एंटरप्राइजेज	14,000	13,000
90.	मै. लाइफ टाइम एसी प्रोडक्ट्स	25,000	25,000
91.	मै. पलाना आयल मिल	22,000	18,700
92.	मै. मोहन प्रिन्टिंग प्रेस	15,000	9,600
93.	मै. वी. आर एन्टरप्राइजेज	14,000	13,200
94.	मै. इंडियन कनफेक्शनरी	65,000	54,800
95.	मै. सोहन लाल एंड संस	15,000	14,000
96.	मै. माहेश्वरी इंडस्ट्रीज	25,000	22,000
97.	मै. मित्तल स्टूडियो	16,000	16,000
98.	मै. शिवा कारपेट्स	12,000	6,100
99.	मै. करणी कारपेट्स	21,000	12,000
100.	मै. मोहन वेल्डिंग	25,000	25,000
101.	मै. तुलसी आयल एंड फ्लोर मिल	24,000	19,800
102.	मै. सिम्पल टाइल इंडस्ट्रीज	1,39,000	93,200
103.	मै. अरोरा फ्लोर एंड जनरल मिल्स	10,000	10,000
104.	मै. शान्ति केमिकल्स इंडस्ट्रीज	12,000	8,700
105.	मै. राजस्थान प्रिन्टर्स	62,000	41,600
106.	मै. मधुसूदन इंजीनियरिंग वर्क्स	1,55,000	1,08,200
107.	मै. अशोका प्रिन्टर्स	16,000	11,100
108.	मै. सारिका निटिंग वर्क्स	25,000	8,600
109.	मै. गोलानी डाइंग वर्क्स	1,28,000	24,800
110.	मै. पेड़वाल फ्लोर एंड आयल मिल	16,000	6,300
111.	मै. सीता ट्रेडिंग कम्पनी	1 90,000	88,900
112.	मै. हनुमान आयल एंड फ्लोर मिल	50,000	47,900
113.	मै. अशोका फोटो स्टेट	15,000	15,000
114.	मै. रंजीत मार्बल	25,000	25,000
115.	मै. लीलाधर अशोक कुमार	40,000	33,900
116.	मै. कन्हैया वेल्डिंग वर्क्स	24,000	19,900
117.	मै. विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज	10,000	8,100
118.	मै. भगवती आइस कैन्डी	18,000	6,600
119.	मै. श्रीनारायण लेबोरेट्रीज	1,95,000	62,000
120.	मै. पारस आयल मिल	25,000	25,000
121.	मै. सेठीस स्वीट प्रोडक्ट्स	35,000	27,700

1	2	3	4
122.	मै. कांदरा आयल मिल्स	20,000	13,000
123.	मै. जी. जी. ब्रिक्स	24,000	19,500
124.	मै. कमल टायर रिट्रेडिंग कम्पनी	37,500	–
125.	मै. कावेरी फोटो कापीयर्स	25,000	–
126.	मै. अर्चना सेल कोरपोरेशन	25,000	–
127.	मै. मोहम्मद रमजान डबलरोटी	25,000	–
128.	मै. कृष्णा प्रिन्टर्स	17,000	–
129.	मै. दुर्गा आयल मिल्स	12,000	–
130.	मै. राजपुरोहित प्रिन्टिंग प्रेस	10,500	–
131.	मै. सविता फोटो स्टेट	15,000	–
132.	मै. जाजरा इंडस्ट्रीज	60,000	–
133.	मै. कृष्णा गृह उत्पादन केन्द्र	13,000	–
134.	मै. राजस्थान टिम्बर इंडस्ट्रीज	92,000	–
135.	मै. पूरन मल सत्यनारायण इंडस्ट्रीज	2,00,000	–
136.	मै. ओसवाल सीमेन्ट प्रोडक्ट्स	1,20,000	–
137.	मै. गहलोत फ्लोर मिल्स	15,000	–
138.	मै. गोरा केमिकल इंडस्ट्रीज	11,000	–
139.	मै. आदर्श टैक्सटाइल्स	2,00,000	–
140.	मै. इंडिया मेटल वर्क्स	95,000	–
141.	मै. जे.एस. मिनरल इंडस्ट्रीज	1,10,000	–
142.	मै. आनन्द प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	22,000	–
143.	मै. मुरली आइस एंड आइस केन्डी फैक्ट्री	22,000	–
144.	मै. नर्बदा पेकरस	15,000	–
145.	मै. करणी फ्लोर मिल्स	25,000	–
146.	मै. भारत आइरन वर्क्स	14,000	–
147.	मै. बीकानेर वूलन मिल्स	6,00,000	–
148.	मै. मरली दानसिहतल	97,000	–
149.	मै. दी ओरियंटल पराशियन कारपेटस	4,65,000	–
150.	मै. गनेश दाल मिल, रायसर	70,000	–
151.	मै. जैन दाल मिल्स	2,13,000	–
	कुल योग	2,95,94,500	1,55,81,850

(२८९)

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची

प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1980-81

क्र.सं.	जिला	बालक	बालिका	योग
1.	अजमेर	30	5	35
2.	अलवर	26	3	29
3.	भरतपुर	64	2	66
4.	जयपुर	55	—	55
5.	झुंझुनू	32	4	36
6.	सीकर	38	2	40
7.	सवाई माधोपुर	29	1	30
8.	टोंक	15	—	15
9.	बीकानेर	15	1	16
10.	चूरू	18	2	20
11.	गंगानगर	50	5	55
12.	बाड़मेर	59	2	61
13.	जैसलमेर	2	—	2
14.	जोधपुर	34	—	34
15.	जालौर	16	1	17
16.	सिरोही	8	—	8
17.	नागौर	37	1	38
18.	पाली	30	—	30
19.	कोटा	30	1	31
20.	बून्दी	13	—	13
21.	झालावाड़	6	—	6
22.	बांसवाड़ा	14	—	14
23.	भीलवाड़ा	34	3	37
24.	डूंगरपुर	22	—	22
25.	चित्तौड़गढ़	23	3	26
26.	उदयपुर	57	7	64
	योग :—	757	43	800

(210)

उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1980–81

क्र.सं.	जिला	बालक	बालिकायें	योग
1.	अजमेर	9	1	10
2.	अलवर	14	—	14
3.	भरतपुर	27	1	28
4.	जयपुर	20	2	22
5.	झुंझुनू	9	1	10
6.	सीकर	11	—	11
7.	सवाई माधोपुर	13	1	14
8.	टोंक	5	—	5
9.	बीकानेर	5	—	5
10.	चूरू	5	1	6
11.	गंगानगर	17	2	19
12.	बाड़मेर	7	—	7
13.	जैसलमेर	—	—	—
14.	जोधपुर	10	1	11
15.	जालौर	3	—	3
16.	सिरोही	4	—	4
17.	नागौर	13	2	15
18.	पाली	9	—	9
19.	कोटा	3	1	4
20.	बून्दी	3	—	3
21.	झालावाड़	3	—	3
22.	बांसवाड़ा	3	—	3
23.	भीलवाड़ा	10	—	10
24.	डूंगरपुर	5	—	5
25.	चित्तौड़गढ़	8	—	8
26.	उदयपुर	16	5	21
	योग :–	232	18	250

माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1980-81

क्र.सं.	जिला	बालक	बालिकायें	योग
1.	अजमेर	12	—	12
2.	अलवर	11	2	13
3.	भरतपुर	29	2	31
4.	जयपुर	25	1	26
5.	झुन्झुनू	13	—	13
6.	सीकर	9	—	9
7.	सवाई माधोपुर	14	—	14
8.	टोंक	4	—	4
9.	बीकानेर	3	1	4
10.	चूरू	8	—	8
11.	गंगानगर	14	—	14
12.	बाड़मेर	5	1	6
13.	जैसलमेर	—	—	—
14.	जोधपुर	8	1	9
15.	जालौर	4	1	5
16.	सिरोही	5	—	5
17.	नागौर	10	—	10
18.	पाली	7	—	7
19.	कोटा	6	—	6
20.	बून्दी	4	—	4
21.	झालावाड़	3	—	3
22.	बांसवाड़ा	5	1	6
23.	भीलवाड़ा	10	—	10
24.	डूंगरपुर	6	—	6
25.	चित्तौड़गढ़	7	—	7
26.	उदयपुर	18	2	20
	योग :-	240	12	252

(212)

सत्र 1980-81 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	जिला
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रावतभाटा	चित्तौड़गढ़
2.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शिवगंज	सिरोही

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

क.लि. पद के लिए साक्षात्कार आमंत्रित प्रत्याशियों की सूची :

क्र.सं.	नाम एवं घर का पता
1	2
1.	श्री श्याम बिहारी माथुर द्वारा ब्रज-बिहारीलाल, 155/15 कायस्थ मो. अजमेर।
2.	कु. शोभा राजानी पुत्री श्री प्रेम-राजानी, 119/35, पालबीचल, अजमेर।
3.	कु सदोरी द्वांदवानी झम्मूलाल, 180/20, देशवाली मो. अजमेर।
4.	श्रीमती मुन्नी सैनी द्वारा बिरधी चंद मोहरी, 151/27, गढीमाल्यान, जोंसगंज, अजमेर।
5.	कु. नंदा मूलचंदानी पुत्री श्री ठाकुर-दास, लोढा बिल्डिंग, पावर हाउस के पास, अजमेर
6.	कु. आसूदी लालवानी पुत्री श्री ठाकुर दास, 162/22, ऊसरी गेट, अजमेर।
7.	श्रीमती सुशीला माथुर, श्री नंदलाल माथुर, नीम चबूतरा, कायस्थ मोहल्ला, अजमेर।
8.	कु. बीना माथुर, श्री मोहन मुरारी, न्यू कायस्थ कॉलोनी, लोहागल रोड, अजमेर।
9.	श्री सुभाषचन्द्र जैन, श्री त्रिलोकचंद जैन, 19/98, ऊसरी गेट, अजमेर।
10.	कु. रजनीबाला मिश्रा, श्री शांति कुमार, 70/701, बारह कोठरी के सामने, नगरा, (अजमेर)।
11.	कु. दमयंती गुरबानी पुत्री हीरानन्द 332/18, खारी कुई, सतगुरु मोहल्ला, अजमेर।
12.	कु. फ्रीडा नोरीवना पुत्री हेरीसन स्टीफन, 1653(ए), कसारीनाडी, रेल्वे कॉलोनी, रामगंज, अजमेर।
13.	कु. जयंती कुमारी, श्री गोपाल दास लक्ष्मी पान भण्डार, मदनगंज किशन-गढ़।
14.	कु. शीला माथुर द्वारा श्री कैलाश नारायण माथुर, क्वाटर नं. 1668(ए), माल रोड, रेल्वे कॉलोनी, अजमेर।
15.	श्रीमती शिवरानी गौड पुत्री श्रीनारा-यण शर्मा, कुंज बिहारी चिकित्सालय, अजमेरी गेट, केकड़ी।
16.	श्रीमती नवलदेवी जैन, श्री माणकचंद जी बाकलीवाल का मकान, 31/15 पुरानी मण्डी, अजमेर।

क. लि. पद के लिए साक्षात्कार सूची में उपस्थित आशार्थियों की सूची :

क्र. सं.	नाम
1.	कु. मुन्नी सैनी
2.	कु. आसूदी लालवानी
3.	श्री सुभाष चन्द जैन
4.	कु. दमयंती गुरबानी
5.	कु. जयवंती कुमारी
6.	कु. फ्रीडा नोरीवना
7.	कु. रजनीबाला मिश्रा
8.	कु. सदोरी द्वान्दवानी
9.	कु. शीला माथुर
10.	कु. नन्दा मूलचंदानी
11.	श्रीमती शिवरानी गौड़
12.	श्रीमती नलदेवी जैन

क. लि. पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित आशार्थियों में से चयनित आशार्थियों की सूची :–

क्र. सं.	नाम
1.	कुमारी शीला माथुर।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची

कचरा कच्ची बस्ती में आवंटित भूखण्डों के आवंटियों की सूची

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	भू-खण्ड संख्या
1	2	3
1.	श्री कजोड़ पुत्र नरसिंहलाल	9
2.	श्री नारायण पुत्र छोटू	31
3.	श्री प्रभातीलाल पुत्र ग्यारसीलाल	28
4.	श्री सीताराम पुत्र कालूराम	27
5.	श्री रामसहाय पुत्र नानगराम	29
6.	श्री चुन्नीलाल पुत्र धन्नीराम	10
7.	श्री मूलचन्द पुत्र सुखलाल	36
8.	श्री मोहनसिंह पुत्र टेनीराम	37
9.	श्री रफीक अहमद पुत्र अहमद हुसैन	24
10.	श्री मानसिंह पुत्र कानसिंह	23
11.	श्री सूरजमल पुत्र कजोड़मल	32
12.	श्री भीमसेन पुत्र भांगीराम	47
13.	श्रीमती रहीमन पत्नी सुलतान	91
14.	श्री जुम्मा पुत्र अब्दुल्ला	44
15.	श्री नसीब पुत्र मोहम्मद खां	85
16.	श्री महबूब पुत्र कासिम	90
17.	श्री इब्राहिम पुत्र नबीबक्स	88
18.	श्री शकूर खां पुत्र मुकबूदीन	92
19.	श्री नाथूलाल पुत्र गोरीलाल	33
20.	श्रीमती जुम्मा विधवा मोहम्मद बक्श	74
21.	श्रीमती जन्नत पत्नी जहूर मोहम्मद	73
22.	श्री प्रतापसिंह पुत्र मेवा सिंह	48
23.	श्री अमरजीतसिंह पुत्र किशनसिंह	49
24.	श्री करमसिंह पुत्र बन्सतसिंह	50
25.	श्री बक्शीसिंह पुत्र रोड़ियासिंह	51
26.	श्री सीताराम पुत्र मांगीलाल	52
27.	श्री दुर्गासिंह पुत्र बक्शी सिंह	55

Page No 217

1	2	3
28.	श्रीमती बेगम पत्नी कालू खां	72
29.	श्री अब्दुल शकूर पुत्र रमजानी	71
30.	श्री पृथ्वीराज पुत्र मांगीलाल	54
31.	श्रीमती पांचीबाई पत्नी चांदमल	69
32.	श्री भोमसिंह पुत्र धन्नाराम	70
33.	श्री जवासिंह पुत्र बगासिंह	63
34.	श्री जालिमसिंह पुत्र प्रभात	77
35.	श्री अब्दुल अजीज पुत्र मोला बक्श	68
36.	श्री गुलाम शब्बीर पुत्र नूर मोहम्मद	67
37.	श्री त्रिलोकचन्द पुत्र केसरचन्द	64
38.	श्री गोरधनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह	57
39.	श्री प्यारसीलाल पुत्र नानूराम	60
40.	श्री रामकिशोर पुत्र गणेश	65
41.	श्री रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण	42
42.	श्री गोपाल पुत्र माधो	110
43.	श्री सूरज पुत्र रामदेव	96
44.	श्री रामू पुत्र हरदेव	108
45.	श्री पूरण पुत्र भागीरथ	96
46.	श्री मांगीलाल पुत्र भागीरथ	109
47.	श्री भजनसिंह पुत्र करतारसिंह	59
48.	श्री गुरुदयालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह	58
49.	श्री निजामुद्दीन पुत्र कमाल खां	106
50.	श्री भैरूराम पुत्र तेजा राम	105
51.	श्री मकसूद पुत्र नियाज मोहम्मद	102
52.	श्री भगवान सहाय पुत्र चिरंजीलाल	66
53.	श्री मोहम्मद यूसुफ पुत्र जमालुद्दीन	89
54.	श्री मोहम्मद अहशाम पुत्र जमालुद्दीन	87
55.	श्री किशनलाल पुत्र मूलचन्द	30
56.	श्री शरफुद्दीन पुत्र अमीर बक्श	21
57.	श्री रामधन पुत्र रामलाल	38
58.	श्री कालूराम पुत्र पेमा राम	111
59.	श्री सीताराम पुत्र मूल चन्द	53
60.	श्री चिरंजी लाल पुत्र राम प्रसाद	41

1	2	3
61.	श्री करतार सिंह पुत्र पूरण सिंह	62
62.	श्री हनुमान सहाय पुत्र मोहन लाल	94
63.	श्री गोपाल सिंह पुत्र कान सिंह	22
64.	श्री लुकमान पुत्र अमीर बक्श	20
65.	श्री बहादुर सिंह पुत्र बुद्ध सिंह	34
66.	श्रीमती दलजीत कौर पत्नी अमर सिंह	35
67.	श्री भूराराम पुत्र गणेश राम	39
68.	श्री रामधन पुत्र नारायण	40
69.	श्री गोपाल पुत्र मांगू	45
70.	श्री यामीन पुत्र सुभान	88
71.	श्री शम्भूलाल पुत्र लादूराम	95
72.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी बद्री प्रसाद	78
73.	श्री शिवसिंह पुत्र छगन सिंह	79
74.	श्री रूपसिंह पुत्र छगन सिंह	25
75.	श्री किशन पुत्र कानाराम	26
76.	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी मूल चन्द	56
77.	श्री मल सिंह पुत्र बच्चन सिंह	61

कचरा कच्ची बस्ती में 61 व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटन की सूची।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	भू-खण्ड संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती रामा पत्नी कन्हैयालाल	एस. 1
2.	श्री समीउल्ला पुत्र हबीबुल्ला	एस 2
3.	श्री मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद यूनुस	एस 3
4.	श्री चांद खां पुत्र मसीतुल्ला	एस 4
5.	श्री नूर खां पुत्र मसीत खां	एस 5
6.	श्री अब्दुल्ला पुत्र अल्फू खां	एस 6
7.	श्री गुलाब पुत्र शुबराती	एस 7
8.	श्री गफूर पुत्र रसूल	एस 8
9.	श्री मुन्नू खां पुत्र छोटे खां	एस 9

Page No 219

(217)

1	2	3
10.	श्रीमती हमीदुन्निसा पत्नी अब्दुल हफीज	एस 10
11.	श्रीमती हबीबन पत्नी दीन मोहम्मद	एस 11
12.	श्री नसीर खां पुत्र मिश्री खां	एस 12
13.	श्री गोबिन्दराम पुत्र चुन्नीलाल	एस 13
14.	श्रीमती लाली पत्नी बद्रीनारायण	एस 14
15.	श्री रामसुख पुत्र नानगराम	एस 15
16.	श्री प्रभुदयाल पुत्र मांगीलाल	एस 16
17.	श्री हनुमान पुत्र रामपाल	एस 17
18.	श्री रामसहाय पुत्र कुशालाराम	एस 18
19.	श्री नानगराम पुत्र कुशलाराम	एस 19
20.	श्री रामसुख पुत्र रघुनाथ	एस 20
21.	श्री बिरधीचन्द पुत्र नानगराम	एस 21
22.	श्री जीवन राम पुत्र किशनलाल	एस 22
23.	श्री मंगलराम पुत्र लालूराम	एस 23
24.	श्री चन्दाराम पुत्र बिरदीचन्द	एस 24
25.	श्रीमती गौरा पत्नी भौंरीलाल	एस 25
26.	श्रीमती मोसा पत्नी भूंथाराम	एस 26
27.	श्री हीरालाल पुत्र ग्यारसीलाल	एस 27
28.	श्री हरिनारायण पुत्र जीवनराम	एस 28
29.	श्री नानगराम पुत्र मन्नाराम	एस 29
30.	श्री मोहनलाल पुत्र रामदेव	एस 30
31.	श्री नन्हे खां पुत्र करीम बख्श	80
32.	श्री नसरूद्दीन पुत्र अलादीन	81
33.	श्रीमती आसिया पत्नी मुन्ना	82
34.	श्री खलीलुर्रहमान पुत्र शेकुर्रहमान	83
35.	श्री जुल्फिकार अहमद पुत्र जान मोहम्मद	84
36.	श्री इनायत अली पुत्र लालमियां	84ए
37.	श्री मुनीरखां पुत्र नजरूर खां	97
38.	श्री बुन्दू खां पुत्र मोहम्मद हुसैन	98
39.	श्री निजामुद्दीन पुत्र इब्राहिम	99
40.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र अलादीन	100
41.	श्री बुन्दू खां पुत्र इनायत खां	101
42.	श्रीमती सरदार बेवा रसूल बख्श	101ए

(218)

1	2	3
43.	श्री बलबीर सिंह पुत्र कल्याणसिंह	4ए
44.	श्री मंगल राम पुत्र रामदेव	4
45.	श्री बाबूलाल पुत्र शादीलाल	5
46.	श्री हुसैन पुत्र सादुल खां	6
47.	श्रीमती धापू पत्नी कल्लु खां	7
48.	श्री गुलाब पुत्र कालू	8
49.	श्री अब्दुल गफूर पुत्र छोटे खां	11
50.	श्री करीम पुत्र अब्दुल शकूर	12
51.	श्री अज्जू खां पुत्र हमीद खां	13
52.	श्री अहमद खां पुत्र कल्लन खां	14
53.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र पन्ने खां	15
54.	श्री नसरू खां पुत्र हैदर खां	15ए
55.	श्री कल्लू पुत्र गरीबुल्ला	43
56.	श्री रामलाल पुत्र रघुनाथ	46
57.	श्रीमती नसीरन पत्नी दीन मोहम्मद	76
58.	श्रीमती हमीदा पत्नी अब्दुल रसीद	75
59.	श्री गुल्ला राम पुत्र नानूराम	103
60.	श्री घासीराम पुत्र तेजाराम	104
61.	श्री जहूर पुत्र श्री अली	107

सूची 2

उन 16 व्यक्तियों की सूची जिन्हें अभी आवंटन नहीं किये गये परन्तु मालियों की बगीची के सामने की कच्ची बस्ती में बसाये जाने की सिफारिश की गई है व जिनके कब्जे कचरा बस्ती में हैं।

क्र.सं. 1	नाम व पिता का नाम 2
1.	श्री राधेश्याम पुत्र कजोड़ मल
2.	श्री मंगलदास पुत्र चोखा राम
3.	श्रीमती करतारो पत्नी पूर्णसिंह
4.	श्री मुईनुद्दीन पुत्र करीमबख्श
5.	श्रीमती जाहिदा पत्नी प्यारा
6.	श्री निजामुद्दीन पुत्र गेंदा खां
7.	श्रीमती जुम्मी पत्नी मोहम्मद बशीर खां
8.	श्री रमेश पुत्र प्रभातीलाल
9.	श्री ग्यारसीलाल पुत्र लादूराम

(219)

1	2	3

10. श्री दशरथसिंह पुत्र भैरोंसिंह
11. श्री नसीबा पुत्र जमाल खां
12. श्री गोविन्दराम पुत्र पेमाराम
13. श्रीमती शारदा पत्नी फूलसिंह
14. श्री तुलसीराम पुत्र राम कुमार
15. श्री रामकिशोर पुत्र धन्नाराम
16. श्री सीताराम पुत्र किशनलाल।

उन 7 व्यक्तियों की सूची जिनके द्वारा भी कचरा कच्ची बस्ती में निवास करना बताया है व आवंटन चाहा है जिनसे 1971 के पूर्व निवास के प्रमाण मांगे गये हैं परन्तु अभी तक भू-खण्ड आवंटन नहीं किया गया।

17. श्री पूरणमल पुत्र भंवरलाल
18. श्री रामूलाल पुत्र नानगराम
19. श्री यामीन पुत्र गुलाब
20. श्री सुलतान पुत्र नन्हे खां
21. श्री किशनलाल पुत्र नारायण
22. श्रीमती फूला बेवा शोलाराम
23. श्री जान मोहम्मद पुत्र अलादीन

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की सूची

वर्ष 1980–81 में, जनवरी 81 तक स्वीकृत 86 आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी औषधालयों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम स्थान	पं. स./तहसील	जिला	चिकित्सा पद्धति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मांगलियावास	पीसांगन/अजमेर	अजमेर	आयुर्वेद	
2.	ढाणी पुरोहितान	किशनगढ़/किशनगढ़	अजमेर	आयुर्वेद	एस.सी.पी.
3.	जालोली	केकड़ी/केकड़ी	अजमेर	आयुर्वेद	
4.	भंडोड़ी	अलवर	अलवर	आयुर्वेद	
5.	कठूमर	कठूमर	अलवर	आयुर्वेद	
6.	हरिजन बस्ती अलवर	नगर परिषद्	अलवर	होम्यो.	एस.सी.पी.
7.	होलावास (बानसूर)	अलवर	अलवर	आयुर्वेद	
8.	भेड़वा	धोरीमन्ना/गुढ़ामलानी	बाड़मेर	आयुर्वेद	
9.	धतीनी	शिव	बाड़मेर	यूनानी	
10.	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	होम्यो.	जिलामुख्यालय
11.	लोलेड़ा ब्यासान	तालेड़ा/बून्दी	बून्दी	आयुर्वेद	
12.	सांथेली	तालेड़ा/बून्दी	बून्दी	होम्यो.	
13.	रामपुरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
14.	उल्लई	साहाड़ा	,,	,,	
15.	मुंशी	बनेड़ा	,,	,,	
16.	संरसियां	जहाजपुर	,,	,,	
17.	डावला	बनेड़ा	,,	,,	
18.	चोड़खेड़ा	सहाड़ा	,,	,,	
19.	चावण्डिया	मांडल	,,	,,	
20.	पालरा	रायपुर	,,	,,	
21.	हरिजन बस्ती, बीकानेर	बीकानेर बीकानेर	बीकानेर	होम्यो.	जिला मुख्यालय/ एस.सी.पी.
22.	मदनपुर	बयाना	भरतपुर	आयुर्वेद	
23.	इब्राहिमपुर	रूपवास	,,	,,	

Page No 223

(२२१)

1	2	3	4	5	6
24.	बैर	बैर	भरतपुर	आयुर्वेद	
25.	थानाडांग	बयाना	,,	,,	
26.	रावल	बाड़ी	,,	,,	एस. सी. पी.
27.	कलछेड़ा	नदबई	,,	,,	,,
28.	सिरस	बैर	,,	,,	
29.	उहलू	वैर	,,	,,	
30.	मैनापुरा	बैर	,,	,,	
31.	मुखेना	बैर	,,	,,	
32.	ईडरा	बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद	
33.	आजोल्यां का खेड़ा	गंगरार	,,	,,	
34.	रावडरा	बेगूं	,,	,,	
35.	गादोली	निम्बाहेड़ा	,,	,,	
36.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	,,	होम्यो.	जिला मुख्यालय
37.	रामगढ़	प्रतापगढ़	,,	आयुर्वेद	जन जाति क्षेत्र
38.	तेहड़ादेसर	राजगढ़	चूरू	आयुर्वेद	
39.	तेनदेसर	सुजानगढ़	,,	,,	
40.	चूरू	चूरू	,,	होम्यो.	जिलामुख्यालय
41.	राईयांवाली	पीलीबंगा	श्रीगंगानगर	आयुर्वेद	
42.	संगतपुरा	केशरीसिंहपुर	,,	,,	
43.	इन्दिरा कालोनी	श्रीगंगानगर	,,	,,	
44.	जाटावाली	गोविन्दगढ़	जयपुर 'अ'	होम्यो.	
45.	सोडाला	जयपुर	,, 'बी'	,,	
46.	सोनड़ा	लालसोट	,, ,,	आयुर्वेद	
47.	रोजवाड़ी	बस्सी	,, ,,	,,	
48.	निहालपाड़ा	सिकराय	,, ,,	,,	एस.सी.पी.
49.	लांगड़ियावास	जमवारामगढ़	,, 'अ'	,,	
50.	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
51.	जालौर	जालौर	जालौर	,,	,,
52.	करवाड़	रानीवाड़ा	,,	आयुर्वेद	
53.	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	होम्यो.	,,
54.	ल्हास	मनोहरथाना	,,	आयुर्वेद	
55.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	झुन्झुनू	होम्यो.	जिला मुख्यालय

1	2	3	4	5	6
56.	पंचलंगी	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू	आयुर्वेद	
57.	काजड़ा	चिड़ावा	,,	,,	
58.	खेतपुरा	झुन्झुनू	,,	,,	
59.	लाधूसर	मण्डावा/झुन्झुनू	,,	,,	
60.	रातेड़ा	लाड़पुरा	कोटा	,,	एस. सी. पी.
61.	राजपुरा	शाहबाद	,,	,,	
62.	खीमच	रामगंजमण्डी	,,	,,	
63.	राई	छबड़ा	,,	,,	एस.सी.पी.
64.	गुलजारपाड़ा	जोधपुर	जोधपुर	यूनानी	
65.	नागौर	नागौर	नागौर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
66.	गोठ मांगलोद	जायल	,,	आयुर्वेद	राज्याधीन लेना है (दधिमति धर्मार्थ औषधालय)
67.	सवाई माधोपुर	स. माधोपुर	स. माधोपुर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
68.	कुरेड़ी	खण्डार	,,	आयुर्वेद	एस.पी.सी.
69.	मोना की नांगल	नीम का थाना	सीकर	,,	
70.	सिरोही	सिरोही	सिरोही	होम्यो.	जिला मुख्यालय
71.	दोहितरा	आबूरोड	,,	आयुर्वेद	ज.जा. क्षेत्र
72.	टोंक	टोंक	टोंक	होम्यो.	जिला मुख्यालय
73.	उदयपुर.	उदयपुर	उदयपुर	,,	,,
74.	पीलीधर	सराड़ा	,,	आयुर्वेद	ज. जा. क्षेत्र
75.	पीपाली	खैरवाड़ा	,,	,,	,,
76.	टेंकरा	धरियावद	,,	,,	,,
77.	चन्दनघास	झाड़ोल	,,	,,	,,
78.	मुन्डिया	निवाई	टोंक	,,	,,
79.	देवसोमनाथ	डूंगरपुर	डूंगरपुर	,,	,,
80.	आरा	सागवाड़ा	,,	,,	,,
81.	वासियां	डूंगरपुर	,,	,,	,,
82.	भेवड़ी	आसपुर	,,	,,	,,
83.	सुन्दनपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	,,
84.	वड़ाना	घाटोल	,,	,,	,,
85.	बड़वा	बागीडोरा	,,	,,	,,
86.	मूंदड़ी	कुशलगढ़	,,	,,	,,

———————